संयुक्त-प्रान्त

की

अपराधी जातियाँ

लेखक

प्रकाशनारायण सकसेना

प्रथमबार] जनवरी सन् १९४९ [मूल्य ३।)

प्रकाशक
यू०पी० डिसचार्ज्ड प्रिजनर्स एड सोसाइटी
पुराना डाकखाना, लखनऊ।

मुद्रक
पं० मदनमोहन शुक्ल, 'मदनेश'
साहित्य-मन्दिर प्रेस लिमिटेड, लखनऊ



श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव

चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन यू० पी०

भूतपूर्व अध्यक्ष यू० पी० डिसचार्ज्ड प्रिजिनर्स एड सोसाइटी

प्राक्कथन

भारतवर्ष में अपराधशील जातियों का पाया जाना एक विचित्र समस्या है। केन्द्रीय योरुप के कतिपय देशों की कुछ गृहविहीन जातियों के अतिरिक्त जिनका स्वभावतः भ्रमणशील होते हुये भी अपराधशील होना आवश्यक नहीं है, संसार के किसी देश के किसी जाति या वर्ग से भारतवर्ष की अपराधशील जातियों तथा क़ौमों की समानता नहीं की जा सकती। संसार में अपराधीगण प्रत्येक स्थान में पाये जाते हैं और प्रायः हम देखते हैं कि अपने दुष्कृत्यों को सफलता पूर्वक चलाने के लिये वे सम्मिलित हो जाते हैं और दल बना लेते हैं, किन्तु इस प्रकार के अपराधियों में अपराधशीलता के अतिरिक्त कोई बात समान नहीं होती है। अपराधी उन व्यक्तियों को कहते हैं जो समाज में निभकर नहीं चल सकते और जो कुछ जान्मिक एवं वातावरण के कुचक्रों से बाधित होकर अपराध करने लगते हैं। इसके विपरीत हम यह देखते हैं कि अपराधशील जातियों के व्यक्ति पारस्परिक रूप से निभकर चलते हैं, उनकी अपनी निज की मान मर्यादा होती है, उनकी अपनी जातीय पंचायत होती

है जिसके निर्णय अंतिम और प्रत्येक के लिये शिरोधार्य होते हैं। उनकी अपनी गुप्त बोली होती है। उनके अपने विचित्र आचार और व्यवहार होते हैं। उनको अपनी निज की अपराधशैली होती है जिसका वह पूर्णतः पालन करते हैं और अपनी संतानों को भी उसकी उसी प्रकार शिक्षा देते है जिस प्रकार कोई अन्य औद्योगिक जातिवाला व्यक्ति अपना उद्योग धंधा अपनी संतान को सिखाता है। लूट मार से प्राप्त सामिग्री के वितरण करने की उनकी अपनी ही विचित्र योजना होती है, और एक प्रकार के अपक्व सामाजिक बीमा द्वारा वे अपने जाति के वृद्ध एवं उन व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता देते हैं। जो अपराध.करने के कारण मृत्यु, चोट या कारावास को प्राप्त होते हैं। सामाजिक रूप से अपराधशील जातियों के व्यक्ति आपस में मेल से रहते हैं किन्तु उनकी जातियाँ तथा कौमें उस साधारण समाज से बैर एवं भीषण रूप से द्वेष रखती हैं जिन पर उनके सदस्य आक्रमण किया करते हैं और बहुधा उस दण्ड के भागी होते हैं जो समाज के प्रतिकूल आचरण करने वालों के लिए निर्धारित किया जाता है।

पिछली कई शताब्दियों से अपराधशील जातियों की समस्या का कोई हल अधिकारीगण नहीं निकाल सके हैं। कब और कैसे यह जाति और क़ौमें बनीं और इन्होंने किस प्रकार अपराध ही को उद्यम के रूप में अपनाया, इसका पर्याप्त रूप से अनुसंधान नहीं किया गया है। क्या इनके वंश विशेष में कोई

ख़राबी है। क्या इनकी बाह्य परिस्थितयों में कोई कमी है। क्या इनको अपराध के अतिरिक्त जीवन निर्वाह के अन्य साधन उपलब्ध हैं। यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कभी भी जाँच नहीं की गई है। इसके विपरीत समाज और सरकार ने एक विशेष कानून इन लोगों के लिये लागू कर दिया है। डण्डे से बस में करने का प्रयत्न किया गया है। पन्द्रह वर्ष की आयु पहुँचने पर चाहे जैसा उनका आचरण हो उनकी रजिस्ट्री का नियम बनाया गया है। उनके ऊपर यातायात सम्बन्धो एवं रात की निगरानो के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। उनको नौआबादियों में बसाया गया और बन्द रखा गया। वहाँ उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाये गये। किन्तु उनकी जीविका या रोजगार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। अपराध के लिये कठोरता दण्ड एवं कानून के समस्त भेद भाव पूर्ण बर्ताव उनके भाग्य में रखा गया है। यह प्रणाली ७० वर्ष से जारी है और यद्यपि यह कुछ अंश में इनके अपराधवृत्ति को कम करने में सहायक हुई है किन्तु इस प्रणाली द्वारा इनका कोई भी सुधार न हो सका और वह इन्हें समाज में पुनः मिला सकने में असफल ही रही और इस असफलता का कारण अपराधियों के प्रति हमारा प्रचलित दोषपूर्ण व्यावहार है जिसके द्वारा हमने कृत प्रत्यक्ष अपराधियों के लिये दण्ड तो निर्धारित कर दिया है किन्तु उन अपराध के पीछे छिपे हुये मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारणों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। यदि किसो बीमारी का

उपचार केवल बाह्य लक्षणों ही पर किया जाय और उसके गुप्त एवं आंतरिक कारणों पर ध्यान न दिया जाये तो इस प्रकार का उपचार प्रायः असफल ही रहेगा और यही बात अपराध के लिये सत्य है जो एक प्रकार का सामाजिक रोग ही है।

'संयुक्त प्रांत की अपराधी जातियाँ' शीर्षक यह पुस्तक श्री प्रकाश नारायण सकसेना ने लिखी है जो यू० पी० डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स एड सोसाइटी के मंत्री एवं चीफ़ प्रोबेशन अफ़सर हैं। एक समिति ने जिसमें मेरे अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर डाक्टर डी० एम० मजूमदार और उस समय के यू० पी० गवर्नमेंट के रिक्लेमशन अफ़सर राय बहादुर चौधरी रिसाल-सिंह जी सदस्य थे, इस पुस्तक को इस विषय पर सर्वोत्कृष्ट घोषित किया था। पुस्तक का अनुवाद उर्दू में भी हो गया है और दोनों पुस्तकों को यू० पी० डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स एड सोसाइटी प्रकाशित कर रही है। इस सोसाइटी ने साधारण जनता के लाभ के लिये अपराध एवं दण्ड शास्त्र सम्बन्धी साहित्य पर पुस्तकें प्रकाशित करने का भार अपने ऊपर लिया है। श्री प्रकाश नारायण सक्सेना की यह दूसरी पुस्तक है, उनकी पहली पुस्तक 'दण्ड शास्त्र' तथा उसका उर्दू संस्करण 'सजा का इल्म' कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हुये थे और हिन्दी तथा उर्दू साहित्य में इस विषय की पहिली पुस्तकें थी।

संयुक्त प्रांत की अपराधी जातियाँ हिन्दी और उर्दू साहित्य में इस विषय पर पहिली पुस्तक है। इस पुस्तक की भाषा-

शैली सरल है और साधारण योग्यता का मनुष्य इसे भली-भाँति पढ़ और समझ सकता है।

अपराधशील जातियों की समस्या का सब ही दृष्टिकोण से इस पुस्तक में दिग्दर्शन किया गया है। भिन्न-भिन्न जाति और क़ौमों की किस प्रकार उत्पत्ति हुई उनका रहन-सहन, संस्कृति, आचार व्यवहार उनकी जातीय पंचायतें, अपराध कार्य कुशलता एवं दक्षता का वर्णन किया गया है तथा सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैधानिक दृष्टिकोण से समस्या का निरूपण किया गया है तथा रिक्लेमेशन विभाग के काम की विवेचना की गई है। यह पुस्तक पुलिस, जेल, प्रोबेशन तथा रिक्लेमेशन विभाग के कर्मचारियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी, पाठशालाओं के विद्यार्थियों को समाज शास्त्र के एक मनोरञ्जक विषय पर शिक्षा देगी और इस कारण पाठशालाओं के एवं साधारण पुस्तकालयों के लिये यह पुस्तक लाभदायक सिद्ध होगी। यह पुस्तक सरकार के प्रगतिशील विभागों के नियुक्त कर्मचारियों के लिये जैसे सहकारिता, ग्राम सुधार, ग्राम पंचायतों इत्यादि के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस पुस्तक से अधिकाधिक लाभ उठायेगी।

सरकार के विचारार्थ में यहाँ पर दो शब्द कहना उपयुक्त समझूंगा। इस प्रांत में वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक कार्य के करने पर वह महत्व नहीं दिया गया है जो उसको देना चाहिये था। सरकार के विभिन्न विभाग सुधारने

तथा उनको समाज में फिर से बसा लेने का कार्य कर रहे हैं। हमारी एक प्रोवेशन प्रणाली है जिस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है, हमारी एक पैरोल प्रणाली है जिस पर ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ एक रिक्लेमेशन विभाग है जो अपराधशील जातियों के पुनरुत्थान का कार्य कर रहा है। बच्चों के एक्ट वनाने तथा बास्टल संस्था स्थापित करने की भी आवश्यकता है। किन्तु इन विभागों की कार्यवाहियों पर कोई नियंत्रण तथा उनमें कोई सामन्जस्य नहीं है। सरकार के विचारार्थ में यह सुझाव प्रस्तुत करता हूँ कि इन प्रथम विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये तथा उनको निर्देश देने एवं कार्यवाही की एक निश्चित योजना तैयार करने के लिये एक सामजिक पुनर्वासन विभाग स्थापित किय जाय।

श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव

भूमिका

'अपराधशील जातियों' के नीरस और कठिन विषय पर अत्यन्त भावुकता एवम् सरसता पूर्ण शैली में एक सारगर्भित पुस्तक लिखने की सफलता पर मैं उसके लेखक श्री प्रकाश नारायण सक्सेना हार्दिक बधाई देता हूँ। अपराधशील जातियों का विषय यद्यपि अपना विशेष महत्व रखता है तथापि हमारे समाज ने उसकी सदैव अवहेलना की, क्योंकि प्राय: हमारा विश्वास सा हो गया है कि 'अपराधी' एक विशेष जाति है जिसके प्रति हमें उपेक्षा और घृणा रखना चाहिये। हमारा उनसे अपना कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। कुछ व्यक्तियों की धारणा तो यहाँ तक बन गई है कि वे अपराधियों को जन्म-सिद्ध अपराधी मानते हैं और समझते हैं कि ईश्वर ने ही उनको अपना कोप भाजन बनाकर इस जाति विशेष में जन्म दिया है। अस्तु कोई भी लेखक जो इन उपेक्षित अपराधियों की समस्या पर अपने सार्थक और मूल विचार प्रकट करता है। वास्तव में यथेष्ट प्रोत्साहन का अधिकारी है। मेरे विचारों में यदि इस समस्या का सुचारु रूप से अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन अपराधियों को अपराधी बनाने का सारा दोष हमारा ही है क्योंकि हमने किसी ऐसे समाज का

निर्माण नहीं किया जिसमें किसी को जन्मसिद्ध अपराधी न समझा जाता और प्राणी मात्र को जीवन में पूर्ण उन्नति और समृद्धिशाली बनने का खुला और समान अवसर दिया जाता। श्रीयुत प्रकाश नारायण जी ने हमारी इस बड़ी कमी को पूरा किया है। उन्होंने अपराधशास्त्र तथा दंड-शास्त्र की समस्याओं का वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत वर्णन और विवेचन किया है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में हमें इन भिन्न जातियों के जीवन का पूरा ज्ञान कराने के लिये यथेष्ट सामिग्री संग्रह की और इस रोग के कारणों के साथ ही साथ उसके उपचारों को भली भाँति बतलाया है। जिसको पढ़कर और समझकर हम अपने मानव समाज के इस कलंक को मिटा सकते हैं। लेखक ने इस समस्या तक वैज्ञानिक रीति से पहुँचने का सतत् प्रयास किया है। और बड़ी ही उपयोगी बातों को लिखा है। मुझे आशा है कि हमारे प्रांतीय पुलिस, जेल तथा रिक्लेमेशन विभाग के पदाधिकारी तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इस सरस और शिक्षात्मक रचना को पढ़कर अवश्य ही लाभ उठायेंगे।

श्री गोविन्दसहाय

माननीय प्रधानमंत्री यू० पी० के सभासचिव

संयुक्त प्रान्त की अपराधी जातियाँ

विषय-सूची

विषय पृष्ठ

प्रथम भाग

द्वितीय भाग

तृतीय भाग

चतुर्थ भाग

पंचम भाग



ग्राम वासी अपराधी जातियाँ
1. बहेलिया
3. कपट
4. कंजड़
5. खटिक
6. गूजर
7. घोसी (हिन्दू)
8. डोम
9. दलेरा
10. नट
11. पलवर दुसाध
12. पासी
13. पासी (गूजर)
14. पासी बोराशी
15. बदक
16. बखार
17. बवारिया
18. बेड़िया
19. बोरिया
20. बंजारा
21. भर
22. मल्लाह
23. मल्लाह चाई
24. मेवाती
25. मुसाहर
26. लोध
27. सासिया
28. हाबूड़ा
गृह विहीन अपराधी जातियाँ
१ औघड़
२ कंजड़
३ किंगीरिया
४ कनमैलिया
५ कपाड़िया
६ करवल
७ कुरमांगता
८ कलन्दर फकीर
९ गोदनाहार
१० गोसाईं
११ चमर मांगता
१२ जोगी
१३ बंजारा
१४ नटक
१५ बेड़िया
१६ बवारिया
१७ बेद
१८ बेलदार
१९ बहेलिया
२० भाट
२१ मदारी
२२ महावत
२३ नट
२४ डोम
२५ सिंगीवाला
२६ सपेरा
२७ सैकलगर
पंजाब
राजपूताना
नेपाल
बिहार
गढ़वाल
ग्वालियर
सीतापुर
सुल्तानपुर
मिर्जापुर
गोरखपुर
बस्ती
गृह विहीन अपराधी जातियाँ... बंजारा १३
ग्राम वासी अपराधी जातियाँ .... कंजड़ ४

संयुक्तप्रान्त की अपराधी जातियाँ

प्रथम परिच्छेद

विषय-प्रवेश

अपराधी जातियाँ कौन हैं ? उनकी जनसंख्या और वितरण अन्य प्रांतों की अपराधी जातियों से उनका संबंध तथा आवागमन।

संयुक्तप्रान्त भारतवर्ष का एक प्रमुख प्रान्त है। यह दो प्रान्तों आगरा व अवध से मिलकर बना है। इसलिये संयुक्तप्रान्त कहलाता है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बिहार प्रान्त, दक्षिण में मध्यप्रान्त व मध्य देशी रियासतें और पश्चिम में देहली और पंजाब के प्रान्त हैं। १९४१ की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी पाँच करोड़ के ऊपर है। इस आबादी में ८४ फी सदी हिन्दू, १५ फी सदी मुसलमान और शेष १ फी सदी में हिन्दुस्तानी ईसाई, अंग्रेज़, सिक्ख, जैन इत्यादि हैं। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, केन, सोन इत्यादि प्रमुख नदियाँ हैं। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बनारस प्रमुख शहर हैं। प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, हरद्वार हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। शासन की सुविधा के लिये प्रान्त ४९ ज़िलों में विभाजित है। संयुक्त प्रान्त से सम्बन्धित तीन देशी रियासतें १. टेहरी गढ़वाल, २. रामपुर, ३. बनारस हैं। अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं और खेती बारी ही मुख्य उद्यम है।

जाति हिन्दू धर्म की विशेषता है। यह अवश्य है कि जो व्यक्ति हिन्दू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में सम्मिलित हो गये हैं, वे अपने साथ हिन्दू जाति के नियम और रीति रिवाज भी लेते गये हैं और जिनको बहुत हद तक धर्म परिवर्तन के पश्चात् भी मानते हैं। जातियों का कब और किस प्रकार प्रारम्भ हुआ इस पर कोई निश्चित मत नहीं है और किस प्रकार जाति का रूपान्तर होता गया इस पर भी केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ऋगवेद में प्रथम चार वर्णों का वर्णन है। वर्ण के शाब्दिक अर्थ "रंग" है। सम्भव है मनुष्यों का विभाजन रंग के अनुसार ही किया गया हो और जिस प्रकार आज कल के समय में संसार और हमारे देश में रंग की समस्या है, उसी प्रकार उस समय भी हो, जब सहस्त्रों वर्ष पहिले आर्यों ने इस देश में प्रवेश किया हो और अपने को जो गोरे वर्ण के थे, यहाँ के आदि निवासियों से जो सम्भवतः कृष्ण वर्ण के थे, पृथक रखने और अपनी नस्ल को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिये विभाजन किया हो। ऋगवेद के एक मंत्र में वर्णन है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उनकी भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से और शूद्रों की उनके पैरों से हुई। प्रारम्भ में सम्भवतः चार ही वर्ण थे। वेदों में अन्य जातियों का कोई वर्णन नहीं है और न जाति से सम्बन्धित रूढ़ियों ही का कोई वर्णन है। ब्राह्मणों के लिये न कोई विशेष अधिकार है और न शूद्रों की ही हीन दशा है। खान-पान शादी-विवाह में भी कोई बाधायें नहीं हैं। वैदिक समय में भी बहुत से उद्योग धन्धों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में भी जाति

का वर्णन है। किन्तु मनुस्मृति में चार वर्णों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी जातियाँ हो गई थीं, जो अधिकतर मिश्रित जातियाँ थीं। ब्राह्मणों का पद उच्च हो गया था। कहीं-कहीं तो शुद्ध क्षत्रिय और वैश्य रह ही नहीं गये थे और वे सब लोग जो अपने से पूर्वजों का ब्राह्मण होना सिद्ध नहीं कर सकते थे शूद्र कहलाने लगे थे। शूद्र चारों वर्णों में सबसे हीन समझे जाते थे, किन्तु मनु के समय में शुद्ध शूद्र, वर्णशंकर जातियों से ऊँचे माने जाते थे। शूद्र माता पिता की संतान, शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता की संतान से ऊँची मानी जाती थी। ऐसी संतान को चांडाल कहा जाता था और वह कभी भी ऊँची नहीं हो सकती थी। चार वर्णों के पारस्परिक मिश्रित विवाहों से उत्पन्न १६ जातियाँ बनीं और इन जातियों के अन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न अन्य सहस्रों जातियाँ हो गईं। ग्रीक, एलची, मेगस्थनीज़ ने जो चन्द्रगुप्त के राज-दरबार में रहता था, अपनी पुस्तक में ७ जातियों का वर्णन किया है। १. विद्वान्, २. कृषक, ३. गड़रिये, ४. उद्योग धंधेवाले, ५. सैनिक, ६. निरीक्षक, ७. राजमंत्रीगण।

जाति की संस्था में बराबर परिवर्तन होता आया है और इसलिये यह समझना निराधार है कि जाति सनातन और हिन्दू धर्म के प्रारम्भ से ही अपरिवर्तित रही है। पुरानी धर्म पुस्तकों में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों जाति केवल गुणों पर निर्भर थी और एक मनुष्य गुणानुसार अपनी जाति का परिवर्तन कर सकता था।

आज कल जाति की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं।

१. जन्म—प्रत्येक हिन्दू का जन्म एक निश्चित जाति में होता है और जन्म भर वह उसी जाति का सदस्य रहता है। अपनी जाति बदलना असम्भव ही है।

२. विवाह—आम तौर पर एक व्यक्ति को अपनी जाति ही में विवाह करना पड़ता है।

३. खानपान—प्रत्येक जाति में खान पान के विषय में निश्चित नियम हैं, जिन्हें जाति वालों को मानना पड़ता है।

जाति निम्नलिखित प्रकार की होती हैं।

१. औद्योगिक—औद्योगिक जाति का प्रत्येक सदस्य प्रायः उसी उद्योग का काम करता है, जैसे बढ़ई, दर्जी, लोहार इत्यादि।

२. वंश या नस्ल—चन्द जातियाँ उन लोगों से बनती हैं, जो एक ही वंश या रक्त के होते हैं और अपने को एक ही वंश या रक्त का मानते हैं। इस प्रकार की जातियाँ कम हैं, किन्तु उदाहरणार्थ जाट, गूजर, भर, पासी, डोम हैं।

३. पंथ—विशेष पंथ के मानने वालों की प्रथक जाति बनाई गई है, जैसे अतिथि, गोसाईं, विश्नोई, साध इत्यादि।

४. पहाड़ी जातियाँ—इन जातियों में जाति नियम, मैदान में बसने वाली जातियों की अपेक्षा कम कठिन होते हैं।

५. अपराधी और खानाबदोश जातियाँ—यह जातियाँ अन्य जातियों से बहिष्कृत व्यक्तियों से मिल कर बनी हैं, जो स्वेच्छा अथवा अपराध करने के हेतु आपस में मिल गये हैं, जैसे बधिक, बरवार इत्यादि।

६. मुसलमान जातियाँ।

समाज अपना काम सुचारु रूप से चलाने के लिये नियम बना लेता है। इन्हीं नियमों को कानून या विधान कहते हैं। नियमों की आज्ञा पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य हो जाता है। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन या अवहेलना करता है, वह समाज के प्रति अपराध करता है और वह अपराधी कहलाता है और उसे कानून के अनुसार दण्ड मिलता है। अभाग्यवश हमारे प्रान्त में कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जिन्होंने अपराध करना ही अपना पेशा बना रखा है। चोरी, डाका, लूट मार, जालसाजी करके ही वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। साधारण दंड विधान का उन पर कोई असर नहीं हुआ और न जेलखानों की सज़ाओं ने उनको भय दिलाया। अपराधी जातियों को वश में करने के लिये एक विशेष कानून बनाना पड़ा जिसे "अपराधी जातियों का कानून" या "क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट" कहते हैं। जिन जातियों या मिश्रित दलों की इस कानून के अंतर्गत घोषणा कर दी जाती है, वह जाति या मिश्रित दल अपराधी जाति घोषित करार दी जाती है और उस जाति या दल पर उस जाति या दल के प्रत्येक व्यक्ति पर इस कानून के अन्दर कार्यवाही की जा सकती है।

इस पुस्तक में इन्हीं अपराधी जातियों का वर्णन है। मिश्रित दल में चूँकि अन्य जातियों के व्यक्ति शामिल होते हैं और केवल अपराध करने के ही लिये सम्मिलित हो जाते हैं। उनकी अपराधी जातियों में केवल इसीलिये घोषणा कर दी जाती है ताकि उनकी

कार्यवाहियों को आसानी से रोका जा सके, इन कारणों से मिश्रित दलों का इस पुस्तक में वर्णन नहीं किया गया है ।

अपराधी जातियाँ दो प्रकार की हैं । एक गाँव में बसी हुई, और दूसरी ख़ानाबदोश । बसी हुई जातियों में मुख्य अपराधी जातियाँ पासी, अहेरिया, बौरिया इत्यादि हैं । कहने को तो यह बसी हुई जातियाँ हैं और इन लोगों के पास घर, द्वार, खेती बारी और दिखाने के लिये कोई बनावटी पेशा भी होता है, लेकिन अपराध करने के लिये इन जातियों के दल अपने गांवों से बहुत दूर निकल जाते हैं और अन्य ज़िलों और प्रान्तों में जाकर यह लोग अपराध करते हैं । ख़ानाबदोश जातियाँ वह जातियाँ हैं जिनके घर बार नहीं होता और जो अपना जीवन निर्वाह तम्बू खेमों में करती हैं । सभी ख़ानाबदोश जातियाँ अपराधी जातियाँ नहीं हैं—रमैया, बिसाती, बेलदार इत्यादि जातियाँ ख़ानाबदोश तो हैं, किन्तु अपराधी नहीं हैं । हबूड़ा, नट, कंजड़, भांतू, बहेलिया, डोम इत्यादि ख़ानाबदोश भी हैं और अपराधी जातियाँ भी हैं ।

प्राय: अपराधी जातियाँ हिन्दू धर्म को मानती हैं किन्तु कुछ अपराधी जातियाँ इस्लाम धर्म को मानती हैं, जैसे महावत, लुँगी, पठान, कलन्दर, फकीर, बलूची, इत्यादि । कुछ जातियाँ आदि कालीन जातियाँ हैं । उनका रहन सहन, आचार विचार और धर्म, हिन्दू धर्म से पृथक है और वह जातियाँ पूरे तौर पर हिन्दू धर्म में प्रविष्ट नहीं हो पाई हैं ।

आदि कालीन अपराधी जातियाँ हैं—बेड़िया, भांतू, हबूड़ा,

कंजड़, सांसिया, नट, अहेड़िया और बहेलिया। बहुत सी आदि कालीन जातियाँ अपराधी नहीं हैं जैसे—अगरिया, भुइया, चेरो, खैरादा, कोरवा, मझवार, पंखा, पतारी, कोल इत्यादि।

बहुत सी अपराधी जातियों की गणना परिगणित जातियों अथवा हरिजनों में की जाती है। उपरोक्त आदि कालीन अपराधी जातियों की गणना हरिजनों में की गई है, इनके अतिरिक्त डोम, खटिक, बेलदार, बोरिया, बधिक, बरवार और कपड़िया, हरिजन अपराधी जातियाँ हैं। बहुत सी हरिजन जातियाँ अपराधी नहीं हैं जैसे—शिल्पकार, कालाहार, बाँसफोड़, बसोर, पनख, धानुक, हारी, हेला, लालबेगी, जाटव, धोबी, कोरी, टंगर, वादी, बजनिया, बाजगी, कलाबाज़ इत्यादि। बहुत सी आदि कालीन जातियों की गणना सवर्ण जातियों में की जाती है और वे अपराधी भी नहीं हैं जैसे—भोक्सा, गोंड, खंगर, किंगीरिया, पवारिया इत्यादि। कुछ अपराधी जातियों की गणना सवर्ण हिन्दुओं में होती हैं जैसे—भर, भवापुरिया, गूजर, केवट, दलेरा और औंधिया। कई अपराधी जातियाँ सरकार द्वारा परिगणित जातियाँ अथवा हरिजनों में गिन ली गई हैं, किन्तु वे अपने को सवर्ण मानती हैं और अपनी जाति की गिनती हरिजनों में किये जाने का विरोध करती हैं जैसे—बरवार, करवाल, अहेड़िया, भांतू इत्यादि।

अपराधी जातियों के कानून के अनुसार—"क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट", १९२४ के अनुसार—संयुक्तप्रान्त में ४७ अपराधी जातियाँ और ख़ानाबदोश अपराधी जातियाँ हैं। ९ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी

गिनती बसी हुई अपराधी जातियों एवं ख़ानाबदोश अपराधी जातियों में की गई है। यह जातियाँ हैं—बधक, बंजारा, बरवार, बौरिया, बेडिया डोम, हबूड़ा, कंजड़ और नट। अपराधी जातियों के कानून के अनुसार प्रान्त में ४५ मिश्रित दल हैं जिन पर यह कानून लगाया गया है।

अपराधी जातियों की जन संख्या भिन्न भिन्न हैं। कुछ जातियों की आबादी अधिक है और प्रान्त के बहुत से जिलों में रहती हैं। कुछ अपराधी जातियों की संख्या अब इतनी कम हो गई है कि उनकी जन गणना की संख्या दो, एक ही ज़िलों में बसती है। कुछ जातियों की जनसंख्या में प्रत्येक जन गणना में बहुत परिवर्तन हो जाता है। कभी दो जातियाँ मिलकर एक हो जाती हैं और उनकी संख्या एक ही में मिल जाती है, कभी एक ही जाति के दो या तीन भाग या उपजातियाँ हो जाती हैं और एक हो जाति की संख्या उप जातियों में बंट जाती है। खानाबदोश जातियों की जनसंख्या में और भी कठिनाई होती है। यह जातियाँ कभी एक ज़िले में कभी दूसरे में पाई जाती हैं और कभी तो प्रान्त तक परिवर्तित कर देती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक जाति बहुत से ज़िलों में बसती है और कुछ ज़िलों में वह अपराधी घोपित की गई है और कुछ में नहीं। कुछ जातियाँ तो ऐसी हैं जो किसी तरह से अपराधी नहीं जानी जातीं किन्तु उस जाति के लोग किसी विशेष गांव में अपराध करने लगे और इसलिये केवल उसी गांव या गांवों के व्यक्तियों की घोपणा अपराधी जातियों में कर दी गई है।

ख़ानाबदोश अपराधी जातियों में कंजड़ २४ ज़िलों में, नट २१

जिलों में, बंजारा १६ ज़िलों में, करवाल १४ ज़िलों में, बहेलिया १० ज़िलों में, भाट ६ ज़िलों में, डोम ८ ज़िलों में, बेड़िया ७ ज़िलों में, क़लन्दर फ़क़ीर, सिंगीवाला, महावत ६ ज़िलों में, बौरिया, चमर मांगता कपड़िया, मदारी ५ ज़िलों में, बधक ४ ज़िलों में, कुरमांगता, संपोरा ३ ज़िलों में अपराधी जाति घोषित किये गये हैं। अन्य ख़ानाबदोश जातियाँ जैसे—कनमैलिया, लोना चमार, खुरपालता, कंकाली, सैफ़कलीगर, योगिया, कनफट्टा, बृजवासी, गोदनहार, गोसांई, बैद, औघड़ इत्यादि केवल एक या दो ही ज़िलों में अपराधी घोषित की गई हैं।

बसी हुई अपराधी जातियों में सर्व प्रथम डोम हैं जो केवल कमायूं कमिश्नरी को छोड़कर प्रत्येक ज़िले में अपराधी जाति घोषित किये गये हैं। पासी १५ ज़िलों में, हबूड़ा १० ज़िलों में, अहेड़िया ६ ज़िलों में, नट और सांसिया ७ ज़िलों में, कंजड़ और मल्लाह ६ ज़िलों में, बेड़िया ५ ज़िलों में, वधिक, बंजारा और भर और मुसहर ४ ज़िलों में, बखार और घोसी, (हिन्दू) ३ ज़िलों में, बोरिया, दलेरा, गूजर खटिक, औधिया केवल २ ज़िलों में अपराधी जाति घोषित की गई हैं। बरवार, कोरी, बौरिया, बावरिया, भवापुरिया, गंडीला, केवट, लोध, लोधा, मेवाती, पलवर दुसाध, या पसिया और तगा भाट केवल एक ही ज़िले में अपराधी घोषित किये गये हैं। इटावा, गाज़ीपुर, जौनपुर, के कुछ गाँव में रहनेवाले चमार और बुलन्दशहर ज़िले के कुछ गाँवों में रहनेवाले मुसलमान राजपूत भी अपराधी जाति घोषित किये गये हैं।

संयुक्त प्रान्त में रहनेवाली अपराधी जातियाँ अन्य प्रान्तों या देशी रियासतों में भी अपराधी जाति घोषित की गई हैं। इसके तीन कारण

हैं, पहिला तो ख़ानाबदोश जातियाँ हैं जो संयुक्त प्रान्त के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी भ्रमण करती हैं और अपराध करती हैं इसलिये वहां भी अपराधी घोषित कर दी गई हैं—हबूड़ा आसाम, बंगाल, और पंजाब में। कंजड़ आसाम, बंगाल, मद्रास, बम्बई सिंध, पंजाब, हैदराबाद दक्षिण, पटियाला, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूँदी, धौलपुर कोटा, शाहपुरा इत्यादि में अपराधी जाति घोषित हैं। नट आसाम, बंगाल, बिहार, पंजाब, बम्बई, सिंध, बीकानेर, भरतपुर, झालावाड़, पटियाला और रामपुर में अपराधी जाति घोषित हैं। साँसिया आसाम, बंगाल, बम्बई, पंजाब, अजमेर, भरतपुर, बूँदी, जयपुर, झालावाड़ में अपराधी जाति घोषित हैं। दूसरा कारण—कुछ अपराधी जातियाँ रहतीं तो संयुक्त प्रान्त में हैं, किन्तु दल बना कर अन्य प्रान्तों में अपराध करने के लिये चली जाती हैं और इसीलिये उन प्रान्तों में अपराधी जाति घोषित कर दी गई हैं जैसे—डोम बिहार और मद्रास में, औधियाँ बम्बई में, मुसहर बिहार में, पलवर दुसाध, बिहार में। तीसरा कारण है उन जातियों का जिन्हें अपना जन्म स्थान किसी कारणवश छोड़ना पड़ा और फिर जो वितरित होकर अन्य प्रान्तों में बस गईं और सब ही स्थानों पर अपराध करने लगीं। इन जातियों में मुख्य जाति बौरिया या बावरियों की है जो अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, बम्बई, सिंध, और बंगाल में अपराधी जाति घोषित की गई हैं। अन्य प्रान्तों में बौरियों अथवा बावरियों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है बम्बई प्रान्त में बाघरी कहते हैं। राजपूताने की भिन्न रियासतों में "मूँगिया" या बावरी कहते हैं।

संयुक्तप्रान्त में अपराधी जातियों की जनसंख्या २८ लाख से ऊपर है। यह जन संख्या प्रान्त की कुल जन संख्या की लगभग ५ फीसदी हुई। पासी जाति की जन संख्या १९४१ की जन गणना के अनुसार १५ लाख ६० हज़ार हैं। भर जाति की जन संख्या १९३१ की जन गणना के अनुसार ४ लाख ६० हज़ार है। मल्लाह जाति की जन संख्या २ लाख ८ हज़ार हैं। डोम जाति की जन संख्या १ लाख ८ हज़ार है। दुसाध जाति की जन संख्या ७७ हज़ार है। बंजारा जाति की जन संख्या लगभग १४ हज़ार है। नट जाति की जन संख्या ४१ हज़ार है। अहेड़िया जाति की जन संख्या २४ हज़ार है। बहेलिया जाति की जन संख्या १४ हज़ार है। यह कहना सम्भव नहीं है कि इन जातियों में कितने लोग अपराध करते हैं, अथवा अपराध करना ही अपनी जीविका का साधन बनाये हुये हैं।

कुछ अपराधी जातियाँ प्रान्त में ऐसी हैं जो जन संख्या में तो कम हैं, किन्तु अपराध करने में अत्यन्त प्रमुख हैं। बधक, १९३१ की जन गणना के अनुसार केवल १३६७ थे और बरवार, केवल ४३१४। किन्तु १९४१ की जन गणना में इन दोनों जातियों की जन संख्या इतनी कम हो गई थी कि इनकी अलग गणना ही नहीं की गई। बौरिये अथवा बावरिये जो अत्यन्त क्रूर अपराधी जाति माने जाते हैं, इनकी जन संख्या १००० के लगभग है। बेड़िया, बंगाली और भांतू की सम्मिलित संख्या ५८०० ही है। भांतू, १९३१ की जन गणना के अनुसार केवल ३०० थे। हबूड़ों की जन संख्या १९४१ के अनुसार केवल २१९८ है और साँसियों जन संख्या केवल ९४७ है। सहारिया

जाति की जन संख्या ७४६४ है। करवालों की जन संख्या १६३१ में केवल १०८ थी और कपाड़ियों की केवल ७०३, किन्तु १६४१ की जनसंख्या में उनकी अलग से गणना नहीं की जा सकी। गिधिया जाति की जन संख्या १६४१ की जन गणना के अनुसार केवल ५६८ है और सोनाहारिया जाति की जन संख्या १६३१ की जन-गणना के अनुसार केवल २१ थी।

यदि अपराधी जातियों की संख्या केवल उन्हीं जिलों में गिनी जाय जहाँ वे अपराधी घोषित की गई हैं, तो उनकी जनगणना लगभग १५ लाख होगी। अपराधी जातियों के उन व्यक्तियों की गणना जिनकी अपराधी जातियों के कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्री की गई है, १६४२ में केवल ३४०० थी।

पुस्तक के प्रारम्भ में प्रान्त का एक नक्शा दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस ज़िले में कौन सी प्रमुख अपराधी जाति रहती है।

दूसरा परिच्छेद

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

संयुक्त प्रान्त की अपराधी जातियाँ और उनका संक्षिप्त वर्णन।

प्रथभ भाग में संयुक्त प्रान्त की अपराधी जातियों का साधारण परिचय दिया जा चुका है। इस भाग में प्रमुख अपराधी जातियों का पृथक पृथक संक्षिप्त वर्णन किया जायगा। जनसंख्या के अनुसार प्रमुख अपराधी जातियाँ हैं :—पासी, दुसाध, मल्लाह, भर, नट, डोम, बंजारा इत्यादि। क्रूरता और अपराध करने में प्रमुख अपराधी जातियाँ हैं—हबूड़ा, कंजड़, भांतू, बावरिया, बेड़िया, साँसिया, करवाल, औधिया इत्यादि। इन्हीं जातियों का अब संक्षिप्त वर्णन यहां दिया जायेगा। इनके अतिरिक्त अन्य अपराधी जातियों का भी संक्षिप्त वर्णन दिया जायगा।

पासी

उत्पत्ति :—पासी एक द्रविड़ जाति है, जो आगरा प्रान्त के पूर्वी जिलों तथा अवध प्रान्त के सभी जिलों में पाई जाती है। पासी संस्कृत के "पैशिक" शब्द से बना है जिसके मानी 'फन्दे' के प्रयोग करनेवाले का होता है। पासियों का पुराना पेशा ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालना

और उससे मदिरा बनाने का था। इस जाति के उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली इस प्रकार है—एक बार परशुरामजी ने जंगल में एक व्यक्ति को गाय की हत्या करते देखा। उन्होंने अपने पसीने की कुछ बून्दें घास पर डाल दीं, जिससे पाँच पुरुष उत्पन्न हुये, जिन्होंने गो हत्या को रोक दिया। पसीने से उत्पन्न हुए पुरुष पासी कहलाये। जब इन मनुष्यों ने गउहत्या रोक दी तब परशु-राम से पत्नी की याचना की। उसी समय एक कायस्थ की लड़की जा रही थी; परशुराम जी ने उसी को उन पाँचों मनुष्यों को भेंट कर दिया। यह लड़की पासियों की उपजाति कैथवा की माता बनी।

दूसरी कहानी इस प्रकार है: कुफल नाम का एक भक्त था। ब्रह्माजी ने उसे एक बरदान देने को कहा। उसने बरदान माँगा कि वह चोरी करने में निपुण हो। यह बरदान उसे प्राप्त होगया। कुफल के एक वंशज का नामकरण था। उसके दो पत्नियाँ थीं, एक क्षत्राणी थी दूसरी अहीरिन थी। पहिली पत्नी से राजपासी और भील उत्पन्न हुये और दूसरी से खटिक उत्पन्न हुये। कुछ राजपासियों का कहना है कि वह लोग बाई राजपूतों के नेता तिलोकचन्द्र से उत्पन्न हुये हैं। जो एक भर राजा थे। इस कारण वे लोग अपने को भरों से सम्ब-न्धित मानते हैं। प्रतापगढ़ ज़िले में जो गाथायें प्रचलित हैं उनसे ज्ञात होता है कि पासी, अरख, खटिक और पचार एक ही वंश के हैं। यह भी कहा जाता है कि पुराने ज़माने में पासियों की अबर के राजा से लड़ाई हुई। कुछ पासी डरपोक थे वे खटिया के पीछे डर के मारे छिप रहे। वे लोग खटिक कहलाये। जो पासी अरख के पेड़ के नीचे

छिप गये वे अरख कहलाये। अवध के पासियों का कहना है कि उन्हीं की जाति वालों का अवध पर राज था और सण्डीला, धौरौरा, मितौली और रामकोट के राजा पासी ही थे।

जनसंख्या—पासी जाति की जन संख्या लगभग १६ लाख है। पासियों में लगभग ३०० उपजातियाँ हैं। पासियों का आम पेशा ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालना है। इनकी जाति के आन्तरिक संगटन का पूरी तौर से पता नहीं चल सका है।

सामाजिक रीति रवाज़ :—शादी विवाह सम्बन्धी सभी प्रश्न जाति की पञ्चायत ही तय करती है। अधिकतर उपजातियों में उपजाति के भीतर ही विवाह होता है किन्तु कुछ उपजातियों में विवाह उप-जातियों में भी हो सकता है। तलाक की प्रथा है और तलाक की हुई स्त्रियाँ अथवा विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं। दूसरी स्त्री को बैटालने की प्रथा का विरोध किया जाता हैं। यदि कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो उसके दोनों ओर के सम्बन्धियों को पञ्चायत को भोज देना पड़ता है। और तभी वे लोग जाति में शरीक किये जा सकते हैं। यदि कोई स्त्री अन्य जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करे तो वह सदा के लिये जाति से च्युत कर दी जाती है। बधू का मूल्य निश्चित नहीं है किन्तु बधू के माता पिता को बर के माता पिता को कुछ धन देना पड़ता है। अन्य जाति की स्त्रियों को पासी जाति में नहीं शामिल किया जाता है। किन्तु यदि किसी अन्य जाति के पुरुष से कोई पासी स्त्री गर्भवती हो जाये और यदि उसकी सन्तान उसके पिता अथवा पति के गृह में हो तो वह पासी ही कहलायेगी।

पासियों के बहुत से जातीय देवता हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग देवता पूजे जाते हैं। कहीं कहीं काली माई और कहीं पाँचों पीर की पूजा होती है। कुछ लोग राम ठाकुर को पूजते हैं। स्त्रियाँ चेचक के दिनों में शीतला माई की पूजा करती हैं। यह लोग विश्वास करते हैं कि पुराने पेड़ों पर भूत प्रेत रहते हैं और उनको सन्तुष्ट करने के लिये यह बहुधा सुअर की बलि देते हैं। पासी लोग मांसाहारी हैं किन्तु गाय, भैंस इत्यादि का मांस नहीं खाते हैं। पासी ताड़ी, शराब इत्यादि पीते हैं। स्त्रियाँ हाथ, पैर, गले, नाक और कान में आभूषण पहिनती हैं। पुरुष अक्सर कान में बाली पहिनते हैं।

थोड़े से पासी ज़मींदार हैं, किन्तु अधिकतर लोग मज़दूरी करते हैं, ताड़ी निकालते हैं या चक्की के पाट या सिल बनाते हैं। आम तौर पर पासियों की जाति बदनाम है। १८४६ में पासी जाति चोरी, डकैती, ठगी और पेशेवर बिष देने के लिये मशहूर थी। अवध के ताल्लुकेदार पासियों को अपने आश्रय में रखते थे जो इनकी आत्मरक्षा करते थे और उनके आदेशानुसार लूटमार करते थे। यह लोग तीर चलाने में निपुण थे और जब अवध के छोटे राजाओं में आपस मे लड़ाइयाँ या झगड़े होते थे तो पासियों से मदद ली जाती थी। पासियों ही के द्वारा किसानों से लगान वसूल किया जाता था। किन्तु अब ज़िमींदार और ताल्लुकेदार इन्हें नौकर नहीं रखते हैं। अब अधिकतर पासी लोग खेती करने लगे हैं। किन्तु लूटमार की आदत अब भी नहीं गई है और पासियों के दल डकैती और राहज़नी करते हैं। १६०४ में क्रेम्ले साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था "अवध के पासी

पुश्तैनी डाकू और चोर हैं। इसी प्रकार मिर्ज़ापुर के गोपीगंज और भदोही परगने के पासी हैं जिनके विषय में कहा जाता था कि वे पुराने ज़माने में रीवाँ और मध्य भारत की देशी रियासतों में डाका डालते थे। इस जाति में अब भी अपराध करने की ओर ही झुकाव है और आजकल भी यदि इन पर पूरी निगरानी न रखी जाय तो इनके द्वारा किये गये अपराधों की संख्या भयंकर रूप से बढ़ जाती है, और कुछ ज़िलों में जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, मिर्ज़ापुर के उत्तरी भाग में पासी लोग शान्तिप्रिय जनता को खूब लूटते खसोटते हैं। बदचलन ज़मींदार इनके दलों को नौकर रखकर इनसे अपराध कराते हैं। इन लोगों ने रेल से भी खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और उसी के द्वारा बंगाल व अन्य सूबों में केवल अपराध करने के लिये चले जाते हैं। उत्तरी मिर्ज़ापुर ज़िले के रहनेवाले पुराने डाकू पासियों के वंशजों ने देखा कि अब वे रीवाँ और मध्य देश की रियासतों में डाका नहीं डाल सकते तो यह पासी, मल्लाहों से मिल गये और नावों द्वारा बंगाल पहुँचकर पूर्वी बंगाल और आसाम के ज़िलों में डाका डालना आरम्भ कर दिया। भर इत्यादि की तरह पासी लोग भी बंगाल में बर्दवान, रंगपुर, पवना, ढाका और मैमनसिंह में बस गये हैं और इन सब ज़िलों में पासियों को चोरी और डकैती में सज़ा मिली है। यह लोग भर और दुसाधों के बराबर तो नहीं बसे हैं किन्तु यह इन दोनों जातियों से अधिक ख़तरनाक हैं और आवश्यकता पड़ जाय तो यह लोग हिंसा से भी नहीं चूकते। पासी लोग चोरी और डकैती का माल लेकर हर साल बंगाल से अपने गाँव लौट आते हैं।

यहाँ लौटकर स्थानीय अफ़सरों को नजराना देते हैं। स्त्रियाँ डाके इत्यादि में भाग नहीं लेतीं। पासी लोग नाज की गाड़ियों को भी रोक कर लूट लेते हैं। आम तौर पर यह लोग लाठी चलाते हैं और पत्थर फेंकते हैं और कभी कभी बन्दूक इत्यादि भी रखते हैं। पासी स्त्रियाँ और पुरुष जहर देने में बहुत ही कुशल हैं। यह लोग यात्रियों के संग हो जाते हैं और यात्रा में अन्य लोगों से मेल बढ़ा लेते हैं और जब मौका मिलता है तो अन्य लोगों को जहर या नशे की कोई वस्तु खिला देते हैं और फिर उनका माल लेकर चम्पत हो जाते हैं। मिस्टर हालिन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पासी दलों की सरदार अक्सर स्त्रियाँ ही होती हैं।

अभी पाँच छः साल पहले लखनऊ जिले में छेदा पासी नामक एक बालक ने एक शक्तिशाली दल बना लिया था और पाँच छः वर्ष के अन्दर उसने लगभग १५ हत्यायें कीं और अनगिनती डाके डाले। पाँच छः साल तक उसे पकड़ने का प्रयत्न किया गया और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की गई थी, किन्तु वह पकड़ा नहीं गया। १९४४ में बड़ी बहादुरी के पश्चात् पुलिस अफसरों ने उसे पकड़ा और जज द्वारा उसे फाँसी की सजा का हुक्म मिला, किन्तु उसे सज़ा न दी जा सकी क्योंकि जेल ही में उसकी मृत्यु हो गई।

बौरी-बावरिया

बौरिया भारतवर्ष की सबसे ख़राब और अपराधी जाति है अपराध करने का उनका कार्यक्षेत्र भारतवर्ष भर में विस्तृत है। यह लोग रहज़नी, नकबज़नी इत्यादि के अतिरिक्त, नकली सिक्के भी बनाते हैं। यह लोग साधुओं के भेष बनाते हैं और अपने को बैरागी या गोसाईं, साधू व ब्रह्मचारी, परदेशी, अयोध्या ब्राह्मण, काशी ब्राह्मण, द्वारिका ब्राह्मण, राजपूत ब्राह्मण इत्यादि बताते हैं। और भी अन्य अपराधी जातियाँ अपना भेष बदलती हैं लेकिन बौरिया लोग इनमें सबसे आगे हैं।

उड़ीसा और गंजाम जिले में जो बौरिया, कोयल लोग रहते हैं वे निर्दोष हैं और पालकी उठाने का काम करते हैं। साथ ही में जमीन खोदने और तोड़ने का काम करते हैं। गाँव में नौकरी भी करते हैं। यह लोग हिन्दू हैं गोकि उन्हें घर के अन्दर जाने की आज्ञा नहीं है। गौ का मांस भी यह लोग नहीं खाते। ओविता ब्राह्मण केवल इन्हीं से अपनी पालकी उठवाते हैं।

सर विलियम स्लीमेन का, जिन्होंने ठगी का विनाश किया था, कहना है कि बौरी लोग बधक, बगोड़ा, बागड़ी, बकुरगार, मूँगिया, हाबूड़ा, मारवाड़ी, सुलेबास भी कहलाते हैं। इनका जीवन जंगली फलों और जंगल के जानवरों को मारने से ही बसर होता था लेकिन जब १२ साल तक दिल्ली के बादशाह ने चित्तौड़ को घेर रक्खा और वहाँ

अकाल पड़ने लगा तो यह लोग चित्तौड़ को छोड़कर चल दिये और भारतवर्ष में जहाँ तहाँ बस गये। (स्लीमेन साहब ने १८३९ में एक गश्ती चिट्ठी निकाली थी। उसके लिखा था कि लुटेरों की बस्तियाँ जिनमें बधक लोग रहते हैं उन सबके आदि जाति मेवाड़ के बौरिये ही हैं। इस अपराधी जाति की प्रत्येक टुकड़ी चाहे वह कहीं क्यों न रहे लूटमार ही करती है। आपस में यह लोग अपनी निराली ही भाषा बोलते हैं। बाहरी लोगों से यह लोग अपनी भाषा में नहीं बोलते हैं। बौरियों में ८ गोत्र होते हैं। १. चौहान, २. राठौर, ३. पुआर, ४. चरण, ५. सोलंकी, ६. मही, ७. दंदुल, ८. गहलौत। देश में यह लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। अवध की पूर्वी तराई के हिस्से में यह लोग स्यारखौआ कहलाते हैं। पश्चिमी हिस्से में यह लोग मारवाड़ी कहलाते हैं। अन्य स्थानों में जहाँ यह लोग हिंसा के साथ डाका डालते हैं बधक कहलाते हैं। कमना, सासरी, मुरसान, हाथरस के ज़मींदारों से इन्हें शरण मिलती थी। ऊपरी दोआब और देहली के पास इस जाति की बहुत सी बस्तियाँ हैं लेकिन ये लोग डाका नहीं डालते हैं और बौरिया ही कहलाते हैं। ग्वालियर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और किरावली में यह लोग बागोड़ा कहलाते हैं और मालवा और राजपूताने के कुछ हिस्सों में बागड़ी कहलाते हैं। लेकिन आपस में यह लोग अपने को बौरिया ही कहते हैं और अन्य नामों को चिढ़ाने का नाम समझते हैं। 'सियार खौआ' नाम से उन्हें अधिक चिढ़ है।

दक्षिण में बागड़ी अथवा बौरिया ठाकुर, गर नाम से प्रचलित हैं।

यह लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार यह लोग अन्य स्थानों पर बोलते हैं। भूपाल रियासत में यह लोग बधक कहलाते हैं और पुलीस इनकी निगरानी रखती है।

लेफ्टीनेन्ट मिल्स के सामने जो १८३६ में असिस्टेंट जनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कुछ बौरियों के इकबाली बयान हुये थे। उन बयानों को स्लीमेन साहब के पास मुरादाबाद भेजा गया था। वे बयान इस प्रकार हैं:—बौरिये राजपूत जाति के थे। इनके पुरखे मारवाड़ से आये थे। इनके आठ गोत्र या उपजातियाँ हैं। दो या तीन शताब्दी के पहले दिल्ली के बादशाह ने चित्तौड़ पर हमला किया और रानी पद्मिनी के लिये १२ वर्षों तक डेरा डाले रहा। देश बिलकुल नष्ट भ्रष्ट हो गया और अकाल पड़ने लगा। खाने और काम की खोज में बौरियों को अपना देश छोड़ना पड़ा और विभाजित होकर सारे देश में इधर उधर बसना पड़ा। कुछ बौरियों का कहना है कि उनकी जाति बहुत पुरानी है। जब रावण सीताजी को हरकर लंका ले गया तब उनकी सहायता के लिये बहुती-सी जातियों के लोग आये थे। इसी में एक बौरी भी था जिसका नाम परधी था और जिसका पेशा शिकार खेलना ही था। जब रामचन्द्रजी ने रावण को हरा दिया तब उन्होंने बरधी से पूछा कि वह क्या बरदान चाहता है। उसने उत्तर दिया कि, "मैं आपके पहरेदारों में नियुक्त होना चाहता हूँ और छुट्टी के समय शिकार खेलना चाहता हूँ। रामचंद्रजी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और तबसे बरधी का पेशा उनकी जाति का पेशा हो गया है। अगर किसी राजा का कोई शत्रु होता है और जिसका वह विनाश चाहता है तो वह

उनकी जाति के कुछ लोगों को बुलाता है और कहता है कि अमुक आदमी का सर काट ले आओ। वह लोग जाते हैं, चुपके से उसके सोने के कमरे में घुस जाते हैं और बिना किसी के जाने हुये उसका सर काट लाते हैं। जो लोग देहली क्षेत्र में आकर बस गये थे बौरिये कहलाने लगे और उन्होंने चोरी करना भी शुरू कर दिया।

यह बौरिये, दिल्लीवाल बौरिये कहलाते हैं। उन्हीं में कुछ लोग मध्य भारत में बस गये हैं और मालपुरिया कहलाते हैं। यह दोनों अपराधवृत्ति और शादी विवाह में परस्पर सम्मिलित हैं।

उपरोक्त बयान चाहे न भी सही हो किन्तु इतना जरूर सही मालूम होता है कि यह लोग प्राचीन काल में मेवाड़, उदयपुर के रहने वाले थे और जँगली फल फूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। यहाँ से यह लोग भारतवर्ष में वितरित हो गये और राहज़नी और डकैती करने लगे। राजवंशों की अस्थिरता से इन्हें अपने अपने कार्यों में और भी सुविधा मिली। छोटे राजाओं और जमींदारों से इन्हें प्रोत्साहन भी मिलने लगा। यात्रियों को इनसे सदा भय रहता था। यहाँ तक कि जब तक वे इन्हीं लोगों को रास्ते बताने के लिए नौकर नहीं रख लेते थे तब तक अपने को सुरक्षित नहीं समझते थे। जिन गाँव के निकट यह डाकू लोग रहते उन गाँव वालों को इनकी प्रशंसा भी करनी पड़ती थी और उन्हीं के आदमियों को चौकीदार बनाना पड़ता था, जिस प्रकार बम्बई में रामोशी और मद्रास में मारवाड़ी को नौकर रक्खा जाता है। इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाकर डाके डालना शुरू कर दिया। रेलों के

खुल जाने के पश्चात् सड़कों को इन्होंने छोड़ दिया है और रेलों को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया है। छोटी चोरी और नकबज़नी में तो यह लोग प्रवीण होगये हैं। अक्सर यह लोग हिंसा करने से भी बाज़ नहीं आते, अधिकतर उस समय जब डाका डालने के बाद इनको गिरफ्तार होने का भय होता है।

सर विलियम स्लीमैन साहब ने बौरियों को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया। बहुत से बौरियों को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा कर दिया और इन लोगों के लिये १८३८ में एक संस्था सर एकेप्टन चार्ल्स ब्राउन के आधीन जबलपुर में स्थापित की। इस संस्था में दस्त-कारी सिखाई जाती थी और इसके द्वारा सैकड़ों डाकुओं और उनके स्त्री बच्चों को उपयोगी धन्धा मिल गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी प्रबन्ध था किन्तु इससे कोई फायदा नहीं हुआ। केवल थोड़े ही आदमियों ने इस संस्था से लाभ उठाया, शेष को काला पानी या फाँसी की सजा दी गई।

बौरियों पर भी जरायमपेशा कानून लागू है। इस बात का प्रयत्न किया गया था कि ये बच जायें और खेतीबारी करें। मुजफ्फ़रनगर जिले में बेदखली में इन्हें मुफ्त जमीन दी गई। इस तरह से बहुत से बौरिये अजगर हुसैन साहब की जमींदारी में खानपुर, छुटखानपुर, खेदी, अहमदनगर, अल्लादीपुर, लांकन, दाविदीदुदली, खुत्सा, नवाज़बाद, बंगालू गाँवों में जो मुजफ्फ़रनगर ज़िले में हैं बस गये। इस लिये यह लोग अब मुजफ्फरनगर के बौरिये कहलाते हैं, गोकि अपने को छिपाकर हिन्दुस्तान भर में यह लोग बसे हुये हैं। पुलिस ने उनके

अंगूठों की छाप ले ली थी ताकि उनमें से कोई भागे और बाहर पकड़ जाये तो उसकी शिनाख्त की जा सके। उनकी सख्ती के साथ निगरानी की जाने लगी। स्कूल खोलकर उनके बच्चों को पढ़ाने का भी प्रयत्न किया गया। इन तरीकों से थोड़ी सफलता भी मिली और उनमें से बहुत से बौरिये किसानी और खेती-बारी करने लगे। निगरानी की सख्ती कम कर दीगई। लोग उनके पुराने कारनामे भूलने लगे थे। लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अपराध करने की इनकी प्रवृत्ति पुनः जाग्रत होगई। किसानी का सीधा-सादा जीवन इन्हें पसंद न आया और गाँव छोड़कर भागने लगे। भेष बदल कर रेल पर सवार होकर दूर दूर जाने लगे, वहाँ जाकर अपराध करने लगे जिसका मुजफ्फरनगर के अफसरों को कुछ भी पता नहीं चला। चूँकि यह लोग साधू के भेष में सफर करते थे, इन पर आसानी से सन्देह नहीं होता था और यह लोग चोरी इत्यादि कर लेते थे।

बौरियों की एक टुकड़ी १८६४ में मैसूर रियासत में बसाई गई थी। थोड़े दिन इन लोगों ने खेतीबारी की, बाद को फिर चोरी करने लगे।

बौरिये अपभ्रंश गुजराती बोलते हैं। कुछ हिन्दुस्तानी भी बोल लेते हैं। जिन जिलों में यह लोग थोड़े दिन भी रहते हैं वहाँ की भाषा सीख लेते हैं।

हिन्दू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे—नरसिंह, दुर्गा, शिव, विष्णु इत्यादि। गुसाईं और पीर को भी यह लोग मानते हैं। एक बंडल में थोड़े गेहूँ और चन्दन के बीज रखते हैं जिसे यह "देव का दाना' कहते हैं और उसी में मोर पंख भी रखते हैं। इस बंडल की

यह पूजा करते हैं और इसी से सायत विचारते हैं। देवताओं पर बकरा चढ़ाते हैं जिसका मांस आदमी खाते हैं पर स्त्रियों के लिये वर्जित है। यह लोग मांस खाते हैं, मदिरा भी खूब पीते हैं और तम्बाकू, मदक और गाँजा पीते हैं, अफीम खाते हैं। लूट का रुपया इन्हीं चीजों में उड़ाते हैं।

विवाह की रस्म बहुत सरल है। वर, वधू को घेर कर खड़े होजाते हैं और ढोलक बजाते हैं। उनके दल का सरदार वधू को वर की भेंट करता है और फिर वर, वधू को विपक्ष के लोग वस्त्र भेंट करते हैं। वर, वधू को साथ साथ स्नान कराया जाता है और फिर भेंट मिले हुये वस्त्र दोनों पहिनते हैं। बारात के सामने फिर दोनों बैठते हैं और फिर शराब और दावत शुरू होती है। यह लोग ताड़ी भी पसन्द करते हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार है। देवर से ही विधवाओं की शादी अक्सर होती है। ब्याही स्त्री यदि बदचलनी करती है तो जाति के बाहर कर दी जाती है किन्तु प्रायश्चित करने से माफी मिल सकती है। प्रायश्चित का तरीका यह है। जलती मौलश्री की डंडी ले उसकी जीभ दागी जाती है और फिर उसे जंगल में ले जाया जाता है; एक भेड़ से उस स्त्री की तीन बार परिक्रमा कराकर उसका बध किया जाता है और फिर उस भेड़ का मांस चील कौवों को खिला दिया जाता है। यह लोग बहुत रूढ़िवादी होते हैं। किसी काम पर बिना सगुन विचारे नहीं जाते। इस सगुन से यह पता लगाते हैं कि काम में सफलता होगी या नहीं। देव के दाने में से गेहूँ निकाल कर गिनते हैं और गिनती से ही सगुन विचारते हैं।

बौरिये भाले पर भस्म या चन्दन लगाते हैं जिस प्रकार शैव लोग

लगाते हैं और वैष्णव को भाँति रामनामी पहिनते हैं। तुलसी, मूँगे या रुद्राक्ष की माला पहिनते हैं। कुछ लोग सिर के बाल घुटा देते हैं और कुछ लोग बाल बढ़ाते हैं। इन लोगों का शारीरिक गठन अच्छा या तो मझोला कद होता है। ५ फीट ३ इञ्च से ५ फीट ६ इञ्च तक। यह अपने साथ खँजड़ी, ढोलक या सितार भी रखते हैं। इन लोगों के प्रायः दो नाम होते है, एक गुरु और दूसरा माता पिता द्वारा रक्खा हुआ। गुसाईं का चेला अपने नाम के साथ ही "गिरि" और जो लोग वैरागियों के चेला होते हैं वह अपने नाम के बाद "दास" लगाते हैं। यह लोग गुसाईं या वैरागी के भेष में रहते हैं। देहली वाले बौरिये धोती को एक विशेष प्रकार से पहिनते हैं। बाईं जाँघ और पैर बिलकुल नंगा रहता है। धोती बहुत छोटी होती है। जो लोग बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया है। उनमें से भी कुछ लोग खेती के बीच में कभी कभी चोरी कर लेते हैं। शेष लोग अशान्ति जीवन व्यतीत करते हैं। यह लोग दल के साथ स्त्रियों को लेकर भेष बदल कर देश का भ्रमण करते हैं। अक्सर कई दल एक साथ जाते हैं और हर एक दलमें एक या दो सरदार होते हैं। यह प्रकट रूप में भीख मांगते हैं यह सदाब्रत मांगते हैं। इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वे पहिचाने न जा सकें और यह अपना असली नाम नहीं बताते। स्त्रियाँ भीख नहीं माँगती। यह लोग अपने साथ सामान ढोने के टट्टू और पहरे के लिये कुत्ते रखते हैं। नकबज़नी और चोरी ही इनका पेशा है और इन कामों में यह लोग प्रवीण हैं। देश के भ्रमण में चोरी और नकबज़नी के लिये मकानों को यह लोग खोजते फिरते हैं।

अपराध करने की रीति—जिस गाँव में यह लोग चोरीकरने की सोचते हैं उसके थोड़ी दूर पर ठहर जाते हैं। भीख माँगने के बहाने गाँव में जाते हैं और चोरी करने के उपयुक्त मकानों की देख भाल कर लेते हैं। बच्चों और औरतों के आभूषणों को ध्यान से देखते हैं और इससे धनी व्यक्तियों के घरों का पता लगा लेते हैं। इस सूचना को दल के सरदार तक पहुँचा देते हैं। फिर दल का सरदार और अन्य व्यक्ति घर को देखने अलग अलग जाते हैं और घर की खिड़की, दरवाजे, कुण्डी ताले इत्यादि को गौर से देखते हैं। उनका पता लगाने के लिये किसी तरकीब से यह लोग घर के अन्दर घुस जाते हैं, जब कि घर के लोग नहीं होते हैं। फिर इन बातों की जाँच करके चोरी के लिये किसी रात्रि का निश्चय करते हैं। कुछ मंत्र पढ़ कर घर के भीतर कुछ कंकड़ पत्थर फेंकते हैं; इससे यह पता चलाते हैं कि घर के लोग सो रहे हैं या जगे हैं। फिर घर के अन्दर घुसने के लिये कुछ लोग सेंध करते हैं और बाकी लोग पहरा देते हैं। दरवाजे की बराबर की दीवाल में छेद करते हैं और फिर हाथ डालकर अन्दर ही कुन्डी खोल देते हैं और दरवाजा खोल लेते हैं। खिड़कियों के सींकचों को तोड़ कर अंदर घुस जाते हैं। लोहे का औज़ार जो एक तरफ चम्मच की तरह और दूसरी ओर कुदाल की तरह रहता है इनके पास होता है। एक ओर से वह जमीन खोदते हैं और चिम्मच की ओर वाले सिरे से मिट्टी हटाते हैं। इस औजार को यह लोग छिपा कर जमीन के नीचे रखते हैं और काम के समय निकालते हैं। अपने साथ यह लोग लाठियाँ भी रखते हैं जिनको यह हमला करने और बचाव दोनों

के ही काम में लाते हैं। साथ में दियासलाई भी रखते हैं जिसको जलाकर रोशनी कर लेते हैं जिससे मूल्यवान वस्तुओं को खोज सकें। सोती हुई औरतों और बच्चों के शरीर के आभूषण इस सफाई से उतार लेते हैं कि उनका उन्हें पता ही नहीं चलता। जिन बक्सों में जेवर इत्यादि रक्खे होते हैं उन्हें यह घर के बाहर ले जाते हैं और मकान से थोड़ी दूर ले जाकर तोड़ डालते हैं और उसमें से रुपया और चाँदी, सोने के ज़ेवर निकाल लेते हैं और कपड़े तथा अन्य जिन वस्तुओं की पहिचान हो सकती है निकाल देते हैं। यदि कपड़ों पर सोने चाँदी का काम होता है तो उस काम को कपड़े से उखाड़ या फाड़ डालते हैं। अक्सर मामूली कपड़ों को जिनकी शिनाख़्त नहीं हो सकती ले जाते हैं और दूसरे रंगों में रंगाकर पहिनते हैं। चोरी के माल का बंडल बना लेते हैं और दल के एक आदमी के सिपुर्द कर देते हैं। यह आदमी कुछ दूर पर दल के पीछे पीछे आता है। यह तरीका इसलिये प्रयोग किया जाता है कि यदि दल को कोई देख ले या पीछा करे या सन्देह करे तो भी चोरी का माल न बरामद हो सके। जब चोरी में अधिक माल मिलता है तो यह लोग बहुत तेज़ सफ़र करते हैं और एक ही रात में २० या ३० मील तक चले जाते हैं, चोरी का माल, दल के ठहरने के स्थान से थोड़ी दूर पर गुप्त स्थान पर जमीन के अन्दर गाड़ देते हैं। यदि पुलिस का अकेला, दुकेला सिपाही इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो यह उस पर हमला कर देते हैं और जो चोरी का माल नहीं ले जा सकते हैं उसे फेंक देते हैं

पोगसन साहब का कहना है कि मोम का गोला, एक छोटी तराजू व कसौटी का पत्थर जिस व्यक्ति के पास मिले वह व्यक्ति निस्सन्देह बौरिया ही होना चाहिये। मोम के गोले से एक कपड़ा खूब रगड़ा जाता है फिर उसका कोर जला दिया जाता है और वही मोमबत्ती का काम देता है, जब कभी दल चोरी करता है।

उजियारे पाक्ष में चोरी के माल का बटवारा होता है। सगुन विचार कर ही बटवारे का दिन निश्चित किया जाता है। दल के सरदार की उपस्थिति में चोरी का माल पाँच हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इनमें से एक भाग के पुनः चार भाग किये जाते हैं, जिसका एक भाग देवता को व एक भाग बीमारु व बुड्ढों के लिये, तीसरा विधवाओं के लिये और चौथा दल के सरदार के लिये होता है। शेष चार भाग दल के सब व्यक्तियों में जिन्होंने अपराध करने में हिस्सा लिया था बराबरी से बाँट दिया जाता है। अपने भाग को व्यक्ति जिस प्रकार चाहे काम में ला सकता है। चोरी का माल खरीदने वालों से इनका मेल रहता है और उन्हीं के द्वारा यह लोग चोरी का माल तुड़वा कर बेंचते हैं।

बौरियों की अपनी निजी बोली होती है जिसमें वह आपस में बात चीत कर सकते हैं और जिसे बाहरी लोग नहीं समझ सकते। उनके कुछ चिह्न भी होते हैं जिससे यह अपना आशय दल के उन लोगों को ज्ञात करा सकते हैं जो उसी रास्ते से पीछे पीछे आ रहे हैं। जब वे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव को जाते हैं तो जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहाँ की दीवाल पर कोयले से इस प्रकार का चिह्न कर देते हैं—

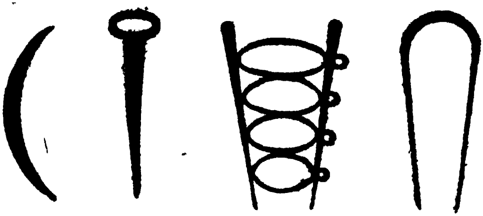
 या  आड़ी लाइनों से दल के व्यक्तियों की संख्या का पता लगता है और टेढ़ी लाइन से उस दिशा का ज्ञान होता है जिधर दल गया है। यदि आड़ी लाइनें वृत्त के अन्दर होती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि दल शहर या कस्बे में है और उसके पास चोरी का माल है 

इस चिन्ह का मतलब यहहै  कि दल शहर में है।

पोगसन साहब ने जो १६०३ में खान देश में जिला सुपरिटेन्डेन्ट थे बौरियों के बारे में लिखा है:—बौरिये लोग साधू के भेष में जाते हैं, उनमें से जो सबसे बुड्ढा और देखने में सम्मानित मालूम पड़ता है उसे वह लोग गुरू बनाकर गाँव के कुछ दूर पर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर गाँव में शेष लोग माँगने जाते हैं। स्त्रियों के जेवर देखकर निश्चय करते हैं कि किन किन मकानों में नकब लगाई जाये। जब अंधेरा पाख आता है तब इन्हीं घरों में चोरी करते हैं। रफिर किसी दूसरे गांव में जाते हैं और यही कार्यक्रम जारी रखते हैं। बौरिये आम तौर पर दरवाजे के बराबर दीवाल में एक छेद करते हैं उसी में हाथ डालकर अन्दर की कुंडी हटाकर दरवाजा खोल देते हैं। अक्सर चौखट के नीचे खोद कर रास्ता बना लेते हैं। खोदने के इस हथियार को यह लोग "जान" कहते हैं। इसको कपड़ों की तह में छिपा कर रख लेते हैं। या यह लोग छोटा साभर रखते हैं जिसे बांस के भीतर छुपा लेते हैं। बाँस में लोहे के छल्ले लगे होते हैं। इन छल्लों को यदि खींचा जाये तो साभर दिखाई दे सकता है। अक्सर यह अपने साथ चमचे, चिमटे

रखते हैं जिनका सिरा नोकदार होता है और जो दीवाल फोड़ने के काम आता है। चोरी का माल या जान को रखने वाला व्यक्ति दल के साथ नहीं चलता। वह दल से आगे या पीछे मील दो मील के फासिले पर चलता है चोरी का माल यदि उसी शहर में बिक जाये तो वहीं बेंच देते हैं और अपने साथ नहीं रखते। अक्सर यह लोग मनिहार के भेप में चोरी के बाद लौटते हैं।

नकबजनी के हथियार



जान चमचा बांस का डंडा चिमटा

बौरिये सारे देश में भ्रमण करते हैं और इनको मैसूर, मद्रास, बम्बई के सूबों में सजा मिली है। कुछ बौरिये देश में इधर उधर बसे हुये हैं और मुजफ्फरनगर के बौरिये से सम्बन्धित हैं। मुजफ्फरनगर के बौरिये इन लोगों के पास आते हैं और इनकी मदद से चोरी करते हैं और डाक द्वारा रुपया मुजफ्फरनगर को भेजते हैं। बौरियों के दल पंजाब, मारवाड़, भूपाल, बम्बई, मध्यप्रदेश, बंगाल और मद्रास में मिलते हैं।

बौरियों ने धोखा देने के लिये अतर बेचने वालों का भी पेशा

शुरू कर दिया है इससे उन्हें धनी आदमियों के घरों में जाने की सुविधा प्राप्त होती है और अतर के बक्सों में डाके और चोरी का माल रखा जा सकता है। बौरिये लोग जाली सिक्का भी बनाते हैं। बंगाल में भी बौरियों की एक शाख है जो कि चेक कहलाती है।

यह लोग अपने आप को गाजीपुर और गोरखपुर जिलों का रहने वाला बताते हैं और अपने को काश्मीरी कहते हैं। यह लोग भी जानवरों की चोरी व नकबजनी करते हैं और जाली सिक्के बनाते हैं।

चोर भाषा—बौरियों की अपनी बोली होती हैं। उनकी बोली के कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अर्पा	भेदिया	कुबरी	कुबरे की
अलुवल	पुलिस अफसर	केख	बाल
औंध	ऊँगली	कोठे	घर
वाई	पों	खोई	सोना
बापू	बाप	काहब	अंग्रेज़
बाई	बहिन	खोरो	बंगडा
बावन	स्त्री	लंकड	लोमड़ी
बिथारा	बिल्ली	लौदिय	कुत्ता
बोरो	बूरा	लुगरि	चादर
भुन्डो	बुरा	लोपर	चोर
बसीजाना	बैठजाना	मंरुष	मनुष्य
न्त्रिया	बेटा	मकिया	सिपाही

चुवा	चिकदरा	म्हपेहर	पुलिस इन्सपेक्टर
पाँख	दस	मोहनिया	ईंधन
छमकेवा	लड़का	भुड़िया	धीरे
दमकेवी	लड़की	नौ	नौ
काई	पति	नीदई	दीमक
ढाण्ढा	बैल	परलोर	कबूतर
ढिंगियारिया	मोर	पनडी	रुपया
ढावों	बांया हाथ	फारोजाना	भागना
गमरो	गाँव	रातो	लाल
हट	सात	साहु	अच्छा
पंडी	छिपकली	टाट	बकरी
हराकारी	तरकारी	तातिया	बरइया
जमना	सीधा हाथ	थानू	पुलिस
खाखरा	ससुर	तुरकी	प्यासा
खाखू	सास	बहुरिया	पतोहू
खाकडा	जूता	बिक	बीस

कंजड़

उत्पत्ति—संयुक्त-प्रान्त में जो ख़ाना बदोश जातियाँ रहती हैं उनमें से अधिकतर जातियाँ अपने को कंजड़ ही कहती हैं। इस शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या ठीक से नहीं हो सकी है। सम्भवतः यह शब्द काननचर शब्द से बना है जिसका अर्थ जंगलों में घूमने वाला होता है। यह बात प्रतीत होती है कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष की ख़ाना-बदोश जातियों में कंजड़ मुख्य थे। स्वरक्षा एवं अपराध के लिये अन्य जातियों के सम्पर्क में आकर मिश्रित विवाह एवं व्यभिचार इत्यादि के कारण इस जाति का व्यक्तित्व बहुत कुछ नष्ट हो गया है और अब कंजड़, भाँतू, बेड़िया, हाबूड़ा और साँसिया में भेद करना कठिन है।

कंजड़ों की उत्पत्ति के प्राचीन इतिहास का कुछ पता नहीं चलता। यह लोग अपनी उत्पत्ति माना गुरु से बताते हैं जो अपनी स्त्री नलिन्या कंजड़िन के साथ रहते थे। माना गुरु ने दिल्ली में जाकर मुसलमान बादशाह के मल्लू, कल्लू नामक दो पहलवानों को हरा दिया था और बादशाह ने उन्हें पारितोषिक देकर विदा किया था। माना गुरु अब उनके पूज्य देवता है।

कंजड़ों की चार उपजातियाँ हैं। कुछबन्ध जो झाड़ू बनाते हैं। पत्थरकट जो पत्थर काटते हैं, जल्लाद जो फाँसी देते हैं या मरे जानवर उठाते हैं और रच्छबन्ध जो जुलाहों का करघा बनाते हैं। यह

उपजातिया पेशे के अनुसार हैं। नेस्फ़ील्ड साहब ने अपनी पुस्तक में कंजड़ों की सात उपजातियों का वर्णन किया है। उनका यह भी मत है कि कंजड़ और नट स्पेन और यूरोप की अन्य ख़ानाबदोश जातियों से बहुत कुछ मिलते हैं।

कंजड़ों में भी जातीय पंचायत होती है। यही पंचायत जाति के झगड़ों का निपटारा करती है। नेस्फ़ील्ड साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कंजड़ों के विवाह के रीति रिवाज हिन्दुओं से भिन्न होते हैं। बचपन में कोई सगाई नहीं होती। शुभ दिन का विचार नहीं किया जाता। विवाह के अवसर पर बहुत से रीति रिवाज नहीं होते। ब्राह्मण भी नहीं बुलाया जाता। वर का पिता या अन्य निकट सम्बन्धी वधू के पिता के पास जाते हैं और उसे ताड़ी पिला कर प्रसन्न करते हैं और उसकी पुत्री से अपने पुत्र के विवाह की याचना करते हैं और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर उसे किसी जानवर, औज़ार या इच्छित वस्तु का उपहार देते हैं। जो लड़की विवाह के लिये चुनी जाती है उससे किसी प्रकार की रिश्तेदारी नहीं होती और आम तौर पर अन्य दल की होती है। कुछ दिनों के पश्चात् वर अपने पिता और अन्य सम्बन्धियों एवं अन्य व्यक्तियों के साथ जिन्हें वह एकत्रित कर सकता है, सजधज कर अच्छे वस्त्र धारण करके और अपने हथियारों से लेस होकर वधू के घर जाता है और उसके पिता से ऐसे शब्दों से वधू को माँगता है जिसका अर्थ होता है कि अस्वीकार करने पर वह वधू को बल प्रयोग करके ले लेगा। लड़की उसे शान्तिपूर्वक भेंट कर दी जाती है। यह तरीका बल प्रयोग से वधू लाने की प्रथा का अब केवल सूचक

मात्रा रह गया है। वधू जब वर के पड़ाव पर आ जाती है तो विवाह के रीति रिवाज होते हैं। मिट्टी के टीले पर एक बाँस गाड़ा जाता है जिसके ऊपर खसखस घास लगा दी जाती है, जो कंजड़ों की दस्तकारी का चिह्न है। वर वधू का हाथ पकड़ता है और बाँस की कई बार परिक्रमा करता है। फिर सुअर या बकरी की बलि दी जाती है और ताड़ी के साथ माना गुरु की पूजा होती है और उनके सम्मान में गीत गाये जाते हैं और फिर जाति भर की माँस मदिरा से दावत होती है और नाच होता है। वधू का पिता वर को दहेज में जगल का हिस्सा देता है जिसका अर्थ यह होता है कि कोई अन्य कंजड़ बिना वर महाशय की आज्ञा के जंगल से फल, फूल, लकड़ी, घास नहीं ले सकते न शिकार खेल सकते हैं और न शहद इत्यादि जमा कर सकते हैं।

गर्भावस्था में भी कंजड़ों में कोई रीति रस्म नहीं होती। पुत्र उत्पन्न होने पर बिरादरी में चावल बाँटा जाता है। छठी पर स्त्रियाँ गाना बजाना करती हैं और फिर भोज होता है। मुर्दों का क्रिया कर्म तीन प्रकार का होता है—जल प्रवाह, दाह कार्य, या गाड़ना। माना गुरु का शव इलाहाबाद ज़िले में कड़ा गाँव में गाड़ा गया था और कंजड़ों का वह एक पवित्र स्थान है।

कंजड़ों के धर्म विचार वैसे ही हैं जैसे किसी आदि कालीन, असंस्कृत जाति के होने चाहियें। यह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, पुजारी नहीं रखते। भूत प्रेतों के भय में सदा ही रहते हैं। भूत से तात्पर्य मरे हुए व्यक्तियों की प्रेतात्माओं से है। जो ठीक दाह कर्म न होने के कारण या किसी अन्य दोष के कारण किसी

तरह जीवित मनुष्य के शरीर में घुस जाती हैं और उसे तरह तरह की यातना देती हैं। बीमारियाँ, पागलपन, मिर्गी, दौरे, बुखार सब भूतों के कारण ही होते हैं। इन बीमारियों में वह स्याने से इलाज कराते हैं, जो भूत भगाने में अभ्यस्त होता है। माना गुरु की पूजा कंजड़ों में बड़े समारोह से होती है। अधिकतर पूजा बरसात में की जाती है जब यह लोग बाहर कम निकलते हैं। कंजड़ लोग तीन देवियों की पूजा करते हैं, मारी, प्रभा और भुइयाँ। मिर्जापुर जिले के कंजड़ विन्ध्यवासिनी देवी की भी पूजा करते हैं। जल्लाद कंजड़, नानक पंथी होगये हैं। अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ गाँव में कुछबन्ध कंजड़ों ने माना गुरु और नलिन्या की स्मृति में एक चबूतरा बनाया है जहाँ भादों के महीने में मेला लगता है। यह लोग अन्य नीच जातियों की तरह झखिया देवी की पूजा भी करते हैं। कुछबन्ध कंजड़ होली, दशहरा, दिवाली और जन्माष्टमी को भी मानते हैं।

उद्योग-धन्धे, अपराध—बहुत से कंजड़ अब साधारण जीवन व्यतीत करने लगे हैं; खेती बारी या मजदूरी करते हैं। जो लोग शहर के निकट रहते हैं वे लोग डालियाँ, टट्टियाँ, चलनी, पंखे, रस्सी, चटाई, पत्तल, दोने, सुतली इत्यादि बनाते हैं और ईमानदारी से जीवन निर्वाह करते हैं। अवारागर्द कंजड़ ५०, ६० व्यक्तियों का दल बना कर प्रांत में घूमते हैं। जंगल और ऊसर जमीन ही उनका स्वाभाविक घर है और शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह लोग बहुत निपुण शिकारी होते हैं और पशु पक्षियों को जाल में फसाने में चतुर होते हैं। यह लोग जंगली जड़ी बूटी एकत्रित

करते हैं और ताड़ वृक्ष से ताड़ी निकालते हैं । यह लोग भी सिरकीं की डलियाँ, ख़स की टट्टियाँ, रस्सी इत्यादि बनाते हैं और शहर या गाँव में पहुँचने पर बेच या किसी उपयोगी वस्तु से बदल लेते हैं । खंता उनका प्रिय हथियार है । इसी से यह घास काटते हैं, सियार मारते हैं, सांप और स्याही के बिल खोद डालते हैं और उन्हें पकड़ लेते है, लकड़ी काट लेते हैं और इसी से नक़ब लगाते हैं । १८४० में हो इन लोगों पर भीषण अपराध करने का सन्देह किया जाता था और मेरठ से मद्रास तक राहजनी में यह लोग गिरफ्तार किये गये थे । १८७० में हमीरपुर जिला में मजिस्ट्रेट ने इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की सिफारिश की थी । १८७४ में इन लोगों ने अलीगढ़ व बुलन्दशहर व मथुरा और आगरा के जिलों में बहुत उत्पात किया था । यह लोग आमतौर पर नकबज़नी और राहजनी करते हैं । रास्ते में गाड़ियों और मुसाफिरों को रोक कर लूट लेते हैं । लूट के माल को चुरा लेते हैं और उपयुक्त मौके पर बेच डालते हैं । नकबज़नी में यह लोग निपुणता नहीं दिखाते । मकान में सेंध करके घुस जाते हैं और जो कुछ मिलता है उसे ज़बरदस्ती उठा कर चल देते हैं । पकड़े जाने पर यह लोग अपने को बेड़िया, बंजारा, भंगी, भांट, भाँतू, नाई, कुम्हार, कुचबंधिया, कहार, करनाटक या नट बताते हैं ।

नट

उत्पत्ति—नट शब्द, संस्कृत "नट" शब्द से बना है जिसके अर्थ नाचने के होते हैं। संयुक्तप्रान्त के सभी ज़िलों में यह जाति पाई जाती है। यह लोग नाचने गाने के अतिरिक्त खेल व तमाशे व कलाबाजी रस्सी के खेल इत्यादि करते हैं। इनकी स्त्रियों का चरित्र ठीक नहीं होता और वे वेश्यागीरी भी करती हैं। नटों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ठीक से पता नहीं चलता। ऐसा प्रतीत होता है कि नट केवल उद्यम का नाम विशेष है और बहुत-सी जातियाँ जो नाचने व गाने व कला-बाजी, वेश्यागोरी इत्यादि का काम करती हैं, नट भी कहलाने लगती हैं। यह लोग प्रान्त की हद के बाहर भी पाये जाते हैं। बम्बई प्रांत के कोल्हाती जो डोम्बारी भी कहलाते हैं नटों से मिलते जुलते हैं। यह लोग भी कलाबाजी करते हैं और रस्सी के ऊपर तमाशे करते हैं। इनकी बालिकायें जब युवावस्था प्राप्त करती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वह विवाह करेंगी या वेश्यागीरी। यदि उन्हें विवाह करना स्वीकार होता है, तो उन्हें बहुत देख भाल से रखा जाता है और उपयुक्त वर के साथ विवाह कर दिया जाता है, यदि वह वेश्या बनना स्वीकार करती है तो उसे पंचायत के सन्मुख ले जाया जाता है और बिरादरी को भोज देने के पश्चात् उसे वेश्या बनाने की सम्मति दे दी जाती है। वेश्याओं के साथ उसकी सन्तान के अतिरिक्त अन्य

कोल्हाती भोजन नहीं करते। कोल्हातियों के लिए भी कहा जाता है कि यह लोग सासियों की ही शाखा है और सांसमल के भाई मल्लानूर के वंशज हैं। इनकी दो उपजातियां हैं, डुकर कुल्हाती और फामयापाल कुल्हाती। दोनों जातियाँ अपनी स्त्रियों से वेश्यागीरी कराती हैं और उसी से जीवन निर्वाह करतीं हैं। डुकर कुल्हाती डाके भी डालते हैं।

बंगाल प्रान्त में भी एक जाति होती है जो नर, नट, नर्तक या नाटक कहलाती है। यह लोग भी नाचने गाने का पेशा करते हैं। बहुत से लोग जो इस प्रान्त में बाजीगर व सपेरा व कबूतरी कहलाते हैं और जिनकी यहाँ नटों में गणना की जाती है, बंगाल में बेड़ियों में गिने जाते हैं जो सांसियाँ, हाबूड़ों, कंजड़ों इत्यादि से बहुत कुछ मिलते हैं।

पंजाब में भी नट पाये जाते हैं। वहाँ वे नाचने गाने के अतिरिक्त बाज़ीगरी भी करते हैं। खेल-कूद तमाशों के अलावा जड़ी बूटी से दवा दारू और झाड़-फूँक भी करते हैं। इनकी स्त्रियाँ कबूतरी कहलाती हैं और वेश्यागीरी करती हैं। इनमें तीन चौथाई हिन्दू और एक चौथाई मुसलमान हैं। यह देवी व गुरु नानक व गुरु तेग़बहादुर और हनुमान जी की पूजा करते हैं। यह लोग अपने को मारवाड़ का आदि निवासी बताते हैं।

मुजफ्फरनगर ज़िले में नट हिन्दू हैं। उनकी धारणा है कि उन्हें परमात्मा ने स्वयं उत्पन्न किया है ताकि वे उसे विश्राम के समय प्रसन्न कर सकें। उनके यहाँ विवाह की वही रीति रस्म है जो अन्य नीच जातियों में पाई जाती हैं। रखेली रखने की आज्ञा नहीं दी जाती।

परित्यक्त एवं विधवा स्त्रियाँ पुनः विवाह कर सकती हैं। यह लोग मृतकों को गाड़ते हैं और शव के मुँह में तांबे का पैसा रख देते हैं। कभी-कभी दाह-कर्म भी करते हैं। गाय के अतिरिक्त अन्य सभी जानवरों का यह मांस खाते हैं। यह लोग भी हरिजन हैं।

बदायूँ ज़िले के बगुलिया नट अन्य ख़ानाबदोश जातियों की तरह अपना आदि स्थान चित्तौड़ ही बताते हैं। बिसौली, ज़िला बदायूँ में नवाबी ज़माने में एक नट रस्सी के ऊपर खेल करते हुए गिरकर मर गया। उसकी स्त्री सती होना चाहती थी। बिसौली के नवाब ने उससे कहा कि तुम जल जाओगी तो तुम्हें कोई याद न करेगा यदि तुम गाड़ी जाने के लिये तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी पक्की क़ब्र बनवा दूँगा। नट लोग इस बात पर राज़ी हो गये थे। नवाब ने वहीं क़ब्र बनवा दी जो सती की क़ब्र कहलाती है। सर्वत्र से बगुलिया नट यहाँ यात्रा करने आते हैं। कुछ बगुलिया नट यहाँ पर रहते भी हैं। यह लोग अब गाड़ते हैं, लेकिन पहले मुर्दों को जलाते थे। जो नट गिरकर मर गया था उसके पाँच बेटे थे। नवाब ने उन्हें कुरौली गाँव इनाम में दे दिया। लेकिन उनके वंशजों के दुष्कर्मों के कारण उनके हाथ से निकल गया।

सामाजिक रीति-रिवाज—बगुलिया नट और कलाबाज नटों में फर्क होता है। कलाबाज नट ज़मीन पर कलायें दिखाते हैं। बदायूँ ज़िले में नटों की यह उपजातियाँ हैं—बृजवासी, ग्वाल, जोगीला, कालखोर ? मदेश नट ६० साल पहिले मुसलमान हो गये थे। कलाबाज और बगुलिया नटों की स्त्रियाँ स्वयं खेल तमाशे नहीं करतीं और जहाँ उनके पुरुष तमाशे करते हैं वहाँ उपस्थित भी

नहीं रहतीं। आम तौर पर वेश्यागीरी भी नहीं करतीं और नट स्त्रियों में सबसे सम्मानित जीवन व्यतीत करती हैं। बृजवासी ग्वाल नटों की स्त्रियाँ खुले आम नाचती-गाती हैं और इसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करती हैं। वेश्यागीरी का पेशा होता है। बिरिया नटों में अधिक वेश्यागीरी होती है। विवाहित स्त्रियाँ ही नाचती-गाती और वेश्यागीरी करती हैं। अविवाहित स्त्रियों से यह काम नहीं कराया जा सकता, यदि कोई कराये तो पंचायत से दंड मिलता है और बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता है। बृजवासी नट अन्य जाति की स्त्रियों को अपनी जाति में आम तौर पर सम्मिलित नहीं करते हैं। यदि किसी को सम्मिलित करते हैं तो बिरादरी को भोज देना पड़ता है और फिर वह नट मान ली जाती है। पति को अपनी स्त्री से वेश्या-गीरी कराने का अधिकार होता है।

जंगली नट अपनी लड़कियों का विवाह नहीं करते बल्कि नाचना गाना तथा वेश्यागीरी सिखाते हैं। केवल निर्धन जोगीला नट जो इस शिक्षा का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकता वही कुछ धन लेकर अपनी बेटी का विवाह करता है। जब कोई नट स्त्री वेश्यागीरी का काम प्रारम्भ करती है तो उसके उपलक्ष में बिरादरी को बड़ा भोज देती है। यह भोज उन रुपयों से दिया जाता है जो स्वयं गा बजा कर उपार्जन करती हैं। जोगीला नट की स्त्री पर्दा करती हैं और स्वयं गाती नाचतीं नहीं हैं। इस जाति के लोग अन्य जाति की दुश्चरित्र स्त्रियों को भगा लाते हैं या उड़ा लाते हैं या ख़रीदते हैं। ऐसी स्त्री से विवाह किया जाता है और वेश्याकर्म नहीं कराया जाता। इस प्रकार की

स्त्रियां कहार, मुराव, मिसान, खागी, धुनियां, बढ़ई, गड़रिया और कुम्हार जातियों से लाई जाती हैं। किन्तु चमार, कंजड़, भंगी, मुसलमान स्त्रियां वर्जित हैं।

कालखोर नट जोगीले नटों ही की तरह स्त्रियों से वर्ताव करते हैं। इनकी लड़कियां नाचती गाती और वेश्यागीरी करती हैं किन्तु विवाह नहीं करतीं, वेश्यागीरी प्रारम्भ करने के उपलक्ष में बिरादरी को भोज दिया जाता है। स्त्रियाँ अन्य जातियों से ख़रीद कर लाई जाती हैं। यह लोग मुसलमान स्त्रियों को भी अपनी जाति में मिलाते हैं। इनको भी बिरादरी को भोज देना पड़ता है। बदिया नट अपनी लड़कियों का विवाह कालखोर नटों से करने लगे हैं।

महेश नट जो मुसलमान होते हैं वे भी अपनी लड़कियों से नाचना, गाना और वेश्यावृत्ति कराते हैं। परन्तु स्त्रियों से नहीं कराते। पिता को अधिकार है कि अपनी लड़की का विवाह करे या उससे वेश्यावृत्ति करावे, किन्तु पति को अपनी पत्नी से वेश्यावृत्ति कराने का अधिकार नहीं है।

फतेहपुर ज़िले के नट मुसलमान हैं। इनकी जाति में वेश्यावृत्ति कम हो रही है। पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर स्त्रियों को तलाक दिया जा सकता है। किन्तु पंचायत के समक्ष अपराध सिद्ध करना पड़ता है। विवाह सम्बन्ध के लिए भी पंचायत की स्वीकृति की आवश्यकता होती है जिसके लिए फीस भी देनी पड़ती है। तीस रुपये देकर विधवा के साथ और ६० रुपये देकर कुमारी के साथ विवाह हो सकता है। विवाह में केवल दूधभाती की रस्म होती है। बड़े भाई की

विधवा से छोटा भाई विवाह कर सकता है किन्तु छोटे भाई की विधवा से बड़ा भाई विवाह नहीं कर सकता। बलात्कार से व्यभिचार करने पर पंचायत २०० रु० जुर्माना करती है।

इटावा ज़िले के नट भी वेश्यावृत्ति को रोक रहे हैं। खेती-बारी करते हैं और अपने बालकों को पाठशाला भेजने लगे हैं। मैनपुरी ज़िले में कुछ करनाटक नट रहते हैं जो अपने को कबूतरी भी कहते हैं। इनमें से कुछ मुसलमान हो गये हैं और सैयद जमालखां के भक्त हैं। यदि किसी के दो लड़कियां होती हैं तो एक विवाह करती है और दूसरी वेश्यावृत्ति। यदि कोई वेश्या भंगी, चमार, कोरी या कहार से सम्बन्ध करती है तो जाति से बाहिष्कृत कर दी जाती है और पचास रुपये जुरमाना देने पर फिर से जाति में आ सकती है। गोरखपुर में नागरी नट होते हैं। यह लोग भी स्त्रियों से वेश्वावृत्ति कराते हैं। यह लोग मुसलमान होते हैं। गोरखपुर ज़िले में नटों की एक और उपजाति है जो सम्वत कहलाती है। यह लोग भी मुसलमान हैं और केवल हलाल किया हुआ गोश्त खाते है। सियार, न्योले और कछुए का गोश्त नहीं खाते। यह लोग खेती-बारी करते हैं। कुछ लोग विवाह और जन्मोत्सव पर बाजा बजाते हैं। स्त्रियां गोदना गोदती हैं।

उद्योग-धन्दे—सूबे में २६ फीसदी नट खेती-बारी करते हैं। १२ फीसदी मज़दूरी, ३६ फीसदी नाचते व बजाते और वेश्यावृत्ती से जीवन निर्वाह करते हैं। चूँकि यह लोग आवारागर्द हैं इसलिए अपराध भी करते हैं। यह लोग चोरी और उठाईगिरी करते हैं। यह लोग पेशेवर अपराधी नहीं है। किन्तु मौका मिलने पर चूकते भी नहीं।

यह लोग संगीन अपराध नहीं करते किन्तु गाड़ियों से सामान चुराते हैं, खाली मकानों में घुस जाते हैं और अकेला पाकर स्त्रियों के गहने भी छीन लेते हैं। पकड़े जाने पर अपने को सांसिया, हाबूड़ा, डोम, कजड़ और भांतू बताते हैं। किंतु इनको सरलता से पहचाना जा सकता है। इनका रंग काला, बदन नाटा व चुस्त होता है, छोटी नाक होती है, बड़ी काली आँखें, काले घने बिना कढ़े बाल व छोटी दाढ़ी और मूंछ होती है।

बंजारा

उत्पत्ति—बंजारों का मुख्य काम नाज ढोना है अथवा था। इनका नाम संस्कृति "वाणिज्यकारा" से उत्पन्न मालूम होता है। बंजारों का वर्णन महाकवि दंडनि की पुस्तक "दसकुमार चरित्र" में आया है। बंजारे हिन्दुस्तान भर में फैले हुये हैं। दक्षिण में बंजारों की तीन जातियाँ हैं। (१) मथुरिया जो मथुरा के आदि निवासी हैं। (२) लवण जो नमक ढोने का काम करते हैं। (३) चारण जो गुप्तचरों का काम करते हैं। ये लोग अपने को उच्चवर्ण हिन्दू ब्राह्मणों या राजपूत के वंशज बताते हैं जिन्होंने किसी नीच वर्ण की स्त्री से विवाह कर लिया था। इनमें से कुछ गुरु नानकजी को मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि यह लोग दक्षिण को उत्तर भारत से मुगल साम्राज्य की सेना के साथ आये। मुसलमान इतिहास में इनका वर्णन १५०४ में मिलता है जब कि सिकन्दर लोदी ने धौलपुर पर आक्रमण किया था। चारण बंजारों का राठौर परिवार सबसे शक्तिशाली था और बरार भर में उनकी धाक थी। चारण बंजारे १६३० में दक्षिण आये। यह लोग आसफजां की सेना के साथ आये थे। बंजारों के नायक भंगी, जंगी थे जिनके साथ १,८०,००० बैल थे जिनसे फौज का सामान ढोया जाता था। आसफजां ने इन लोगों को एक ताम्र पत्र दिया था जिस पर स्वर्ण अक्षरों से निम्नलिखित वाक्य अङ्कित हुआ था।

रंजन का पानी, छप्पर का घास।
दीन का, तीन खून मुश्राफ।
और जहाँ आसफ़जां के घोड़े।
वहाँ भंगी, जंगी के बैल।

यह ताम्र पत्र अभी भंगी जंगियों के वंशज के पास है और हैदराबाद के निजाम के राज्य में प्रमाणित माना जाता है और जब कुटुम्ब में मृत्यु होने के पश्चात् नया उत्तराधिकारी होता है तो उसे निज़ाम की ओर से पोशाक मिलती है।

दक्षिण के बंजारे जादू मंत्र और डायनों पर बहुत विश्वास करते थे। यदि किसी को कोई बीमारी हो जाये तो यही सन्देह किया जाता था कि किसी डाइन या चुड़ैल ने टोना कर दिया है। जिस स्त्री पर डाइन या चुड़ैल होने का पूरा विश्वास हो जाये या जिसे भगत ऐसा निश्चित करार दे तो उस स्त्री की हत्या कर दी जाती थी। स्त्री के पति या पिता से उनका वध करने को कहा जाता था यदि वे करदें तो ठीक, वरना दूसरे लोग वध करते थे और पिता या पति को भारी जुर्माना देना पड़ता था, जो हज़ारों रुपयों तक हो सकता था। बंजारों में १०० साल पहिले नर बलि देने का भी रिवाज था। चारण बंजारे आम तौर पर हिन्दू हैं और गुरु नानक के अतिरिक्त महाकाली, तुलजा देवी, मिट्ठू मुखिया और सती की पूजा करते हैं।

अपराध करने की रीति—बंजारों के पड़ाव में एक खाली झोंपड़ा होता है जो मिट्ठू मुखिया का झोंपड़ा कहलाता है। मिट्ठू मुखिया एक बंजारे डाकू थे। प्रत्येक अपराधी मिट्ठू मुखिया को पूजा करता है किन्तु

दक्षिण में उसकी अधिक पूजा होती है। यदि किसी ख़ानाबदोश बंजारों के पड़ाव में किसी झोंपड़ी के ऊपर सफेद झंडा लहरा रहा हो तो वह इस बात का चिह्न है कि वह मिट्ठू मुखिया को मानता है, और अपराध करता है। जो लोग किसी अपराध करने की योजना बनाते हैं वे रात के समय मिट्ठू मुखिया की खाली झोंपड़ी में एकत्रित होते हैं। सती की एक प्रतिमा बनाते है, घी का चिराग़ जलाया जाता है जिसकी बत्ती नीचे की ओर चौड़ी और ऊपर की ओर पतली होती है। बत्ती को सीधा करके जलाया जाता है और सती की पूजा करने के पश्चात् दल के लोग उससे संकेत माँगते हैं। सती के समक्ष यह भी सूचित कर देते हैं कि वे लोग किधर, क्या और किसके यहाँ अपराध करने जाना चाहते हैं। बत्ती को फिर ध्यान से देखा जाता है और यदि बत्ती झुक जाये तो वह शुभ संकेत माना जाता है। फिर दल के लोग उठ खड़े होते हैं, झंडे को दंडवत करते हैं और शीघ्र ही पूर्व निश्चित अपराध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जब तक अपराध सफलता पूर्वक न हो जाय तब तक वे किसी से बोल नहीं सकते, इसलिए अपने घर भी नहीं जाते। और यही कारण है कि राहजनी या डाका डालते समय बंजारे बिलकुल नहीं बोलते, यदि उन्हें कोई रोकता या चुनौती देता है तो भी चुप रहते हैं। यदि कोई रास्ते में बोल दे या चुनौती का उत्तर दे तो वह अपशकुन माना जाता है और यह लोग बिना अपराध किये ही वापस लौट आते हैं। फिर से पूजा करते हैं और शकुन विचारते हैं और शुभ शकुन मिलने पर ही अपराध के लिए निकलते हैं। यदि दल का कोई व्यक्ति मार्ग में छींक दे तो भी अपशकुन माना जाता

है और दल वापस लौट आता है। किन्तु अक्सर यह लोग चुनौती देने वाले व्यक्ति पर लाठी से प्रहार करते हैं और उसे मार डालते हैं या इतना घायल करके छोड़ते हैं कि वह उनकी कोई हानि न कर सके।

मध्य भारत की रियासतों में भी कुछ बंजारे रहते हैं। यह लोग बैल की पूजा करते हैं। इस बैल को 'हत्यादिया' कहते हैं। इस बैल पर कोई सामान नहीं लादा जाता। इसको खूब सजाया जाता है लाल रंग की रेशमी झूल पीठ पर डाली जाती है, पैरों और गर्दन पर पीतल की मालायें और कड़े पहिनाये जाते हैं। और कौड़ियों, छोटे शंखों और पीतल के घुंघुरुओं की मालायें डाली जाती हैं, यह बैल दिन भर चलकर शाम को जहाँ ठहरता है, बंजारों का दल वहीं रात भर के लिये पड़ाव डालता है। अपनी और अपने जानवरों की बीमारी में इसी बैल की पूजा की जाती है।

जातियाँ—इस प्रान्त में भी बंजारों की कई उपजातियाँ हैं, इनके नाम हैं: बहरूप, चौहान, गुआर, जादो, पवारे, राठौर और तुवारें। गुआर और बहरूप को छोड़कर अन्य उपजातियों के नाम राजपूत जातियों पर हैं। इस प्रान्त के बंजारे भी अपने को राजपूत वंश का बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक समय में अवध और तराई के ज़िलों में इनकी रियासत थी। यह लोग बरेली ज़िले में बहुत पहले बस गये थे किन्तु वहां से इन्हें जंगाढ़ राजपूतों ने निकाल दिया। ज़िला खीरी में भी बंजारों से खैरागढ़ राजपूतों ने ले लया था। सन् १८२१ में चकलादार हाकिम मेंहदी ने बंजारों को

सिजौली परगने में निकाल दिया। देहरादून ज़िले में कहावत मशहूर है कि पांडवों की सेना की रसद पहुँचाने का काम बंजारे ही करते थे और इन्हीं ने देवबन्द का नगर बसाया था। सर एच० एम० इलियट ने बंजारों के विषय में लिखा है कि इनकी पाँच मुख्य उपजातियाँ हैं:

१. **तुरकिया**—यह लोग मुसलमान हैं और अपने को मुलतान के आदि निवासी बताते हैं। इनके पूर्वज रुस्तमखाँ, मुरादाबाद ज़िले में आकर बसे थे तब से यह लोग आस पास के इलाको में फैल गये। यह लोग सामान ढोने का काम करते हैं।

२. **वद बंजारा**—यह लोग अपने को भटनेर का आदि निवासी बताते हैं। इनके नेता दुल्हा थे। यह लोग कौन्त्र, पीलीभीत इत्यादि स्थानों में बसे हुए हैं। यह लोग कपड़ा बुनने तथा दवा-दारू का काम भी करते हैं।

३. **लवण बंजारा**—यह लोग अपने को गौर ब्राह्मणों की संतान बताते है और रणथम्भौर के आदि निवासी बताते हैं। औरंगज़ेब के समय में यह लोग इस सूबे में आकर बस गये। यह लोग पहाड़ी इलाकों में तिजारत करते हैं और माल ले जाने और पहुंचाने का काम करते हैं।

४. **मुकेरी बंजारा**—यह बरेली ज़िले में रहते हैं और अपना नाम मक्का से सम्बन्धित बताते हैं। इनका कहना है कि इनके पूर्वजों ने मक्का को बनाया था। यह लोग पहले मक्काई कहलाते थे उसी का अपभ्रंश मुकेरी हो गया। किन्तु यह बात मन गढ़न्त ही प्रतीत होती है। शोलापुर में भी एक मुकेरी जाति होती है जो बंजारों ही का सा काम करती है इनका नाम मुकेरी 'मुकरने' शब्द से पड़ा है।

५. बहरूप बंजारा—यह लोग नट की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं किन्तु अपनी लड़कियाँ नटों को नहीं देते।

नायक बंजारे गोरखपुर जिले में रहते हैं और अपने को कट्टर हिन्दू बताते हैं। यदि किसी की लड़की कलंकिनी हो जाती है तो उसके पिता को सत्यनारायण की कथा कहलानी पड़ती है। यह लोग अपने को सनाढ्य ब्राह्मणों से उत्पन्न बताते है। मृतकों की दाह क्रिया करते हैं। यह लोग ज़मींदार भी हैं, खेती-बारी करते हैं और नाज का व्यापार भी करते हैं।

खीरी ज़िले की निघासन तहसील में बंजारे बस गये हैं। यह लोग खेती-बारी करते हैं और जानवर पालते हैं। जानवर बेचने के लिये यह लोग अन्य ज़िलों को चले जाते हैं।

पीलीभीत ज़िले में पीलीभीत और पूरनपुर की तहसील में भी बंजारे रहते हैं। यह लोग धनी ज़मींदार हैं और चावल का व्यापार करते हैं। विवाह के समय वर को सिरकी के छप्पर के अन्दर रहना पड़ता है। वर के पिता को वधू के पिता को ओखली में रखकर धन देना पड़ता है।

मुजफ्फरनगर जिले में रहने वाले बंजारों की विवाह की रीति रस्म नीच जाति के हिन्दुओं की तरह होती है। अदले बदले से विवाह नहीं होता। ब्राह्मण लोग पक्का खाना इनके यहाँ खा लेते हैं, हिन्दू मन्दिरों में यह लोग प्रवेश कर सकते हैं। इन लोगों की एक स्थायी पंचायत है।

इन लोगो की एक शाखा मुसलमान भी है। पीलीभीत जिले में कुछ

ही दिन हुये कि बंजारों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इटावा जिले में बंजारों को अहमदिया लोग मुसलमान बना रहे थे। यह लोग अच्छे किसान हैं और जानवरों की तिजारत करते हैं।

गोरखपुर ज़िले के बंजारे अपने को शेख कहते हैं और नाज के बड़े व्यापारी हैं।

मिस्टर क्रुक्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गोरखपुर के आसपास के जिलों में रहने वाले बंजारे डकैती और इसी प्रकार के अन्य अपराध करने के लिये बदनाम थे। इधर कुछ दिनों से इन पर लड़कियों के भगाने का सन्देह पुलिस कर रही है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि यह लोग अन्य जाति की स्त्रियों को अपनी जाति में मिला लेते हैं। इन पर जानवरों की चोरी का भी सन्देह किया जाता है। मिस्टर क्रुक्स ने १८६२ में उपरोक्त वर्णन किया था। मिस्टर ब्रेमले ने भी अपनी रिपोर्ट में इनका वर्णन किया है। उनका यह कहना था कि ये लोग चोरी के जानवर खरीदते हैं। इनके जानवरों के झुंड इतने बड़े होते हैं और इनकी पशुशालायें इतनी अधिक होती हैं और यह लोग जानवरों के नम्बर और चिह्नों को परिवर्तित करने में इतने निपुण होते हैं कि चोरी के जानवरों को इनके यहाँ से खोज लेना असम्भव हो जाता है और तलाशियाँ असफल होती हैं।

मिस्टर हालिन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बंजारों को चोरी, नकबज़नी और डकैती में सजायें मिल चुकी हैं, किन्तु इस जाति के अधिकतर लोग संगीन अपराध कम करते हैं। चोरी, जानवरों की चोरी और लड़कियों को भगाना ही इनका मुख्य अपराध है।

उद्योगधन्धे—बंजारे जानवरों का व्यापार करते हैं। आगरा और मथुरा ज़िलों में जमुना के खादड़ों में यह लोग जानवर पालते हैं। वहाँ से बेचने के लिये अन्य ज़िलों में ले जाते हैं। फस्ल बोने के अवसर पर यह लोग किसानों के हाथ बैल उधार बेचते हैं और फ़स्ल कटने के समय दाम लेने के लिये राजी हो जाते हैं। यह लोग कोई रुक्का नहीं लिखाते। आम तौर से यह लोग फस्ल कटने पर दाम वसूल कर लेते हैं। यदि कोई नहीं देता तो उसके यहाँ धरना डालते हैं, उनके घर की स्त्रियों को अपशब्द कहते हैं और इस प्रकार अपना रुपया वसूल करते हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—बंजारों का पहिनावा विचित्र होता है। जिन लोगों ने यूरोप की आवारागर्द कौमों को देखा है, उनका कहना है कि बंजारों का सामाजिक रीति रिवाज, पहिनावा और रहन-सहन उन लोगों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। सन् १८७० में एक रूसी सज्जन भारतवर्ष आये थे उनके संग एक हंगरी देश के निवासी थे जो हंगरी की खानाबदोश जाति ज़िङ्गारी की भाषा जानते थे। वे बंजारों से उस भाषा में बात करते थे क्योंकि बंजारों की भाषा ज़िंगारी भाषा से बहुत कुछ मिलती थी। बंजारों की स्त्रियाँ लाल या हरे रंग का लहँगा पहिनती हैं जिस पर बहुत सा कढ़ाई का काम किया जाता है। चोली पर भी सामने और कंधों पर कढ़ाई का काम होता है, कसी हुई पहनी जाती है और पीठ पर बन्दों से बाँधी जाती है। बन्दों के सिरों पर कौड़ियाँ लटकती हैं। बन्द रंग बिरंगे होते हैं। ओढ़नी पर भी इसी प्रकार का काम होता है। इसका एक

सिरा कमर पर खोंस लिया जाता है और दूसरा सिर के ऊपर ओढ़ा जाता है और उसके सिरों पर भी कौड़ी इत्यादि लगी होती हैं। यह तरह तरह के आभूषण पहिनती हैं जिनके बीच में एक कौड़ी पड़ी रहती है। इस प्रकार की दस बीस मालायें पहिन लेती हैं। चाँदी की हँसली भी गले में पहिनती हैं जो सधवा होने का चिन्ह है। पीतल और सींग की चूड़ियाँ पहिनती हैं जो कलाई से कोहनी तक चढ़ी होती हैं। दाहिनी कलाई पर एक इञ्च चौड़ा रेशमी पट्टा होता है जिस पर कढ़ाई का काम रहता है। हाथी दाँत या हड्डी के कड़े पैरों में केवल सधवा स्त्रियाँ ही पहन सकती हैं। विधवा हो जाने पर इन्हें उतार देना पड़ता है। नाक और कान में चाँदी के जेवर पहिनती हैं और समस्त शरीर में जगह जगह पीतल, ताँबा, चाँदी और हड्डी के जेवर पहिने रहती हैं। सधवा स्त्रियों के बाल एक विशेष प्रकार से बाँधे जाते हैं और उनकी चोटी भी कौड़ी इत्यादि से बंधी होती है, लेकिन अब जब कि बंजारे लोग गाँव में बस रहे हैं तब उनकी निजकी पोशाक में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है।

गिधिया

यह लोग भी जरायम पेशा जाति के हैं। यह लोग मुरादाबाद, बिजनौर, गाजीपुर, गोरखपुर के ज़िलों में रहते हैं। कोई लोग इन्हें सांसियों की और कोई लोग इन्हें बौरियों की उपजाति बताते हैं। यह लोग विशेष प्रकार से कायस्थों से घृणा करते हैं। सियार का मांस इस जाति के लोग खाते हैं। १९४१ की जन-गणना में इनकी संख्या लगभग ६०० थी।

मदारी

कानपूर ज़िले में मकनपुर में शाह मदार की क़ब्र है। जहाँ कि बसन्त के दिन मेला लगता है। मदारी लोग अपने को शाह मदार का भक्त बताते हैं। यह लोग भालू बन्दर पालते हैं और उनका तमाशा दिखाते हैं। यह लोग कहीं कहीं खानाबदोश हैं और छोटे मोटे अपराध करते हैं। बलिया और आगरे के ज़िले में यह लोग जरायम पेशा जाति घोषित किये गये हैं।

गंडीला

यह भी एक छोटी जाति है जो जरायम पेशा जाति मानी गई है। यह लोग पंजाब के निवासी हैं। अपने प्रान्त में मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में रहते हैं। खेती-बारी भी करते हैं।

सैकलगर

इस जाति के लोग लोहा तथा अन्य धातु के हथियार, चाक़ू, छुरी, इत्यादि बनाते हैं। यह लोग भी खानाबदोश हैं और कुछ ज़िलों में जरायम पेशा घोषित किये गये हैं।

हाबूड़ा

उत्पत्ति—हाबूड़ा एक आवारागर्द जाति है जो गंगा यमुना के मध्य दोआब के ज़िलों में रहती है। हाबूड़ा शब्द की उत्पत्ति सम्भवत: "हउआ" शब्द से हुई है क्योंकि इनके पड़ोसी इनसे बहुत डरते हैं। हाबूड़ा, साँसिया और भांतू एक ही नस्ल के हैं। बेड़ियों से सामाजिक दृष्टि से यह लोग ऊँचे हैं। एटा ज़िले के नोहखेड़ा गाँव के यह लोग अपने को रहने वाला बताते हैं। बरसात के दिनों में यह लोग वहीं की यात्रा करते हैं और शादी विवाह ठहराते हैं और अपने जातीय झगड़ों का निपटारा करते हैं। यहीं इनकी पंचायतों की सभा होती है। यह लोग ऋग को अपना पुरखा बताते हैं। इन महाशय ने एक दिन सीता जी को बनवास की अवस्था में जगा दिया था इस पर वह क्रुद्ध होगईं और शाप दे दिया कि वह और उनके वंशज जंगलों में मारे मारे फिरेंगे और शिकार करके पेट भरेंगे।। दूसरी कहावत यह है कि यह लोग चौहान राजपूत थे और उनके पुरखे किसी अपराध के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये।

उपजातियाँ—संयुक्त प्रांत में जो हाबूड़े आवारागर्द अवस्था में फिरते हैं, वे अन्य खानबदोश जातियों से बहुत बातों में मिलते जुलते हैं। यह लोग अपनी जाति ठीक से नहीं बताते और जैसा मौका होता है उसी के अनुसार बेड़िया, भांतू व चमार, डोम, करवाल, कंजड़

करनाटक, लोध, नट या साँसिया बता देते हैं। तीन मशहूर डाकुओं के नाम पर इनकी तीन उपजातियाँ हैं। १. मदाय, जिनमें भांतू, जोगी, करवाल, साँसिया और सर्व खवास सम्मिलित हैं। २. कालखोर, जिसमें बेड़िया, बृजबासी, चमर मँगता, मंडूवाल, नट और कंजर सम्मिलित हैं। ३. चेरी जिसमें बधिया, मेसिया और तुरकटा सम्मिलित हैं अपराधी जाति के कानून के अनुसार हाबूड़े साँसियों से सम्मिलित माने ज़ाते हैं।

हाबूड़े आवारागर्दी और खानाबदोश जातियों से मिलते जुलते हैं। इस कारण यह पता लगाना कि एक व्यक्ति विशेष किस आवारागर्द जाति का है मुश्किल होता है। सच्चा हाबूड़ा साधारण कद के व्यक्ति से कुछ लम्बा होता है, बहुत काला होता है और बहुत दुबला, बहुत तेज भाग सकता है और एक दिन में बहुत दूर निकल जाता है। दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल भी तेजी से भाग सकता हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही कम से कम वस्त्र पहिनते हैं।

सामाजिक रीति-रिवाज—जाति के समस्त मसले पंचायत द्वारा ही तय होते हैं। उपजातियों में अब पारस्परिक विवाह होने लगे हैं। पचीस रुपये में वधू खरीदी जाती है और वधू के पिता को यह धन मिलता है। वधू का पिता ही विवाह भोज देता है। कुछ शर्तों के साथ तलाक की प्रथा है और विधवाओं तथा परित्यक्त स्त्रियों को पुनः विवाह करने का अधिकार है। प्राचीनकाल में हाबूड़े दूसरी जाति की स्त्रियों को भगा लाते थे और बिरादरी में सम्मिलित कर लेते थे। अब भी अन्य जाति की बहिष्कृत एवं च्युत स्त्रियाँ हाबूड़ों में सम्मिलित हो जाती हैं। अन्य जाति की स्त्री के साथ व्यभिचार करना निन्दनीय

समझा जाता है और इस अपराध के दोषी पुरुष को १२० रुपया तक जुरमाना देना पड़ता है। आवारागर्द जीवन के कारण इस जाति की स्त्रियों का चरित्र अच्छा नहीं होता और यह स्त्रियाँ बहुत से जमींदारों की रखेलियाँ हो जाती हैं। विवाह के पूर्व लड़कियों को स्वच्छन्दता रहती है और उनके चरित्र के दोषों पर आक्षेप नहीं किये जाते। मृतकों का आमतौर पर दाहकर्म होता है, कभी कभी गाड़े भी जाते हैं। यह लोग अपने को हिंदू बताते हैं किंतु ब्राह्मणों को अपने यहाँ काम-काज में नहीं बुलाते। यह लोग बिजनौर जिले में काली भवानी की पूजा करते हैं। पुरखों की प्रेतात्माओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और नाज दान करके उन्हें तृप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से नाज दान केवल हाबूड़े ही करते हैं। प्रत्येक परिवार के पुरखे के पास एक थैला होता है, उसमें नाज रखा रहता है और उसके बिना कोई भी पूजा उचित रूप से नहीं हो सकती। यह लोग बीमारी को पुरखों का कोप समझते हैं और नजर लगने से बहुत डरते हैं। गाय और गदहे के मांस को छोड़कर सब प्रकार का मांस खा जाते हैं, यहाँ तक कि साँप तक का।

उद्योग-धन्धे तथा अपराध करने की रीति—हाबूड़े केवल दो उद्यमों में लगे हुये हैं। कुछ तो गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं, और दूसरे आवारागर्दी। जो लोग बस गये हैं और खेती करते हैं उन पर भी पूरीतौर से भरोसा नहीं किया जा सकता। यह लोग भी आवारा-गर्द हाबूड़ों को सूचना देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आवारा-गर्द हाबूड़ा, साधुओं और फकीरों का भेष बनाये घूमता है किन्तु वह

बचपनही से चोरी और डकैती डालना सीखता है। छोटे बच्चों को भी चोरी करना सिखाया जाता है। गेहूँ चावल की चोरी करना सबसे पहिले सिखाया जाता है। जब वह छोटी चोरियाँ करना सीख जाता है तब उन्हें नकबज़नी और राहज़नी सिखाई जाती हैं। हाबूड़े जहाँ रहते हैं, अपने पास पड़ोस के गाँववालों को बहुत तंग करते हैं। खेत में खड़ी हुई फ़सल काट डालते हैं। रास्ते में आदमियों और गाड़ियों को लूटते हैं और राहज़नी और डकैती भी डालते हैं। नकबज़नी, राहज़नी और डकैती में ८ या ६ आदमियों का दल भाग लेता है। खेत काटने में २०, २५ व्यक्तियों का दल शामिल होजाता है। यह लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं। यह लोग कोई हथियार अपने पास नहीं रखते सिर्फ डंडा रखते हैं। यदि किसी अपराध का पता लग जाता है और कोई गिरोह पकड़ा जानेवाला होता है तो दल का सरदार निश्चय करता है कि दल के कौन से व्यक्ति अपने को गिरफ़तार करा दें। छः के दल से दो और आठ के दल से तीन पुलिस के हवाले कर दिये जाते हैं। पवित्र नाज सिर पर रख दल का सरदार इस बात का निश्चय करता है कि कौन से व्यक्ति अपने को गिरफ़तार करा देंगे। चाहे यह व्यक्ति दोषी हो अथवा नहीं। यह लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और फाँसी एवं कालापानी की सजा को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इससे इनके दल के अन्य व्यक्ति बच जाते हैं। इन लोगों को पूरा विश्वास रहता है कि दल का सरदार और अन्य सदस्य उनके स्त्री, बच्चों का पालन पोषण करेंगे। ऐसा देखा भी गया है कि अपने परिवार के पहिले दंडित हाबूड़ों के परिवार के भरण-पोषण का प्रबन्ध

किया जाता है। अब तक अलीगढ़ ज़िले में यदि कोई हाबूड़ा अपराध करने के कारण अपने प्राण गंवा देता है तो उसके साथी उसकी स्त्री को डेढ़ सौ रुपया मुआविजा देते हैं। यदि कोई हाबूड़ा गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी रिहाई तक उसके परिवार का भरण-पोषण किया जाता है। यह लोग अपनी जाति वालोंके विरुद्ध कभी पुलिस को भेद नहीं देते, यदि कोई भेद देता है तो वह बिरादरी से निकाल दिया जाता है। यह लोग अपने दलों का नाम बदल देते हैं, दल की यात्रा को छिपाने का अधिक प्रयत्न नहीं करते। बहुत से जमींदार इनके सहायक होते हैं और इनके द्वारा लाये गये चोरी के माल को बेचने का प्रबन्ध करते हैं।

मिस्टर हालिन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हाबूड़ों को सुधारने की जो योजना प्रयोग में लाई गई वह विफल होगई। अपराधी जाति का क़ानून इन पर लागू किया गया किन्तु उसका असर केवल बसे हुये हाबूड़ों पर पड़ा जो कम अपराध करते थे। आवारागर्द हाबूड़ों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा।

चोर बोली—हाबूड़ों की भी निज की बोली होती है। यह अपनी भाषा ही में आपस में बातचीत करते हैं। बाहरी व्यक्ति को अपनी भाषा नहीं सीखने देते। इनकी बोली के कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं:—

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
आई	माँ	हिन्धों	जाओ
बरबू	बाप	जेगायि	गाय
बिरगो	जल्दी	जस्याउ	चोरी
चरकोल	चिड़िया	कड	नाज

न्चरनिया	पेटीकोट	खाकरा	जूता
मरेरी	डलिया	कपाही	सिपाही
डिकरा	लड़का	लुगरिया	कपड़े
डिकरी	लड़की	लाड़ियो	कुत्ता
धन्नी	पति	मोटा मोंढ़ाना	थानेदार
धनियाना	पत्नी	नसीजा	भाग
ढंडा	बैल	नसीआ	आओ
पहुन	दामाद	परोहिन्द	यहाँ से जा
मेड़	पेड़	तत्परा	बर्तन
तवेरो	गर्मी	वैरो	हवा

साँसिया और बेड़िया

यह अपराधी जाति भरतपुर रियासत में उत्पन्न हुई थी और धीरे-धीरे सारे भारतवर्ष में फैल गई है। बौरियों की तरह यह लोग भी चोरी, राहज़नी और डाका डालते हैं।

स्लीमैन साहब ने इनकी उत्पत्ति इस प्रकार से बयान की है :—

उत्पत्ति—बहुत दिन हुए भरतपुर रियासत में दो भाई रहते थे। जिनके नाम साँसमल और सांसी थे। साँसमल के वंशज बेड़िया कहलाये और सांसी के वंशज सांसिया या सासिया भाट कहलाते थे। दोनों की बोली अलग-अलग होगई। सांसिया बेड़ियों को ढोली कहने लगे और अपने को भांतू बताने लगे। वेड़िया लोग सांसियों को महेश कहने लगे। बेड़िये लोग ढोल बजाते और भीख माँगते थे। उनकी स्त्रियाँ वेश्याओं का पेशा करती थीं। सांसिये भीख माँगते थे या गाय, भैंस, बकरी, टट्टू बेचते या गदहा बेचते या चलनी, रस्सी या सिरकी बनाते, लेकिन यह दोनों जातियाँ चोरी, नकबज़नी, राहज़नी या गाँव में हिंसा के साथ डाका डालतीं थीं। बाद को पता चला कि इनकी एक उपजाति जो साँसी कंजड़ कहलाती है और भी अधिक खतरनाक है और उपरोक्त अपराधों के अतिरिक्त मवेशियों की चोरी और जाली सिक्का बनाने का भी काम करने लगी हैं।

साँसियों में एक कहावत यह भी मशहूर है कि जब दोनों भाई

साँसमल और साँसी दोनो ही जीवित थे तब प्रसिद्ध पुंजा जाट के एक वंशज ने जिसका नाम मुब्लानर था आज्ञा निकाली थी कि जाटों को कुछ खिराज साँसियों को देना चाहिये। इसलिये पुराने ज़माने में अपने को जाट जाति के भाट कहते थे और साँसियों में यह रिवाज पड़ गया था कि अपनी विरदावलियों में अपने पुरखों के नाम के साथ जाटों के नाम भी सम्मिलित कर देते थे। जाट लोग इसी कारण से साँसियों को अपना जाति भाई मानते थे। जब जाटों के यहाँ विवाह होते थे तो वे साँसियों को भी अपने यहाँ निमन्त्रित करते थे जो उनके पुरखों का गुण गान करते और उनको पुंजा जाट के समय का बताते। साँसियों के दो मुख्य गोत्र हैं:—कल्हास और मल्हास। कभी कभी यह लोग कंजर भी कहलाते हैं। अब यह लोग अपने को कंजर नहीं मानते हैं क्योंकि मुसलमानों में भी कंजर होते हैं और दक्षिण के कंजर चमारों का काम करते हैं। साँसिये सब हिन्दू होते हैं।

कुछ साँसियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुये कप्तान ऐलिस के सामने जो १८४२ में ग्वालियर के रेज़ीडेन्ट के आधीन काम करते थे बयान किया कि सतयुग से उनके पुरखे अजमेर और मारवाड़ में रहते चले आये हैं। केवल कुछ ही शताब्दी पहिले इनकी जाति में एक स्त्री हुई थी जिसका नाम बूटी था। बूटी का सम्बन्ध मारवाड़ के एक शक्तिशाली ज़मींदार से होगया था। वार्षिक क्षत्री पूजा के अवसर पर बूटी के पति को इस घनिष्टता का पता चला और उसने बूटी को मारा पीटा। बूटी के भाई ने बूटी की मदद की। जिससे झगड़ा और बढ़ गया। लेकिन परस्पर के मित्र और सम्बन्धियों ने झगड़ा

समाप्त करा दिया। एक महीने पश्चात् बूटी के पति ने बूटी के भाई को मरवा दिया क्योंकि उसको यह सन्देह था कि उसी की मदद से बूटी का सम्बन्ध ज़मींदार से हो गया है। बूटी को जब इसका पता चला तो उसने अपने पति ही की हत्या करा डाली। बूटी तब अपने पति के सम्बन्धियों के डर से भाग गई और कोटा के राजा के पास चली गई जिसने उसको दो सौ घुड़सवार दिये। बूटी ने हज़ारों साँसियों को गिरफ़तार कर लिया और जिन्होंने भागने का प्रयत्न किया उन्हें मरवा दिया। बूटी ने साँसियों की समाधियों पर जो छतरियाँ बनी थीं उन्हें भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। साँसियों ने तब मारवाड़ देश को छोड़ दिया और वहाँ से निकल कर सारे देश में बस गये।

सामाजिक रीति रिवाज—साँसिये आम तौर पर स्त्री बच्चों के साथ सफ़र करते थे। शकुन विचार कर ही साँसिये यात्रा करते थे और कोई भी अपशगुन होने से पहिले उनकी यात्रा स्थगित हो जाती थी। सियार की बोली सुनाई पड़ना, बिल्ली का दिखाई देना, मृत्यु पर किसी का शोक करना, चलने के समय किसी का छींकना, कुत्ते का खाना लेकर भागना, पेड़ पर चील की चीत्कार, कुयें पर पानी भरने में घड़े का टूट जाना इत्यादि बातें अपशगुन समझी जाती हैं।

रास्ते में ग्वालिन का मिलना, रुपया या नाज या पानी का घड़ा लेजाने वाले आदमी का मिलना, बारात का जलूस, कछुये या सुअर का मिलना, शुभ शगुन माने जाते हैं।

इन्दौर की पुलिस के इन्सपेक्टर जेनरल ने बेड़िये और साँसियों के शादी रिवाजों का इस प्रकार वर्णन किया है।

भरतपुर रियासत के बरोली जिले में कंजड़ इलाके के बिथाना गाँव में कुछ राजपूत रहते थे। गूजर और बेड़िये इन्हीं राजपूतों के वंशज हैं। गूजर किसानी करने लगे और बेड़िये ख़ानाबदोश होगये। बेड़ियों में दो मुख्य नेता हुये जिनके नाम थे साहमल और साहसी। साहमल के वंशज बेड़िये कहलाये और साहसी के वंशज साँसी कहलाये।

बेड़ियों में ८ गोत्र हैं:—१. कालाखोर, उपगोत्र पोपत। २. बीठू, उपगोत्र मंगल और चाँदो, ३. चन्दबाद, ४. भाटू, ५ तिमाहची, ६. कोठान ७. मूरा, ८. गेहाला।

सगोत्रों का विवाह नहीं होसकता। अन्य गोत्रों में विवाह होसकता है। बीठू और गेहालों में भी विवाह नहीं हो सकता क्योंकि बीठू और उसकी उपगोत्र मंगल गेहालों से ऊँचा मानते हैं।

साँसियों में ५ गोत्र हैं :

१. झोझया, २. रामचन्द्र, ३. बेलिया, ४. दुसी, ५. साँसी।

झोझया का विवाह बेलियों के साथ नहीं हो सकता है। रामचन्द्रियों का विवाह दुसी के साथ नहीं हो सकता। रामचन्द्री और दुसी का विवाह झोझया और बेलिया के साथ हो सकता है। पाँचवीं गोत्र साँसी का विवाह केवल गोत्र ही में हो सकता है। बेड़ियों और साँसियों में अन्तर्जातीय विवाह हो सकते हैं, यद्यपि ऐसे विवाहों को पसन्द नहीं किया जाता। बीठू अपने विवाह साँसियों में नहीं करते।

भारत के भिन्न २ प्रान्तों में बेड़िया और साँसी भिन्न २ नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे :—

१. मालवा में साँसी २. गुजरात में पोपत, घाघरा पल्टन, ३. सिन्ध

में गिधिया, ४ गंगापार में भांतू, ५ संयुक्त प्रान्त में कंजर या बेड़िये, ६. ग्वालियर में बगोड़िया या बेड़िये, ७. बंगाल में चिरोखासाल।

बेड़िने प्रायः वेश्यागीरी करती हैं। छोटी लड़कियों को यह लोग चुरा भी लेते हैं। खुशहाल बेड़िये के यहाँ ५ या ६ युवतियों का होना अवश्यम्भावी है, जिनको चोरी से खरीद कर लाया जाता है और जिनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। साँसी की स्त्रियाँ इतनी बदचलन नहीं होती हैं। आदमी, औरतों और बच्चों का पेशा ही चोरी करना होता है। आदमी बहुधा मवेशी की चोरी, राहज़नी या डकैती करते हैं। यह लोग शराब भी बहुत पीते हैं। इनकी तन्दुरुस्ती शराब पीने और जगह जगह घूमने से बिगड़ जाती है और यह लोग तपेदिक के शिकार हो जाते हैं।

अपराध करने की रीति—बेड़िया और साँसी दोनों ही कंजड़ों की शाखायें हैं। कंजड़ों में साधारणतयः सभी खानाबदोश जातियाँ शामिल हैं। बेड़िया और साँसी आमतौर पर अलग २ रहते हैं, यद्यपि अपराधों में सम्मिलित होजाते हैं। बेड़ियों का रहन सहन और बनावट घटिया है। साँसी का कुछ अच्छा है। औरतों और आदमियों के हाथ, पैर छोटे और सुडौल होते हैं। दोनों ही साहसी और भयावह होते हैं। पकड़े जाने पर किसी भी प्रकार का दंड या अत्याचार का उन पर असर नहीं होता और वह कोई बात नहीं बताते। किन्तु यदि उन्हें शराब पिलाई जाये तो सरलता से अपनी जाति की बातें बता देते हैं। पकड़े जाने पर वह अपने को भंगी, माली या काछी बताते हैं।

जब यह लोग गिरोह में अपराध करने के लिये निकलते हैं तो वृद्ध स्त्री, पुरुषों और बालकों को गाँव में छोड़ देते हैं। युवा स्त्री को अपने साथ रखते हैं और साथ में अपने गदहे, बकरियाँ और भैंस ले लेते हैं ताकि उन पर कोई सन्देह न करें और यह समझे कि यह लोग ईमानदार हैं और अपनी जीविका जानवरों को बेच कर या भीख माँग २ कर बसर करते हैं। यह लोग अपने को भाट भी बताते हैं। कभी जाट का भाट, जगभाट, गुजराती भाट, काशी भाट या कुम्भन भाट कहते हैं।

साँसी डाकुओं ने अपराध स्वीकार करते हुये अपराध करने की रीति का इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस स्थान पर अपराध करना होता है वहाँ से कोई दो रोज की यात्रा की दूरी पर गिरोह ठहरता है। गिरोह सरदार, तीन चार चतुर स्त्रियों को और थोड़े से आदमियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। बाँस और भालों की नोकों को अपने साथ ले लेते हैं और उनको अपराध करने के स्थान के पास ही ज़मीन में गाड़ देते हैं। यदि उस स्थान पर कोई मशहूर मन्दिर होता है तो वहाँ पूजा करने जाते हैं। उस स्थान पर तीन, चार दिन रहते हैं और पता लगाते हैं कि इस स्थान का प्रमुख महाजन कौन है, और भागने के रास्तों का भी सुभीता कर लेते हैं। जब महाजन का निश्चय होगया तब थोड़ी सी ख़रीदी हुई मदिरा को पृथ्वी पर देवी के नाम से छिड़कते हैं, और कहते हैं कि हे देवी मैया यदि हम अपने काम में सफल हुये और हमें पर्याप्त लूट का धन प्राप्त हुआ तो हम आपकी खूब पूजा करेंगे और नारियल चढ़ावेंगे।

फिर गिरोह का जमादार प्रत्येक आदमी का काम नियुक्त करता है। कौन बाहर पहरा देगा, कौन भीतर जायेगा, कौन मशाल जलायेगा, और वह स्वयं एक कुल्हाड़ी ले लेता है जिससे बक्स इत्यादि तोड़े जाते हैं। यदि पुलिस का प्रबन्ध अच्छा होता है और भालों सहित गांव में प्रवेश करना सम्भव नहीं होता तो यह लोग बाजरा या चने का गट्ठर खरीद लेते हैं और उसीमें भालों की नोकों को छिपा लेते हैं। इस गट्ठर को एक आदमी अपने सर पर रख लेता है और लोग इसके पीछे आते हैं। यदि उस गट्ठर को कोई ख़रीदना चाहे तो कह देता है कि वह अभी ख़रीदकर ला रहा है। जब गट्ठर ज़मीन पर उतारा जाये और उस समय कोई खरीदने को कहे तो वह ऐसा दाम बताते हैं कि कोई ख़रीदे ही नहीं। जिस जगह अन्य भालों की नोकें छिपाई गई थी वहीं यह लोग पहुँच जाते हैं और मशाल जलाकर उन्हें निकाल लेते हैं। यह लोग अपना शरीर और पैर नंगा रखते हैं। कमर में कपड़े के अन्दर पत्थर रख लेते और सिर को मुँह से ढक लेते हैं ताकि इनकी पहिचान न हो सके। जमादार फिर चिल्ला कर कहता है 'खांडेराव के खांड़ेरवा'। और फिर मशालची, मशाल लेकर 'दीन दीन' चिल्लाते हुये नियत दुकान या मकान में घुस पड़ता है। इन लोगों का संकेत 'लक्खड़ी खां भाई' है जिससे यह एक दूसरे को पहिचान लेते हैं। यदि कोई इनका मुकाबला करता है तो उस पर यह लोग हमला कर देते हैं, यदि कोई बाहर से मदद करने आता है तो जो लोग बाहर पहरे पर नियुक्त होते हैं वह उन्हें पत्थर फेंककर भगा देते हैं। यदि उनका कोई साथी मारा जाता है या घायल हो जाता है तो उसका

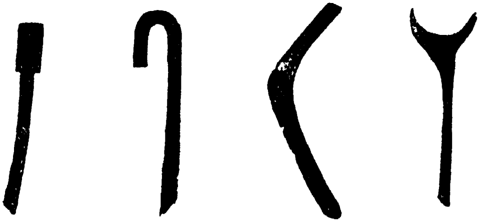
सिर काट कर यह लोग ले जाते हैं ताकि गिरोह की पहचान न हो सके।

अपराध करने के पश्चात यह लोग टुकड़ियों में भाग निकलते हैं। जो लोग पहिले जाते हैं वह सड़कों के चौराहों पर पत्थर रख कर ऐसा चिह्न बनाते हैं जिससे पीछे आने वाले साथी को मालूम हो जाये कि गिरोह किस ओर गया है। फिर जब टुकड़ियाँ मिल जाती हैं तो यह लूट के माल को गाड़ देते और जब डाके की चरचा समाप्त हो जाती है तब निकाल लेते हैं। स्त्रियाँ भी डाके के पश्चात् फौरन चल देती हैं और गिरोह में जा मिलती हैं।

बंगाल पुलिस का बयान है कि सांसी और कंजड़ों की स्त्रियाँ पुलिस के काम में अड़चन डालती हैं और उनका मुकाबिला करती हैं और कभी २ कीचड़ और मैला भी फेंक देती हैं। चोरी की छोटी मोटी चीज़ों को स्त्रियाँ अपने मुँह या गुप्तेन्द्रियों में छिपा लेती हैं। चोरी का सामान और रुपया, पैसों को यह लोग गधों, घोड़ों के साज़ और चारपाइयों के पांवों में, जो अन्दर से पोले होते हैं घर लेते हैं। अपने बदन पर भी कपड़ों के भीतर चोरी का सामान रख लेती हैं, जिससे वे गर्भिणी मालूम पड़ें। चमड़े की छोटी थैलियों में थोड़ा सा खून रखती हैं और यदि चोरी करते समय पकड़ी जायें तो इस थैली को फोड़ कर खून निकालती हैं। और अपने कपड़ों को तर कर लेती हैं और यह ज़ाहिर करती हैं कि पकड़ धकड़ में उनका पेट का बच्चा गिर गया है। बेचारे गांव वाले डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। मेलों में भी स्त्रियाँ जाती हैं, पाकेटमारी का काम करती हैं और बालकों के शरीरों से गहने चुरा लेती हैं। स्त्रियाँ

और लड़कियाँ सड़कों पर नाच कर भीख माँगती हैं और जो लोग दान देते हैं उन्हीं के जेब कतर लेती हैं। बड़े घरों के भीतर यह लोग चली जाती हैं और फिर अपने आदमियों को घरके अन्दर की सूचना देती हैं जो लोग फिर चोरी कर लेते हैं।

सेन्ध करने के इनके औजार बौरियों को ही भाँति होते हैं यद्यपि इनके औज़ार शक्ल में कुछ उनसे भिन्न होते हैं। इनके पास एक विशेष औजार होता है जिसका एक सिरा अर्द्धवृत्ताकार होता है और जिससे यह लोग कुन्डे और जंजोर को खोल लेते हैं। औजारों के अतिरिक्त यह लोग दो चाकू भी रखते हैं। इनके हथियारों के चित्र नीचे दिये जा रहे हैं।



स्त्रियाँ रंगीन घाँघरा या साड़ी पहिनती हैं, नाक कान, छिदे होते हैं जिनमें यह गहनें पहिनती हैं, गले में हार पहिनती हैं और बदन पर चोली। सोती स्त्रियों की बालियों को उतारने में यह लोग निपुण होती हैं।

१८४१ ई० में स्लीमैन साहब ने साँसियों को हिन्दुस्तान भर में फैला हुआ पाया था। यह लोग महाराष्ट्र, मद्रास प्रान्त में मिले थे और पूना, हैदराबाद, कृष्णा, विजयानगरम् में पाये गये थे। १८४० ई० में उन्होंने कृष्णा ज़िले का सरकारी खजाना लूट लिया था।

पंजाब में यह लोग १८६७ तक रिफार्मेटरी में भेजे जाते थे। फिर वहाँ भेजना नियम विरुद्ध समझा गया जिससे साँसियों द्वारा कृत अपराध बढ़ गये। कुछ दिनों बाद १८७१ का जरायम पेशा कानून इन पर लागू किया गया, फिर भी साँसियों के उपद्रव जारी हैं। १८८२ ई० में इनका एक गिरोह रेल द्वारा लाहौर से दिल्ली आगया और आठ दिनों में नौ डाके डाले। १६०० ई० में इनके एक गिरोह ने गोदावरी और विजगापट्टम के जिले में डाके डाले। १६०४ ई० में कंजड़ों का एक गिरोह, नासिक जिला में डाका डालते पकड़ा गया। इस गिरोह में बीस पुरुष, २१ स्त्रियाँ और कुछ बच्चे थे। जब गिरोह पकड़ा गया तो चोरी के सामान के अतिरिक्त चोरी के जानवर भी इनके पास पकड़े गये। १६०२ ई० में उन लोगों ने कुरनूल जिले में डाके डाले जिसमें बहुत से पकड़े गये और जेल भेजे गये, कुछ काले पानी भेजे गये।

साँसियों की एक जाति है जो अवधिया कहलाती है। यह फतेहपुर जिले में रहती है और जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर और हमीरपुर के जिले में भी पाई जाती है। यह लोग भी पक्के चोर और जाली सिक्का बनानेवाले होते हैं। यह लोग गाँव में भीख माँगने जाते हैं और फिर पैसों के बदले में रुपया माँगते हैं। चाँदी के रुपये के बदले में १७ आने देने का वायदा करते हैं, फिर यदि उन्हें कोई रुपया देता है तो उसे अपने खोटे रुपये से चालाकी से बदल देते हैं और किसी बहाने से खोटा रुपया लौटा देते हैं।

बरवार

उत्पत्ति—दक्षिण के भाम्ता की तरह बरवार भी एक अपराधी जाति है। यह लोग घाट, मेले, त्योहारों, छावनियों और रेलवे स्टेशनों पर उठाई गीरी करते हैं और अपना भेष बदल कर हिन्दुस्तान भर में चोरी करते हैं। कहा जाता है कि पटना और उसके सन्निकट ज़िलों के कुर्मियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। बाद में इनकी दो मुख्य उप जातिया हो गई हैं। एक जाति उत्तर की ओर गई और गोंडा, बरेली, सीतापुर और अन्य स्थानों में बस गई। दूसरी दक्षिण की ओर गई और ललितपुर, बिलासपुर और मध्यप्रान्त में बस गई और अब सोनारिया कहलाती है। इन उपजातियों के कई भाग हो गये हैं। असली जाति के लोग सुआंग कहलाते हैं और जो लोग इनकी जाति में बंगाल से आकर मिल गये हैं वह ग़ुलाम कहलाते हैं और उनके नौकर और तिलरसी कहलाते हैं। जो गोंडा में जाकर बस गये थे उन्होंने ग़ुलामों से विवाह कर लिया किन्तु जो लोग बरेली और हरदोई में बसे थे उन्होंने विवाह ग़ुलामों से नहीं किया इससे इन लोगों में दो उप जातियां बनगई। दक्षिण में जो लोग बसे थे उनमें कोई उप जातिया नहीं बनीं। उत्तर में बसने वाली जाति में गोंडा के रहने वाले बरवार अपराधी जाति कानून के अन्दर घोषित कर दिये गये हैं।

दक्षिण में जो लोग ललितपुर में बसे वे भी अपराधी जाति कानून के अन्दर घोषित कर दिये गये हैं।

सामाजिक रीति रवाज—बरवार लोग देवी और महावीर की पूजा करते हैं और अपने को हिन्दू कहते हैं लेकिन मुसलमान पीर, सैयद, सालार, मूसा, ग़ाजी को भी मानते हैं। और बहराइच में इनके मकबरे के दर्शन करने जाते हैं। यह लोग शगुन को भी मानते हैं। और चोरी पर जाते समय मार्ग में यदि कोई सरकारी कर्मचारी मिल जाय तो वापस लौट आते हैं।

अपराध करने का तरीका :—सबसे नीची जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोग उनकी जाति में सम्मिलित हो सकते हैं। सम्मिलित करने की रीति यह है :—पहिले यह लोग अपनी जाति को बढ़ाने के लिये बंगाल से बालकों को चोरी करके लाते थे, लेकिन यह तरीका इन लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि इस प्रकार की चोरी में सज़ा अधिक हो जाती है। इनकी अपनी अलग बोली होती है; इस बोली और कुछ इशारों के द्वारा यह लोग बात चीत कर लेते हैं और इससे चोरी करने में सुविधा होती है। हिन्सा सम्बन्धी अपराध यह लोग नहीं करते हैं। डाका कभी नहीं डालते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में भी चोरी नहीं करते थे किन्तु अब कुछ लोगों ने ज्ञात कर लिया है कि अंधकार में चोरी करने में सुविधा मिलती है। पुरुष, स्त्री और बालक सभी चोरी करते हैं। छोटे बालक को चोरी करना सिखाया जाता है, इशारे के द्वारा एक निपुण चोर उसे शिक्षा देता है। जैसे ही वह किसी चीज़ को चुराता है वह उसे बहुत फुरती से अपने

साथी को दें देता है, वह तीसरे को और इस प्रकार चीज पहुँच जाती है जहां इनका गिरोह ठहरा होता है और जो स्थान दो, तीन मील की दूरी पर होती है। चोरी करने के पश्चात् इनका गिरोह उस स्थान से चल देता है।

स्त्रियाँ—करीब में मेलों और त्योहारों में स्त्रियाँ भी जाती हैं। अच्छी और बढ़िया पोशाक पहिनतीं हैं और आभूषणों से अपने को सुसज्जित कर लेती हैं। मन्दिरों में जो स्त्रियाँ पूजा करने को जाती हैं उनके साथ हो लेती हैं और जब वे लोग पूजा पाठ और आरती और फल फूल चढ़ाने में व्यस्त होती हैं या ध्यान में मग्न होती हैं तो यह लोग उनके आभूषणों को उतारने में लग जातीं हैं। इन स्त्रियों का हाथ इतना साफ होता है और इस सफाई से गहना चुरातीहैं कि जिन स्त्रियों के शरीर से गहना उतारा जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। कान को बालियों और बुन्दे, नाक की बुलाक और नथनी और गले का हार इत्यादि यह स्त्रियां उतार लेतीं हैं।

यह स्त्रियां अपना चेहरा ढांके रखतीं हैं और सन्देह दूर करने के लिये ब्राह्मणी बन जातीं हैं, आदमी, साधू का भेष रखते हैं। भाम्ताओं की तरह चोरी करते हैं, चलती रेल की खिड़कियां से चोरी का माल बाहर फेंक देते हैं, और स्टेशन आने पर उतर पड़ते हैं और पैदल चल कर चोरी का माल जो उन्होने फेंक दिया था उठा लाते हैं या अपने साथियों को उठाने के लिये भेज देते हैं।

यह लोग अपने को ब्राह्मण बताते हैं, जनेऊ पहिनते हैं और अपने पेशे को छिपाते भी नहीं हैं। अपने पेशे को धर्मानुकूल बताते हैं

और ब्राह्मण द्वारा लूटे जाने को श्रेयस्कर बताते हैं। जब बरवार पकड़े जाते हैं तो अपने रहने का स्थान बहुधा नैपाल बताते हैं।

बरवारों ने इधर काफी तरक्की की है। यह लोग गांव में बस गये हैं और खेती करते हैं। इनको जाति के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति धारासभा के सदस्य भी हैं। सरकार ने इनकी गितनी परिगणित जातियों में की हैं, इसका इन्हें दुख है।

बरवारों की गुप्त बोली के कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं।

अकौती न कुराइस = अपने साथियों को न पकड़वाना

बान = स्त्री	क्निनारा = १०)
बैजाराइ = राजा	ग्वोपड़ी = ढाल
बेनू = दरजी	मसकरा = नाई
बिसनी = धन	जटाखू = बन्दूक
बिनार = गुलाम	नार = मंदिर
बैंग = पैसा	दितारी = मिर्चा
बजार = १०००)	सहना = सरदार
बूटादार = सोधा	सदजन = व्योपारी
बेल = सिर	भर = घर
बुल = चेहरा	लूती = लूटना
भाभी = बकस	कालयाना = आगत गानो
बेताल = सोने का हार	नामुत = आदमी

चुपड़ा = तेल, घी

इतर = शराब

गथना = जूता

गुदारा = मंदिर

कुसर = ब्राह्मण

सुभागा = सुनार

कारु = बाग़

नदकचार=थानेदार

मसकर=कायस्थ

खराई डालना=चोरी का माल बेचना

देहानू=रिश्वत

छुट्टू=चुप रहो

सुतरिया=रण्डी

सुढ़री=दाथी नाव

मल्लाह

अथवा चाँई मल्लाह

उत्पत्ति—यह लोग भी पाकिटमारी और रेल पर चोरी करते हैं। यह लोग मथुरा जिले में रहते हैं। प्राचीन निवासी यह लोग बलिया जिले के थे इसलिये यह लोग बलिया के चाँई मल्लाह कहलाते हैं। "चाँई" शब्द के माने चोर या पाकिटमार है।

सन् १६०० में मथुरा जिले के कलेक्टर मि० यल०सी० पार्टर ने शेरगढ़ थाने का नीरीक्षण करते हुए चाँई मल्लाहों के विषय में निम्न लिखित नोट लिखा। 'सिंगारा और चामागाडी में मल्लाहों की विचित्र बस्ती है। एक ठाकुर इस काम में इन लोगों की ढंग से सहायता करता है। उसकी एक दूकान कलकत्ते में है। जिसमें जाहिरदारी में कपड़ा बिकता है। मल्लाह लोग उसकी दुकान पर आते जाते हैं और रात दिन लूट-मार करते हैं। उसने अभी अपने घर १,५०० रुपया भेजा था। उनमें से एक अदमी माघ मेले में पकड़ा गया था और पहिचान लिया गया था। कलकत्ते की पुलिस को इनकी सूचना देनी चाहिये।'

उद्योग-धन्धे—चाँई मल्लाह मथुरा जिले के मथुरा, महावन, राधा, बिनावन, माठ, सुरीर, नाहे, भील, मझोई और शेरघढ़ के थानों में रहते हैं। वह लोग अपने को ठाकुर कहते हैं। धीमर और कहारों

से यह लोग अपने को पृथक् बताते हैं। वह अपने को बलिया जिले का आदि निवासी बताते हैं लेकिन यह कब और किस कारण बलिया से मथुरा आये इसका उन्हें पता नहीं है। मथुरा के कुछ मल्लाह कहते हैं कि उनके पुरखे देहली और गुड़गांव के जिले से आये थे और उनकी बिरदरी के लोग अब भी वहां रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग जमींदार भी हैं। मथुरा के मल्लाह चाहे बलिया के आदि निवासी हों या किसी अन्य स्थान के, किन्तु आज तक वे बलिया के जिले के मल्लाहों से अपने को भिन्न एवं श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि बलिया के मल्लाह, कहारों की तरह दूसरे की नौकरी करते हैं। मथुरा के मल्लाह अपराधी जाति नहीं कही जा सकती। बहुत जगह वह खेती-बारी करते हैं जैसे नोहझील और महगोई के स्थानों में। किन्तु शेरगढ़, सुरीर भट और राया के थानों में रहने वाले मल्लाह चोरी और उठाईगीरी करते हैं। और इसी काम के लिये इलाहाबाद, हरिद्वार, गढ़-मुक्तेश्वर और पंजाब के मेलों में जाते हैं। अधिकांश लोग बंगाल जाते हैं जहां चोरी भी करने में अधिक सुविधा है। चोरी और उठाईगीरी के अतिरिक्त कोई भारी अन्य अपराध यह लोग नहीं करते हैं।

अपराध करने की रीति—आगरा, अलीगढ़ जिले के मल्लाह भी यही काम करते हैं। इन लोगों की अपनी कोई भाषा नहीं है। यह लोग अपना भेष भी नहीं बदलते हैं। चार पांच आदमियों की टोली में यह लोग जाते हैं और साथ में दो तीन लड़के ले जाते हैं। टोली का एक सरदार होता है, जिसका कहना सब लोग मानते हैं। यही

दिन भर का सारा खर्चा करता है और टोली के सदस्यों के घरों को खर्च भेजता है। यह लोग रेल या सड़क से सफर करते हैं और शहरों से वस्तुओं को चुराकर रास्ते के गांवों में बेचते हैं। बेचने के समय अपने को भूखा और रुपयों की जरूरत वाला बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर वे लोग जेब भी काटते हैं। बाहर निकलने के रास्ते पर और टिकट घर की खिड़की पर उन्हें अच्छा अवसर मिलता है। दूसरे मुसाफिर जब टिकट लेने या किसी अन्य काम से जाते है तो यह लोग इनके माल की हिफाजत की जिम्मेवारी ले लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मुसाफिर को अपने सामान से हाथ धोना पड़ता है। यह भी सुना गया है कि मल्लाहों में से एक व्यक्ति स्टेशनों के मुसाफिर-खानों में साधू का भेष बनाकर बैठ जाता है और आग जला कर चिलिम सुलगाना शुरू कर देता है। अन्य मल्लाह अपरिचित की भाँति आते हैं और चिलिम पीने के लिये एक गोला लगा कर बैठ जाते हैं। आस पास के मुसाफिर उनकी देखा देखी मुफ्त की चिलिम पीने आ जाते हैं। अपनी एक पैसे की बचत करते हैं लेकिन मल्लाह लोग उनकी वस्तुयें गायब कर देते हैं। बनिया या ठाकुर अपने को यह लोग बताते हुये सफर करते हैं और अपनी जाति और पता कभी भी ठीक नहीं बताते हैं। यदि अभाग्यवश उनका कोई साथी पकड़ा जाता है तो रुपया देकर उसको छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं और चाहे उसे छुड़ाने में असफल हों या सफल अपनी यात्रा जारी रखते हैं।

कलकत्ता पहुँच कर यह लोग मिल कर एक मकान किराये पर

ले लेते हैं, अपने को नौकरी की खोज में लगा हुआ बताते हैं और अपने मकान बार बार बदल देते हैं ताकि उन पर सन्देह न हो। कलकत्ते में यह लोग सिवाय उठाईगीरी के और कुछ नहीं करते और अपना चुराया हुआ माल कुछ विशेष दुकानदारों और कबाड़ियों द्वारा बेच डालते हैं।

एक बार एक मल्लाह ने एक ग्रामोफोन बाजा खरीदा उसको वह बाजार में बजाता था। गाना सुनने के लिये भीड़ इकठा हो जाती थी। मल्लाहों के लड़के सुनने वालों की जेबों से माल गायब कर देते थे।

केवट

यह भी मल्लाहों की उपजाति है। यह लोग नावों को चलाते हैं। पहिले इन लोगों के पास बड़ी नावें थीं और नदियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ढोने का यह लोग काम करते थे। किन्तु रेलों के चल जाने से इनका धन्धा बन्द हो गया था। यह लोग मछली भी पकड़ते हैं। बस्ती जिले के केवटों पर चोरी और नकबज़नी का सन्देह किया जाता है। कुछ ज़िलों में यह जरायम पेशा क़रार दिये गये हैं।

बिलोची

यह लोग बिलोचिस्तान के रहने वाले हैं और एक उदण्ड, ख़ानाबदोश क़ौम है। यह लोग अपने प्रांत में भी घूमते हैं। इनकी स्त्रियों का पहनावा विचित्र होता है। यह लोग चाकू छुरी इत्यदि बेचते हैं; पूछने पर चीजों के कई गुने दाम बताते हैं और पूछने वालों से कहते हैं कि वह भी दाम लगायें। यदि वह लेने से इनकार करता

है तो इनकी स्त्रियां लड़ने पर प्रस्तुत हो जाती हैं और चाकू मारने तक की धमकी देती हैं।

किंगोरिया

यह एक भीख मांगने वाली जाति है। छोटे मोटे अपराध भी करती है। फतहपुर ज़िले में इस जाति के लोग रहते हैं। एक प्रकार का बाजा बजाकर भीख मांगते हैं।

अहेड़िया

अहेड़िया :—संस्कृत, आखेटिका = शिकारी।

उत्पत्ति—गंगा जमुना के मध्य में, दुआबा में, रहने वाली जाति है। इन लोगों का काम शिकार करना, चिड़िया पकड़ना और चोरी करना है। सर एच० एम० ईलियट साहब इन्हें धानुकों की उपजाति बताते हैं। धानुक लोग मरे जानवर का मांस खाते हैं। पर यह लोग ऐसा मांस नहीं खाते। हेरी या हेरी नाम की जाति पहाड़ पर होती है, वह भी इन्हीं लोगों की भांति होती है। इन लोगों को बाज बहादुर ने चौकीदारों की तरह तराई में बसाया था और यह लोग उस इलाके को तबाह करने लगे, लेकिन विलियम साहब का मत है कि देहरादून जिले के हेरी आदि निवासी हैं और भोक्सों से मिलते जुलते हैं। इन लोगों में और अलीगढ़ ज़िले के अहेड़ियों में कोई भी समानता नहीं है। गोरखपुर कमिश्नरी में अहिरिया या दहिरिया नाम की एक जाति है जो लोग घूमते फिरते हैं और जानवरों की तिजारत करते हैं। ये सम्भवत: अहीर हैं और इनका अहेड़ियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। गोरखपुर में एक और अन्य जाति है जिसे अहिलया कहते हैं जो धानुकों से फूटी है और जिसका पेशा सांप पकड़ना है और जो सांपको खाते भी हैं। पंजाब में अहेरी नाम की एक जाति है जो अपने प्रान्त के अहेड़ियों से मिलती जुलती हैं। वे लोग अपना आदि स्थान राजपूताना मुख्यत: जोधपुर बताते हैं। यह लोग अवारा गर्द हैं किन्तु यदि इनको मज़दूरी मिले तो गांव में बस जाते हैं। यह लोग हर

प्रकार के जानवर पकड़ते और खाते हैं और कुश और घास में काम करते है। इन कामों के अतिरिक्त मज़दूरी भी करते है। फसल कटने के समय गिरोह में मज़दूरी को तलाश में जाते हैं और सड़कों की खुदाई का काम भी करते है। मि० फैगन ने लिखा है कि यह लोग डलिया और सूप भो बनाते हैं। उनका यह विचार भो है कि यह लोग आदि काल मे राजपूत रहे होंगे। किन्तु बाद को उन्होंने नोच जाति की स्त्रियों से विवाह किया और अहेड़ी उन्हीं को मिश्रित सन्तान हैं। सबसे सम्भावना इस बात को है कि अपने सूबे के अहेड़िये भोल और उन्हीं से मिलते हुये बहेलियों के बंशज हैं। अलीगढ़ ज़िले के अहेड़ियों ने यह भी स्वोकार किया था कि पहिले ज़माने में यह लोग अन्य जाति की स्त्रियां को भी अपनी जाति में सम्मिलित कर लेते थे क्योंकि उस समय उनको जाति में स्त्रियों की कमी थी। अब यह प्रथा बन्द कर दो गई है क्योंकि अब स्त्रियों की संख्या पर्याप्त हो गई है।

अलीगढ़ ज़िले में यह लोग अहेड़िया भील तथा करोल के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह लोग अपने को राजा पिरियावर्त के बंशज बताते हैं किन्तु उनके बारे में स्वयं कुछ नहीं जानते। सम्भवतः पिरियावर्त से उनका आशय राजा प्रियाव्रत से है जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और हिन्दू धर्म कथाओं के अनुसार जिन्होंने पृथ्वी पर रात्रि न रहने का प्रयत्न किया था और जिन स्थानों पर सूर्य की ज्योति नहीं पहुंचती वहां अपने रथ और घोड़ों से सूर्य की गति से और सूर्य ही के समान प्रकाश से परिक्रमा की थी किन्तु ब्रम्हा जी के कहने से छोड़ दी। उन्हीं के रथ

के पहियों के पदचिन्हों से पृथ्वी पर सप्त महासागर और सप्त महाद्वीप बने। उन्होंने फिर चित्रकूट को अपना निवास स्थान चुना और वे वहां अहेड़िया कहलाने लगे और आजकल के अहेड़िये उन्हीं के बंशज हैं। चित्रकूट से यह लोग अयोध्या गये। अयोध्या से कानपुर और सात सौ वर्ष हुये तब कानपुर से अलीगढ़ आये। चित्रकूट और अयोध्या इनके तीर्थ स्थान है।

सामाजिक रीति रिवाज—इनकी जाति में एक पंचायत है। पंचायत के सदस्य कुछ निर्वाचित और कुछ जाति द्वारा मनोनीत होते है। जाति के सम्बन्धी सब मामलों पर यह पंचायत विचार करती है। केवल सामाजिक मामलों पर नहीं विचार करती। इनका सरपंच स्थायी और पुश्तैनी होता है। यदि सरपंच का बेटा नाबालिग़ हो तो सरपच के मरने पर पंचायत का एक सदस्य उनकी नाबालिगी में सरपंच का काम करता है।

मिस्टर हुक्म के कथनानुसार इनकी जाति में ऐसे बिभाजन नहीं हैं जिनके भीतर या जिनके बाहर बिवाह न किया जा सकता हो। सगे भाई बहनों की सन्तानों का आपस में बिवाह नहीं हो सकता। जिस कुल में अपने कुल की बेटी याददाश्त में ब्याही गई हो उस कुल में भी बिवाह नहीं हो सकता। धार्मिक मतभेद से विवाह में कोई बाधा नहीं पड़ती। एक आदमी चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है और दो बहनों से भी विवाह कर सकता है। विवाह के सम्बन्ध में इनके यहां एक अजीब रिवाज चला जा रहा है जो पिशाच विवाह का द्योतक है। वर बधू को एक तालाब के किनारे ले जाता है, बधू वर को बबूल

को डाल से मारती है फिर घर लाई जाती है और वर के संबंधी उसकी मुख दिखाई करके उपहार देते है। जेठी स्त्री घर पर शासन करती है और उससे छोटी स्त्रियों को उसका कहना मानना पड़ता है। स्त्रियों में आपस में मेल रहता है और केवल कुछ ही स्थानों में उनके लिये पृथक् घरों की आवश्यकता होती है। विवाह के लिये आयु सात वर्ष से बीस वर्ष तक है। पंचायत की मंजूरी और स्त्री पुरुष की इच्छा से विवाह समाप्त भी किये जा सकते हैं। नाई ब्राह्मण की मदद से वर का मित्र विवाह पक्का करता है। यदि वर बृध आयु के होते हैं तो उनकी राय ली जाती है, अन्यथा माता पिता ही विवाह सम्बन्ध पक्का करते हैं। वधू का मूल्य निश्चित नहीं है किन्तु यदि कन्या का पिता निर्धन होता है तो वर के सम्बन्धी उसे जेवनार देने का व्यय देदेते हैं अन्यथा कन्या के पिता को दहेज़ देना पड़ता है। स्त्री धन और मुंह दिखाई के उपहार, स्त्री की निजी सम्पत्ति हो जाती है। कोढ़, नपुंसकता, पागलपन और अपाहिज़ दोनों से विवाह विच्छेद हो सकता है। दूसरी स्त्री, पुरुष से सम्बन्ध करने की शिकायत पंचायत के सामने आती है और सिद्ध होजाने पर विवाह बिच्छेद कर दिया जाता है। कराव की रस्म से इस प्रकार परित्यक्ता स्त्रियाँ पुनः विवाह कर सकती हैं किन्तु जिन स्त्रियों का विवाह विच्छेद अन्य पुरुष से सम्बन्ध रखने के कारण होता है वे कराव की रीति से विवाह नहीं कर पाती यद्यपि ऐसा करना रीति के अनुकूल ही है। यदि मां या बाप में से कोई अन्य जाति का हो तो उनकी सन्तान लेन्द्रा कहलाती है और उनको जाति के समस्त अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यदि कोई आदमी

विधवा से विवाह करना चाहता है तो उस स्त्री को वह एक जोड़ा कपड़ा, चूड़ियां और बिछुवे भेजता है। फिर बिरादरी जमा की जाती है और स्त्री से पूछा जाता है कि उस पुरुष से विवाह करना चाहती है या नहीं। यदि वह स्वीकार कर लेती है तो फिर ब्राह्मण साइत विचारता है और नया पति उसे नये वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित करके अपने घर ले जाता है और फिर वह पुरुष बिरादरी को दावत देता है। इस प्रकार के विवाह को कराव या धरेजा कहते हैं। इसमें बारात नहीं जाती और न भाँवर होती है। विधवा का देवर यदि कुवाँरा हो तो उसी से विवाह होता है अन्यथा किसी बाहरी व्यक्ति से। यदि वह बाहरी व्यक्ति से विवाह करती है तो प्रथम वर की जायदाद पर उसका कोई हक़ नहीं रहता। बच्चे पर भी उसका हक़ नहीं रहता है।

जब गर्भ का निश्चय होजाता है तो बिरादरी के लोग एकत्रित किये जाते हैं और चना और गेहूँ, महुये के साथ उबाल कर बाँटा जाता है। गर्भिणी स्त्री के पैर गंगाजी की ओर रक्खे जाते हैं और चारपाई ही पर बच्चा जनाया जाता है। यह रिवाज अन्य हिन्दू जातियों से विपरीत है। भंगिन, दाई का काम करती है और फिर, सोवर में नाइन रहती है। बालक उत्पन्न होने पर मित्रों में महुआ बाँटा जाता है और स्त्रियाँ ताली बजा कर गीत गाती हैं। छठी के दिन सती की पूजा करती हैं, बारहवें दिन माता को नहलाया जाता है, आटे का चौक बना कर ब्राह्मण पूजा करता है और मन्त्र पढ़कर बालक का नामकरण करता है। बिरादरी की दावत होती है और

स्त्रियाँ नाचती गाती हैं। उसको दशटौने कहते हैं। यदि बालक की उत्पत्ति मूल नक्षत्र में होती है तो दशटौन १६ या २१ दिन में होता है। २१ फलों के पत्ते, २१ कुओं का जल और २१ गाँव के कंकड़ जमा किये जाते हैं और इन वस्तुओं को एक घड़े में भर देते हैं। उसमें जल भरा जाता है और उस जल से नवजाति बालक की माँ को नहलाया जाता है। नाज और रुपया ब्राह्मण को दान दिया जाता है और तब शुद्धि होना माना जाता है।

अहेड़ियों में पुत्र न होने पर अन्य बालक को गोद लिया जाता है और इसकी भी अलग रस्म होती है। दत्तक पुत्र को नये कपड़े और मिठाई मिलती है और बिरादरी को दावत दी जाती है। दत्तक पुत्र की आयु दस वर्ष से कम होनी चाहिये।

विवाह की रस्म भी अन्य हिन्दू जातियों की तरह है। प्रथम सगाई होती है। वधू पक्ष का नाई वर को पान खिलाता है और फिर लगन होती है जिसमें वधू का पिता धन, आभूषण, वस्त्र, नारियल और मिठाई भेजता है। इसमें दूब घास भी रक्खी जाती है और शादी के लिये पत्र होता है। वर को यह वस्तुयें चौक पर बैठाल कर भेंट की जाती हैं। रात भर रतजगा होता है जिसमें स्त्रियाँ नाचती गाती हैं फिर वर, वधू के उबटन लगता है। इसके उपरान्त वर, वधू घर से नहीं निकलने पाते हैं। फिर मड़वा गाड़ा जाता है और मड़वे की दावत होती है। वर पीले रंग का जामा पहिनता है और मौर बांधता है। वर का पिता एक मान के हाथ वधू के लिये शरबत भेजता है और वह वापसी में भोजन सामग्री भेजते हैं। उसे बरोना कहते हैं।

फिर होम होता है, अग्निकुण्ड की वर, वधू सात बार परिक्रमा करते हैं और कन्यादान होता है। विवाह के पश्चात् वर, वधू एक कमरे में ले जाये जाते हैं और वहां दोनों साथ २ भात और मिठाई खाते हैं। वधू पक्ष की स्त्रियाँ वर से मज़ाक करती हैं और जूते को कपड़े में लपेट कर देवी देवता का बहाना करके जूते की पूजा वर से कराने की चेष्टा करते हैं। यदि वर जूते की पूजा करता है तो उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। वर और वधू की गाँठ खोल दी जाती है और मौर उतार कर वर जनवासे को वापस जाता है। ग़रीब आदमियों में सगाई नहीं होती है और न लगन ही आती है। वधू के पिता को धन दिया जाता है और कन्या को वर के घर ले जाकर विवाह होता है। अग्नि की सात बार परिक्रमा करने से ही विवाह हो जाता है। जो लड़कियाँ भगा कर या फुसला कर लाई जाती हैं उनका भी विवाह इसी प्रकार होता है और उस रस्म को डोला कहते हैं।

धनी व्यक्ति मुर्दों को जलाते हैं। निर्धन गाड़ते हैं या जल में प्रवाह करते हैं। मुर्दों का मुँह नीचे रख कर दफनाया जाता है ताकि भूत बन कर न लौट सके। मुर्दे के पैर उत्तर दिशा में रक्खे जाते हैं। कुछ लोग बिना कफ़न ही गाड़ देते हैं। दाह क्रिया के बाद अस्थियाँ गंगाजी में प्रवाह कीजाती हैं किन्तु कुछ लोग वहाँ ही छोड़ देते हैं। दाह क्रिया के बाद लोग स्नान करके घरको लौटते हैं। दाह के तीसरे या सातवें दिन मृत व्यक्ति का पुत्र या जिसने आग लगाई हो हजामत बनवाता है। तेरहवीं पर बिरादरी की भी दावत होती है,

तेरह ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और फिर हवन होता है। साधारणतया श्राद्ध नहीं होता किन्तु पितृपक्ष में पुरखों की पूजा होती है।

मृत्यु के पश्चात् तेरह दिन अशुद्धि रहती है। प्रसूति के पश्चात् दश दिन, रजस्वला के लिये तीन दिन अशुद्ध होते हैं।

अहेड़िये देवों की पूजा करते हैं। मेखासुर को कुल देवता मानते हैं। मेखासुर का मन्दिर ग्राम गंगोरी, अतरौली तहसील में है। बैशाख की अष्टमी और नवमी को उसकी पूजा होती है। मिठाई और बकरे की भेंट चढ़ाई जाती है। एक अहीर चढ़ावा लेता है। ज़हीर पीर की भी पूजा की जाती है। भादों के कृष्ण पक्ष की नवमी को उनकी पूजा होती है और कपड़े, लौंग, घी और धन चढ़ाया जाता है जिसे एक मुसलमान लेता है। अमरोहे के मियाँ साहब की बुध और शनीचर को पूजा होती है और पाँच पैसे, लौंग, लोबान और रोटियाँ चढ़ाई जाती हैं जिसे वहीं के रहनेवाले फकीर ले लेते हैं। यह लोग बकरे को भी चढ़ाते हैं और उसका मांस स्वयं खा लेते हैं। इगलास तहसील के कड़ा गाँव में मेहतर के मकान के सामने जखैया का चौकोर चबूतरा है। माघ के कृष्ण पक्ष की छठी को उसकी पूजा होती है और दो पैसे, पान और मिठाई चढ़ाई जाती है जिसे मेहतर लेलेता है यह लोग सुअर भी चढ़ाते हैं। बरई इनका ग्राम देवता है। पेड़ के नीचे कुछ पत्थर डाल कर बरई की स्थापना होती है। उनकी पूजा में छः कौड़ियाँ, पान और मिठाई भेंट की जाती है जिसे ब्राह्मण ले लेता है। यही देवता इनके बच्चों और स्त्रियों की रक्षा करता है। चैत और

कुंवार के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इसकी पूजा होती है। देवी, माता और मसानी की भी यह लोग पूजा करते हैं। खैर तहसील में बूढ़ाबाबा की पूजा होती है। अलीगढ़ के समीप शाह जमाल जिनकी पाँचों पीर में गिनती होती है उनकी भी पूजा होती है। रामायण के रचयिता महाकवि बाल्मीक को यह लोग अपना देवता और संरक्षक मानते हैं क्योंकि इन लोगों का कहना है कि रामायण लिखने के पहिले बाल्मीक जी शिकारी और लुटेरे थे।

कुछ घरों के एक कमरे में मेखासुर की मूर्ति होती है। ब्याही स्त्रियाँ पूजा में सम्मिलित हो सकती हैं, अविवाहित या कराव वाली स्त्रियां पूजा से वर्जित होती है। यहाँ मेखासुर की पूजा घर वाले ही करते हैं और भेंट भी यही लोग चढ़ाते हैं। मियाँ सादेव और जखियों के लिये जिस बकरे को भेंट के लिये लाया जाता है बहुधा उसका कान काट कर छोड़ दिया जाता है। इनके त्योहार अन्य हिन्दुओं की ही तरह हैं। सकट की पूजा होती है। भात का आदमी बनाया जाता है और उसकी गरदन काटी जाती है। पीपल और आंवले की पूजा स्त्रियां करती हैं। नागपंचमी में सांप की पूजा होती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। सीता की रसोई का गोदना गोदाते हैं। गऊ की शपथ खाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे पीपल का पत्ता हाथ में लेकर गंगा की क़सम अधिक मज़बूत मानी जाती है। किसी अन्य जाति के साथ यह लोग खाते पीते नहीं हैं। अहीर, बढ़ई, जाट और कहारों तक की बनी हुई कच्ची रसोई खा लेते हैं। नाई की बनी पक्की रसोई खा लेते हैं पर नाई इनकी बनी पक्की नहीं खाता है।

अपराध करने की रीति—मुसहरों की भाँति यह लोग पत्तलें बनाते हैं डलियां बनाते हैं, शहद और गोंद जमा करते हैं जिसे यह लोग शहर में बेचते हैं। चोरी, रहज़नी आर नकबज़नी इनका आम पेशा है। प्रान्त भर में सबसे साहसी मुजरिम अहेड़िये हैं। कर्नल विलियम ने अहेड़ियों एक गिरोह ग्रान्डट्रन्क रोड पर राहजनी करते हुये पकड़ा था। इन लोगों में से कुछ ने निम्नलिखित बयान दिया था : हमारे बालकों को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, छोटी आयु ही से वे चोरी करना सीख जाते हैं। आठ नौ वर्ष की उम्र में ही वे खेतों से चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर घरों से बर्तन चुराना सीखते हैं। पन्द्रह सोलह वर्ष की आयु में यह लोग निपुण हो जाते हैं और फिर बाहर हम लोगों में जाने योग्य हो जाते हैं। गिरोहों में दस, बीस मनुष्य होते हैं। कभी २ दो गिरोह मिलकर काम करते हैं। जमादार अपनी बुद्धिमता, साहस और चतुरता पर चुने जाते हैं। निपुण जमादार को साथियों की कमी नहीं है। जमादार आदमियों को इकट्ठा करता है और बनिये से रुपया उधार लेता है जिससे रास्ते का ख़र्च चलता है और कुटुम्बों का भरण पोषण होता है, बनियां का रुपया सूद समेत वापस होता है। गांव में गिरोह एक साथ रवाना होता है, पर दो तीन आदमियों की टुकड़ी साथ जाती है। यह लोग अपने को काछी लोग या ठाकुर बताते हैं, और काशी के यात्री अपने को कहते हैं। अहेड़ियों का नाम बदनाम है इसलिये जाति छिपानी पड़ती है। सरांय में आम तौर से यह लोग नहीं ठहरते हैं। सड़क से सौ, दो सौ कदम के फासले पर पड़ाव डालते हैं ताकि वहां से

सड़क पर जाने वाले आदमियों और गाड़ियों पर निगाह पड़ सके। आम तौर पर लाठियां रखते हैं। एक, दो आदमों के पास तलवार भी रह सकती है। जिन गाड़ियों को लूटने का निश्चय किया जाता है गिरोह के कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। सबसे चतुर लोग गाड़ियों के आगे जाते हैं और लूटने का स्थान निश्चय करते हैं। गाड़ियों पर पहिले ईंटें पत्थर फेंकते हैं, इससे उनके रखवाले भाग जाते हैं। यदि नहीं भागते तो उन्हें लाठियों से घेर लेते हैं यदि वह लोग मुकाबला करते हैं तो वह लोग हमला नहीं करते, लेकिन बिरला ही कोई इनका मुकाबला करता है। यदि कोई व्यक्ति पकड़ जाता है तो उसको छुड़ाने की भरसक कोशिश की जाती है। पुलिस तक आसानी से पहुँच हो जाती है। यदि यह लोग बिछुड़ जाते हैं तो स्यार की बोली बोल कर एक दूसरे को जता देते हैं। लेकिन इनकी निज की कोई बोली नहीं है। यह लोग शकुन विचारते हैं। यदि हमले के लिये जाते समय रास्ते में हिरन और सारस बायें हाथ, स्यार, गदहा सफेद चिड़िया, बायें हाथ मिलें तो अच्छा शकुन माना जाता है। अपशकुन मिलने से यात्रा स्थगित कर दी जाती है। लौटती समय यदि हिरन और सारस दाहिने ओर स्यार, गदहा इत्यादि बाँयें ओर मिलें तो शकुन बहुत अच्छा माना जाता है। बहादुर जमादार अपशकुनों की परवाह नहीं करते। अढ़तियों द्वारा चोरी का माल बेचा जाता है। खरीदने वाले को मालूम होता है कि यह चोरी का माल है क्योंकि वे दाम कम लगाते हैं और फिर इन लोगों के पास रेशमी कपड़े और गहने आयें कहाँ से। इनके ज़मीदारों को भी पता रहता

है कि यह लोग चोरी, बदमाशी करते हैं और वे लोग भी चोरी के माल में चौथाई हिस्सा लेते हैं। कभी २ कपड़े लेलेते हैं। लौटते समय बहुत फुर्ती की जाती है और रातों रात यात्रा की जाती है। दिन के समय चोरी का माल अंधे कुयें में छिपा दिया जाता है और यह लोग स्वयं खेत में छिप जाते हैं। दो तीन व्यक्ति गाँव में जाकर पक्का खाना ले आते हैं। अन्य बदमाशों से भी इन लोगों का मेल हो जाता है। सड़क पर जाने वाले यात्रियों के बारे में एक दूसरे को सूचना मिल जाती है। यह लोग चोरी और उठाईगीरी भी करते हैं, लेकिन राहज़नी खास तौर से करते हैं। चोरी तो पुरखों से होती आई थी लेकिन १८३३ के पहिले राहजनी यह लोग नहीं करते थे। गुलबा, और सकुटवा बहेलियों ने सबसे पहले राहज़नी डाली। यह दोनों मशहूर बहेलिये थे। और एटा ज़िले के मिरजापुर गांव के रहने वाले थे। मिरजापुर गांव के बहेलिये और अहेड़िये शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गये। यह लोग चोरी और राहज़नी में निपुण हैं। अहेड़ियों ने अब रेलों पर चोरी करना शुरू कर दिया है। इनकी पहुँच पंजाब, बंगाल, बम्बई तथा मध्यभारत तक होने लगी है। एटा में इस जाति पर अपराधी जाति कानून लागू है।

इधर कुछ दिनों से अहेड़ियों ने अच्छी प्रगति की है। इस जाति के लोग किसानी करने लगे हैं। कुछ लोग पढ़ भी गये हैं। सरकार ने इनकी गणना परिगणित जाति में की है, इससे हम लोग रुष्ट हैं। इनमें से कुछ लोग अपने को क्षत्रिय कहने लगे हैं और उनके विवाह सम्बन्ध भी क्षत्रियों में हो गये हैं। इनकी जाति की पंचायत अच्छा काम कर रही है।

मेवाती

यह एक मुसलमानी जाति है, अलीगढ़ और बुलन्दशहर के जिलों में रहती है और लूटमार करती है। यह लोग अलवर और भरतपुर की रियासतों के रहने वाले हैं और बड़े उत्पाती और लड़ाकू होते हैं। इतिहास में इन्हीं कारणों से इनका वर्णन आया है।

घोसी

अलीगढ़, मथुरा और बुलन्दशहर के कुछ घोसियों की गणना जरायम पेशा जाति में की गई है। यह लोग जानवरों की चोरी करते हैं। घोसी मुसलमान और हिन्दू दोनों धर्म के होते हैं किन्तु केवल हिन्दू घोसी अपराधी जाति घोषित किये गये हैं।

डोम

उत्पत्ति—डोमों के लिये विचार किया जाता है कि यह लोग भारतवर्ष के आदि निवासी हैं। हिमालय की तराई में रोहणी नदी और बागमती नदी के बीच के इलाके में यह लोग अधिकतर रहते हैं। इसी इलाके में डोमपुरा, डोमिही, डोमिनगढ़ इत्यादि क़स्बे हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आदिकाल में डोमों की सम्भवतः कोई रियासत रही हो। दूसरी ओर यह अनुमान लगाया जाता है कि जब आर्य लोग भारत में आये तो उन्हों ने डोम लोगों को दास बनाया और फिर उन्हीं क़स्बों में रहने के लिये बाध्य किया और इसी कारण इन क़स्बों के साथ डोमों का नाम सम्बन्धित है।

उपजातियाँ—डोमों की सूरत, शक्ल और बनावट, उनका भारत का आदि कालीन निवासी होना सिद्ध करती है। इन लोगों का क़द छोटा और रंग गहरा काला होता है। चेहरे की आकृति चपटी होती है। डोम को देखते ही उसकी अनोखी आँखों की बनावट की ओर ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन यह कहना ठीक न होगा कि डोम की आदि कालीन पवित्रता बनी हुई है और उनकी बनावट में तब से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डोम लोग अब भी अपनी जाति में अन्य जाति के लोगों को स्थान दे देते हैं। जो लोग अपनी

जाति से च्युत कर दिये जाते थे वे डोमों में मिल जाते थे और डोम लोग उन्हें प्रसन्नता से सम्मिलित कर लेते थे। डोम स्त्रियाँ इस काम में अगुआ होती थीं; डोम स्त्रियों का चरित्र अच्छा नहीं कहा जाता और अन्य जाति के लोगों से उनका आसानी से अनुचित सम्बन्ध भी हो जाता है। इन दो कारणों से डोमों की आदि कालीन पवित्रता नष्ट होगई है और उनके स्थान पर एक मिश्रित जाति होगई है और इन्हीं दोनों बातों ने उनकी बनावट और रूप रंग पर भी प्रभाव डाला है। डोमों की मुख्य तीन उपजातियाँ हैं :—मघय्या, बाँस फोड़, और ढरकार। स्वपच को डोम लोग अपना पूर्वज मानते हैं। स्वपच के दो स्त्रियाँ थीं। एक स्त्री का पुत्र डलियाँ बनाने का काम करता था और वह और उसकी सन्तान बाँसफोड़ कहलाई। दूसरी स्त्री का पुत्र अपनी माँ के साथ मगध (बिहार) चला गया और इसी कारण मगधा कहलाया। ढरकार, बाँसफोड़ से ही विभाजित हुये हैं। गोरखपुर ज़िले के बाँसफोड़ अपने को (घरभर) अथवा बसे हुये डोम कहते हैं। ढरकार रस्सी बटने का काम करते हैं और ढरकार अपराधी जाति नहीं है। मघय्या डोम आवारागर्द जाति है और अपराध करती है। बाँसफोड़ और ढरकारों ने अपनी आवारागर्दी छोड़ दी है और शहर और कस्बों में मेहतरों का काम करते हैं या डलियाँ बनाते हैं और कस्बों के बाहर छोटी २ गन्दी झोपड़ियों में रहते हैं। इन लोगों ने अपनी सामाजिक दशा थोड़ी सी सम्हाल ली है और अन्य हरिजन जातियों की तरह यह लोग समाज के एक उपयोगी अंग माने जाते हैं। मघय्या डोमों ने सामाजिक उत्थान का बिलकुल ही प्रयत्न

नहीं किया बल्कि चोरी और आवारागर्दी में जो नाम कमाया है उसी पर घमंड करते हैं ।

कमायूँ कमिश्नरी में भी डोम लोग रहते हैं । यह लोग अपने को "बेरसवा" "तल्लो जाति" अथवा "बाहिर जाति" कहते हैं । इन लोगों का पूर्वीय डोम से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह डोम इतने नीच भी नहीं माने जाते । इन डोमों की भी उपजातियाँ हैं । १. भोलो, जो सुअर और मुर्गी पालते हैं । २. तमता जो ताले और पीतल के बर्तन बनाते हैं । ३. लोहार जो लोहारी करते हैं । ४. ओढ़, जो बढ़ई का काम करते हैं । ५. ढोलो, जो गाते बजाते हैं । यह सब उप जातियाँ अच्छी तौर से बस गई हैं, खेती बारी करतीं हैं और अपराधी जाति नहीं हैं ।

डोम अपनी उत्पत्ति के लिये बताते हैं कि उनके पुरखों में से एक ने गऊ हत्या की थी और इसलिये ईश्वर ने उन्हें शाप दे दिया कि उसकी सन्तान जीव हत्या करेगी और भीख माँगेगी । पंजाब में एक कहावत प्रचलित है कि डोमों के अग्रज मल्लदंत नामक एक ब्राह्मण थे । यह अपने परिवार में सब से छोटे थे और इनके भाइयों ने घर से निकाल दिया था । उनकी गाय का बछड़ा एक दिन मर गया । भाइयों ने मल्लदन्त से उसका शव उठाने और गाड़ने को कहा उसका ऐसा करने पर उसे जाति से निकाल दिया गया और तब उसे जानवरों की खाल निकाल कर और उन्हें गाड़ कर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा । तीसरी कहावत यह है कि बेनबंश एक राजा था । उससे ब्राह्मण लोग नाराज होगये थे क्योंकि वह ब्राह्मणों को नहीं

मानता था। ब्राह्मणों ने उसे कुशा घास से मार डाला। उसकी मृत्यु होने पर देश में उत्पात होने लगे। पता चला कि राजा के न होने से लूट मार हो रहा है। क्योंकि बेन के कोई पुत्र नहीं था ब्राह्मणों ने उसकी जंघा मथी और उससे जली हुई लकड़ी की तरह काला चपटी आकृति का नाटा पुरुष उत्पन्न होगया। ब्राह्मणों ने उसे बैठने के लिये कहा और इस कारण निषाद कहलाया। और इसी निषाद के वंशज डोम हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—मघय्या डोम अपना सम्बन्ध मगध से बताते हैं। किन्तु मिर्ज़ापुर ज़िले में जो मघय्या डोम रहते हैं उन्हें मगध के सम्बन्ध का बिलकुल ही ज्ञान नहीं है। उनका कहना है कि उनका सम्बन्ध "मग" अथवा "मार्ग" से है क्योंकि वह सदा विचरते रहते हैं। मघय्या डोम बिलकुल आवारागर्द हैं। इनके पास बिछाने को चटाई तक नहीं होती और तम्बू ही होते हैं। साँसियों और हाबूड़ों से भी यह लोग गये बीते हैं। यह लोग जंगलों में जाते हैं लेकिन शिकार करना या पकड़ना इन्हें नहीं आता है। यह लोग नक़बज़नी और चोरी करते हैं और इनकी स्त्रियां व्यभिचार। गर्मियों में यह मैदानों में सोते हैं। बरसात और जाड़ों में इधर उधर छिपते फिरते हैं। जहाँ स्थान मिलता है वहीं पड़े रहते हैं। नकबज़नी में यह लोग "साबर" का प्रयोग नहीं करते। यह लोग एक हथियार रखते हैं जिसे "बाँका" कहते हैं। इसका फल टेढ़ा होता है और इससे वह लोग बाँस चीर लेते हैं। नकबज़नी में यह लोग दरवाज़ों के खम्भों के पास दीवाल में छेद कर लेते हैं और फिर हाथ डाल कर

किवाड़ खोल लेते हैं। जाड़े में यह लोग अपने साथ अँगीठी रखते हैं जिससे यह लोग तापते हैं और जब इनके पकड़े जाने की सम्भावना होती है तो वह इसे ताककर पकड़नेवालों के ऊपर फेंकदेते हैं जिससे उनके चोट आजाती है। मघय्या डोमों के सुधारने के लिये बहुत से उपाय सोंचे गये हैं। डी. र. राबर्ट्स साहब ने पुलिस कमीशन के लिये एक बिबरण तैयार किया था। उन्होंने लिखा था कि मघय्या डोमों को सुधारने और रोकने के लिये जितनी सम्भव योजनायें थी उनपर बार २ विचार किया गया। १८७३ और फिर १८८० में डोमों के ऊपर अपराधी जाति कानून लागू करने के लिये विचार किया गया किन्तु अन्त में निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी योजना से इनका सुधारा जाना असम्भव है क्योंकि किसी भी साधन से यह लोग ईमानदारी से जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं और इस कारण अपराधी जाति के कानून में इनकी घोषणा नहीं की गई। बस यही तय किया गया कि इन पर निगरानी कड़ी कर दी जाये और दोषी सिद्ध होने पर इन्हें सख्त दण्ड दिया जाये।

१८८४ में मिस्टर केनेडी गोरखपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने भी डोमों के सुधारने का प्रयत्न किया। कुछ डोमों को एकत्रित किया गया उन्हें मेहतरों का काम करने के लिये कहा गया, उन्हें ईंटों के भट्टे पर काम करने के लिये काम सिखाया गया, सड़कों की मरम्मत के काम पर लगाया गया, कुछ को गांव और क़स्बों में बसाया गया और उन्हें ज़मीन दी गई। १५०० रुपये इस काम पर ख़र्च मंज़ूर हुआ। कुक्स साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि

यह योजना अभी तक जारी थी। कुछ डोम मेहतरों का काम करने लगे थे किन्तु उन्होंने कोई हुनर या दस्तकारी नहीं सीखी, यहां तक कि ईंट पाथना भी नहीं आया। बिना कड़ी निगरानी के यह लोग कोई काम नही करते। खेत भी तब जोतते हैं जब इन पर कोई तैनात हो और जब अन्य काश्तकार इनका खेत जुतवाने में सहायक हों। किन्तु इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि पहले के मुक़ाबिले में डोम सुधर गये। खेतों और जंगलों में बसना कम होगया। किसी न किसी गांव में यह .लोग बस गये जिसे यह लोग अपना गांव कहने लगे। पहले डोम लोग कहते थे कि छत के नीचे वह लोग नहीं सो सकते क्योंकि उन्हें भूत सताते है। अब वह लोग घर बनाकर रहने लगे और छतों की चूने की शिकायत करने लगे।

मघय्या डोमों के विषय में मिस्टर कनेडी ने लिखा है कि "डोमों की एक पञ्चायत है। जातीय झगड़ों का निपटारा पंचायत करती हैं। पंचायत बिरादरी से एक व्यक्ति को दोषी होने पर बारह कोई वर्ष के लिये च्युत कर सकती है और इस काल में उस व्यक्ति से सम्बन्ध नही रखा जा सकता। बिरादरी को भोज और जुरमाना देकर च्युत व्यक्ति बिरादरी में शरीक किया जा सकता है। जबर्दस्ती डोम की लड़की भगा ले जाना या अन्य जाति की स्त्री को ले आना जातीय अपराध है और इनका निर्णय भी पंचायत करती है। मनुष्य या गऊ की हत्या पर सबसे कठोर दण्ड मिलता है। अन्य जाति के व्यक्ति डोमों में मिला लिये जाते हैं।

दो तीन चमार, एक मुसलमान, एक अहीर, एक तेली जो डोम

ज़न गये थे, जेल में सज़ा भोग रहे थे। भीख मांगने के हलके डोमों में निश्चित होते हैं और उनके उलंघन के मामले भी पंचायत के सामने पेश होते हैं। भीख मांगने के हलके दहेज में भी दिये जाते हैं। कोई दूसरा डोम यदि उस हलके में चोरी करे या भीख मांगे तो वह बिरादरी से अलग किया जा सकता है और उस हलके वाला डोम उसे चोरी के अपराध में पुलिस के हवाले कर सकता है।

डोम लोग धोबी से विशेष रूप से घृणा करते हैं। इसका कारण यह बताते हैं कि एक बार डोमों के पुरखा स्वपथ, भगत धोबी के घर ठहरे थे। जब वह नशे में चूर होगये तो धोबी ने उन्हें गधे की लीद खिला दी। स्वपथ भगत ने धोबी और उसके गदहे को शाप दिया तब से डोम लोग धोबी और गदहे दोनों से घृणा करने लगे।

अपराध करने की रीति—डोमों में पास कोई उचित उद्यम नहीं है। भूमि के ऊपर अधिक लोगों क खिलाने के भार के कारण डोमों को बड़ी हानि हुई है। मध्यमडोम प्रायः आवारागर्द होते हैं कभी कभी वह मेहतर का काम करने लगते हैं या बनारस श्मशान घाट पर नौकरी कर लेते हैं। गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेटमिस्टर केनेड्री ने १८८४ में लिखा था कि डोम अरहर के खेत में उत्पन्न होता है। बचपन ही से उसे चोरी करने की शिक्षा मिलती है। शुरू से ही वह आवारागर्द और समाज से बहिष्कृत रहता है। उसके पास न तो रहने को घर और न खाने को भोजन रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को भागा भागा फिरता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है, गांव वाले उसे खदेड़ते हैं। सफल नकबजनी उसकी महत्वाकांक्षा है, छक कर मदिरा

पान उसका प्रधान पारितोषिक है। नवीन सम्मति ने उसे और गहरे गढ़े में गिरा दिया है। नक़बज़नी के लोहे के खन्ते को प्रयोग करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह अब राहज़नी भी करने लगा है। इसके अतिरिक्त किसी बात में भी नवीन सभ्यता उसे छू भी नहीं गई है। ३० वर्ष बाद मिस्टर होलिन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा कि डोम के उपरोक्त वर्णन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वह समाज द्वारा बहिष्कृत है और लोग उसे घृणा और भय को दृष्टि से देखते हैं चोरी और नकबजनी इसका पेशा है किन्तु इससे अधिक भयंकर अपराध नहीं करेगा। चोरी करने की नियत से किसी घर में घुस कर रोशनी जलाता है और जो वस्तु मिलती है उसे ले भागता है। सोती हुई स्त्रियों और बच्चों के शरीर के गहने उतार लेता है और शोर गुल मचने के पूर्व ही भाग खड़ा होता है। जेल से उसको बिलकुल डर नहीं लगता। किन्तु कोड़ों की मार से बहुत डरता है। डोम स्त्रियां दुश्चरित्र होती हैं और आदमियों के लिये जासूसी का काम करती हैं। उनके शरीर का गठन अच्छा होता है और बुद्धि प्रखर होती है। अधेड़ स्त्रियां चोरी का माल बेचने में निपुण होती है। सर एडवर्ड हेनरी ने जो एक समय में चम्पारन के कलेक्टर थे और बाद को लन्दन के पुलिस कमिश्नर हुये डोमों की खेतिहार बस्तियों की एक योजना बनाई थी। गोरखपुर जिले में एक खेतिहर बस्ती डोमों की बसाई गई थी किन्तु योजना विफल हुई, उनकी इमारतें टूटफूट गई और जमीन बिना जुती ही रह गई।

होलिन्स साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डोम बंगाल में भी

अपराध करते थे। घर से दूर जाकर वे केवल चोरी या नकबबाजी ही नहीं करते बरन राहजनी और डकैती भी करते हैं। मिस्टरब्रेम्ले ने १६०४ में अन्तर-प्रान्तीय अपराधी रिपार्ट में डोमों के अपराधों का अच्छा वर्णन किया है। इस बारे में डोम, भर और बरबारों से मिलते जुलते हैं। अपने प्रान्त में मामूली अपराध करते हैं। बाहर जाकर गुरतर अपराध करते हैं।

डोम लोग आम तौर पर पूर्वी हिन्दी बोलते हैं किन्तु इनकी अपनी भाषा भी होती है जिनके कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अक़बर जो	फक दो	जिठौना	पलंग
बांका	चाकू	किसबत है	वे आ रहे हैं
मुखबर सो	जमीन में गाड़ना	गोभी	पका आम
भगवर जो	भागो	खोल	चादर
भीता	कुआं	लिवासो	लेकर भागो
चीरु	कुत्ता	लवना	ईंधन
चीलू	आओ	मंत्री	आदमी
छपड़ा घर ले	चोरी के लिये मकान में कूदा	मोचसों	चुराओ
चदरी	रोशनी	रुती	हार
भांटू	डंडा	सुकरारमों	सोता है
गुप्ती	चाकू	टिकोरी	जवान लड़की
जैना	डंडा	हल्द्वानी	चोरी का माल
नो लिसू आओ	जाओ चोरी करो		

भांतू

यह लोग एक उद्दंड ख़ानाबदोश जाति हैं। यह लोग कंजड़ साँसियों और हावूड़ों से सम्बन्धित माने जाते हैं। इनके रीति रिवाज भी उसी प्रकार के हैं। करवाल और बेड़ियों से तो इनके विवाह सम्बन्ध भी होते हैं। रूहेलखंड के जिलों में यह लोग आम तौर पर रहते थे। १६२५ के लगभग सुलताना नामक डाकू ने इन लोगों का एक भयानक संगठन बनाकर बिजनौर, नैनीताल, मुरादाबाद, रामपुर रियासत में अनगिनती डाके डाले। इनके उत्पात से सारा इलाका त्रास ग्रस्त हो गया था। मिस्टर यंग की अध्यक्षता में स्पेशल डैकती पुलिस तैनात की गई। उसने सुलताना और उसके साथियों को बड़ी दिक्कत, मेहनत और बहादुरी के बाद गिरफ्तार किया। सुलताना को आगरा जेल में फाँसी की सजा दी गई। और उसके बहुत से साथी अंडमन भेज दिये गये और बाकी भांतू लोग फ़ज़लपुर, आलीनगर, कांथ के सैटिलमैन्टों में बन्द कर दिए गए। सुलताना डाकू को भांतू लोग अवतार मानते है। और उसकी पूजा करने लगे है। सुलताना डाकू पर किताबें लिखी गई है। और उसके बारे में बहुत सी कहानिय प्रचलित हो गई हैं।

मुसहर

उत्पत्ति—मुसहर एक जंगली द्रविड़ जाति है और प्रान्त के पूर्वीय ज़िले में रहती है। मुसहर शब्द की उत्पत्ति कुछ लोग मूहा+आहार से करते हैं जिसका अर्थ चूहा खाने वाली जाति से हुआ। किन्तु मि० नेस्फील्ड का कहना है कि उपरोक्त व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि केवल मुसहर ही चूहों को नहीं खाते हैं अन्य इसी प्रकार की जातियाँ भी खाती हैं। नेस्फील्ड साहब स्वयं मुसहर की व्याख्या मास+हेर करते हैं। जिसका अर्थ मांस को खोज करने वाला हुआ। क्रुक्स साहब का कहना है कि दोनों ही व्याख्या सम्भवतः ठीक नहीं हैं और मुसहर हिन्दी शब्द ही नहीं है। मुसहर लोगों को बनमानुष भी कहा जाता है। जाति की उत्पत्ति के विषय में बहुत सी कहावतें हैं। एक इस प्रकार है। शिवजी पार्वती जी के साथ एक बन में भेष बदल कर घूम रहे थे। उनकी दृष्टि एक कुमारी पर पड़ गई जिससे वह गर्भवती हो गई और उसके एक लड़का और एक लड़की जुड़वां पैदा हुये। इसी लड़की लड़के से मुसहर लोग उत्पन्न हुये। कुछ मुसहर अपने को अहीरों से सम्बन्धित बताते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि मुसहर और अहीरों में सदा लाग डांट रही है। मि० नेस्फील्ड ने इनकी तीन उप जातियां बताई हैं जो आपस में रोटी बेटी का सम्बन्ध नहीं रखतीं। उपजातियों के नाम यह हैं।

१. जंगली या पहाड़ी=यह लोग अभी तक जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, पुरानी बोली और रीति रिवाज़ मानते और गाँव में रहने वाले मुसहरों को दीन दृष्टि से देखते हैं।

२. देहाती=यह लोग बहुत कुछ हिन्दू धर्म में आगये हैं।

३. ढोलखड़ा=यह लोग पालकी उठाते हैं और इसलिये नीच समझे जाते हैं।

मिर्जापुर ज़िले में मुसाहरों की निम्नलिखित उपजातिया हैं:—

१. खादिया=जो खाद उठाते हैं।

२. भेड़िया=जो भेड़ पालते हैं।

३. खखार=जो घास छीलते हैं।

४. कुचबंधिया=जो कूंची बनाते हैं।

५. रखैया=जो जाड़े के दिनों में राख शरीर पर मल कर रखते हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—मुसाहिरों में भी जातीय पंचायत होती है। पंचायत जातीय झगड़ों का निपटारा करती है। विवाह की रस्म धूमधाम से होती है। धरेजा की प्रथा को बहुत बुरा समझा जाता है। तलाक की प्रथा है किन्तु तलाक को अच्छा नहीं समझा जाता। परित्यक्त स्त्रियों का पुनर्विवाह कठिनाई से होता है। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार है। व्यभिचार को बहुत बुरा समझा जाता है और दोनों व्यक्तियों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। मृतकों का आमतौर पर दाह कर्म होता है। कभी २ उन्हें गाड़ा भी जाता है या जंगल में छोड़ दिया जाता है। मृत पुरखों का श्राद्ध होता है। यह

लोग बीमारी और मौत को भूतों की कृपा मानते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे सुअर की बलि और मदिरा चढ़ाकर उन्हें तृप्त करने की कोशिश करते हैं। इनके जाति देवता बनस्पति माने जाते हैं लेकिन यह लोग हनुमान भगत और घनश्याम की भी पूजा करते हैं।

मुसहर लोग शगुन अपशगुन का बहुत बिचार करते हैं। शुक्रवार और पाँच की संख्या शुभ मानी जाती हैं। मार्ग में लोमड़ी मिले तो शुभ और सियार मिले तो अशुभ, यह लोग बाघ और बनस्पति की को सौगन्ध खाते हैं। इन लोगों में जल परीक्षा भी होती हैं। दो आदमी जल के भीतर गोता लगाते हैं जो पहले निकलता है वह हारा माना जाता है। स्त्रियां अपनी कलाई गाल और नाक पर गुदना गुदाती हैं। उनका बिचार है कि स्त्री जो गुदना नहीं गुदाती उसे मरने के पश्चात् परमेश्वर दंड देते हैं। गांव में रहने वाले देहाती मुसहर अब गाय का मांस नहीं खाते। मुसहर छोटे भाई की स्त्री, बड़ी सलहज और समधिन को नहीं छूते हैं। पहाड़ी मुसहर गाय और भैंस का मांस खाते हैं। और इसोलिये अक्सर गाय की चोरी करते हैं। यह लोग केवल लंगोटी लगा कर रहते हैं। मि० नेस्फील्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह लोग पेड़ों की छाल से अपने तन ढकते हैं। लेकिन यह बात असत्य है।

मुसहर जाति बिशेषत: अपराधी जाति नहीं हैं। मि० शेरिन्ग और मि० कुक्स की पुस्तकों में इनके अपराधी होने का बर्णन नहीं है। मेहनत मज़दूरी करके जैसे तैसे यह लोग अपना पोषण करते हैं। कुछ लोग डोली उठाने पर धनी व्यक्तियों के यहां नौकर हो जाते हैं। कुछ

लोग शहद, गोंद, जड़ी, बूटियां जंगल से एकत्रित करके बेचते हैं। स्त्रियां पत्तल दोने बनाती और बेचती हैं। ईंटों के भट्ठों में भी काम करती हैं। गाज़ीपुर ज़िले के मुसहर के पास निश्चित घर नहीं है। गाँव के बाहर झोपड़ों में रहते हैं और देहातों का चक्कर लगाते हैं। चोरी, नकबज़नी, और राहज़नी करते हैं। इनके पास जीवन निर्वाह करने के लिये कोई उचित साधन नहीं है और इसलिये गाज़ीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस और शाहाबाद के ज़िलो में अपराध करते फिरते हैं। अपराध करने में भी निपुण नहीं हैं। इधर उधर घूमते हैं यदि कोई मुसाफिर अकेला मिलता है तो उसे लूट लेते हैं। यदि कोई घर बिना मालिक के बन्द मिलता तो उसे नकबजनी करके खोल डालते हैं।

करवल

उत्पत्ति—करवल एक आवारागर्द जाति है जो प्रान्त के पूर्वीय ज़िलों में रहती है। करवाल शब्द प्रायः अरबी के करवल शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसके अर्थ शिकारी के होते हैं। पुराने ज़माने में बादशाह के शिकारी करवल कहलाते थे। करवल लोग उन्हीं शिकारी लोगों के वंशज हैं। थोड़े दिनों बाद बादशाह के यहां से उनकी नौकरी छूट गई और उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिये अन्य उपाय ढूंढ़ने पड़े। चूंकि इन लोगों की आदत घूमने घामने की पड़ चुकी थी यह लोग देश में इधर उधर घूमने लगे। चिड़ियों और जानवरों को जंगलों से यह लोग पकड़ लाते थे और उन्हीं को बेच कर अपना निर्वाह करने लगे। कभी २ यह लोग बस कर खेती भी करने लगे थे। लेकिन खेती बारी की मेहनत से यह लोग जल्द ही ऊब गये और जंगलों में ही रहना और घूमना प्रारम्भ कर दिया। इनकी जाति का नाम करवाल, करवल अथवा करोल पड़ गया और इन्हीं नामों से यह लोग अभी तक पुकारे जाते हैं। अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत इनकी गिनती सांसियों के साथ ही कर ली गई है।

सामाजिक रीति रवाज—करवालों के रीति रिवाजों का वर्णन करना कठिन है। यह जाति हाबूड़ा, बेड़िया सांसिया, से इतनी मिश्रित हैं कि इस जाति का निजी व्यक्तित्व लोप सा हो गया है। इन्होंने अन्य जातियों के रीति रिवाज़ अपना लिये हैं। करवाल

कहीं २ तो बड़े ही रुढ़िपन्थी हैं और अपने को क्षत्रिय बताते हैं। इनकी जाति में भी एक पंचायत है। इनकी उपजातियों में पारस्परिक विवाह सम्बन्ध हो सकता है। अन्य आवागर्द जातियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल अपराध करने के लिये मेल हो जाता है।

पश्चिमी ज़िले में यह लोग अपने को कोल से सम्बन्धित बताते हैं गोकि कोल लोग इनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। करवालों के विवाह सम्बन्ध बेड़ियों से हो जाते हैं। किन्तु यह लोग बेड़ियों की तरह स्त्रियों से व्यभिचार नहीं कराते हैं। अहेड़िया, बहेलिया, भंगी और एक उपजाति है जो करवाल कहलाती है इससे इस जाति का मिश्रित होना सिद्ध होता है।

करवलों मे भी पंचायत होती है जो जाति के समस्त झगड़े वहीं तय करती है। विवाह सम्बन्धों की स्वीकृति भी पंचायत ही करती है। तलाक़ की प्रथा है। विधवा और परित्यक्ता स्त्रियाँ पुनर्विवाह कर सकती हैं। विधवा से होने पर ३० रुपया और कुमारी से विवाह करने पर ६० रुपया वर को देना पड़ता है। पंचायत को २४ रुपया देकर और पति को पहिले विवाह का ६० रुपया ख़र्च देकर एक पुरुष दूसरे पुरुष की पत्नी खरीद सकता है। पति के देहान्त पर स्त्री अपने देवर के साथ रह सकती है। आम तौर पर शव गाड़े जाते हैं किन्तु जिनकी मृत्यु चेचक से होती है उनका दाह कर्म किया जाता है। यह लोग ज़हीर पीर की पूजा करते हैं जिनकी क़ब्र कहा जाता है कि ताजमहल के पास है। इसके अतिरिक्त पाँचों पीर, मदार साहब,

गाज़ी मियां, काली माई, गंगाजी की पूजा करते हैं। यह लोग बकरी, भेड़, सुअर, स्याही, छिपकली, मुर्गी कबूतर इत्यादि खाते हैं। चमार भंगी धोबी डोम कोरी और धानुकों की जूठन को छोड़ कर अन्य जातियों को जूठन भी ले लेते हैं। पीपल की शपथ लेते हैं। कंजड़ और सांसियों की तरह अग्नि परीक्षा को मानते हैं। यदि किसी स्त्री पर दुश्चरित्र होने का अभियोग हो और वह अभियोग स्वीकार न करे तो उसे अग्नि परीक्षा स्वीकार करनी पड़ती है। उसके हाथ पर कुछ पीपल के पत्ते रख दिये जाते हैं और उस पर एक गर्म लोहे का टुकड़ा रक्खा जाता है और 'पांच क़दम चलने को कहा जाता है। यदि उसके हाथ नहीं जलते हैं तो वह निर्दोष मानी जाती है। जल परीक्षा भी यह लोग मानते हैं। अभियुक्त को जल के अन्दर अपना सर रखना पड़ता है जब तक कि दूसरा पुरुष दो सौ क़दम न दौड़ ले यदि अपना सिर उसके पहिले ही निकाल ले तो वह दोषी माना जाता है।

अपराध करने की रीति—बहेलियों की तरह करवाल भी प्रारम्भ में शिकारी थे लेकिन इनकी आवारागर्द ज़िन्दगी ने इनको अपराध करने में प्रेरणा दी। अब यह एक भयानक अपराधी जाति समझी जाती है। कुछ लोग अब भी केवल शिकार करते हैं और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं मज़दूरी करते हैं। किन्तु अधिकतर लोग आवारागर्द हैं और संयुक्त-प्रान्त और बंगाल का चक्कर लगाते हैं। यह लोग गिरोह बना कर चलते हैं, अपने को फ़कीर बताते हैं और

अपराध करने की धुन में रहते हैं। इस प्रान्त मे सबसे पहिले इनकी ओर १८८६ में ध्यान आकर्षित हुआ जबकि इनके गिरोह बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, और सुल्तानपुर में चक्कर लगाते पाये गये। १६०५ में करवालों के दल प्रान्त के पूर्वीय ज़िलों में चोरों के साथ डकैती और राहज़नी करने लगे। इनके विरुद्ध सख्त कार्य-वाही की गई। और जिन लोगों पर पूरी तौर पर अपराध सिद्ध न हो सका उनसे दफा १०६ व ११० में ज़मानतें मांगी गई इसका परिणाम यह हुआ कि करवाल लोग बंगाल को भाग गये और दो वर्ष तक वहाँ पर अपराध करते रहे। समस्या यहाँ तक बढ़ी कि १६११ में बंगाल सरकार ने एक ही रोज़ में प्रान्त भर के घूमने वाले करवालों को पकड़ने का निश्चय किया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला कि केवल पांच दलों ने ३४६ अपराध किये थे। इन लोगों पर मुकदमा चला और काफी आद-मियों को दंड मिला मुकदमें के दौरान में अजीब २ बातों का पता चला। जो लोग अपने को करवाल बताते थे वे यथार्थ में हबूड़ा, कंजड़, नट, सांसिये थे। यह भी साबित हुआ कि इनके दलों की स्त्रियां भीख मांगती थीं, भीख देने से इनकार किया जाता था तो गाली बकती थी और मैला घरों में फेंकतो थीं। आदमी एक दिन में बहुत दूर तक पैदल चले जाते थे। दलों के सदस्य बराबर बदलते रहते थे। सियारकी बोली दलों का गुप्त चिह्न था। हमले कियेजाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर पहिले पत्थरों की बौछार की जातो और फिर उन्हें पेड़ों से बांध दिया जाता था। इन दलों का मुख्य काम बकरी की चोरी

करना था। जब इन करवलों के अंगूठों के निशानों की जांच पड़-ताल की गई तो पता चला कि उनमें बहुत से ऐसे थे कि जिन्हें पहिले सज़ा मिल चुकी थी और जिन्होंने पहिली सज़ा के समय अपनी जाति हबूड़ा, सांसिया, नट, इत्यादि बताई थी। इसलिये यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि करवल जाति में कितने लोग अपराध करते हैं। उन दिनों पश्चिमी ज़िलों में हबूड़ों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही थी। वे लोग नैपाल की तराई के जंगलों में घुम कर फिर बृटिश राज्य में बस्ती के ज़िले में घुस आये और पूर्वीय ज़िले में करवलों के गिरोह में सम्मिलित होगये। मिस्टर हालिन्स ने अपनी किताब में लिखा है कि १६११ तक पन्द्रह वर्ष के दौरान में ८३६ करवलों को सज़ायें मिलीं। किन्तु इस संख्या में उन हबूड़ों, कंजड़ों, नटों इत्यादि की भी संख्या सम्मिलित है जिन्होंने अपनी जाति करवल बताई थी इस कारण सज़ायाफ्ता करवलों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

दुसाध

उत्पत्ति—दुसाध संयुक्त प्रांत के पूर्वीय ज़िलों में बसने वाली एक हरिजन जाति है। इनका रहन सहन बहेलियों और पासियों से मिलता जुलता है। यह लोग अपने को धृतराष्ट्र के पुत्र दुश्शासन का वंशज बतलाते हैं। कुछ दुसाध अपने को भीमसेन का वंशज बताते हैं। जाति में एक कहावत है कि दुसाधों की उत्पत्ति ब्राह्मण और एक नीच जाति की स्त्री के सम्बन्ध से हुई है। इस जाति में भी बहुत सी उपजातियाँ हैं जिनमें ढाढ़ी, गोंडर, कनौजिया, खटिक और कुबनिया मुख्य हैं। इन उपजातियों के नामों से विदित होता है कि इस जाति में दूसरी जातियों की उपजातियों से काफी मिश्रण हुआ है।

सामाजिक रीति रिवाज—जाति में एक पंचायत है जो जाति के सभी मुख्य विषयों पर निर्णय देती है। एक पुरुष एक पत्नी के होते हुये दूसरा विवाह कर सकता है यदि वह निःसंतान हो, किन्तु दूसरी पत्नी की सन्तान को पिता की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। दूसरी जाति की स्त्री को भी पत्नी की तरह रक्खा जा सकता है और यदि स्त्री दुसाधों से ऊँची जाति की हो तो उसकी सन्तान को जाति के पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। विधवाओं तथा परित्यक्ता स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का हक है। दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा है किन्तु दत्तक पुत्र किसी निकट सम्बन्धी ही का पुत्र

होता है। मृतकों के शव की दाह क्रिया होती है किन्तु अविवाहित और अल्पायु मृतकों के शव को गाड़ दिया जाता है। दुसाध अपने को सनातनी हिन्दू कहते हैं और यह लोग राहु की पूजा करते हैं। यह लोग छुटवादी और मुनखादेव की भी पूजा करते हैं।

प्लासी की लड़ाई में क्लाइव की सेना में अधिकतर दुसाध थे किन्तु अब इस जाति के लोग नीच काम ही करते हैं। यह लोग या तो हल चलाते हैं या चौकीदारी करते हैं किन्तु इस जाति ने मदिरा सेवन की आदत होने के कारण कोई उन्नति नहीं की। यह लोग कोई हुनर नहीं जानते। कुछ लोग लकड़ी काट कर और जंगली वस्तुयें इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस जाति के कुछ लोग जिन्हें बलिया जिले में पलवर दुसाध कहते हैं आवारागर्द हैं। चोरी, बदमाशी, डकैती और राहजनी करने में उनका नाम निकल गया है। १८६३ तक इनके लिये मशहूर था कि यह लोग बंगाल के ज़िलों में जाकर डाका डाला करते थे। १८९७ में जब मिस्टर बार्नर बलिया जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट थे तब उन्होंने पता लगाया था कि पलवर दुसाधों के गिरोह प्रति वर्ष बंगाल में डाका डालने और चोरी करने जाते हैं और कई महीने बाद बहुत सा चोरी और डाके का माल लेकर वापस आते हैं।

अपराध करने की रीति—पलवर दुसाधों की चोरी डकैती रोकने का प्रबन्ध करने के लिये १८९८ में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें बलिया ज़िले के कलेक्टर, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी इन्सपेक्टर, जेनरल पुलिस सदस्य थे। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में

वर्णन किया था कि निस्सन्देह बलिया के पलवर दुसाध नक-बज़नी और राहजनी व डकैती करने के लिये ज़िला छोड़कर चले जाते हैं। दक्षिणी बंगाल के जिलों में जाकर डकैती इत्यादि डालते हैं। जलपाईगिरी और कूचबिहार तक में इनकी पहुँच हो गई है। कुछ अपराधों में इन पर आसाम और नैपाल रियासत में भी सन्देह किया जाता है। यह लोग अपनी जाति के लोगों को इन जिलों में बसा देते हैं। यह लोग चोरी का माल लेते हैं और उसे बेचने का प्रबन्ध करते हैं साथ ही इस बात की सूचना देते रहते हैं कि किसके यहां चोरी की जाये या डाका डाला जाये।

मिस्टर होलिस ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि अभीतक पलवर दुसाधों का यही हाल है। बहुत दुसाध अपने घरों से गायब हैं और बंगाल में चक्कर लगा रहे हैं। चोरी से लेकर डकैती तक सभी प्रकार के अपराध यह लोग करते हैं। यदि अकेले होते हैं तो चोरी या उठाईगिरी करते हैं। यदि गिरोह में हुये तो राहज़नी या डकैती करते हैं। यह लोग अपने साथ वापसी में चोरी का बहुत सा माल लेकर आते हैं और मज़े से मदिरा पान करके कुछ महीने स्वच्छ-न्दता से बिता देते हैं।

अपराधी जाति क़ानून के अन्तर्गत कई बार इस जाति की घोषणा किये जाने पर विचार हुआ, परन्तु उस समय यह समझा जाता था कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि इस जाति के लोग स्थाई तौर से रहते हैं और जीवन निर्वाह करने के लिये उचित साधनों का प्रयोग करते हैं। किन्तु यह सभी ने स्वीकार किया कि जीवन निर्वाह का उनका साधन

अपराध करने के लिये केवल बहाना मात्र होता है। अपराध करने में इस जाति की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

दुसाधों में भी पंचायत की प्रथा है। पंचायत में एक सरदार होता है जो पंचायत की सभाओं में सभापति का काम करता है। उसकी मातहती में एक छड़ीदार होता है जो पंचायत का बुलावा लगाता है। जाति का प्रत्येक बालिग़ सदस्य पंचायत का सदस्य होता है। नाबालिग़ व्यक्ति पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं हो सकता है। पंचायत चोरी, व्यभिचार, पर जाति के साथ खान पान, पुत्री को अविवाहित रखना या विदा न करना या दूसरी स्त्री को बहका लाना, इत्यादि अपराधों का फैसला करती है। अपराधी को पांच से पचीस रुपये तक जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने के रुपये से पंचायत के लिये मदिरा मंगाया जाता है। यदि अपराधी निर्धन होता है और जुर्माना नहीं दे सकता तो उसे जूते पड़ते हैं। पंचायत के सरदार का स्थान पुश्तैनी होता है।

दुसाध लोग जल में खड़े होकर और अपने लड़के के सर पर हाथ रख कर शपथ खाते हैं। यह लोग गाय का मांस नहीं खाते किन्तु अन्य मांस खाने में परहेज़ नहीं करते। मदिरा पान खूब करते हैं। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के हाथ की पकी पक्की रसोई खा लेते हैं किन्तु डोम इत्यादि का छुआ नहीं खाते।

दलेरा

उत्पत्ति—दलेरा शब्द प्रायः डलिया शब्द से बना है। इस जाति का पेशा डलिया बनाना, मज़दूरी करना, एवं चोरी करना है। यह लोग मुख्यतः बरेली जिले में बसते हैं। कुछ लोग बुलन्दशहर ज़िले में भी हैं। इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार एक गूजर ठाकुर ने एक कहार की स्त्री के साथ व्यभिचार किया और इस कारण जातिच्युत कर दिया गया। उसकी सन्तान दलेरा है। बरेली के दलेरा अपने को मेरठ और बुलन्दशहर ज़िले के पुराने रहने वाले बताते हैं जो अकाल के कारण बरेली आकर बस गये। दलेरों की बहुत सी उपजातियां हैं।

अपराध करने की रीति—दलेरे केवल दिन की चोरी करते हैं. रात को चोरी नहीं करते। मेले, घाट इत्यादि पर ही चोरी करते हैं। दलेरा ऐसे स्थानपर किसी यात्री के पास बैठ जाता है और खाना पकाने का बहाना करता है। जब उस यात्री का ध्यान इधर उधर होता है तो दलेरा उसके बर्तन या अन्य सामान चुरा लेता है। यदि पीतल का बर्तन चुराता है तो उसे पानी के नीचे ले जाकर उसमें छेद कर देता है ताकि पहिचाना न जा सके। कभी कभी यह लोग बाज़ार में झूठ मूठ का झगड़ा कर डालते हैं और उसी गड़बड़ी में दूकानों से सामान लूट या उठा लेते हैं और जल्दी से अपने साथियों

को देदेते हैं। कभी २ यह लोग ब्राह्मण या क्षत्री का भेष बना लेते हैं और अच्छे कपड़े पहिन कर बाजार में जाते हैं। अपने साथ छोटे लड़कों को भी ले जाते हैं, स्वयं दूकानदार को बातों में लगा लेते हैं और लड़कों से चोरी कराते हैं। यदि चोरी में लड़का पकड़ा जाता है तो स्वयं कह सुन कर छुड़ा लते हैं। लड़का यदि पकड़ा जाता है तो अपना ठीक नाम, पता नहीं बताता है। चोरी करने वाले को दूना हिस्सा मिलता है और चोरी का रुपया मदिरापान में उड़ाया जाता है। अपराध करने के तरीकों में यह लोग बखार और सौनाहरियों से मिलते जुलते हैं।

दलेरे अक्तूबर के महीने में अपना घर छोड़कर चोरी करने के लिये बाहर चले जाते हैं और मई में वापस लौटते हैं। यह लोग आठ दस आदमियों के गिरोह में बाहर जाते हैं। इन गिरोहों को सोहबत कहते हैं। और गिरोह के सरदार को मुकद्दम कहते हैं। यह लोग चोरी करने के लिये बंगाल तक पहुँच जाते हैं। चोरी का माल जाति में बांटा जाता है।

अन्तर्प्रान्तीय अपराध कमेटी की रिपोर्ट में १९०४ में मिस्टर ब्रेमाले ने इस जाति के विषय में लिखा है:—

'दलेरा वर्णशंकर कहारों की एक छोटी जाति है जो बरेली ज़िले में रहती है। इन लोगों का मुख्य स्थान गुड़गांव ग्राम, सिरौली थाना जिला बरेली है। यह सम्भव है कि यह चैन, चाँई या बखारों की सम्बन्धित जाति हो क्योंकि इनके अपराध करने का तरीका उन लोगों से बहुत मिलता जुलता है।'

बरेली के जिले अधिकारियों ने १८८० में प्रयत्न किया कि इस जाति की घोषणा अपराधी जाति में कर दी जाये किन्तु प्रान्तीय सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। १८६६ ई० में गुड़-गांव में एक हेड कान्स्टेबिल और चार कान्स्टेबिलों की अतिरिक्त तैनाती की गई क्योंकि इस गांव के दलेरे बहुत उत्पात कर रहे थे। इस जाति के व्यक्तियों की काफी संख्या सज़ायाफ्ता है और उस समय ८७ आदमी अपने घरों से भगे हुये थे। इस जाति को अपराध करने से रोकने के लिये जाति के व्यक्तियों की निगरानी और अपराधियों को उचित दण्ड दिया जाना बहुत ही आवश्यक था। यह लोग भी बरवारों की भांति बंगाल तक अपराध करने के लिये धावा मारते थे।

१६१० ई० में ७६ दलेरों को अपने घरों से अनुपस्थित पाया गया और इन अनुपस्थित व्यक्तियों में से ७२ व्यक्तियों को ३६० मर्तबा दंड दिया जा चुका था।

गूजर

उत्पत्ति—गूजर प्रान्त के पश्चिमी ज़िलों में एक प्रमुख जाति है। खेती बारी करना और जानवर पालना इसका मुख्य काम है। गूजर शब्द संस्कृत शब्द गूर्जर से बना है जिसके अर्थ गुजरात मे होना है। पहिले अनुमान किया जाता था कि गूजर गऊ चराना अथवा गाजर से सम्बन्धित है किन्तु अब ऐसा विचार नहीं किया जाता है। पंजाब में कहावत है कि गूजर, नन्दमिहिर की सन्तान हैं। इस नन्द मिहिर के लिये कहा जाता है कि इन्होंने सिकन्दर महान की प्यास को भैंस का दूध पिला कर शान्त किया था। जनरल कनिंघम का विचार है कि गूजर लोग पूर्वीय तातारों की एक जाति, कुशान या यूर्वी या तोचारी के वंशज हैं। हज़रत ईसा से एक शताब्दी पहिले इस जाति के एक राजा ने काबुल और पेशावर विजय कर लिये थे। उसी राजा के सुपुत्र हिम कदफीस ने जिसके सिक्के अभी तक मौजूद हैं, उत्तरी पंजाब, मथुरा और विन्ध्या तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनका पुत्र प्रसिद्ध बौद्ध राजा, कनिष्क था जिसने काश्मीर विजय किया था। टालमी ने अपने इतिहास में कुशान राजाओं का वर्णन किया है। पंजाब का शहर मुल्तान जिसे पहिले कसमेरा या कश्यपुर कहते थे इन्हीं लोगों का बसाया हुआ है। दो सौ वर्ष बाद श्वेत हूणों का आक्रमण हुआ। यूची राजा को उनसे मुकाबिला करने पश्चिम की ओर जाना पड़ा।

उसने अपने पुत्र को एक स्वतंत्र सूबे का गवर्नर बनाया जिसकी राजधानी पेशावर थी। तब से काबुल के यूची बड़े यूची और पंजाब के यूची छोटे यूची कहलाने लगे। १० वर्ष बाद गूजर लोग सिन्ध नदी के रास्ते से दक्षिण की ओर जाने लगे और हूणों के दूसरे आक्रमण के पश्चात् अपने उत्तरी भाइयों से पृथक होगए। ईसा की पांचवीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी राजपूताने में एक गूजर रियासत थी। वहां से बल लोगों ने आक्रमण करके गूजरों को गुजरात की ओर भगा दिया। नवीं शताब्दी में जम्मू के एक गूजर राजा ने जिसका नाम आलाखां था गूजर देश को जो आजकल गुजरात का ज़िला कहलाता है काश्मीर के राजा को सौंप दिया। अकबर के ज़माने में दूसरे आला खां गूजर ने गुजरात शहर को बसाया था। जनरल कनिंघम ने गूजरों की आबादी के विषय में लिखा है कि गूजर लोग उत्तरी भारत में सिन्ध और गंगा नदी के बीच के इलाके में सभी जगह पाये जाते हैं। जगाधरी के पास यमुना नदी के किनारे तथा सहारनपुर के ज़िले में इनकी अच्छी आबादी है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में समथर की रियासत गूजरों की है। ग्वालियर रियासत में भी एक उत्तरी ज़िला है जो अब भी गूजरगढ़ कहलाता है। रोवाड़ी के राजा भी गूजर हैं। पंजाब में गुजरान वाला, गुजरात, गुजरवाँ इत्यादि शहरों के नाम भी गूजरों के ऊपर ही पड़े हैं।

मिस्टर इबटसन ने गूजरों की वंश परम्परा के विषय में लिखा है कि कुछ व्यक्तियों की धारणा है और कहीं ऐसा विश्वास किया जाता है कि अहीर, जाट और गूजर एक ही वंश के हैं या इन तीनों जातियों

में अति निकट सम्बन्ध है। यह भी सम्भव है कि आदिकाल में इनके एक ही पूर्वज हों। किन्तु उनका मत था कि इन जातियों ने भारत में पृथक २ समय पर पदार्पण किया था और पृथक २ स्थानों पर बस गए थे। ऐसा समझने का उनका कारण यही था कि यह तीनों जातियाँ एक दूसरे के साथ खाती पीती हैं। जाट और राजपूतों में फ़र्क है, क्योंकि राजपूत सामाजिक रूप से अपने को ऊँचा मानते हैं, किन्तु जाट, गूजर और अहीरों की सामाजिक दशा लगभग एक ही सी है। और यदि यह लोग आदिकाल में एक ही थे तो उन्हें पृथक होने की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसा सम्भव हो सकता है कि आदिकाल में जाट ऊंट पालने वाले व गूजर पहाड़ी चरवाहे और अहीर मैदान के चरवाहे हों और इस प्रकार केवल उद्यम ही के ऊपर इनका उचित विभाजन हो गया हो जैसा कि अन्य जातियों में हुआ है। इतिहास से यह भी पता चलता है कि राजपूत और गूजर दोनों ही ने साथ २ अपने स्थान परिवर्तन किये हैं। और यह क्रिया केवल आकस्मिक नहीं हो सकती। मिस्टर विलसन ने लिखा है कि बड़गूजर राजपूत और गूजर साथ २ रहते हैं और इनका सम्बन्ध कुछ अवश्य ही होगा।

हमारे प्रान्त में गूजर अपने को राजपूत नहीं कहते हैं बल्कि राजपूत पिता और नीच जाति की माता की सन्तान बताते हैं। सूबे में काफी गूजर मुसलमानों की भी संख्या है।

उपजातियाँ—गूजरों में ८४ उपजातियाँ कही जाती हैं। किन्तु उनके नामों का ठीक से विवरण नहीं मिलता। उपजातियों में भी ऊँचे नीचे का भेद भाव होता है। ऊँच जाति वाले अपनी लड़की

नीच जाति में नहीं व्याह सकते, लड़का व्याह सकते हैं। पहिले जमाने में गूजरों पर संदेह किया जाता था कि वह लड़कियां पैदा होने पर मार डालते थे किन्तु १८७७ के कानून के बाद यह प्रथा बन्द होगई। राजा लक्ष्मणसिंह जी ने बुलन्दशहर ज़िले के गूजरों में बहुपति करने की प्रथा देखी थी। कई भाई मिलकर एक ही स्त्री से व्याह कर लेते थे किन्तु अब यह प्रथा भी खत्म होगई है। अविवाहित लड़कियों को अब आज़ादी नहीं मिलती है। ६ और १६ साल के बीच में विवाह होता है। पति के नपुंसक होने पर स्त्री को परित्याग करने का अधिकार होता है। विधवा विवाह की प्रथा है। गूजर मृतकों का दाह कर्म करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं और इसके लिए गया की यात्रा भी करते हैं।

धार्मिक रूप से गूजर शैव हैं और शीतला भवानी की पूजा करते हैं। उनकी जाति के देवता प्यारे जी और बाबा रामाराम हैं। सहारनपुर के ज़िले के रणदेवा गाँव में प्यारे जी का मन्दिर है। अम्बाला ज़िले में यमुना नदी के किनारे रामाराम बाबा का मन्दिर है।

गूजरों की जाति सदा उत्पाती समझी जाती रही है और जानवरों की चोरी में मशहूर हैं। सम्राट बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसके एक सेनापति ने सेना का पीछा करने वाले गूजरों को पकड़ा और उन्हें मौत की सजा दी। जब शेरशाह सूरी दिल्ली की सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहा था तो पाली और पहल के गांव में गूजरों ने बड़ा उत्पात मचाया और उसने उनके विरुद्ध कार्यवाही की और

उनके गांव को नष्ट कर दिया। सम्राट जहांगीर ने लिखा है कि गूजर दूध और दही खाते हैं और शायद ही कभी खेती करते हों। बाबर ने लिखा है कि "जब जब मैंने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किये तब तब पहाड़ों से असंख्य गूजरों और जाटों ने हमले किये और बैल और भैंसे छीन ले गये। इन्हीं लोगों के कारण सबसे अधिक कठिनाई हुई और यही लोग देश पर अत्याचार करते रहे हैं।" १८५७ के गदर में भी इनका यही हाल रहा और इन्होंने अनगिनती वारदातें की और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की रक्षा में बेहद अड़चनें डालीं।

गूजरों के लिये निम्नलिखित कहावतें मशहूर हैं :

१. कुत्ता, बिल्ली दो, गूजर राघड़ दो, यह चार न हों तो खुले किवाड़ सो।

२. यार डोम ने, कीन्हा गूजर। चूरा-चूरा कर दिया घर।

३. हुक्का मक्का हुरकानी गूजर और जाट। इनमें अटक कहा, जगन्नाथ का भात।

गूजर गाय भैंस और जानवर पालते हैं। यह लोग शराब पीते हैं। सुअर का गोश्त खाते हैं। बकरे और चिड़ियों का मांस भी खाते हैं। अहीर और जाट के साथ खान पान करते हैं।

सहारनपुर ज़िले के कुछ गांव के गूजरों की घोषणा अपराधी जाति के अन्तर्गत की गई है। इन लोगों पर अभियोग था कि यह लोग जानवरों की चोरी करते हैं। कुछ लोगों पर डाके इत्यादि का भी संदेह था।

भर

यह लोग राज भर भी कहलाते है। यह लोग किसानी करते हैं और चतुर कारीगर होते हैं। बंगाल के ज़िलों में भर जाकर बस गये हैं और अच्छा वेतन पाते हैं। पहिले इन पर ज़बरदस्त चोरी और राहज़नी का सन्देह किया जाता था। मिस्टर ब्रेम्ले ने इनका बर्णन अपनी रिपोर्ट में किया था। किन्तु यह रिपोर्ट १६०४ में लिखी गई थी। भरों के बारे में अब अपराध करने को अधिक शिकायत नहीं है। इनकी पञ्चायतें शाक्तिशाली संस्थायें हैं और पञ्चायतों द्वारा इनकी जाति में अच्छा सुधार हुआ है।

भर अच्छे हिन्दू हैं। मिर्जापुर ज़िले के भरों को क्रुक्स साहेब ने भुईहार, दुसाध और राजभरों से सम्बन्धित माना है। इनके रीति रिवाज हिन्दुओं ही के हैं और कोई बिशेपता नहीं है।

भर को आदि जाति भी माना जाता है। मिस्टर शेरिंग ने भर राजाओं की पुरानी मूर्तियों के कई चित्र अपनी पुस्तक में दिये हैं। भर राजाओं के बनाये हुये गढ़ों का ध्वंसावशेष अब भी मिलता है। भर जाति ने आधुनिक काल में अच्छी उन्नति की है।

औधिया

उत्पत्ति—यह जाति फतेहपुर ज़िले में पाई जाती है। यह लोग अपने को अयोध्याबासी भी कहते हैं। यह अपने को बनिया बताते हैं। इस बात का पता नहीं चलता है कि यह लोग अयोध्या से फतेहपुर कब आये। कोई लोग तो कहते हैं कि रामचन्द्रजी के समय ही में यह लोग अयोध्या से फतेहपुर आगये थे।

उपजातियाँ—इनकी दो उपजातियाँ हैं। ऊँच और नीज। ऊँच शुद्ध रक्त के हैं, नीच दूसरी जाति की स्त्रियों की सन्तान हैं। जाति में पंचायत भी हैं। सरपंच प्रत्येक सभा में चुना जाता है। एक आदमी दो स्त्रियां तक रख सकता है। क्वाँरी लड़की यदि व्यभिचार में पकड़ी जाये तो जाति से निकाल दी जाती है और उसके माता पिता भी अलग कर दिये जाते हैं लेकिन बिरादरी को भोज देने से फिर सम्मिलित कर लिये जाते हैं। बिवाह में बधू के पिता को वर के पिता को धन देना पड़ता है। पति दुराचारिणी स्त्री को छोड़ सकता है।

सामाजिक रीति रिवाज—बच्चों के जन्म सम्बन्धी रिवाज इस जाति में भी अन्य हिन्दुओं की तरह हैं। गर्भिणी की पंच मासे पर गोद भरी जाती है, नाइन नाखून कतरती है और पैरों पर महावर लगाती है, सेंदुर से मांग भरी जाती है और गर्भिणी को अच्छे वस्त्र

पहिनने को दिये जाते हैं। छठमासा और सतमासे पर भी इसी प्रकार रस्म अदा की जाती है। इन अवसरों पर बिरादरी की दावत भी होती है और खीर पकती है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और रात को नाच गाना होता है। बच्चा उत्पन्न होने पर भी तीन रोज तक सोवर में भंगिन या चमारिन रहती है, फिर एक महीने तक नाइन रहती है। तीसरे दिन नहान होता है और छठी की पूजा के उपरान्त सम्बन्धियों की दावत होती है। जुड़वां बच्चों को बुरा समझा जाता है। इस जाति में भी गोद लेने की प्रथा है। जो स्त्री, पुरुष बालक को गोद लेना चाहते हैं वह ब्राह्मण द्वारा बनाये हुये चौके के सामने पट्टे पर बैठते हैं और जिस बालक को गोद लिया जाने वाला होता है उसका पिता या अन्य निकट सम्बन्धी उस बालक को गोद लेने वाले पुरुष की गोदी में बिठाल देता है। ब्राह्मण फिर कलम की पूजा करता है, बाजा बजता है और गरीबों को दान दिया जाता है फिर बिरादरी की दावत होती है।

विवाह पक्का करने के लिये सगाई की प्रथा है। कन्या का पिता या अन्य सम्बन्धी बर देखने जाता है और उसे गुप्त रीति से धन भेंट करता है। फिर ब्राह्मण शुभ दिन नियत करता है और उस दिन कन्या का पिता ब्राह्मण या नाई द्वारा बर के लिये मिठाई, वस्त्र, चावल, पान रुपये भेजता है और बर के सम्बन्धियों के सामने यह सब वस्तुयें बर को भेंट दी जाती हैं। नाई और ब्राह्मण को इनाम देकर बिदा किया जाता है। बिवाह की रीतियाँ भी अन्य हिन्दू जातियों की ही तरह हैं। अगवानी के पश्चात् द्वार पूजा फिर भांवरें इत्यादि होती

हैं। निर्धन आदमी विवाह की सब रीतियाँ नहीं कर सकते। वे अपनी कन्या को लेकर वर के घर जाते हैं। कन्या वर के पांव पूजती है और इसी रिवाज से विवाह हो जाता है।

साधारण रीति से मुर्दे जलाये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु डूब कर या अन्य दुर्घटना से हुई हो या हैजे, चेचक, कोढ़ या विषपान से हुई हो तो उसका क्रिया कर्म नहीं किया जाता है। इनके लिये जो कर्म होता है उसे नारायण बलि कहते हैं। लाश को गंगा जी में बहा दिया जाता है और एक ब्राह्मण की साल के भीतर नियुक्ति की जाती है, जो बेसन की उस मृत व्यक्ति की एक प्रतिमा बनाता है और फिर उसी प्रतिमा का क्रिया कर्म किया जाता है। प्रत्येक मास के अन्त में छः ब्राह्मणों को और एक वर्ष की समाप्ति पर १२ ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। बिना सन्तान के जो पुरखा मर गये उनका भी श्राद्ध इसी प्रकार होता है और कुछ लोग गया में श्राद्ध करने के लिये ब्राह्मण भेजते हैं।

यह जाति देवी की पूजा करती है। एकबार सन्तानों की मृत्यु होने लगी तब इन लोगों ने देवी से प्रार्थना की। उसने इनकी पुकार सुनी तब से देवी पूज्य होगई। देवी की पूजा के लिये यह लोग कलकत्ते भी जाते हैं। कनौजिया ब्राह्मण इनके यहां पूजा करते हैं और इनके यहां काम करके अपने को अपवित्र नहीं मानते। अपनी जाति के अतिरिक्त किसी के साथ यह लोग नहीं खाते। भंगी चमारों के अतिरिक्त सबको छू लेते हैं।

अपराध करने की रीति—औधिया प्रसिद्ध अपराधी जाति है। यह लोग जाली सिक्के बनाते हैं और झूठे जवाहरात बेचते हैं। यह लोग हिंसा के साथ कोई अपराध नहीं करते। उत्तरी भारत में यह फ़क़ीर के भेष में यात्रा करते हैं। इनकी यात्रा जून में आरम्भ और अप्रैल में समाप्त होती है। बहुधा यह लोग दो तीन वर्ष तक घूमा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जेल की सज़ा होती है तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। घर को यह केवल रुपया ही लेकर लौटते हैं। जिस ज़िले में यह लोग रहते हैं वहां कोई अपराध नहीं करते। यह लोग भले मानुसों की भांति रहते हैं और इनकी आदतों को देखकर भला ही कहा जायगा। इनकी स्त्रिया अच्छे वस्त्र धारण करती हैं और गहनों से लदी रहती हैं। प्रत्यक्ष में इनका कोई उद्योग धन्धा नहीं है। यह लोग न खेती करते हैं न व्यापार। ज़ाहिर में देखा जाता है कि कुछ वर्षा की समाप्ति पर बाहर चले जाते हैं और जाड़े की समाप्ति पर लौटते हैं। यदि पूछा जाय कि तुम लोग कैसे ज़िन्दगी बसर करते हो तो उत्तर देते हैं कि भीख मांग कर। इन लोगोंको जबलपुर, बनारस. पटना मुंगेर, कलकत्ता, ग्वालियर, सागर, मुर्शिदाबाद और नादिया में सज़ा मिली हैं। फतेहपुर ज़िले में इन पर अपराधी जाति का कानून लागू है। १८६० में कानपुर में ३७५ और फतेहपुर में १५६ औधिये थे। बालिग़ आदमियों की बहुसंख्या गांव से ग़ायब हो जाती है और चोरी तथा जाली सिक्का बनाने में लग जाती है। औधियों की गिनती अयोध्यावासी बनियों में १८६१ की जन गणना में होगई थी।

बैद

यह जाति केवल इलाहाबाद जिले में खानाबदोश मानी गई है। १८६१ की जन गणना के अनुसार यह लोग मुरादाबाद और पीलीभीत में रहते हैं। इन लोगों के बारे में अधिक पता नहीं चला। यह लोग सम्भवतः बैद बंजारों को उपजाति हैं। पहिले यह लोग जानवरों पर सामान लादते और इधर उधर पहुँचाते थे। गुबार लोग टाट बनाते थे और जानवर चराते थे। मुसलमान हो जाने पर यह लोग बैदगुबार कहलाते हैं, लेकिन यह उपजातियाँ आपस में विवाह नहीं करतो।

बांदी

यह एक छोटी जाति है जो हिमालय को तराई में रहती हैं। यह लोग ढोल बजाते हैं और चिड़ियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं। यह लोग चिड़ियां पकड़ कर धार्मिक मनुष्यों जैसे जैनी बनिये के पास ले जाते हैं और कुछ दाम लेकर चिड़ियों को छोड़ देते हैं। आदतों में यह लोग बहेलियों से मिलते हैं।

बेलदार

अपराधी जाति कानून के भीतर यह जाति, इटावा और सहारनपुर के जिले में अवारागर्द मानी गई है। लेकिन मिस्टर क्रुक्स ने अपनी किताब में इसे अपराधी नहीं बताया है। उन्होंने इसे नीच जाति माना है और इनका पेशा ज़मीन खोदना बताया है। स्त्री, पुरुष दोनों ही काम करते हैं। पुरुष ज़मीन खोदता है और स्त्री सर पर डलिया रख

कर उठा कर ले जाते हैं। यह लोग कंधे पर मिट्टी नहीं उठाते हैं। इनकी तीन उपजातियाँ हैं बचल, चौहान और खरोठ।

पहली दो राजपूत उपजातियों के नाम हैं। बेलदार अपने को राजपूत बताते हैं। कहते हैं किसी राजा ने उनसे नीच काम कराया तबसे यह लोग गिर गये। यह लोग लुनिया, ओढ़या, बिन्द जाति के मालूम पड़ते हैं। यह लोग ज़मीन खोदते हैं, मछली पकड़ते हैं, चूहे मार कर खाते हैं। और सुअर खाते हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनके हाथ का पानी पीते हैं। विधवाओं की शादी सगाई द्वारा होती है। पांचों पीर की पूजा करते हैं और पटका, चादर, मुर्गा चढ़ाते हैं। कुछ लोग शिवरात्रि पर महादेव जी की पूजा करते हैं।

औघड़

कनफट्टा

उत्पत्ति—जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत औघड़ केवल इलाहाबाद ज़िले में अपराधी जाति घोषित की गई है। आगरा जिले में उसी कानून के अन्तर्गत कनफट्टा जाति अपराधि जाति घोषित की गई है। इन दोनों की खानाबदोश जाति में गणना की गई है। क्रुक्स साहब ने अपनी किताब में कनफट्टाओं और औघड़ों को जोगी जाति की शाखा बताया है। १८९१ की जनगणना के आधार पर औघड़ या अघोर पन्थियों की संख्या केवल ४,९४७ थी। इलाहाबाद और आगरा ज़िले में इनकी संख्या केवल १८ और ४५ थी। मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के ज़िलों में इनकी संख्या ३०,००० के ऊपर हैं लेकिन उन ज़िलों में इनकी गणना अपराधी जातियों में नहीं है। इलाहाबाद और आगरा के जिले में इन्हें क्यों अपराधी घोषित किया गया उसका कारण ठीक से पता नहीं चला। यह संभव है कि इनका कोई खानाबदोश गिरोह इन जिलों में आया हो और उसने अपराध किये हों।

मैकलेगन साहब ने पंजाब की जनगणना रिपोर्ट में वर्णन किया है कि जोगियों की दो मुख्य उपशाखायें हैं, एक औघड़ और दूसरे कनफट्टे। कनफट्टे जैसे कि उनका नाम बताता है अपने कान

फटे रखते हैं और उसमें शीशे, लकड़ी या पत्थर के वाले पहिनते हैं जिन्हें मुदरा कहते हैं। नये चेले के कान गुरू छेदता है और सवा रुपया कान छिदाई दच्चिणा लेता है। कनफट्टे आपस में अपने को कनफट्टा नहीं कहते वरन् 'दर्शनी' कहते हैं जिसका मतलब 'बाली पहनने वाला' का होता है। औघड़ अपने कान नहीं चिराते हैं। वे कानों में एक शीटी डालते हैं जिसे नाद कहते और जिसे भोजन के पहले बजाते हैं। कनफट्टों के नाम नाथ और औघड़ के दास पर समाप्त होते हैं। जोगियों में कनफट्टे प्रमुख हैं। औघड़ आगे या पीछे किसी समय इनसे पृथक् हो गये हैं। कनफट्टों को कहा जाता है कि वे गोरखनाथ के शिष्य जलन्धर के चेले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह लोग पातञ्जलि शास्त्र के मानने वाले हैं।

सामाजिक रीतियाँ—औघड़ शैव मत के मानने वाले हैं। और उसमें भी सबसे हीन प्रकार के। इनके गुरु किना राम थे जो जाति के राजपूत थे और बनारस के पास रामगढ़ में हुए थे और बहुत पूजा पाठ से सिद्ध होगये थे। कहा जाता है कि दिल्ली के मुसलमान बादशाह ने बहुत से साधुओं को जेल में बन्द कर दिया था। यह उन्हें छुड़ाने के लिए गये तो इनको भी जेल में डलवा दिया गया और चक्की चलाने का काम दिया गया। इन्होंने अपने प्रभाव से चक्कियों को स्वयं ही चला दिया जिससे बादशाह ने इन्हें इनाम देकर छोड़ दिया। जेल से छूट कर इन्होंने रामगढ़ में अघोरी मत प्रतपादित किया। अन्य साधू भी इनके चेले होगये। इनका मत है कि प्रत्येक वस्तु में केवल ब्रह्म है इसलिये न कोई शुद्ध है और न

अशुद्ध। यह सब प्रकार का वर्जित मांस और मैला खाते हैं। नर मांस भी खाते हैं और खूब शराब पीते हैं "जय किन्ना राम की" कहकर भीख मांगते हैं। किन्नाराम ने जो आग सुलगाई थी वह अभी तक जल रही है और उसी आग के सामने नये शिष्य को शपथ लेनी होती है। पेशाब से बाल भिगोकर मुड़वाते हैं। बारह वर्ष तक चेला रहना पड़ता है। इस बीच में उसे मल, मूत्र पेशाब इत्यादि के साथ खूब शराब पीनी पड़ती है। बारह वर्ष बाद उसे शराब छोड़नी पड़ती है। अन्य वस्तुओं का भक्षण जारी रहता है। रिज़ले साहब का कहना है कि यह लोग पहिले ज़माने के कापालिकों के वंशज हैं जिनका वर्णन भवभूति ने अपने नाटक "मालती माधव" में किया है।

बधक

बधित : बधक = हत्यारा :

उत्पत्ति—यह एक खानाबदोश जाति है जो १८६१ की जन गणना के अनुसार मथुरा और पीलीभीति के ज़िलों में रहती है। किन्तु इस जन गणना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बधिकों की गणना किसी अन्य जाति के साथ हो सकती है। यह लोग बौरियों और बहेलियों से बहुत मिलते जुलते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह लोग मुसलमानों से और हिन्दू जातियों में अधिकतर राजपूतों से बहिष्कृत जाति है।

मि० डी० टी० राबर्ट्स ने पुलिस कमीशन के सामने बधिकों के विषय में, यह बयान दिया था कि ठगों की तरह बधिक भी बदनाम डाकू थे, इनके सरदारों को पकड़ा गया और लम्बी सज़ायें दी गईं इससे यह लोग कुछ दब गये। १८४४ में गोरखपुर ज़िले में ऊसर जगह पर इनकी एक बस्ती बसाई गई। यह ज़मीन सरकारी थी। बहुत दिनों तक मेहनत और ईमानदारी का काम करने से इन्होंने घृणा दिखलाई और अपनी ज़मीन को अन्य जातियों को अधिक लगान पर दे दिया करते थे। इनको ज़मीन बहुत कम लगान पर दी गई थी। इस ज़मीन का मुनाफा बधिक डकैतों के कुटुम्बियों को मिलता था। एक ज़माने में निगरानी बहुत सख्त थी किन्तु अब केवल

इनकी रजिस्ट्री होती है और कलेक्टर की आज्ञा के बिना यह लोग ज़िला नहीं छोड़ सकते। इस बस्ती के लोगों ने डाका मारना छोड़ दिया। १८७१ में डिप्टी इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस ने इस बस्ती का मुआइना किया जिसके कारण ज़िले के अधिकारी गण भी दिलचस्पी लेने लगे। तब इसमें २०६ व्यक्ति रहते थे। डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ने अपने मुआइने में लिखा है कि यह जाति निस्संदेह चोरी करती है किन्तु कोई पकड़ा नहीं गया। २० वर्ष बाद यानी १८६१ में इन पर चोरी करने का सन्देह भी नहीं किया जाता। इस जाति ने अधिक उन्नति भी नहीं की और न मेहनत ही करती है। फिर भी अपराध करना लगभग छोड़ दिया है। इस बस्ती में गैरकानूनी शराब बनाना ही इनका एक मुख्य अपराध रह गया है।

अपराध करने की रीत—अपराध करने का तरीका इस प्रकार है कि यह लोग ब्राह्मण और बैरागियों का भेष बना लेते हैं। गंगा स्नान से लौटते हुये यात्रियों से यह मेल कर लेते हैं और उनके लिये झूठी पूजा पाठ करते हैं। फिर मौका पाकर धतूरा पिला देते हैं और बेहोश होजाने पर उनका माल लूट लेते हैं। यह लोग काली की पूजा करते हैं और औरियों की भांति बकरा चढ़ाते हैं। यह लोग भैंसे और गन्दे जानवरों का मांस जैसे सियार, लोमड़ी और छिपकली भी खा जाते हैं। इनका विचार है कि सियार का मांस खाने से जाड़ा नहीं लगता। इन लोगों का रिवाज था कि डाके डालने जाने के पूर्व ही यह डाके में मिलने वाली लूट के माल का हिस्सा लगा लेते थे और जो लोग डाका डालने में मर जायँ या मार डाले जांय उनकी

विधवा और बच्चों के लिये विशेष हिस्सा होता था। एशियाटिक जर्नल में एक लेखक ने लिखा है कि बकरा चढ़ाने के पश्चात काली जी के सामने डाके की यात्रा के पहिले यह प्रतिज्ञा करते थे, "हे ईश्वर, हे काली माई, यदि तू चाहती है कि हम लोग अन्धे और लंगड़े, विधवा और अनाथों की सेवा करने के लिये जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता होवे तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सियारिन की बोली दाहिने हाथ सुनने को मिले।" बधिक डकैतों ने ही कानपुर के कलेक्टर श्री रेवन्सक्रोफ्ट की हत्या की थी जिसका बयान कर्नल स्लीमैन ने अपनी किताब : 'जर्नी थ्रू अवध' : में किया है।

इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि यह जाति कंजड़, सांसियों और इसी प्रकार की अन्य ख़ाना बदोश जातियों की भांति है और इसमें अन्य जातियों के लोग भी मिल गये हैं।

बंगाली

यह एक आवारा गर्द जाति है जो बंगाली, नौमुसलिम बगाली या सिंगरीवाला कहलाती है। यह लोग सिंगी लगाने का काम करते है। सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ की पुलिस की रिपोर्ट थी कि यह लोग उत्तरी भारत में घूमते फिरते हैं। यह लोग स्वयं अपने को कंजड़, नट और इसी प्रकार की जातियों से भिन्न बताते हैं लेकिन रहन-सहन और आदतों में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। हिन्दू बंगाली की ३ उपजातियां है : नेगीवाल, तेली और जोगली। १८९१ की जन गणना में इनकी ५४, हिन्दू उपजातियां थीं और ४, मुसलमान उपजातियां

दिखलाई गई हैं लेकिन यह पता नहीं चलता कि इसमें कितनी आवारागर्द बंगाली जाति के हैं। हिन्दू बंगाली जाति अपने को सिवाय राम राजपूत की वंशज मानती है जो जाति के बंगाली थे और महावत का काम करते थे और जिन्होंने औरंगजेब बादशाह के समय खून निकाल कर और सिंगी लगा कर इलाज करने के तरीके को एक हकीम से सीखा था और फिर अपनी सन्तान को सिखाया था। मुसलमान बंगाली अपने को बंगाल के लोधी पठान कहते है। यह लोग अपनी जाति में अन्य लोगों को सम्मिलित नहीं करते। आपस में ही शादी करते हैं। मुसलमानों की शादी काज़ी कराता है लेकिन इनके रीति रिवाज़ अस्पष्ट हैं। मुसलमान बंगाली, मुसलमानी नहीं कराते और वे और हिन्दू बंगाली दोनों ही देवी और पीर की पूजा करते हैं।

मेरठ से सूचना मिली थी कि हिन्दू जाति के लोग हर प्रकार के जानवर चाहे उनके खुद कटे हों या नहीं, खाते हैं। चिड़ियों, मछली, मगर इत्यादि का भी मांस खाते हैं और दूसरे की जूठन भी खाते हैं। मुसलमानों के लिये ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता लेकिन सम्भवतः सुअर का गोश्त भी खाते हैं।

बंगाली उचक्का और आवारागर्द जाति है। छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, भीख मांगते हैं और देहाती डाक्टरी खून निकाल कर, सिंगी लगा कर करते हैं। तौर तरीकों में बंगाल के भील और बेड़ियों से मिलते हैं।

नर विज्ञान तथा रक्त विज्ञान के अनुसार

जरायम पेशा जातियों का स्थान

संसार में जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही माना जाता है यह बात अवश्य है कि मनुष्य में अन्य पशुओं के मुकाबले बुद्धि अधिक है। मनुष्य सामाजिक पशु भी कहा जाता है। क्योंकि समाज बना कर रहना उसका प्राकृतिक स्वभाव है। संसार में जो मनुष्य रहते हैं। वे एक ही प्रकार के नहीं है। वे एक दूसरे से वर्ण, शारीरिक ऊँचाई, और गठन, बालों के रंग और मोटाई, नाक की लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई सिर और मत्थे की लम्बाई चौड़ाई, आँख के रंग इत्यादि बातों में विभिन्न पाये जाते हैं। बहुधा यह भी देखा गया है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले मनुष्यों में लगभग एक ही से उपरोक्त शारीरिक चिह्न पाये जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को एक हो वंश का माना जाता है। संसार के इतिहास से पता चलता है कि मनुष्य एक ही स्थान के रहने का आदी नहीं है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति से उसे अपने रहने का भौगोलिक स्थान छोड़ना पड़ता है और दूसरे स्थानों अथवा देशों में जाना पड़ता है। और वहाँ जाकर उन देश वालों के मेल से अथवा उनसे लड़ कर और विजय पाकर वहाँ बसना पड़ता है जहाँ दूसरे देश के लोग रहते थे। धीरे २ दोनों वंश के मनुष्य मिलने लगते हैं, शादी बिवाह

करते हैं और उनकी संतानें होती हैं। इन मिश्रित सन्तानों में दोनों ही नर वंशों के चिह्नों का समावेश होता है। नर विज्ञान द्वारा यह अध्ययन किया जाता है कि कौन देश या जाति के मनुष्य किस नर वंश के हैं या उनमें किन नर वंशों के चिह्न मिलते हैं। नर विज्ञान शास्त्रियों ने वर्तमान मानव समाज को कई प्रकार से वर्गीकरण किया है। कुछ लोगों ने इसे तीन वंशों में विभाजित किया है—यूरोपीय, नीग्रो और मंगोलियन और कुछ लोगों ने ६ वंशों में—आस्ट्रेलियन, नीग्रो, मंगोल, नोर्डिक, अल्पाइन और मेडीटरेनियन और यही विभाजन सर्व श्रेष्ठ माना गया है। नर विज्ञान में गणित के द्वारा भिन्न २ नर वंश विशेष चिह्नों अथवा विशेष गुणों को नापा अथवा उनकी परीक्षा की जाती है। यह चिह्न अथवा गुण दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित चिह्न वे चिह्न हैं जिनकी नाप तौल हो सकती है और जिन्हें आंकड़ों में लिखा जा सकता है, जैसे सिर की लम्बाई, चौड़ाई या नासिका की लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई या कुल चेहरे का कोण। अनिश्चित वे गुण है जिनकी नाप तौल करना कठिन है और जो आंकड़ों में न लिखे जा सकते हों जैसे त्वचा का वर्ण, नेत्रों का रंग, बालों की रंग अथवा घनत्व गो कि अब इनके नापने के पैमाने बन गये हैं।

भारतवर्ष के इतिहास से ज्ञात होता है कि दश हज़ार वर्ष से अब तक यहाँ नई २ जातियों ने बार २ आक्रमण किया और यहाँ आकर बस गये। आदि काल में कहा जाता है कि यहाँ निग्रोटी वंश के लोग रहते थे जिनका रंग काला, बाल काले और घुंघरदार, मोटे होंठ

और शरीर नाटा और भद्दा था। वह लोग अब भारत में नहीं पाये जाते हैं, केवल अंडमन टापू में पाये जाते हैं। उसके पश्चात आस्ट्रोलायड वंश के मनुष्य आये और इसी वंश के आदि निवासी छोटे नागपुर में पाये जाते है और द्रविड़ वंश के कहलाते हैं। फिर आर्य लोग आये। यह गौर वर्ण के थे। शरीर में लम्बे, पतली, लम्बी नाक और इनका सर लम्बा, और कम चौड़ा था। इन्होंनों सिन्ध और गंगा का इलाका विजय कर लिया और आदि निवासियों को छोटा नागपुर की ओर भगा दिया। फिर भारत पर यूनानी और सीथियन, हूण, तातार, मंगोल इत्यादि जातियों के लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ आकर बस गये और पहिले रहने वालों में आकर मिल गये। यह सब आक्रमण उत्तर पश्चिम की ओर से हुये थे, किन्तु उत्तर पूर्व की ओर से भी मंगोल वंश के लोग जिनका रंग पीला नाक छोटी और चपटी, सिर कम लम्बा और माथा चौड़ा और शरीर कम लम्बा था, आये और बस गये। इस प्रकार भारत में तीन मुख्य नर वंश के मनुष्य हैं। द्रविड़, आर्य और मंगोल और यहाँ की समस्त जातियाँ इन्हीं के मिश्रण और सम्मिश्रण से बनी हैं। सूबा सरहद, पंजाब, काश्मीर में आर्य जातियों का प्रभुत्व मिलता है और आर्य और ईरानियों का सम्मिश्रण भी है। संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, राजपूताना बम्बई के कुछ भाग में आर्य और द्रविड़ नर वंशों का मिश्रण है। बंगाल, आसाम, नैपाल, भूटान, उड़ीसा में मंगोल और द्रविड़ बंश का मिश्रण है और दक्षिण में अधिकतर द्रविड़ बंश के ही मनुष्य रहते हैं या द्रविड़ और निग्रोटो का मिश्रण है।

नर विज्ञान गणित में सिरचिह्न और नासिकाचिह्न सरलता से नापे जा सकते हैं। सिरचिह्न, सिर की लम्बाई और माथे की चौड़ाई के अनुपात को कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के सिर की लम्बाई और माथे की चौड़ाई में सौ और अस्सी का अनुपात है तो उसका सिरचिह्न अस्सी कहलायेगा। इसी प्रकार नासिकाचिह्न नाक की लम्बाई और नाक की चौड़ाई में सौ और अस्सी का अनुपात हो तो उसका नासिका चिह्न अस्सी कहलायेगा। सर हरबर्ट रिज़्ले ने, जो वाइसराय की कौन्सिल के सदस्य थे और एक समय में भारत सरकार के नर विज्ञान विशेषज्ञ थे, भारतवर्ष की बहुत सी जातियों के सिरचिह्न और नासिकाचिह्न लिये थे और उनसे निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया था। इस प्रयोग को अब लगभग ५० वर्ष होगये और अब उनके निष्कर्षों पर अविश्वास भी प्रगट किया जाता है और कहा जाता है कि उनकी माप लेने के ढंग में बहुत गल्तियाँ थीं किन्तु फिर भी इस प्रयोग को सर्व प्रथम करने का उनको ही श्रेय मिलना चाहिये। उनका नासिकाचिह्न सम्बन्धी एक निष्कर्ष बहुत मनोरंजक था। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि यदि बंगाल, बिहार, उत्तरी पश्चिमी सूबा जो अब संयुक्त प्रान्त कहलाते हैं और पंजाब की जातियों की एक सूची नासिकाचिह्न के अनुसार बनाई जावे, यानी जिस जाति की नासिका चिह्न सबसे कम हो उसका नाम सर्व प्रथम और इसी प्रकार जिस जाति की नासिका चिह्न सबसे अधिक हो उसका नाम सबसे बाद को लिखा जाये तो जब ऐसी सूची तैयार हो जायेगी तो उससे यह ज्ञात हो जायेगा कि यदि जातियों की सूची

समाज में उनके प्रचलित सम्मानित पद के अनुसार बनाई जाती तो वह नासिका चिह्नानुसार जो सूची बनी है उसी प्रकार बनती। उदाहरणार्थ संयुक्त प्रान्त की जातियों की सूची जिसे सर हर्बर्ट रिज़ले ने नासिका चिह्नानुसार बनाया था नीचे दी जा रही है।

नाम जाति	नासिका चिन्ह का औसत
मुईहार	७३.०
ब्राह्मण	७४.६
कायस्थ	७४.८
क्षत्रिय	७७.७
पांजड़	७८.०
खत्रिय	७८.१
कुर्मी	७६.२
थारु	७६.५
बनियाँ	७६.६
बढ़ई	७६.६
ग्वाला	८०.६
केवट	८१.४
भर	८१.६
कोल	८२.२
लोहार	८२.४
गुडिया	८२.६
काछी	८२.६

डोम	८३.०
कोइरी	८३.६
पासी	८५.४
चमार	८६.८
मुसहर	८६.०

सर हरबर्ट रिज़ले के कथनानुसार किसी भी हिन्दू व्यक्ति की जो संयुक्त प्रान्त में रहता हो जाति या उसकी सम्मानिता उसकी नासिका चिन्ह की कमी या अधिकता से नापी जा सकती है। अन्य जातियों के नासिका चिन्ह के जो नाप अन्य विशेषज्ञों ने लिये और अधिक सचाई से लिये और उन्होंने जो तालिकायें बनाई उन्होंने सर हरबर्ट रिज़ले के उपरोक्त कथन का खंडन कर दिया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त आँकड़े जातियों के औसत हैं। जाति के व्यक्ति-विशेष सदस्यों का इन आँकड़ों से कम अधिक, बहुत अन्तर होता है और इस कारण इन आँकड़ों से किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के मूल नरवंश के विषय में असंदिग्ध रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

यही बात सिर चिन्ह की है। अपने यहाँ कहावत है कि सिर बड़ा सरदार का पैर बड़ा गंवार का। यह कहावत लोक अनुभव के अनुसार ही बनी है। देखा भी गया है कि ऊँचो जाति वालों के सिर बहुधा लम्बे और नीच जाति वालों के चौड़े होते हैं। किन्तु जब सर हर्बर्ट रिज़ले ने संयुक्त-प्रान्त की भिन्न २ जातियों के औसत सिर चिन्ह नापे और उनकी तालिक बनाई तो देखा गया कि सिर चिन्ह के आंकड़ों में ऊँची और नीची जातियों में विशेष फर्क नहीं है और फिर, व्यक्ति

विशेष के सिर चिन्ह और उसी व्यक्ति के औसत जाति चिन्हों में बहुत अन्तर होता है।

सर हर्बट रिज़ले के प्रयोगों के पश्चात १९११, १९२१ की जन गणना के अवसर पर नर विज्ञान गणित सम्बन्धी कोई परीक्षा नहीं हुई। १९३१ में संयुक्त-प्रान्त की जन गणना के अवसर पर संयुक्त-प्रान्त की केवल एक ही जाति ब्राह्मणों की और उनमें भी केवल तीन उपजातियां यानी सरवरिया, सरजूपारी, कान्यकुब्ज जो इलाहाबाद या उसके पास के ज़िलों में रहते थे, ही की नासिका, सिर इत्यादि की नाप की गई थी। केवल एक ही जाति या उपजाति की नाप से पूरे प्रान्त के लिये कोई सिद्धान्त नहीं प्रतिपादित किया जा सकता। इस जांच से केवल यही नतीजा निकला कि इन ब्राह्मणों से सिक्ख और पश्चिमी पंजाब के मुसलमान अधिक लम्बे, अधिक लम्बे सिर वाले, अधिक चौड़े माथे वाले और अधिक लम्बी नाक वाले हैं।

१९४१ की जन गणना के अवसर पर डा० डी० एन० मजूमदार ने प्रान्तीय सेनसस कमिश्नर के सहयोग से कुछ जातियों के सिर, नाक तथा रक्त की परीक्षा की थी। लड़ाई छिड़ जाने के कारण प्रान्तीय सेन्सस के केवल कुछ आंकड़े ही छपे किन्तु विस्तृत रिपोर्ट नहीं छपी। इस कारण यह आंकड़े भी नहीं छपे किन्तु डा० डी० एन० मजूमदार ने अपनी पुस्तक Fortunes of Primitive Tribes के पृष्ठ १८६, १८७ पर जरायम पेशा जातियों के कुछ आंकड़े दिये हैं वे नीचे उद्धृत किये जाते हैं।

"नर विज्ञान गणित के अनुसार ज्ञात होता है कि भिन्न भिन्न

जरायम पेशा जातियां भिन्न भिन्न नृवंश की हैं। किन्तु कुछ जातियां एक नृवंश से सम्बन्धित और कुछ जातियां दूसरे नृवंश से सम्बन्धित प्रतीत होती हैं। किन्तु उनमें आपस में भी बहुत भिन्नता होती है। पूर्वीय ज़िलों के डोमों की सबसे अधिक औसत लम्बाई होती है जो १६६.५२ सेन्टीमीटर है, उसके बाद हबूड़े, १६४.६१ और भाँतू १६२.१२। प्रायः सभी जरायम पेशा जातियों के सिर लम्बे होते हैं। हबूड़ों का औसत सिर चिन्ह ७२.७१, डोम का ७२.७६ और भाँतू का ७४.८३ होता है। जरायम पेशा और आवारागर्द जातियां का माथा क्रमानुसार चौड़ा होता है, यदि हम उन्हें पूर्वी ज़िले से क्रमशः चल कर पश्चिमी ज़िलो की ओर नापें। डोमों का आस्ट्रेलायड वंश का होना परीक्षकों का स्पष्ट विदित हो जाता है जब वे उसकी नाक की सूरत शक्ल देखते हैं। भाँतू का औसत नासिका चिन्ह ६८.४७, हबूड़ों का ७१.२१ और डोमों का ७५.७ है। चपटी नाक, अत्यन्त काले वर्ण और नाटे कद के व्यक्ति डोमों में अधिकतर मिलते हैं। किन्तु उनके अन्य शारीरिक अंगों में काफी परिवर्तन होगया है क्योंकि डोम स्त्रियों का सम्बन्ध सदियों से उच्च जातियों से रहा है। भाँतू और सांसियों में सुन्दर और तोते की सी नासिका देखने को बहुधा मिलती है, किन्तु किसी डोम की इस प्रकार की नाक देखने को भी नहीं मिली। डोमों के अन्य शारीरिक अंगों की बनावट, मुंडा सन्थाल और इस प्रकार की छोटे नागपुर को अन्य जातियों से उनके सम्बन्धित होने की सम्भावना बताती हैं और कंजड़, करवाल, सांसियों और भाँतू से सम्बन्धित होने की कम सम्भावना प्रतीत होती है। कंजड़, सांसिया, भाँतू और

हबूड़े एक ही नृबंश के प्रतीत होते हैं। किन्तु यह जातियां आपस में, और अन्य जातियों से भिन्न अनुपात से मिश्रित हुई हैं इसलिये मि० क्रुक्स ने सत्य ही लिखा था, "निस्सन्देह कंजड़ एक विस्तृत खानाबदोश बंश के एक अंग हैं और जिनके निकट सम्बन्धी सांसिया, हबूड़ा, बेड़िये और भाँतू हैं और नट, बंजारा और बहेलिये दूर के सम्बन्धी हैं। किन्तु उनका यह कहना अपर्याप्त प्रमाणों के आधार पर ही था कि अधिकतर आवारागर्द जातियां द्राविड़ वंश की हैं। यदि हम द्रविड़ वंश के वही अर्थ लगायें तथा वही चिन्ह मानें जो सर हर्बट रिज़ले ने माने थे तो कहना पड़ेगा कि भाँतू सांसिया, और करवाल तथा बिजौरी कंजड़ जो ग्वालियर, टोंक, बूदी और कोटा की रियासतों में फैले हुये हैं उनके शरीर के अंगों में द्रविड़ वंश के किसी प्रकार के चिन्ह नहीं पाये जाते हैं।

रक्त विज्ञान के द्वारा भी जनसमुदाय को भिन्न-भिन्न भागों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया है। ४५ वर्ष पूर्व १८६६ में मिस्टर एस० जी० शटक ने घोड़े के खून में एक बूँद मनुष्य के रक्त 'रस' (सेरम) की मिला दी थी। उसका परिणाम यह हुआ कि घोड़े का रक्त गोंद की शकल का होगया। उन्हीं दिनों कुछ मनुष्यों के शरीर में बीमारी की हालत में भेंड़, बकरी इत्यादि का रक्त चढ़ाया गया था इसका परिणाम बड़ा खेदजनक हुआ। मनुष्यों का रक्त जमने लगा, रक्त संचालन बन्द होगया और इसी कारण उनको मृत्यु होगई। १६०० में लैन्ड स्टोनर के अन्वेषण से सिद्ध हुआ कि कुछ मनुष्यों का रक्त रस (सेरम) यदि दूसरे मनुष्यों के रक्त में मिलाया जाये तो कुछ देर में

गोंद की तरह जम जाता है और कुछ में नहीं। इस खोज के परिणाम-स्वरूप एक मनुष्य का रक्त दूसरे मनुष्य के शरीर में चढ़ाये जाने की प्रथायें सुविधाजनक होगई। लैन्ड स्टीनर ने १६०१ में मनुष्यों के रक्त को तीन प्रकार में विभाजित किया और १६०७ में जेस्की ने चौथे प्रकार के रक्त को ढूंढ़ निकाला। यह रक्त की किस्में क्रमशः ओ० ए० बी० और ए० बी० कहलाती हैं। रक्त विज्ञान से बहुत लाभ है। आधुनिक लड़ाई के अवसर पर रक्त बैंक स्थापित होगये हैं जहाँ कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अपना रक्त दान कर सकता है। यह रक्त उसकी किस्म के अनुसार छाँट लिया जाता है और फिर समर क्षेत्र के अस्पतालों में भेज दिया जाता है और घायल सिपाहियों के शरीर में सुई द्वारा आवश्यकतानुसार चढ़ा दिया जाता था। केवल यही ध्यान रक्खा जाता है कि घायल सिपाही का रक्त विज्ञान के अनुसार जिस प्रकार रक्त हो उसी प्रकार का रक्त उसके शरीर में चढ़ाया जाये। इसके अतिरिक्त रक्त विज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे बीमारियों का इलाज़, पितृत्व की पहिचान तथा अपराधियों के अपराध सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है और इससे यह भी पता लगाया जाता है कि नरवंशों का किसी जाति में रक्तानुसार किस प्रकार से मिश्रण हुआ। रक्त विज्ञान से जो सिद्धान्त निकाले जाते हैं वे नर विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों से अधिक प्रमाणित होते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्यों के शरीर के रक्त में जो भेद हैं उनका कारण केवल जन्मपरम्परा ही है। वातावरण का उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता।

मनुष्य समुदाय में रक्त के चारों प्रकारों का किस अनुपात में वितरण हुआ है वह आसानी से सूत्रों द्वारा निकाला जा सकता है। किन्तु इसके ठीक आँकड़े तभी निकल सकते हैं जब एक ही स्थान के रहनेवालों में से कई व्यक्तियों के रक्त की परीक्षा की जाये।

डा० मजूमदार ने अपनी पुस्तक 'रेसेज़ एन्ड कल्चर्स इन इन्डिया' (Races and cultures in India) में रक्त विज्ञान के सम्बन्ध में कई प्रयोगों का वर्णन किया है। १९१९ में हर्डफेल्ड ने कई देशों और जातियों के सैनिकों की रक्त परीक्षा की और सब में 'ओ' रक्त का बाहुल्य मिला। शुद्ध रक्त के अमरीकन इन्डियन तो १०० फी सदी 'ओ' रक्त के थे। 'ए०' और 'बी०' रक्तवाले अमरीकन इन्डियन बिलकुल ही नहीं थे। आइनस जाति के लोगों में 'ए०' और 'बी०' रक्त का बाहुल्य था और 'ओ' रक्त नहीं था। इसी प्रकार गेद ने इस्कीमो जाति के रक्त की जाँच की। उसमें भी 'ओ०' अधिक मिला किन्तु इस्कीमों जिनके रक्त में इस्कीमों और गौर वर्ण वाली जातियों का समिश्रण था उनका रक्त 'ओ०' और 'ए०' प्रकार का था। आस्ट्रेलिया निवासियों का रक्त 'ओ०' और 'ए०' प्रकार का है। मावरी और हवाई द्वीप के निवासियों का रक्त भी 'ए' प्रकार का है। उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि अमरीका और आस्ट्रेलिया के आदि निवासियों और अन्य जातियों के सम्मिश्रण से आदि निवासी जातियों में 'ए' और 'ओ' रक्त का बाहुल्य है और आदि जातियों में 'बी' रक्त नहीं पाया जाता है। अन्य जातियों में भी जो आदि जातियों और अन्य जातियों के समिश्रण से उत्पन्न हुई हैं 'बी' रक्त बहुत कम पाया जाता है और

जो 'बी' रक्त मिलता भी है वह मिश्रण के कारण ही। भारतवर्ष की जातियों में अधिकतर 'बी' रक्त मिलता है। उत्तरी भारत के हिन्दुओं की हर्ज़ फेल्ड ने रक्त परीक्षा की और उसे ४१ फी सदी 'बी' रक्त मिला। दक्षिण भारत के हिन्दुओं के रक्त परीक्षा में बैस और बेरहोफ को ३१.६ फी सदी और मलाने और तहरी को ३७.२ फी सदी 'बी' रक्त मिला। यहाँ यह बताने की आवश्यकता है कि इन परीक्षाओं में हिन्दू शब्द का अर्थ हिन्दुस्तान में रहनेवाली समस्त जातियों से है। 'बी' रक्त का बाहुल्य होने से कुछ लोगों ने धारणा बनाई है कि भारत-वर्ष से ही 'बी' रक्त की उत्पत्ति हुई है।

मलोन और लाहिड़ी ने उत्तरी भारत में २,००० से अधिक व्यक्तियों के रक्त की परीक्षा ली। यह व्यक्ति भिन्न २ जातियों के थे किन्तु इन परीक्षकों ने उनकी जाति को नहीं लिखा और इसलिये इनकी परीक्षा से यह ज्ञात नहीं हो सका कि किस जाति में किस प्रकार के रक्त का बाहुल्य है। भारतवर्ष की जातियों में एक विशेषता है कि वे अपनी जाति ही में विवाह करती हैं और यह प्रथा कितनी ही सदियों से चली आ रही है और इस पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। इसलिये यह आशा की जाती थी कि यदि जाति के अनुसार रक्त की परीक्षा की जाये तो भिन्न २ प्रकार के रक्त के अनुपात का कुछ अन्दाज़ लग सके। अन्य परीक्षकों ने बाद को जाति के अनुसार रक्त की परीक्षा की और सबको सभी जातियों में 'बी' रक्त का बाहुल्य मिला। डा० मजूमदार ने संयुक्त प्रान्त के चमार, भाँतू, करवाल, और डोमों की रक्त परीक्षा की और इनमें भी 'बी' रक्त का बाहुल्य मिला।

"बी" रक्त का भारतवर्ष में बाहुल्य है। और भारत से ही यदि किसी ओर भी जाया जाये तो 'बी' रक्त का मनुष्यों में अनुपात कम हो जाता है। पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम अरब और अफ़रीका पहुँचते २ 'बी' रक्त लुप्त प्राय हो जाता है। चीन और जापान में 'बी' रक्त का बाहुल्य है। किन्तु उसका अनुपात भारत से कम है। आस्ट्रेलिया में "बी" रक्त बिलकुल नहीं है। यदि 'बी' रक्त भारत से वितरित हुआ तो वह अफरीका को पश्चिमी भारत से और मलाया को पूर्वी भारत से गया। आस्ट्रेलिया में 'बी' रक्त के न मिलने का कारण यही हो सकता है कि भारत के लोग उधर नहीं फैले वरन् आस्ट्रेलिया के लोग किसी जमाने में भारत आये। दोबल साहब का मत है कि भारतवर्ष में 'बी' रक्त मध्य एशिया से आया और ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व हिन्दू प्रभाव के कारण मलाया और फिलीपाइन के उत्तर में फैला और व्यौपार के कारण यूरुप की ओर भी पहुँचे। मध्य एशिया और पच्छिमी यूरुप के बीच के हिस्से में बी रक्त कम मिलता है। यह एक मनोरंजक बात है, क्योंकि भारतवर्ष में 'बी' रक्त का बाहुल्य है और यहाँ की जातियाँ आर्य भाषा भाषी गौरवर्ण की जातियों की ही एक शाखा हैं।

चूंकि बंगाल की नीच जातियां तथा संयुक्तप्रान्त की जरायम पेशा जातियों में भी 'बी' रक्त का बाहुल्य है और आसाम, बर्मा और तिब्बत के मनुष्यों में 'बी' रक्त की कमी है इससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि 'बी' रक्त का भारत ही से वितरण हुआ है। मैकफर लेन साहिबा ने हिन्दुस्तान के मनुष्यों में 'बी' रक्त के वितरण की

खोज की है। उनका कहना है कि सहस्त्रों वर्षों से 'बी' रक्त भारत में है और सम्भवतः यहाँ के आदि निवासियों के रक्त ही में सबसे पहिले पाया गया है। इन आदि निवासियों के जो वंशज उत्तर पूर्वीय भारत में रहते हैं उनमें अब तक 'बी' रक्त का बाहुल्य है। यह भी देखा गया है कि 'बी' रक्त उन जन समूहों में सबसे अधिक है जो ट्राइब जातियों में परिगणित हो रही हैं। जो मिश्रित जातियाँ अपने पेशे के कारण अथवा अन्य किसी कारण से अपनी जाति की स्त्रियाँ अन्य जाति के पुरुषों से मिलने देते हैं या अन्य जाति के स्त्री, पुरुषों को अपनी जाति में शरीक कर लेते हैं उन जातियों में 'बी' रक्त का अनुपात और भी अधिक है। पनियम अन्गामी और कोन्यक नागा और भीलों में 'बी' रक्त का अनुपात कम है। डा० मजूमदार ने अपनी पुस्तक (Fortune of primitive tribes) में पृष्ठ १८७ में लिखा है कि भिन्न २ जरायम पेशा जातियों के रक्त की परीक्षा करने से पता चला है कि इनके रक्त में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 'बी' रक्त और 'ए बी' रक्तों का बाहुल्य है जिसका कारण उनके रक्त का मिश्रण या 'बी' रक्त का श्रोत होना ही है। हो सकता है कि बंगाल के मुसलमानों में भी 'बी' रक्त का बाहुल्य हो। भाँतू, करवाल, और डोमों की रक्त परीक्षा का परिणाम डा० मजूमदार के अनुसार निम्न प्रकार है।

रक्त फ़ीसदी

नाम जाति	ओ	ए	बी	एबी
भाँतू	२७.४	२४.७	२६.८	७.८

करवाल	२५.७	२२.६	४०.६	१०.६
डोम	३२.८	२२.८	३६.४	५.०

"बी" रक्त तो भारतवर्ष की समस्त जातियों में ही है। इसका बाहुल्य उन जातियों में अधिक होता है जो मिश्रण से बनी हैं। इसीलिये यह परिणाम यदि निकाला जाये कि जरायम पेशा जातियाँ शुद्ध जातियां नहीं है और अन्य जातियों के मिश्रण से बनी हैं तो ठीक ही होगा। यह भी एक दिलचस्प बात है कि जरायम पेशा डोम में "ओ" रक्त का बाहुल्य और "ए" कम है।

नर विज्ञान और रक्त विज्ञान द्वारा जो भी आंकड़े जरायम पेशा जातियों के मिले हैं उनसे केवल यही पता चलता है कि वे शुद्ध जातियाँ नहीं है, अन्य जातियों के मिश्रण से बनी हैं और उनमें 'बी' रक्त का बाहुल्य है। इसके अतिरिक्त यदि उनके अपराध करने के कोई कारण हैं तो उनके शारीरिक बनावट और शारीरिक रक्त का कोई दोष नहीं है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और शारीरिक रक्त में अन्य जातियों की अपेक्षा कोई विशेष अन्तर नहीं है। उनके अपराध करने के कारणों को अन्य स्थान ही पर खोजना पड़ेगा।

तीसरा भाग

जरायम पेशा जातियों का कानून और नियम

जरायम पेशा जातियों की भांति के अपराधी समस्त संसार में कहीं नहीं मिलते। एक लेखक ने इनके विषय में लिखा है कि यह लोग अपराध करने में इतने ही निपुण होते हैं जितना कि तैरने में बतकें होती हैं "अर्थात इन्हें अपराध करने के लिये कोई विशेष शिक्षा नहीं ग्रहण करनी पड़ती। समाज के विरुद्ध अपराध करना ही इनका पेशा हो जाता है। जरायम पेशा जातियों, समाज और सरकार दोनों के विरुद्ध युद्ध घोषणा किये हुये हैं। एक ओर तो सरकार की समस्त शासन संस्थायें हैं। पुलिस, फ़ौज, अदालतें, जेल और दूसरी ओर जरायम पेशा जातियाँ हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, संगठित एवं अपराध करने में निपुण, जो "शक्ति का उत्तर चालाकी और बल का उत्तर धोखे बाजी से देते हैं। दण्ड का इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होता। दण्ड से इनका सुधार होना तो दूर, उसका भय इन्हें छू भी नहीं गया है और न जेल की यातना ही इन्हें डराती है। यह लोग दर्जनों बार जेल जाते और वहाँ से छूटते, किन्तु इन्हें इस का बिलकुल ज्ञान ही नहीं होता कि उन्होंने कोई बुरा काम किया था जिसके कारण उन्हें यातना भोगनी पड़ी। जेल, से छूटने पर फिर अपनी जाति वालों के पास चले जाते हैं और फिर अपराध करना शुरु कर देते हैं। कोई सत्तर साल का अरसा हुआ तब लोगों को

विश्वास हो गया कि जरायम पेशा जातियों के अपराधियों के साथ साधारण अपराधियों जैसा व्यवहार करना बिलकुल व्यर्थ है। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् १८७१ में सब से प्रथम जरायम पेशा जातियों का कानून बना। मिस्टर फिट्ज़जेम्स स्टीफिन गवर्नर जेनरल की कौन्सिल के सदस्य थे। वे ही इस कानून के जन्मदाता थे। उन्होंने इस कानून का मुख्य उद्देश्य इन अपराधी जातियों और दलों का मुकाबला करना बनाया है, जो गढ़नुमा गाँवों में रहते हैं, अपने पास हथियार रखते हैं, और संगठित रूप से सहिंसक अपराध करते हैं। दो बार इस कानून में संशोधन किये गये पहिले १८८६ में और फिर १८८७ में। इन संशोधनों द्वारा जरायम पेशा जातियों के यातायात पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार सरकार को मिल गये। १९०२ में जो पुलिस कमीशन नियुक्त किया गया था, उसने इस संशोधित कानून की आलोचना की। असल बात यह थी कि इस कानून को बने हुये २० साल हो गये थे किन्तु जरायमपेशा जातियों का सुधार कुछ भी नहीं हुआ था। इस कानून के दोष निवारण करने के लिये १९११ में शाही धारासभा में फिर एक बिल पेश किया गया। मिस्टर जेन्किन्स ने उस बिल को एक सेलक्ट कमेटी को भेज दिया जिसके सदस्य माननीय श्रीगोपालकृष्ण गोखले, माननीय सर अलीइमाम और माननीय चितनवीस थे। माननीय गोखले १९०५ में कांग्रेस के सभापति रह चुके थे। सरअली इमाम और श्री चितनवीस भी उदार हृदय व्यक्ति थे। बिना कारण किसी जातिया व्यक्ति पर कठोरता करना इन लोगों को कब अच्छा लग सकता था। फिर भी जो संशो-

धन इन सज्जनों ने इस क़ानून में किये, उससे यह कानून और भी सख़्त हो गया और उसी का यह परिणाम निकला कि जरायमपेशा जातियों द्वारा अपराध भी कम होने लगे और कुछ हद तक उनका सुधार भी हुआ। इस क़ानून के द्वारा बसी हुई अथवा आवारागर्द जरायम पेशा जातियों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई थी, तथा इस बात का भी अधिकार सरकार को दिया गया था कि जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों को इन प्रतिबन्धों से मुक्त कर दे। १६१६ में भारतीय जेल कमेटी ने जिसके सभापति सर अलेकज़ण्डर कारड्यू थे, जरायम पेशा जातियों के क़ानून में संशोधनों की शिफारिश की और उन्होंने सेटेलमेंटों के प्रबन्ध पर भी टीका टिप्पणी की। इस कमेटी की सिफ़ारिशों को सरकार ने मान लिया। १६२३ में केन्द्रीय असेम्बली में जरायम पेशा जातियों के लिये एक नया क़ानून सर जेम्स क्रेरार ने पेश किया। इस क़ानून द्वारा जरायम पेशा जातियों की देख रेख और प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया। १६२४ में माननीय खापर्डे ने यह राय दी कि जरायम पेशा जातियों से सम्बन्धित क़ानूनों का एकीकरण किया जाये जो स्वीकृत हो गई। १६३३ तक इसी क़ानून में कई छोटे-छोटे संशोधन हुये हैं।

जरायम पेशा जातियों का वर्तमान कानून १६२४ का छटा क़ानून कहलाता है। यह कानून समस्त बृटिश भारत में लागू है। इस क़ानून के द्वारा प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके पास यह विश्वास करने के कारण मौजूद हों कि कोई क़ौम, दल, अथवा किसी श्रेणी के व्यक्ति या उनका कोई भाग

संगठित रूप से स्वभावानुकूल ग़ैरज़मानती अपराध करते हैं तो यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो प्रान्तीय गज़ट में घोषणा करके, उस ट्राइब, दल या श्रेणी के किसी विशेष भाग को, जरायम पेशा जाति के क़ानून के अन्तर्गत जरायम पेशा ट्राइब क़रार दे दे। प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि घोषित जाति या कौम के व्यक्तियों के नाम उस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा जिसमे वे लोग रहते हों, एक रजिस्टर में दर्ज कर लिये जावें। जब ज़िला मजिस्ट्रेट को इस प्रकार का आदेश मिलेगा तो वे उस स्थान पर जहाँ के व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करनी है या उन स्थानों पर जहाँ वह उचित समझे, निश्चित रीति से जरायम पेशा जाति या उसके एक विशेष भाग को सूचना देगा कि वे नियत समय और स्थान पर अपने को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उपस्थित करे और उसे वे सब सूचनायें जो रजिस्टर बनाने के लिये उसे आवश्यक हों, और अपने अंगूठे और उंगलियों की भी छाप दें। ज़िला मजिस्ट्रेट यदि चाहे तो किसी जरायम पेशा जाति के किसी भी सदस्य को इस कार्य-वाही से मुक्त कर सकता है। जब यह रजिस्टर तैयार हो जाता है तो पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास रहता है। पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट समय-समय पर ज़िला मजिस्ट्रेट को इस रजिस्टर में संशोधन के लिये सिफ़ारिश करते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति का नाम इसमें दर्ज कर लिया जाये और अमुक व्यक्ति का नाम इसमें से काट दिया जाये। बिना ज़िला मजिस्ट्रेट की आज्ञा के इस रजिस्टर में संशोधन नहीं किया जा सकता और जिस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाने का

आदेश दिया जाता है उसे उसी प्रकार से सूचना दी जाती है जैसे प्रथम बार रजिस्टर बनाने के लिये समस्त जरायम पेशा जाति या उसमें एक भाग को दी गई थी। यदि किसी व्यक्ति का नाम इस रजिस्टर में लिखा लिया गया हो या दर्ज किये जाने का प्रस्ताव किया गया हो और उसे यदि इसमें कोई आपत्ति हो तो वह ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष इसकी उज़्रदारी कर सकता है और ज़िला मजिस्ट्रेट ही उसकी सुनवाई करके यह निश्चय करेंगे कि उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में रहे, या लिखा जाये अथवा ख़ारिज किया जाये। ज़िला मजिस्ट्रेट के फ़ैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। ज़िला मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अफ़सर को जिसे यह अधिकार देदे, यह अधिकार होगा कि वह रजिस्ट्री शुदा जरायमपेशा जाति के किसी सदस्य की उंगली की छाप ले ले।

प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो सरकारी गज़ट में घोषणा करके जरायम पेशा जाति या उसके किसी भी सदस्य के ऊपर निम्नलिखित पहिली अथवा दूसरी अथवा दोनों पाबन्दियाँ लगा दें कि वे अपनी उपस्थिति की नियमित समय बाद सूचना देंगे और अपने वासस्थान के प्रस्तावित परिवर्तन को और वासस्थान से या प्रस्तावित अनुपस्थिति की सूचना देंगे। यदि कोई रजिस्टरी शुदा जरायम पेशा जाति का सदस्य अपने वासस्थान को परिवर्तित करता है तो उसकी रजिस्ट्री नये वासस्थान के ज़िले के रजिस्टर में कर ली जायेगी।

यदि किसी प्रान्तीय सरकार के विचार में किसी भी जरायम-

पेशा जाति या उसके एक भाग या उसके किसी सदस्य के परिभ्रमण को एक सीमित क्षेत्र में प्रतिबन्धित कर देना अथवा उसे किसी विशेष स्थान में बसाया जाना आवश्यक है तो वह इस प्रकार की घोषणा प्रान्तीय गज़ट में कर सकती है किन्तु यह आवश्यक है कि इस प्रकार की घोषणा करने के पूर्व यह विचार कर ले कि जरायमपेशा जाति या उसका भाग या उसके सदस्य किस प्रकार के अपराध और किन परिस्थितियों के कारण करते हैं, या उन पर करने का सन्देह किया जाता है। उस जरायमपेशा जाति या भाग या सदस्य के पास कोई क़ानूनी उद्यम या व्यवसाय है या नहीं अथवा वह उद्यम या व्यवसाय, अपराध करने के लिये केवल नाममात्र ही है। प्रान्तीय सरकार को यह भी विचार करना होगा कि जिस स्थान में इनके परिभ्रमण पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है या जहाँ यह बसाये जा रहे हैं वह स्थान इस कार्य के योग्य है या नहीं और वहाँ का प्रबन्ध परियाप्त है या नहीं और उन स्थानों पर जरायमपेशा जाति के लोग किस प्रकार अपने जीवन निर्वाह का प्रबन्ध करेंगे। प्रान्तीय सरकार को परिभ्रमण प्रतिबन्धित क्षेत्र और रहने के निवास स्थान को परिवर्तित करने का भी अधिकार है। जिन जरायमपेशा जातियों के वासस्थान अन्य प्रान्तों में हैं उन्हें उस प्रान्त की सरकार की स्वीकृति से उन्हीं के प्रान्तों में निर्वासित किया जा सकता है। इन लोगों को नियमित समय और स्थान पर हाज़िरी देने का भी आदेश दिया जा सकता है।

प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो औद्योगिक, कृषक अथवा सुधार के लिये सेटेलमेंट स्थापित कर सकती

है और इस प्रकार के सेटेलमेंट में किसी भी जरायम पेशा जाति या उसके भाग अथवा किसी भी सदस्य को रहने का आदेश दे सकती है, किन्तु इस प्रकार का आदेश तभी दिया जा सकता है जब प्रान्तीय सरकार को जाँच कराने के पश्चात विश्वास हो जाये कि इस प्रकार के आदेश की आवश्यकता है।

प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो जरायम पेशा जातियों के बालकों को उनके माता पिता से पृथक करके बालकों के लिये औद्योगिक, कृषिक अथवा सुधार के लिये स्थापित स्कूलों में रक्खे जाने का आदेश दे। इस प्रकार के स्कूलों के प्रबन्ध के लिये एक सुपरिण्टेण्डेण्ट की नियुक्ति अनिवार्य है और इन स्कूलों के नियम रिफार्मेटरी स्कूल, ५ रूल, १८६७, के अनुसार होंगे। बालकों की आयु छः वर्ष से अधिक और १८ वर्ष से कम मानी जायेगी। प्रान्तीय-सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अफसर को अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को सेटेलमेंट या स्कूल से मुक्त कर दें अथवा उसका तबादला दूसरे सेटेलमेंट या स्कूल में कर दें। इस प्रकार का तबादला दूसरे प्रान्त की सेटेलमेंट या स्कूल को भी हो सकता है यदि उस प्रान्त की सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो। प्रान्तीय-सरकार को जरायमपेशा जातियों के क़ानून के अन्तर्गत नियम बनाने का भी अधिकार है।

यदि कोई जरायम पेशा जाति का सदस्य रजिस्टरी कराने की सूचना पाकर रजिस्टरी करने वाले अफ़सर के समक्ष ठीक समय या स्थान पर उपस्थित न हो या अपने विषय में सूचना न दे या जानबूझ कर

ग़लत सूचना दे, या अंगूठे या उँगलियों की छाप देने से इनकार करे, तो उस पर अपराध प्रमाणित होने पर उसे छः महीने की जेल और २००) जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। यदि कोई जरायम पेशा जाति का सदस्य, परिभ्रमण प्रतिबन्ध के विरुद्ध आचरण करे या सेटिलमेंट या स्कूल में न रहे या वहां के नियमों को पालन न करे तो पहिले अपराध पर एक साल तक की जेल, दूसरे अपराध पर दो वर्ष तक की जेल, तीसरे अपराध पर तीन वर्ष की जेल और ५००) तक जुर्माना हो सकता है। यदि प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुए किसी अन्य नियम के विरुद्ध कोई जरायमपेशा जाति का व्यक्ति आचरण करता है तो अपराध सिद्ध होने पर उसे पहिली बार छः महीने की जेल की सज़ा तथा १००) जुर्माना और तत्पश्चात् अपराधों पर एक साल की जेल की तथा ५००) जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है। यदि रजिस्टरी शुदा जरायम पेशा जाति का कोई व्यक्ति किसी स्थान पर ऐसी परिस्थिति में गिरफ्तार किया जाये जिससे अदालत को यह विश्वास हो जाये कि वह कोई चोरी या राहज़नी करने जा रहा था या उसमें सहायक होना चाहता था, या चोरी या राहज़नी करने के लिए अवसर ताक रहा था तो उसे ३ वर्ष तक की जेल की तथा १०००) तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। यदि कोई जरायम पेशा जाति का व्यक्ति जिसकी रजिस्टरी हो चुकी है और जिसके परिभ्रमण क्षेत्र प्रति बन्धित हों और यदि वह उस क्षेत्र के बाहर बिना आज्ञा या पास के मिले या वह सेटेलमेंट या रिफार्मैटरी से भाग जाये तो वह बिना वारंट के किसी भी पुलिस अफ़सर अथवा मुखिया

या चौकीदार द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किये जाने पर उसे फिर उसी प्रतिबन्धित क्षेत्र में रिफार्मेंटरी या सेटेलमेंट में फिर से रहने के लिए भेजा जा सकता है और इन व्यक्तियों के ले जाने के लिये वही नियम लागू होंगे जो मामूली कैदियों के लिये लागू होते हैं। गाँव के मुखिया और चौकीदार का फ़र्ज है कि अपने गाँव में रहने वाली जरायम पेशा जातियों के रजिस्टरी शुदा व्यक्तियों की देखभाल रखें और यदि ये हाज़िरी न दें या बिना आज्ञा या इत्तिला के भाग जायें तो उसकी सूचना थाने में दें सूचना न देने पर उन्हें भी दण्ड दिया जा सकता है।

प्रान्तीय सरकार ने निश्चय किया है कि जरायमपेशा जातियों के नाम जिस रजिस्टर में दर्ज किये जायें वह अँग्रेज़ी भाषा में लिखा जाये और पृथक् पृथक् जाति के नाम अलग अलग फ़ाइलों में लिखे जायें। रजिस्टर बनाने की सूचना थानेदार के द्वारा कराई जाये और सूचना की एक प्रति थाने के बोर्ड पर चिपका दी जाये और प्रत्येक व्यक्ति के पास पुलिस के सिपाही या चौकीदार के ज़रिये इत्तिला भेजनी चाहिए। सेटेलमेंटों में रहने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेटेलमेंट के मैनेजर की सलाह से बनायें। गाँव-गाँव की सूची की एक नक़ल गाँव के मुखिया के पास भेजनी चाहिये। जिस जाति के समस्त बालिग़ व्यक्तियों की रजिस्टरी होती है, उस जाति के कानूनी संरक्षकों का फ़र्ज है कि यदि उनके घराने का कोई बालक १५ वर्ष की आयु का हो जावे तो वे इस बात की सूचना थानेदार अथवा सेटलमेंट के मैनेजर को देदें और फिर इस सूचना के

मिलने के पश्चात् वे ज़िला मजिस्ट्रेट को लिखें कि उस बालक की रजिस्टरी की जाय या उसे रजिस्ट्री से मुक्त कर दिया जाये। जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है, उसके नाम पर हर तीसरे वर्ष, ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिण्टेंडेण्ट द्वारा जांच की जाया करेगी कि उसका नाम रजिस्टर में चढ़ा रहे या खारिज कर दिया जाये।

जिन व्यक्तियों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया हो कि वे अपने वास-स्थान या वसतिस्थान के प्रस्तावित परिवर्तन से सूचित करें और नियमित समय पर हाज़िरी दें, उनको भी इस प्रतिबन्ध की सूचना पुलिस के थानेदार द्वारा दी जायेगी या उसे सरकारी सम्मन द्वारा सूचना दी जायेगी। जिस व्यक्ति की रजिस्ट्री हो गई है और जिसे अपनी उपस्थिति की सूचना नियमित रूप से देने की आज्ञा मिली है उसे चाहे वह कहीं भी हो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व एकबार हाज़िरी अवश्य देनी पड़ेगी, यदि वह शहर में रहता है तो उसे हाज़िरी थाने में जाकर देनी होगी यदि गांव में तो चौकीदार या मुखिया के पास जाकर देनी होगी और यदि वह सेटेलमेंट में रहता हो तो उसे हाज़िरी सेटेलमेंट के मैनेजर को देनी पड़ेगी। किन्तु यदि उस व्यक्ति को रात को अपने वासस्थान से बाहर नहीं जाना है तो उसे हाज़िरी देने जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह व्यक्ति रात को रेल द्वारा यात्रा कर रहा हो तो भी उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी स्त्री पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा हो तो अपनी सूचना अपने घर के किसी

पुरुष द्वारा भी भेज सकती है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो और बीमारी के कारण हाज़िरी देने में असमर्थ है तो उसे अपनी बीमारी की सूचना फ़ौरन थानेदार के या अन्य अफ़सर के पास भेजनी होगी। पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट यदि वे चाहें तो किसी भी जरायम पेशा जाति के रजिस्टरी शुदा व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह उनके अथवा अन्य किसी अफ़सर के समक्ष पुलिस के थाने में किसी नियत समय पर उपस्थित होवे।

यदि रजिस्टरी शुदा जरायम पेशा जाति का कोई व्यक्ति जिस पर अपने वासस्थान तथा उसके प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना देने का प्रतिबन्ध लगा हो अपना वासस्थान परिवर्तन करना चाहे तो उसे इसकी सूचना उस थाने में देनी होगी जिसमें वह रहता है और तब उसे उस थाने में उस इश्तहार की एक प्रति मिलेगी जिसके द्वारा उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया और एक प्रति उस थाने को भेज दी जायेगी जिसके क्षेत्र में उसका नवीन वासस्थान होगा। जिस दिन वह व्यक्ति अपने वासस्थान को जायेगा उस दिन फिर वह थानेदार अथवा मुखिया अथवा सेटेलमेंट के मेनेजर के समक्ष उपस्थित होगा और उनसे उपरोक्त प्रति पर अपनी रवानगी की तारीख़ और समय लिखा लेगा। उसी नवीन स्थान से यदि वह सात दिन के अन्दर अपने वासस्थान पर नहीं पहुँच सके तो उसे इस बात की सूचना थानेदार को देनी होगी जिसके क्षेत्र में वह रहा हो। दूसरे थाने के क्षेत्र में पहुँच कर घंटे के भीतर उसे अपने आने की सूचना थाने में देनी होगी और इश्तहार की नकल भी थाने में दे

देनी होगी। जहाँ जहाँ रात को इस बीच में वह ठहरेगा वहाँ के थाने में भी उसे सूचना देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर जाना चाहे जिसमें उसे रात अपने घर के अतिरिक्त काटनी हो तो उसे अपने गाँव या शहर के अधिकारी को जाने के पहिले और लौटने के बाद अपनी उपस्थिति बतानी पड़ेगी और जिस स्थान को जायेगा वहाँ भी पहुँचने के फौरन बाद और लौटने के फ़ौरन पहिले उस गांव के मुखिया या हलके के थानेदार को अपनी आमद और रवानगी लिखानी पड़ेगी।

जरायम पेशा जाति का कोई व्यक्ति जिस का परिभ्रमण क्षेत्र सीमित कर दिया गया है, उसे रोज़ शाम को अपनी उपस्थिति उस व्यक्ति के समक्ष लिखानी पड़ेगी जिसे ज़िले के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इस काम के लिये नियुक्त किया है। जरायम पेशा जाति के किसी भी व्यक्ति को सेटेलमेंट में भरती किया गया हो तो उसे प्रत्येक शाम को अपनी हाज़िरी सेटेलमेंट के मेनेजर के समक्ष देनी पड़ेगी। यदि इस प्रकार के किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक कार्य के लिये प्रतिबन्धित क्षेत्र अथवा सेटेलमेंट के बाहर जाना हो तो उचित कारण बताने से उसे थानेदार द्वारा दस दिन की और सेटलमेंट के मैनेजर द्वारा एक महीने तक की छुट्टी मिल सकती है। इससे अधिक दिनों की छुट्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट द्वारा मिल सकती है। ऐसी छुट्टी के लिये इन्हीं अफ़सरों द्वारा पास मिलते हैं। ऐसे ही सेटेलमेंट में रहने वाले व्यक्ति जो कहीं बाहर काम करते हों या जिन्हें बाज़ार में सौदा बेचने या खरीदने को जाना हो तो सेटेलमेंट के मैनेजर से कार्य

पास अथवा बाज़ार पास मिल सकते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को इन प्रतिबन्धों से छूट मिल गई हो उसे भी एक मुक्ति पास दिया जाता है। सेटेलमेंट में रखे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हर तीसरे वर्ष, ज़िला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट और सेटेलमेंट के मैनेजर द्वारा जाँच होती है और यदि तीनों व्यक्तियों की राय में किसी व्यक्ति ने अपनी नेकचलनी और परिश्रम का प्रमाण दिया है तो उसे बिना शर्त अथवा शर्तों के साथ सेटेलमेंट से मुक्ति मिल सकती है।

सेटेलमेंट और स्कूलों के प्रबन्ध का भार रिक्लेमेशन अफ़सर पर है और वे स्वयं अथवा अन्य पुलिस अफ़सर द्वारा उनका निरीक्षण करा या करवा सकते हैं। सेटेलमेंटों का प्रबन्ध मैनेजरों द्वारा किया जाता है। और इनकी अनुपस्थिति में उनका नायब करता है। ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट भी अपने जिले में स्थित सेटेलमेंटों की निगरानी करते हैं! ज़िला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट, डिप्टी कलक्टर और पुलिस के गज़टेड कर्मचारी सेटलमेंट के सरकारी निरीक्षक होते हैं। सेटेलमेंट का मैनेजर यह भी निश्चय करता है कि जरायम पेशा जातियों के व्यक्ति कौन से जानवर पाल सकते हैं और उन जानवरों की सुरक्षा और सफ़ाई का भी वही प्रबन्ध करता है। सेटेलमेंट में शराब पीने और झगड़ा करने की मुमानियत है। ६ वर्ष से १२ वर्ष तक के बालकों का पढ़ाना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य को जब भी हाजिरी के लिये बुलाया जाय उपस्थित होना आवश्यक है।

इनके अलावा भी अन्य नियमों को सेटेलमेंट के मैनेजर बना सकते हैं और उनका पालन प्रत्येक सदस्य को करना होता है।

सेटेलमेंट के मैनेजर की यह ज़िम्मेदारी है कि वह प्रत्येक सदस्य के जीवन निर्वाह के साधनों का प्रबन्ध करे। और प्रत्येक सदस्य को मैनेजर द्वारा दिये गये काम को करना होगा। काम की मज़दूरी ठेके के काम के द्वारा होगी। सेटेलमेंट के किसी भी व्यक्ति से जो १५ वर्ष के ऊपर है एक सप्ताह में ५४ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है और यदि उसकी आयु १२ और १५ साल के बीच में है तो उससे एक सप्ताह में ३६ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति की आय उसके खर्च से अधिक है तो उसकी बचत का रुपया मैनेजर द्वारा बंक या डाकखाने में जमा कर दिया जायेगा और बिना मैनेजर की आज्ञा के बंक से रुपया नहीं निकाला जा सकेगा।

यदि सेटेलमेंट का कोई बालिग़ निवासी सेटेलमेंट का कोई नियम भंग करे तो सेटेलमेंट का मैनेजर निम्नलिखित दण्ड दे सकता है:—

(१) चेतावनी

(२) जुर्माना

(३) यदि किसी की रजिस्टिरी रद्द होगई है या किसी को मुक्ति पास मिला हो तो उसकी फिर से कार्यवाही की सिफ़ारिश।

(४) ७५ घंटे तक कोठरी में बन्द करना।

(५) दूसरे सेटेलमेंट को तबादला करने की सिफ़ारिश।

(६) दफ़ा २२ के अन्दर चालान।

लड़कों को

(१) चेतावनी (२) जुर्माना (३) १५ बेत तक की सजा (४) ७२ घंटे तक कोठरी की सजा (५) अन्य सेटेलमेंट या स्कूल को तबादला (६) रजिस्टरी के लिये दरख्वास्त अथवा दफ़ा २२ के अन्दर चालान।

लड़कियों को

(१) चेतावनी (२) जुर्माना (३) अन्य सेटेलमेंट या स्कूल को तबादला (४) रजिस्टरी के लिये दरख्वास्त अथवा दफा २२ में चालान।

पुलिस के थानेदार को या उससे बड़े अफ़सर को रजिस्टर्ड जरायम पेशा जाति के व्यक्ति के मकान की तलाशी लेने का अधिकार है और पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट की आज्ञा से थानेदार या उससे बड़ा पुलिस अफसर किसी भी जरायम पेशा जाति के घर की तलाशी ले सकता है।

अपराध का विस्तार:—

कितना अपराध जरायम पेशा जातियां द्वारा किया जाता है और वे समाज को कितनी हानि पहुँचाते हैं इसका ठीक से पता नहीं। इसके कई कारण हैं। जरायम पेशा जाति के लोग अपराध करने में बहुत निपुण होते हैं। बहुत ही सफाई से अपराध करते हैं और बहुत ही मुश्किल से पकड़े जाते हैं। नौटिये तो चोरी में इतने होशियार हैं कि चोरी करते समय तो सम्भवतः कभी भी पकड़े नहीं गये

हैं। सूबे में जितने अपराध होते हैं उनमें बहुतों की तो पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं होती और जिन अपराधों की रिपोर्ट की जाती है उनमें से ८० फीसदी अपराधों का पता ही नहीं चलता, इसलिये कुल कितने अपराध जरायम पेशा जातियों द्वारा किये गये ज्ञात नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त पुलिस बिभाग अपराधों के आंकड़े जातिवार नहीं तैयार करता है और न इस कार्य की कोई बिशेष आवश्यकता ही है। केवल एक साल पुलिस विभाग के इन्सपेक्टर जनरल ने इस बात के जानने का प्रयास किया था कि कितने अपराध जरायम पेशा जातियों द्वारा किये गये। उन्होंने पता लगाया कि १६३८ ई० में जरायम पेशा जाति के लोगों पर निम्नलिखित अपराधों की जिम्मेदारी डाली गई थी।

डाके में २०००) का माल लूटा

राहजनी और चोरी में ३० लाख रुपये की सम्पत्ति हरण की।

३४२६ जानवर चुराये।

३४००० घरों में सेंध लगाई।

ऊपर कहा जा चुका है कि अपराध करते समय जरायम पेशा जाति के लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिये पुलिस इन लोगों को रोक थाम की दफाओं में अधिकतर गिरफ्तार करती है। यह दफायें १०६ व ११० ज़ाब्ता फौज़दारी कानून की हैं और दफ़ा २२ जरायम पेशा कानून की हैं। जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत प्रति साल कितने जरायम पेशा जातियों के व्यक्तियों को दण्ड दिया गया इसके कुछ बर्षों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं।

१६३८	१३८४ अपराधों को रिपोर्ट की गई और मुकद्दमा चलाया गया।	
१६३६	१५२५	,,
१६४०	१३५७	,,
१६४१	६८६	,,
१६४२	११००	,,
१६४३	११३३	,,

पुलिस की प्रत्येक साल की रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि जरायम पेशा जाति के लोग इससे कहीं अधिक ज़िम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस का विचार है कि जरायम पेशा जाति के कानून की आवश्यकता नहीं है इसके स्थान पर आदतन अपराधियों के कानून बनाये जाये।

अपराध करने के कारण—जिस युग में प्रथम बार जरायम पेशा जाति का क़ानून बना था उन दिनों दण्डशास्त्र में इटालियन वैज्ञानिक और शास्त्रज्ञ लोम्ब्रोसो (Lombroso) ने अपराध सम्बन्धी मत प्रतिपादित किया था, वह सर्वमान्य था। उन्होंने इटली और आसपास के बहुत से देशों के जेलखानों के बन्दियों का निरीक्षण किया था और उनके शरीर के अंगों की नाप तौल की थी और वे इस निश्चय पर पहुँचे थे कि अपराधी पुरुष एक विचित्र प्रकार के होते हैं और शारीरिक बनावटों के कुछ चिन्हों द्वारा यह बताया जा सकता है कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। साथ ही यह भी माना जाता था कि जो शारीरिक बनावट के कारण अपराधी हैं वह जन्म भर

अपराधी रहेगा और किसी प्रकार भी सुधारा नहीं जा सकता । सम्भव है कि जिन लोगों ने अपराधी जाति का क़ानून बनाया था वे भी लोम्ब्रोसोके मत पर विश्वास करते हों और ये समझते हों कि अपराधी जाति के व्यक्ति भी कुछ ऐसे शारीरिक कर्ज़ या चिन्ह रखते हों और उन्हीं के कारण सुधारे नहीं जा सकते हैं और इसलिये उन्हें इस कठोर क़ानून के द्वारा बस में लाना चाहिये ! लोम्ब्रोसो का मत अब सर्वमान्य नहीं है । गारिंग (Goring) ने इंगलैंड के कैदियों की नाप तौल की और अनपराधी व्यक्तियों की भी और इस निश्चय पर पहुँचे कि अपराधी और अनपराधी व्यक्तियों की शारीरिक बनावट में कोई फ़र्क़ नहीं है । इसी प्रकार पहिले यह भी समझा जाता था कि अपराधी व्यक्ति की बुद्धि में कुछ दोष होता है और अपराधी प्रायः मन्द बुद्धि होते हैं । किन्तु यह बात भी मिथ्या सिद्ध की जा चुकी है । पिछली लड़ाई में अमरीका में फ़ौज में भरती करने के पहिले सिपाहियों की बुद्धि की परीक्षा डाक्टरों द्वारा की जाती थी । उन लोगों की बुद्धि परीक्षा का जो फल निकला वह जेलख़ाने में रहने वाले कैदियों का भी था । इसलिये जो अपराध करने के कारण, अन्य देशों में ग़लत साबित होचुके हैं वे जरायम पेशा जातियों के लिये भी सत्य न होंगे । अलावा जो कुछ भी नाप तौल शरीर की भारतवर्ष में हुई है उससे यही पता चलता है कि शरीर की बनावट अथवा रक्त की बनावट में जरायम पेशा जातियों और अन्य जातियों में कोई अन्तर नहीं है ।

अच्छा तो फिर अपराधी जातियों के अपराध करने के क्या अन्य कारण हो सकते हैं । इस विषय पर अभी तक कोई जाँच नहीं की गई

है और यह जाँच का एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर भी जिन कारणों से एक व्यक्ति अपराधी हो जाता है और समाज के प्रति घृणा और हिंसा का भाव रखता है, वे ही कारण जरायम पेशा जातियों के लिये भी लागू हो सकते हैं। अपराधी व्यक्ति समाज में अपने को ठीक से निभा नहीं पाता, समाज और उसके हित अलग-अलग होते हैं और इसलिये अपना हित करने के लिये वह समाज को हानि करता है। अपराधी जातियाँ भी समाज में अपने को ठीक से निभा नहीं पातीं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिये समाज की हानि करती हैं। वे समाज को अपना दुश्मन भी समझती हैं। अपराध करने का केवल कोई एक कारण नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों में व्यक्ति उलझ जाता है, वह परिस्थितियों का शिकार बन कर अपराध करने पर मजबूर होजाता है, और इच्छा न होते हुये भी उसे अपराध करने पड़ते हैं। यही कारण अपराधी जातियों पर भी लागू होते हैं। आर्थिक कारणों ही को लीजिये जिनमें मुख्य हैं निर्धनता और बेकारी।

निर्धनता:—अधिकतर जरायम पेशा जातियाँ निर्धन हैं और वह भी साधारण निर्धन नहीं, बल्कि बिलकुल ही निर्धन। नतो उनके पास खाने को पर्याप्त वस्तुयें, और न पहिनने के लिये कपड़ा और न रहने के लिये मकान ही होते हैं। न इनके पास खेत या ज़मीन होती है जिसके द्वारा मेहनत करके यह अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकें।

बेकारी:—अधिकतर अपराधी जातियों के पास कोई उद्यम नहीं

है। उनकी ज़मीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जो छोटे मोटे उद्यम इनके पास रह भी गये हैं उनसे जीविका निर्वाह नहीं हो सकता। यह उद्यम इस प्रकार हैं, मज़दूरी, जानवर पालना या चराना, डलिया बनाना, रस्सी बनाना, जंगल से चिड़ियाँ पकड़कर खाना या बेंचना, शहद, लकड़ी, फल, जड़ा बूटी इत्यादि एकत्रित करना। इन उद्यमों से उनका जीवन निर्वाह नहीं होता। निर्धनता और बेकारी का यह हाल है कि इनकी स्त्रियों को भी काम करना पड़ता है। नाचना, बजाना, गाना इत्यादि के अतिरिक्त वेश्यागिरी भी करनी पड़ती है।

सामाजिक कारण:—हिन्दू समाज की विशेषता जाति है। जाति श्रेणी बद्ध है, अथवा कोई जाति ऊँची और कोई नीची। नीची जातियों को हरिजन भी कहा जाता है। अपराधी जातियाँ अधिकतर हरिजन जातियाँ हैं और हरिजनों में भी बहुत ही हीन। डोम तो सम्भवतः सबसे नीच समझा जाता है। हरिजन जातियों पर बहुत सी सामाजिक अयोग्यतायें हैं। यह लोग मन्दिरों में नहीं जा सकते, अन्य जातियों के साथ उठ बैठ नहीं सकते, खाना पीना तो दूर रहा। कुछ जातियों को छूना भी बुरा समझा जाता है। शिक्षा की बिलकुल ही सुविधा नहीं है ऐसी जातियों को समाज अपने से बहिष्कृत करता है और जैसा कि होना चाहिये यह लोग भी समाज़ को अपना दुश्मन समझते हैं।

कुछ जातियों के पास पहिले उद्यम थे किन्तु वे अब किन्हीं कारणों से छिन गये हैं। बंजारे पहिले फौज का सामान ढोते थे किन्तु

यह काम उनसे छिन गया है और वे दूसरे काम में ठीक तौर पर जम नहीं पाये । कुछ जातियों के पुरखे किसी सामाजिक अपराध के कारण अपनी जाति या राज्य से बहिष्कृत कर दिये गये थे। उन्होंने अपराध करके अपनी जीविका निर्वाह की और समाज से बदला लिया और उनके वंशज भी वही काम करते आ रहे हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण:—गीता में लिखा है कि सब को अपना धर्म पालन करना चाहिए। धर्म चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो उसका पालन ही करना चाहिये चाहे उसका कुछ भी परिणाम क्यों न हो। अपराधी जातियाँ भी इसी मत को अपने पक्ष में लाती हैं और कहती हैं कि समाज के विरुद्ध अपराध करना ही उनका धर्म है और इसलिये यदि अपराध करने में उन्हें चाहे जो भी कठिनाई पड़े या जो भी दण्ड उन्हें मिले उसे उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। बहुत दिनों से अपराध करते-करते यह लोग अपराध करने में निपुण होगये हैं। अपने हुनर को बेटा बाप से सीखता है और उसमें निपुण हो जाता है। एक जाति आमतौर पर एक ही प्रकार का अपराध एक ही प्रकार से करती है। अपराधी जातियाँ अशिक्षित, अज्ञानी तथा धर्मभीरु हैं। भूत प्रेत. जादू टोनों, शगुन, अपशकुन में विश्वास करती हैं। यह लोग बहुत ही जल्दबाज़ होते हैं। प्रत्येक कार्य का तुरन्त फल चाहते हैं। खेती इसलिये नहीं पसन्द करते कि उसमें बहुत दिनों के परिश्रम के पश्चात फल मिलता है। खेती भी उसी को करेंगे जो जल्द ही कर सकें। यदि माहवारी तनख्वाह की नौकरी उन्हें नापसंद

है । यदि मजदूरी करनी है तो वे वही पसन्द करेंगे जिसमें उन्हें फ़ौरन ही रोज़ के रोज़ दाम मिल जायें । अपराध को भी इसीलिये पसन्द करते हैं कि इसमें भी प्राप्ति फ़ौरन ही हो जाती है । इनकी पञ्चायतों में वृद्ध व्यक्ति रहते हैं जो यही चाहते हैं कि इनकी जाति जो काम करती आई है वही करती रहे। पञ्चायतें बड़ी शक्तिशाली संस्थायें होती हैं और इस कारण यदि कोई व्यक्ति अपने को सम्हालना और सुधारना भी चाहे तो भी अपने को नहीं सुधार सकता।

अपराधी व्यक्ति को सुधारने के लिये जो साधन प्रयोग में लाये जाते हैं उन्हीं से अपराधी जातियों का भी सुधार किया जा सकता है। अपराध को रोकने, पता लगाने और अपराधी को पकड़ कर उसे अदालत द्वारा दण्ड दिलवाना आवश्यक बात है। यही बात अपराधी जाति के व्यक्तियों पर लागू हैं। किन्तु अपराधी जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ठीक करना भी आवश्यक है। उनकी बेकारी को दूर करना, उन्हें जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन देना भी ज़रूरी है। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के लिये मकानों का प्रबन्ध होना चाहिये। उनकी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को सुलझाना पड़ेगा। उनकी पञ्चायतों का ध्येय बदलना पड़ेगा और तभी अपराधी जातियों का सुधार हो सकेगा।

चौथा भाग

जातीय संगठन

प्रत्येक जाति में एक ऐसी संस्था होती है जो जाति के प्रत्येक व्यक्ति से जाति के नियमों का पालन कराती है। उच्च जातियों में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इत्यादि में यह संस्था केवल लोकमत ही होता है किन्तु अन्य जातियों में एक शासन-प्रणाली होती है और उस शासन को पंचायत कहते हैं। पंचायत के अधिकार जाति जाति में भिन्न होते हैं। किन्तु जिन जातियों में पंचायत होती है उसे झगड़ों को निपटाने का अधिकार होता है, जाति के नियमों का उल्लंघन करने के अभियोगों की जांच करना तथा अपराधी को दंड देना भी पंचायत के अधिकार में होता है। पंचायत को यह भी अधिकार होता है कि उन कार्यों को करने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करे जिनके विषय में जाति के नियमानुसार पंचायत का मत लिया जाना चाहिये।

कुछ बातें समस्त पंचायतों के लिये लागू होती हैं। जिस समूह पर पंचायत शासन करती है, वह समस्त जाति नहीं होती वह केवल जाति या उपजाति का उतना भाग होता है जिसके भीतर विवाह हो सकता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कन्या के संग विवाह

कर सकता है तो निस्संदेह वह उसका बनाया हुआ भोजन भी कर सकता है इसी प्रकार वह दोनों एक ही पंचायत में बैठ भी सकते हैं। इस कारण यह सम्भव है कि एक जाति में बहुत सी पंचायतें हों, क्योंकि एक पंचायत का अधिकार उसके एक ही भाग तक सीमित रहता है, जिसके व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं। किन्तु पंचायत का निष्केन्द्रीयकरण इससे भी अधिक होता है। पंचायत जाति के केवल एक भाग ही की नहीं होती वरन् उप-जाति के स्थानीय भाग की भी होती है अथवा पंचायत जाति की नहीं, बिरादरी की होती है। प्रत्येक पंचायत की सीमा निर्धारित होती है। कुछ पंचायतें केवल एक ही गाँव की अथवा एक ग्राम समूह की होती हैं, नगरों में तो बहुधा एक ही उप-जाति की कई पंचायतें होती हैं। पचायतों की सीमा को इलाका, जुआर, टाट, चटाई, या गोल कहते हैं। यह पंचायतें स्वतंत्र होते हुये भी अन्य पंचायतों के निर्णय को शिरोधार्य मानती है। पंचायत के अर्थ "पांच" व्यक्तियों से होते हैं किन्तु यह कहना बिलकुल सही न होगा कि प्रत्येक जाति की पंचायत में केवल पांच ही व्यक्ति होते हैं। बिरला किसी ही पंचायत में केवल पांच व्यक्ति होते हों। पंचायत में बोलने और राय देने का अधिकार बिरादरी के प्रत्येक बालिग पुरुष को होता है। पंचायत इसी बिरादरी द्वारा चुनी जाती है। प्रत्येक जाति की पंचायत के विधान में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है, किन्तु मुख्य भेद केवल एक ही होता है, यानी पंचायत स्थाई है या अस्थाई। स्थाई पंचायत की पहिचान है कि उसका कम से कम एक अफसर स्थाई हो जिसका फर्ज यह

होता है कि जातीय अपराधों की सूचना पंचायत को दे और पचायत की बैठक बुलाये। पंचायत की बैठक में यही व्यक्ति सभापति का आसन ग्रहण करता है। अस्थाई पंचायत में इस प्रकार का कोई अफसर नहीं होता। और जब कोई विवादग्रस्त प्रश्न उपस्थित होता है तो बिरादरी केवल उसी प्रश्न को निपटाने के लिये एक पंचायत चुन लेती है।

आम तौर पर यह देखा गया है कि स्थाई पंचायतें उन जातियों में हैं जो या तो नीच जाति की हैं, या कोई विशेष उद्यम करती हैं। ऊँची जातियों में या तो पंचायत होती ही नहीं अथवा अस्थाई पंचायत होती है। जरायम पेशा जातियाँ आम तौर पर हर नीच जाति की हैं या उनका कोई विशेष उद्यम है, इसलिये उनमें स्थाई पंचायतें होती हैं। निम्नलिखित जरायम पेशा जातियों में स्थाई पंचायतें हैं।

वे जातियाँ जिनमें कोई विशेष उद्यम है: - अहेड़िया, बहेलिया, बंजारा, गीधिया, सासिया, क़लन्दर फ़क़ीर।

वे जातियाँ जो किसी व्यापार से सम्बन्धित हैं:—खटिक।

वे जातियाँ जो सम्मानित मानी जाती हैं और जिनका कोई उद्यम या व्यापार नहीं है:—गूजर। वे जातियाँ जो नीच मानी जाती हैं और जिनका कोई विशेष उद्यम या व्यापार न हो:—भर, डोम, दुसाध, कंजड़, मुसहर, नट और पासी।

पंचायत के प्रधान को सरपंच कहते हैं, किन्तु उसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे—चौधरी, प्रधान, महतो, जमादार, तख्त, मुकद्दम, बादशाह, मेहतर, महती, साक़ी इत्यादि। कुछ जातियों में

सरपंच चुना जाता है और कुछ में यह पद पुश्तैनी होता है। यदि चुना हुआ पद होता है तो भी उस व्यक्ति के जीवन पर्यन्त तक होता है और दूसरा चुनाव उसकी मृत्यु पर ही होता है। कुछ जातियों में सरपंच के अतिरिक्त एक दो और स्थायी पदाधिकारी होते हैं। वे नायब, सरपंच, मुन्सिफ, दरोगा, दीवान, मुख्तार, चोबदार, छड़ीदार, दाढ़ी, सिपाही, अथवा प्यादा के नामों से पुकारे जाते हैं। यदि सरपंच का आसन पुश्तैनी होता है तो सरपंच की मृत्यु पर उसका बड़ा बेटा यदि वह सच्चरित्र और दिमाग़ का ठीक हो तो सरपंच बना दिया जाता है। यदि किसी सरपंच के बेटा न हो या उपरोक्त कारणों से अयोग्य हो तो यह पद उसके दूसरे वारिस को मिलता है या उसी परिवार का कोई योग्य व्यक्ति चुन लिया जाता है। यदि बेटा कम उम्र का हो तो उसकी नाबालिगी में अन्य बड़ा सम्बन्धी उसके स्थान पर काम करता है। कुछ जातियों में तो पंचायत के निर्णय को नाबालिग सरपंच के मुँह से ही कहलाते हैं। जब नया सरपंच चुना जाता है तो उसके सिर पर पगड़ी बाँधी जाती है। पंचायतों की मीटिंगें तीन अवसरों पर होती हैं—एक तो बिरादरी के भोज के अवसर पर, दूसरे जब विशेष प्रयोजन से सभा बुलाई जाय, तीसरे निश्चित अवसरों पर। बिरादरी के भोज के अवसर पर यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करना होता है तो वह खड़ा होकर अपनी शिकायत पेश करता है और पंचायत उस पर अपना निर्णय देती है। किन्तु विवाह इत्यादि शुभ अवसरों पर झगड़े के प्रश्न कम उठाये जाते हैं क्योंकि किसी के उत्सव के समय विघ्न

डालना पंचायत पसंद नहीं करती है। सरपंच स्वयं अपनी इच्छा से या बिरादरी के कुछ व्यक्तियों की इच्छा से पंचायत की बैठक बुला सकता है। कुछ जातियों की पंचायतें मेलों या त्योहारों पर अवश्य ही बुलाई जाती हैं, पंचायतों की कार्य-प्रणाली अदालतों से मिलती जुलती है। पहिले अभियुक्त पर अभियोग लगाया जाता है और अभियुक्त से पूछा जाता है कि वह दोषी है या निर्दोष। यदि वह दोष स्वीकार कर लेता है तो उसे फौरन ही दंड सुना दिया जाता है। यदि वह अपने को निर्दोष कहता है तो पक्ष और विपक्ष की गवाहियाँ सुनी जाती हैं। दोनों ओर से बहस होती है। पंचायत में फिर मत लिया जाता है और पंचायत का निर्णय तथा दंड सुना दिया जाता है। सारी कार्यवाही ज़बानी ही होती है। बिरादरी और पंचायत का प्रत्येक सदस्य गवाहियों के अतिरिक्त अपनी निजी जानकारी और धारणा को भी काम में लाता है। कुछ जातियों में पंचायत का निर्णय एक मत से होना चाहिये, कुछ में बहुमत से। दंड के भी कई रूप होते हैं। किन्तु यदि किसी कारण से अपराधी को तुरन्त ही दंड दिया नहीं जाता या नहीं दिया जा सकता तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है जब तक कि वह पंचायत की दी हुई सजा को भोग न ले। और यदि अपराधी व्यक्ति पंचायत द्वारा निर्धारित दंड को भोगने के लिये प्रस्तुत न हो तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

पंचायत के समक्ष निम्नलिखित जातीय अपराधों के मामले पेश हो सकते हैं।

१. जाति के खान-पान के नियमों का उल्लंघन।

२. जाति के विवाह सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन या न पालन करना जैसे—

अ. दूसरे की स्त्री को फुसलाना या उसके साथ व्यभिचार करना।

ब. चरित्रहीनता अथवा किसी अन्य स्त्री को अपने यहाँ रखेली बना कर रखना।

स. विवाह करने का वचन देने के पश्चात विवाह न करना।

द. गौना न कराना यानी विवाह हो जाने के पश्चात उचित आयु होने पर भी लड़की को ससुराल न भेजना।

फ. पत्नी को न रखना और न ख़र्चा देना।

ज. पंचायत की बिना आज्ञा के विधवा से विवाह करना जब कि पंचायत की आज्ञा लेना अनिवार्य हो।

३. भोज देने में बिरादरी के किसी नियम का उल्लंघन।

४. बिरादरी के उद्यम या व्यापार सम्बन्धी किसी नियम का उल्लंघन।

५. वर्जित पशुओं की हत्या। जैसे— गाय, बिल्ली, कुत्ता या बन्दर।

६. ब्राह्मणों का अपमान करना।

७. मारपीट या ऋण सम्बन्धी मामले जिन्हें फौजदारी या दीवानी की अदालतों में जाना चाहिये।

८. दीवानी या फौज़दारी के मुकदमे जिनका निर्णय अदालतों द्वारा हो गया हो उनका फिर से पंचायत द्वारा निर्णय।

केवल अदालती मामलों को छोड़कर शेष बातों के फ़ैसले आम तौर पर सभी पंचायतें करती हैं किन्तु मुरादाबाद जिले की कंजड़, सासिया और नट की पंचायतें सभी मामलों पर निर्णय देती हैं।

पंचायत द्वारा निम्नलिखित सज़ायें दी जा सकती हैं।

१. जुर्माना।

२. बिरादरी या ब्राह्मणों को भोज।

३. जाति से थोड़े दिनों या सदा के लिये बहिष्कृत करना।

कुछ विशेष अपराधों में भीख मांगना, तीर्थ करना अथवा अन्य प्रकार से असम्मानित करने का दंड दिया जाता है। पहिले कुछ अपराधों पर मार पड़ सकती थी। किन्तु इस प्रकार का दंड अब कम दिया जाता है। जुर्माने की रक़म से मिठाई या मदिरा मँगाई जाती है जो बिरादरी को बाँटी जाती है, यदि जुर्माने की रक़म अधिक होती है तो उसका एक भाग कोष में जाता है जिससे कथा कहलाई जाती है।

पंचायतों के अधिकार सब जातियों में एक से नहीं होते। पंचायत के समक्ष कौन और किस प्रकार के अपराधों की सुनवाई हो सकती है, वह बहुधा जाति की आर्थिक और सामाजिक दशा पर निर्भर होता है। सत और असत और गुण और दुर्गुण का निर्णय करना भी मुश्किल होता है। प्रत्येक जाति के लिये इसका एक ही नाप तौल नहीं है। बहादुरी एक जाति में गुण और दूसरे में दुर्गुण मानी जा सकती है। दूसरी जाति की स्त्री भगाना एक जाति में निन्दनीय और दूसरी में स्तुत्य माना जाता है। इसी प्रकार अपराधी जातियों का गुण, दोष नापने का पैमाना अन्य जातियों से अलग है। अन्य जातियाँ चोरी, धोखाधड़ी, राहज़नी, सेंध लगाना, औरतें भगाना बुरा समझती हैं, ऐसे व्यक्तियों को बुरा

कहती हैं और जाति से वहिष्कृत कर देती हैं। अपराधी जातियों में ऐसे व्यक्ति पूज्यनीय और आदर्श माने जाते हैं और उन्हीं की तरह दूसरों को चलने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। अपराधी जातियों की पंचायतें जाति या बिरादरी के नियमों का तो कड़ाई से पालन कराती हैं और यह देखा भी गया है कि अपराधी जाति का एक व्यक्ति अपनी जाति या दल के प्रति जो वफ़ादारी, ईमानदारी या सच्चाई बरतता है वैसा एक साधारण व्यक्ति समाज की ओर बरतता नहीं दिखाई देता है। किन्तु जहाँ तक अपराधी जाति और बाहरी जाति का सम्बन्ध है अपराधी जातियों की पंचायतें यही प्रयत्न करती हैं कि अपनी जाति की सुदृढ़ता बनाये रखते हुये बाहरी समाज का जितना भी नुकसान कर सकें करें। इस कारण अपराधी जातियों की पुरानी पचायतें जाति को अपराध करने की ओर अधिक प्रोत्साहन देती हैं और अपनी जाति का संगठन शक्तिशाली बनाती हैं ताकि वह अधिक से अधिक अपराध कर सके।

यह भी स्पष्ट कर देने की बात है कि यह वर्णन अपराधी जातियों की पुरानी पंचायतों का है और उन पंचायतों का नहीं है जो **रिक्लेमेशन विभाग** की ओर से संगठित की जा रहीं हैं। पंचायतें अपराधी जातियों की उन व्यक्तियों के परिवार के भरण-पोषण का प्रबन्ध करती हैं जो अपराध करने के लिये बाहर गये होते हैं या जेल में होते हैं या अपराध करते हुये मर जाते हैं। पंचायतें चोरी या लूट के माल को बेचने का प्रबन्ध करती हैं, फ़रारों को सहायता देती हैं और पुलिस की कार

गुजारियों की उन्हें सूचना देती है। यह सूचना स्त्रियों द्वारा भेजी जाती है। यही अपराध करने वाले दलों का संगठन करती हैं, भेष बदलने की तरकीब निकालती हैं और अपराध करने के लिये उचित जिले चुनती हैं। यदि जाति का कोई व्यक्ति पुलिस का मुखबिर हो जाता है तो उसे सजा देती हैं। जाति के बालक बालिकाओं को अपराध करने की शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। चोरी और लूट के माल का हिसाब रखती हैं और दल के सदस्यों में हिस्सा बाँटती हैं। यदि चोरी या लूट के माल के बँटवारे में कोई झगड़ा हो तो पंचायत ही इसका निर्णय करती है। यदि कोई व्यक्ति गिरफतार हो जाता है तो उसका हिस्सा उसकी स्त्री को दिलवाया जाता है और उसके मुकदमे का पंचायत ही प्रबन्ध करती है।

पंचायतों का प्रभुत्व पहिले के मुकाबिले में बहुत कम हो गई है, इसके कई कारण हैं। एक तो यातायात के साधन, रेल और मोटर के कारण गाँव के लोग शहर आने जाने लगे हैं और शहरों से नये नये विचार लेकर जाते हैं जो गांव में फैल जाते हैं जिसके कारण जाति के पुराने नियम बहुत कुछ ढीले होते जाते हैं। गाँव की पंचायत का बहिष्कृत व्यक्ति शहर में आकर बस जाता है, शहर की पचायत में शामिल हो जाता है और गाँव की पंचायत उसका कुछ भी नहीं कर सकती। पहले पंचायत के द्वारा शादी विवाह तय होते थे और गाँव या गाँव के समूह में शादी विवाह हो जाते थे, अब शादी विवाह तय करने का क्षेत्र विस्तृत हो गया है और उसमें पंचायत की सहायता की कम आवश्यकता है। कांग्रेस के आन्दोलन का भी प्रभाव पड़ा है,

जिससे पंचायत की धाक कम हो गई है। आर्य समाज के जाति-पांति तोड़क आन्दोलन का भी प्रभाव पड़ा है जिसमें जाति के बहिष्कृत व्यक्तियां को जाति के बाहर आने में सहायता मिली है। पंचायतों में जो मामले फैसल हो सकते थे उनको लोग अदालतों में ले जाने लगे हैं, ज़हाँ पर पंचायतों के निर्णय को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। पंचायतें पहले इस बात पर ज़ोर देती थीं कि उस जाति का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने जातीय पेशे पर ही काम करे। किन्तु आर्थिक कारणों से इस प्रकार के पेशों को छोड़ना पड़ा और पंचायतों ने इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। बहिष्कृत व्यवित को मुसलमान या ईसाई हो जाने की सुविधा है, जहाँ बहिष्कृत व्यक्ति की हालत उसकी जाति से भी अच्छी है। इसलिये पंचायतें किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करने से हिचकती हैं। पहले सरकार द्वारा जाति के सरपंच की इज़्ज़त होती थी और उसी के द्वारा बेगार ली जाती थी किन्तु यह प्रथा अब बन्द हो गई है और सरकार भी सरपंच या चौधरी को अब नहीं मानती। इसके अलावा नये किसान कानून ने किसानों की दशा और आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार किया है। पहले के आसामी जमींदार द्वारा बेदख़ल कर दिये जाते थे। जमींदारों से मुकाबला करने के लिए उन्हें अपनी जाति को संगठित करना पड़ता था जो पंचायतों द्वारा ही होता था किन्तु अब पंचायत द्वारा यह काम करने की आवश्यकता नहीं है।

यह भी कहने योग्य बात है कि पंचायतों का प्रभुत्व ऊँची जातियों में अधिक कम हुआ है। प्रान्त के पश्चिमी ज़िलों में भी अधिक कम

हुई है, किन्तु प्रान्त के पूर्वीय ज़िले जहां के लोग अधिक निर्धन हैं तथा नीच जातियों, में जहां शिक्षा कम पहुँच पाई है, पंचायतों का प्रभुत्त्व अधिक कम नहीं हुआ है और पंचायतों के आदेशों के सामने सबको सिर झुकाना पड़ता है। पंचायत में परमेश्वर निवास करते हैं यह एक प्रचलित कहावत है तथा पंचों के मुख से ईश्वर के वाक्य ही निकलते हैं ऐसा भी माना जाता है।

मिस्टर ब्लन्ट ने अपनी पुस्तक में अपराधी जातियों की पंचायतों के विषय में निम्नलिखित विचित्र बातों का वर्णन किया है :—

बंजारा—इनका सरपंच नायक कहलाता है और उसका पद पुश्तैनी होती है। वादी बंजारों की पूरी पंचायत पुश्तैनी होती है।

बनमानुष—यह मुसहरों की एक उपजाति है इनका चौधरी पुश्तैनी होता है।

गिधिया—मुरादाबाद जिले में प्रत्येक उप-जाति की पृथक-पृथक पुश्तैनी पंचायतें हैं जिनका सरपंच प्रधान कहलाता है। प्रधान जब पदासीन होता है तो उसे पांच रुपया की मिठाई खिलानी पड़ती है।

गूजर—प्रत्येक गांव में एक स्थाई पांच व्यक्तियों की पंचायत होती है, सरपंच पुश्तैनी होता है। यदि कोई भी जटिल मामला पंचायत के सामने आता है तो उसका निर्णय कई गावों की पंचायत द्वारा चुनी हुई विशेष पंचायत करती है।

खटिक—अलीगढ़ ज़िले में सरपंच पुश्तैनी होता है और चौधरी कहलाता है। शेष पंच तीन अथवा चार होते हैं और प्रत्येक अवसर पर चुने जाते हैं। किन्तु सदा वही लोग और उनकी मृत्यु पर उनके

पुत्र हो चुने जाते हैं। गोरखपुर ज़िले में सोनकार उप-जाति में सरपंच चौधरी कहलाता है तथा अन्य पंच सभी पुश्तैनी होते हैं। पोतदार उप-जातियों में चौधरी और प्रधान दोनों ही पुश्तैनी होते हैं। शकवा उप-जाति में केवल एक ही चौधरी होता है जो एक वर्ष के लिये दशहरे पर चुना जाता है। बुलन्दशहर के प्रत्येक गांव में खटिकों की पंचायत है। सौ गांव के ऊपर एक बड़ी पंचायत है। छोटी पंचायत का सरपंच मुकद्दम और बड़ी का सरपंच चौधरी कहलाता है।

डोम—इनकी पंचायत में सरपंच की राय सर्वमान्य होती है।

बंजारा—बिजनौर ज़िले के गौर बंजारे संगीन अपराधों में अभियुक्त को सज़ा देते हैं कि अपने घराने की एक लड़की वादी के खानदान में व्याह दे। सम्भवतः वादी के नुकसान को पूरा करने का यही तरीका हो अथवा अभियुक्त को नीचा दिखाने का, किन्तु उस गरीब लड़की की इसमें कोई राय नहीं ली जाती है।

डोम—अलमोड़ा ज़िले का यदि कोई डोम गौहत्या करता है तो उसे तीर्थयात्रा करने के लिये जाना पड़ता है तथा मार्ग में भीख मांगना पड़ता है। और जिस हथियार से गौहत्या की गई थी उसका प्रदर्शन करना पड़ता है।

गिधिया—इनकी जाति में इस प्रकार दंड दिया जाता है।

अपराध	जुर्माना
अ. परस्त्री गमन (जाति में)	पांच रुपया
ब. व्यभिचार (जाति के बाहर)	
१. स्त्री द्वारा—	जाति के बाहर।

२. पुरुष द्वारा—	यदि स्त्री ऊँची जाति की हो तो जुर्माना पांच रुपया, यदि नीच हिन्दू जाति की हो या अन्य धर्म की हो तो जाति बहिष्कार।
स. गौहत्या—	भीख मांगना, गंगा-स्नान करना और बिरादरी को भोज देना।
द. खान-पान के नियमों का उल्लंघन—	गंगास्नान और बिरादरी भोज।
इ. विवाह-सम्बन्धी वाचनों का पालन न करना—	ढाई रुपया से पांच रुपया तक जुर्माना।
फ.मारपीट या कर्ज	एक रुपया या दो रुपया जुर्माना।

कंजड़—गौहत्या करने वाले को अन्य हरजाने के अतिरिक्त ब्राह्मण को बछिया दान करनी पड़ती है।

नट :—इनके यहाँ निम्नलिखित दण्ड मिलता है—

१. पर स्त्री गमन अथवा पर पुरुष से व्यभिचार, जुर्माना—	स्त्री को वापस करना अथवा उसकी वधू का मूल्य चुकता करना।
२. गौहत्या—	चालीस रोज़ भीख मांगना, गंगाजी में स्नान करना और ब्राह्मणों को भोज।
३. खान-पान सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन—	पाँच रुपया या दस रुपया जुर्माना। गंगास्नान, ब्राह्मण और बिरादरी को भोज।

४. विवाह सम्बन्धी वचन भंग करना— दूसरी ओर का समस्त खर्च देना।

५. कुत्ता, बिल्ली, गधे की हत्या करना— दो रुपये से चार रुपये तक जुर्माना।

६. मारपीट— एक रुपये से चार रुपये तक जुर्माना।

१६३१ की सूबे की जनगणना के रिपोर्ट में फजलपुर सेटलमेन्ट में रहने वाली जरायम पेशा जातियों की पंचायत का निम्नप्रकार वर्णन दिया गया है—

फज़लपुर सेटलमेन्ट में भाँतू, डोम, हाबूड़ा और सांसिये रहते हैं। क्योंकि इस सेटलमेन्ट का प्रबन्ध मुक्ति फौज के आधीन है इस कारण यहाँ के रहने वालों ने अपनी असली जाति को छिपाकर हिन्दुस्तानी ईसाई दिखाया है। भाँतू और हाबूड़े जब सेटलमेन्ट में भर्ती नहीं किये गये थे तो जातीय झगड़ों का निबटारा करने के लिये साधारणतया जो सभा बैठती थी वह पूरी बिरादरी की सभा नहीं होती थी, वरन् पांच व्यक्तियों की पंचायत होती थी जिसके द्वारा वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों को चुना जाता था। बिरादरी का चौधरी आमतौर पर उसका चौधरी होता था, बल्कि ऐसा होना आवश्यक न था बिरादरी के अन्य व्यक्ति पंचायत के समक्ष दर्शकों के रूप में इकट्ठा होते थे, और इस बात का प्रबन्ध करते थे कि पंचायत की आज्ञा का उसी दम पालन हो, चाहे पालन कराने के लिए बल ही का प्रयोग करना क्यों न पड़े।

"जरायम पेशा जातियों की पंचायत जीवित संस्थायें हैं। अन्य जातियों की पंचायतों के अधिकार और प्रभुत्व कम हो रहे हैं, किन्तु

जरायम पेशा जातियों की पंचायतों की शक्ति और महत्व दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसका सम्भवतः कारण यह हो सकता है कि अपराध प्रवृत्ति जातियाँ सेटलमेन्टों में बन्द कर दी गई हैं और इस कारण उसकी दबी हुई भावना के उद्‌गार पंचायत की झूठी लड़ाइयों में बाहर निकलने का अवसर प्राप्त करती हैं। फज़लपुर सेटेलमेन्ट के मैनेजर की निगरानी में १६३० में कम से कम ४५ पंचायतें थीं और इनके द्वारा बहुत से फौज़दारी और दीवानी के मुक़दमों का फैसला हुआ। मैनेजर साहब ने इस बात का प्रयत्न किया था कि पंचायतों का काम नियमित ढंग से हो और इसके लिये उन्होंने यह प्रबन्ध किया था कि पंचायत के सामने कोई शिकायत करनी हो तो वह अपनी अर्ज़ी को एक बम्बे में डाल दे जिसे सप्ताह में एक दिन मैनेजर साहब स्वयं खोलते थे और फिर पंचायत की सभा के लिये दिन निश्चित किया जाता था। वादी और प्रतिवादी दोनों दो-दो पंच नामज़द करते थे जो उसके हिमायती हो सकते थे किन्तु सम्बन्धी नहीं हो सकते। सरपंच को मैनेजर द्वारा नामजद कराते थे। प्रत्येक पंच को एक रुपया अपने काम की फीस मिलती थी और जिसमें से चार आने मैनेजर साहब फुटकर खर्च के लिये ले लेते थे। यदि कोई व्यक्ति या दल पंचायत के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह दूसरी पंचायत चुनवा सकता था। किन्तु तब उसको पंचायत बुलाने का पूरा खर्च यानी पाँच रुपया देना पड़ता था। तीसरी बार भी इसी प्रकार से पचायत बुलाई जाती थी किन्तु तब मैनेजर साहब स्वयं मध्यस्थ बनाकर अपना निर्णय देते थे। पंचायत के निर्णय को

प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता था, न मानने वाले को जाति से बाहर निकाल दिया जाता था।

"पंचायत दोष अथवा निर्दोष का निर्णय आदि काल के उपायों द्वारा करती थी। जो कोई गरम लोहा छू ले और उसका हाथ न जले तो वह निर्दोष माना जाता था, जिसका हाथ गरम लोहे से जल जाता था वही दोषी माना जाता था। दूसरा तरीका जल को परीक्षा थी। सन्दिग्ध व्यक्ति पानी में डुक्की लगाते थे जो सबसे पहिले पानी के बाहर निकल आता था वही दोषी माना जाता था। पंचायत के द्वारा बेतों के मार की सज़ा अथवा शारीरिक दंड भी दिया जाता था। एक मामले में सुना गया था कि पंचायत ने एक आदमी के कानों को काटने का आदेश दिया था गोकि आदमी के कान नहीं काटे गये तो भी उसकी इतनी दुर्गति बनाई गई कि जिसका प्रभाव उस पर जीवन पर्यन्त पड़ेगा। पर स्त्री गमन की एक सज़ा यह भी थी कि दोषी व्यक्ति के एक ओर के बाल, मूंछें और दाढ़ी बनवा देते थे और पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर स्त्री को जंघों तक ज़मीन में गाड़ देते थे।

कुछ अपराधों के लिये जुर्माने की सज़ा दी जाती थी। भॉतू और हाबूड़े धन को कमकद्र करते थे। क्योंकि दोनों ही जातियाँ जब अपराध करती थीं तो बिना परिश्रम के अधिक धन प्राप्त कर लेती थीं। इसलिये उनकी पंचायतें जुर्माने में अधिक रुपयों की सज़ा देती थीं जो कि अब जब कि वह सेटलमेन्ट में रहने के कारण और अपराध करने को इतनी सुविधा नहीं रह गई थी भुगताना कठिन

होजाता था। इसी कारण वह पंचायत के समक्ष कर्ज़ सम्बन्धी बहुत से ऐसे मुकदमे लाते थे जिनमें रुपया मिलने की बिलकुल आशा नहीं होती और पंचायत ऐसे कर्ज के मुकदमों का निर्णय करती थी और भारी दर से ब्याज दिलवाती थी।

जुर्माने की जो दर १९३१ में सेटलमेन्टों की पंचायतों में प्रचलित थी वह नीचे दीजाती है।

अनैतिकता

१, जवान लड़की के साथ बदचलनी।

जुर्माना

भातू	८० रुपये से १२५ रुपये तक
साँसिया	१० रुपये से ३० रुपये तक
डोम	१० रुपया
हाबूड़ा	यदि लड़की की स्वीकृति से हो तो ५ रुपया
हाबूड़ा	बलात्कार १२० रुपया

२. पर स्त्री के साथ बदचलनी।

भातू	२५० रुपया
साँसिया	स्त्री की स्वीकृति से १ रुपया
साँसिया	बलात्कार पांच रुपया
डोम	१० रुपया
हाबूड़ा	१५० रुपया

विवाह सम्बन्धी क़रारदाद

विवाह सम्बन्धी .करारदाद के रुपयों पर सूद नहीं चढ़ता। यदि

विवाह में ५०० रुपये ठहरे हों और केवल २०० रुपये दिये गये हों तो शेष रुपया २० वर्ष तक न दिया जाये तो उस पर सूद नहीं चढ़ सकता। किन्तु अक्सर ऐसा होता है कि यदि पति ने पूरी रकम नहीं दी हो तो पिता को अधिकार होता है कि अपनी पुत्री को वापस लेले और उसे दूसरे को बेचकर व्याह कर दे और अपनी क्षति पूरी कर ले।

सूद की दर

भाँतू और हाबूड़ों में २५ फीसदी से ७५ रुपया फीसदी सालाना सूद लिया जाता था। कुछ मामलों में १०० फीसदी भी सूद लिया गया था। डोम चार आने प्रति मास प्रति रुपया और सांसिया एक आना प्रति मास प्रति रुपया सूद देते थे।

हर्जाना

अ. दांत टूटने पर—यदि आपस में झगड़ा हो और एक का दांत टूट जाये तो वह दूसरे से हर्जाना वसूल कर सकता था। भाँतू में यह जुर्माना ३० रुपया फी दांत होता था। सांसियों में दो रुपया फी दांत। डोम और हाबूड़ों में दांत टूटने पर कोई हर्जाना नहीं मिलता था।

ब. सांप काटने पर—यदि दो भाँतू संग-संग यात्रा कर रहे हों और यदि एक को साँप काट ले और उसकी मृत्यु हो जाय तो जीवित रहने वाले को मृतक की आयु के अनुसार मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को हर्जाना देना पड़ेगा। जो ४०० रुपया तक हो सकता था। यदि

मृत व्यक्ति बालक या बालिका हो तो हरजाना १०० रुपये से २०० रुपये तक दिलवाया जा सकता था। डोमों में २०० रुपया हर्जाना दिलवाया जाता था। सांसियों में १०० रुपया हाबूड़ों में यह रिवाज नहीं था।

स. अंग-भंग होने पर—यदि लड़ाई में चोट लगे वह चोट की भीषणता के अनुसार १०० रु० से २५० रु० तक जुर्माना मांग सकता था। हाबूड़ों में इस प्रकार के अवसरों पर इलाज के खर्च के अतिरिक्त चार आना रोज़ हर्जाना मांगा जाता था। डोम और सांसियों में केवल अपनी मज़दूरी की हानि के बराबर धन मांगा जासकता था।

दूसरों को बदनाम करना

बदनाम करने पर हाबूड़ा, डोम और सांसियों में पांच रुपया से २५ रु० तक जुर्माना हो सकता था। १६३० में बहुत-सी पंचायतों ने जुर्माना या क़र्ज़ा या हर्जाने की डिग्रियों में एक मुकदमें में १००रु० से अधिक रकम दिलवाई। विवाह के करारदाद के मुकदमों में २०० रु० से अधिक रकम दिलवाई।

हाबूड़ों की पंचायत का वर्णन किया जा चुका है। १६३० में हाबूड़ों की पंचायत के समक्ष एक मजेदार मुकदमा पेश हुआ था। हाबूड़ों के एक दल का पीछा पुलिस ने किया। एक हाबूड़ा भागते समय नदी में गिरकर मर गया शेष हाबूड़े पकड़े गये और उन पर मुकदमा चला और उन्हें लम्बी सज़ायें होगई। जो हाबूड़ा मर गया था उसकी विधवा ने पंचायत के सामने अपने पति की मृत्यु के हर्जाने

का दावा शेष दल वालों पर किया और आशा की जाती थी कि वह स्त्री अपना मुकदमा जीत जायेगी।

इतना भारी जुर्माना करने और इतनी बड़ी रकम के पूरी करने का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति पर लम्बे लम्बे क़र्ज हो गये जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र और पौत्रों को अदा करना पड़ता है। एक युवक को अपने दादा परदादों के ऐसे ही क़र्ज़ों को अदा करना पड़ता है जिन क़र्ज़ों के मूलधन और मूल कारणों का उसे बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता और न उसे यही पता चलता है कि उसे कुल कितनी रकम अदा करनी है और कितने सालों में अदा हो जायेगी। पंचायतें दहेज़ की रकमों को भी इतनी बड़ी तादाद में नियत करती हैं जिनका भुगतान असम्भव होता है।

पंच लोग बिरादरी के वृद्ध होते हैं और इस कारण उन पर सुधार के प्रचार का बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर पंचायतें सेटलमेन्ट के मैनेजर की जानकारी के बिना ही अपना काम करती हैं और जो युवक लोग अपने को पुराने वातावरण से पृथक् करना चाहते हैं वे पंचायत के भय के कारण नहीं कर पाते।

—

रिक्लेमेशन विभाग का काम

१९३८ ई० में कांग्रेस सरकार सूबे में हुकूमत करती थी। तब उसने जरायम पेशा जातियों की हालत की जाँच करने के लिये एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में निम्नलिखित सदस्य थे।

१. श्री वेंकटेशनारायण तिवारी एम० एल० ए० — चेयरमैन

२. श्री रहसबिहारी तिवारी — — सदस्य

३. श्री बी० जी० पी० टामस ओ० बी० ई० आई० पी० ,,

४. बेगम एजाज़ रसूल एम० एल० सी० ,,

५. श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव एम० एल० ए० ,,

६. मिस्टर जी० ए० हेग आई० सी० एस० ,,

७. श्री टी० पी० भल्ला एम०ए०, एल०एल०बी०, आई० पी० मंत्री

इस कमेटी को निम्नलिखित बातों पर विचार करने का आदेश मिला था।

१. जरायम पेशा ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार ने जो-जो घोषणाएँ कीं और जो-जो इश्तहार जारी किये उनमें क्या-क्या परिवर्तन जरूरी हैं।

. सेटलमेन्टों के बाहर जरायम पेशा जातियों के संगठन और उनके सुधार और पुनरुद्धार के लिये कौन से साधन काम में लाने चाहिये।

३. सेटलमेन्टों में रहनेवालों का अच्छी तरह सुधार करने और अन्त में समाज का अंग बनाने के लिये सेटलमेन्टों की प्रथा और शासन-प्रबन्ध में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है,।

४. सेटलमेन्टों और उनके बाहर जो जरायम पेशा जातियाँ ज़िलों में रहती हैं उनका सुधार करने और उनकी निगरानी करने का काम किसको सौंपा जाय।

५. प्रस्तावित सुधारों में अन्दाज से कितना खर्च होगा।

कमेटी की आठ बैठकें हुई उसने प्रश्नों की एक सूची बनाकर सरकारी और गैरसरकारी कर्मचारियों के पास भेजीं जिन्होंने जरायम पेशा जातियों के साथ काम किया था। उन लोगों के जो उत्तर आये उन्हें भी अध्ययन किया गया। अन्य प्रान्तों में जरायम पेशा जातियों के नियमों, कार्य-प्रणालियों और रिपोर्टों का अध्ययन किया। कमेटी ने एक मत होकर सरकार को रिपोर्ट दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि समाज की बुरी प्रथाओं की वजह से और पिछले कई सालों तक उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से जरायम पेशा कौमें चली आती हैं। वे उतनी अपराधी नहीं हैं जितना उनके साथ अपराध किया गया है। अभी तक यही समझा जाता था कि जरायम पेशा जातियों का प्रबन्ध केवल पुलिस ही कर सकती है। किन्तु कमेटी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न उनके सुधारने और उन्हें अपनाने का ही प्रश्न है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को २६ जुलाई १६३८ को पेश कर दी। कमेटी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं।

१. भिन्न-भिन्न जरायम पेशा जातियों के बारे में सरकारी इश्तहार हर मामले पर अलग-अलग विचार करके नीचे दिये हुए तरीके पर संशोधित किये जायँ।

क. उस रकबे को इश्तहार में से अलग करके जिसमें कोई ट्राइब रहती हो या

ख. किसी खास नाम के परिवारों को बरी करके या

ग. इश्तहार को बिलकुल रद्द करके सिर्फ जरायम पेशा जातियों के परिवारों के नामों की घोषणा करके।

२. भिन्न-भिन्न जरायम पेशा जातियों में सुधार की पंचायतें बनाई जानी चाहिये। पहली पंचायत गाँव की होनी चाहिये और फिर थाने की पंचायत और ज़िला कमेटी। सरकारी और ग़ैरसरकारी दोनों तरह के लोग और दान देनेवाली संस्थायें व जरायम पेशा जातियों के निर्वाचित मेम्बर ज़िला कमेटी में शामिल होंगे। और उस कमेटी का कलेक्टर सभापति, पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट उपसभापति, कोई डिप्टी कलेक्टर सेक्रेटरी और कोई वेतन पानेवाला पंचायत अफसर असिस्टेण्ट सेक्रेटरी होगा।

३. जरायम पेशा जातियों के सब इन्सपेक्टरों की जगहों को तोड़ देना चाहिये और उनकी जगह पर पुलिस के काग़ज़ात रखने के लिये पढ़े-लिखे कानिस्टेबिल रखने चाहिये और सुधार के काम के लिये पंचायत अफसरों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशनों को करना चाहिये इसके सिवाय जरायम पेशा जातियों में सुधार का प्रचार करने के लिये वेतन पानेवाले प्रचारक नियुक्त करने चाहियें

और किसी और भी संस्था से जो मिल सके यह काम लेना चाहिये।

४. पंचों और सरपंचों को कुछ रियायतें देकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये।

५. पंचायतें स्थापित करने के लिये १८ हजार रुपया और जरायम पेशा जातियों के बच्चों को वज़ीफ़ा देने के लिये १५ हजार रुपये की आर्थिक सहायता देनी चाहिये। वर्तमान सेटेलमेन्टों की जगह जो सब एक तरीके की हैं, ऐसे सेटेलमेन्ट बसाने चाहियें जिनमें एक सिरे पर रिफार्मेटरी हों और उसके बाद नीचे को खेती-बारी की कोलोनियाँ, मज़दूरी को देने वाले सेटेलमेन्ट, उद्योग-धन्धों और खेती बारी के सेटेलमेन्ट और आख़िर में स्वतन्त्र खेती-बारी की कोलोनी हों। यह ज़रूरी नहीं है कि सेटेलमेंटों के रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इन सेटेलमेंटों में रहना पड़े लेकिन यह इरादा किया जाता है कि सेटेलमेन्टों में रहनेवाले हर व्यक्ति को क्रम से एक के बाद दूसरे अच्छे सेटेलमेन्टों में रक्खा जायगा। और आख़िर में उसको खेती-बारी कालोनी में छोड़ दिया जाये जिसके बाद वह आम लोगों की कालोनी में शरीक हो सके।

७. रिफ़ार्मेंटरी ज़िला जेल इलाहाबाद में रखना चाहिये।

८. सेटेलमेन्टों का प्रबन्ध सरकारी और गैरसरकारी दोनों तरह का होना चाहिये लेकिन इस पर सरकारी निगरानी रक्खी जानी चाहिये। रिफ़ार्मेंटरी का प्रबन्ध सरकार द्वारा होना ज़रूरी है और सेटेलमेन्टों में से कम से कम एक का प्रबन्ध सरकार द्वारा होना

चाहिये। सेटेलमेन्टों का प्रबन्ध केवल एक ही दानशील संस्था के हाथ नहीं सौंपना चाहिये। और अगर दूसरी संस्थायें, जैसे हरिजन सेवक संघ, इस काम को करना चाहें तो उस पर विचार किया जाना चाहिये।

६. जरायम पेशा जातियों की शुद्धि का कोई प्रयत्न न होना चाहिये। लेकिन ऐसे धर्म-प्रचारक जो सेटेलमेन्टों में रहनेवाली जरायम पेशा जातियों के ही धर्म के हों अगर स्वयं अपनी इच्छा से धार्मिक शिक्षा देना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं।

१०. जरायम पेशा जातियों के अफसर इन्चार्ज को खुफिया विभाग के बदले गवर्नमेन्ट के सदर मुकाम पर रहना चाहिये और उसके आधीन काफी क्लर्क और शासन प्रबन्ध करने के लिये कर्मचारी भी होने चाहियें। जिसमें एक गजटेड आफिसर और ऐसे इन्स्पेक्टर शामिल होंगे जो ६ से ८ तक ज़िलों के इन्चार्ज हों। आफिसर इन्चार्ज सेटेलमेन्टों और उनके बाहर रहनेवाली जरायम पेशा कौमों के सुधार के लिये जिम्मेदार होगा। वह एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट होगा। इन्स्पेक्टरों का काम अपने इलाकों के ज़िलों में जरायम पेशा जातियों में पंचायतों का संगठन और दूसरे सुधार का काम करना और ज़िले के पुलिस के दफ्तर के जरायम पेशा जातियों के बारे में कागजात की जांचें करना होगा। सारांश यह है कि इन्स्पेक्टर विशेषज्ञ होंगे। और वे ज़िला अफ़सरों के सुधार के काम में और जरायम पेशा जातियों के एक्ट को प्रयोग में लाने में सहायता देंगे।

११. जिन सुधारों की तज़वीज़ की गई है उसमें लगभग एक लाख रुपया सालाना खर्च होगा।

कमेटी की उपरोक्त तजवीज़ों पर यू० पी० सरकार ने विचार किया और कई तजवीजें मान भी ली गई हैं। अपराधी जातियों के सुधार का प्रबन्ध खुफिया पुलिस विभाग से अलग कर दिया गया है। और सरकार के सदर मुक़ाम ही पर ले आया गाया है। यह दफ्तर रिक्लेमेशन आफिस कहलाता है। रिक्लेमेशन आफिसर इन्डियन पुलिस के अफसर नहीं वरन् प्रान्तीय पुलिस के होते हैं। उस समय रिक्लेमेशन अफसर रायबहादुर चौधरी रिसालसिंह थे। आप अनुभवी अफसर थे और पुलिस के मुहकमें में भी जरायम पेशा जातियों की देख भाल का काम किया था। गोरखपुर के डोमों की सेटेलमेन्ट का प्रबन्ध हरिजन सेवक संघ को दे दिया गया है जरायम पेशा जातियों की पंचायतों के संगठन का काम भी हो रहा है। सेटेलमेन्टों में भी कुछ सुधार हुये हैं। किन्तु कांग्रेस सरकार के इस्तीफा देने के कारण तथा लड़ाई छिड़ जाने की वजह से कमेटी की अन्य तजवीज़ों को अमल में नहीं लाया जा सका। आशा है कि अब जब कि लड़ाई समाप्त होगई है इन तजवीज़ों को अमल में लाया जा सकेगा।

रिक्लेमेशन विभाग १६३६ में स्थापित किया गया था तब से यह विभाग जरायम पेशा जातियों के सुधार तथा हरिजन जातियों के उत्थान के लिये प्रयत्नशील है। यह समझ में नहीं आता कि जरायम पेशा जातियों तथा हरिजन जातियों को एक ही विभाग के अन्तर्गत क्यों रक्खा गया है। कुछ हरिजन जातियों की गणना जरायम पेशा

जातियों में होती है किन्तु अधिकतर हरिजन जातियाँ बिलकुल अपराध नहीं करतीं इसके अलावा बहुत सी जरायम पेशा जातियाँ हरिजन नहीं हैं और कई तो इस बात से रुष्ट हैं कि उनकी गणना हरिजनों में की गई है। जरायम पेशा जातियों तथा हरिजन जातियों की समस्या भिन्न-भिन्न हैं और यह अधिक अच्छा होता कि अलग-अलग विभाग द्वारा उनका सुधार का काम किया जाता। इस पुस्तक में रिक्लेमेशन डिपार्टमेन्ट के केवल जरायम पेशा जातियों के सुधार के कार्यों का सिंहावलोकन किया गया है।

रायबहादुर चौधरी रिसालसिंह जी इस विभाग के अफ्सर पांच साल तक रहे। इसलिये जो कुछ कार्य इस विभाग ने इस अरसे में किया है उसकी आप ही की जिम्मेदारी है और आपको ही उसका श्रेय मिलना चाहिये।

जरायम पेशा जातियों की रजिस्ट्री करने तथा उससे माफी देने का काम अभी तक पुलिस विभाग ही के पास है।

सन् १९३९ में श्री वेंकटेशनारायण तिवारी की कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् जरायम पेशा जातियों के इश्तहार निकालने तथा रजिस्ट्री करने की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया। बौरिया, बरवार, और डोमों के अतिरिक्त अन्य जरायम पेशा जातियों के उन्हीं व्यक्तियों के लिये इश्तहार जारी किये गये तथा रजिस्ट्री करने का आदेश दिया गया, जो पेशेवर अपराधी थे जो बार-बार जेल जाते थे।

इश्तहार निकालने और रजिस्ट्री के तरीके में उपरोक्त परिवर्तन के कारण जरायम पेशा जातियों के सुधार की कार्यप्रणाली में दो

प्रकार से काम किया गया। जो जातियाँ अभी तक अपराधी जातियों ऐक्ट के अनुसार अपराधी घोषित रही हैं उनके सुधार के लिये सख्त तरीकों की आवश्यकता थी। जिन जातियों पर से अपराधी जाति होने की घोषणा हटा ली गई थी उनके सुधार का कार्य तुलनात्मक रूप से सरल था। किन्तु वह भी इस बात पर निर्भर था कि उनके बसाने के लिये उपयुक्त स्थान मिल सके और वे वहाँ बसने के लिये राजी कर लिये जायँ।

रिक्लेमेशन विभाग के लिये सरकार ने प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित धन ख़र्च के लिये मंजूर किया।

सन्	धन ख़र्च के लिये	धन इमारत बनाने इत्या
१६४१	२,५८,६७४ रुपये	६,८६० रुपये
१६४२	२,२७,७७७ रुपये	७,३६० रुपये
१६४३	२,३६,३०० रुपये	६,४१६ रुपये
१६४४	२,६६,२०० रुपये	१२,७०० रुपये
कुल जोड़	६,६४,६५१ रुपये	३६,४३६ रुपये

रिक्लेमेशन अफ़सर के अतिरिक्त इस विभाग में निम्नलिखित अफ़सर रहे। १६४० से १६४४ तक इन अफ़सरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

ग्रूप अफसर	४
पञ्चायतसंगठनकर्ता	१५
कालोनाईजेशन अफसर	१

कुल सूबे की जरायम पेशा जातियों के सुधार के लिये उपरोक्त अफ़सरों की संख्या बेहद कम है।

रिक्लेमेशन विभाग ने जरायम पेशा जातियों के सुधार के लिये निम्नलिखित कार्य प्रणाली पर कार्य किया है।

पंचायतों की वृद्धि।

जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुए सदस्यों के लिये कॉलोनियाँ बनाना।

३. वर्तमान सेटेलमेन्ट तथा बौरियों की कॉलोनियों में सुधार करना।

पंचायतें

१६४० ई० में पंचायतों के संगठन का काम १२ ज़िलों में प्रारम्भ किया गया था। १६४१ ई० में यह काम मुजफ्फरनगर, उन्नाव, कानपुर और सीतापुर के ज़िलों में बढ़ा दिया गया। १६४४ ई० तक पंचायतों के संगठन का काम केवल १६ ज़िलों में हो रहा था जहाँ पंचायत-संगठनकर्ता नियुक्त थे। अन्य ज़िलों में भी पंचायतों का काम जरायम पेशा जाति के सब इन्सपेक्टर की ज़िम्मेवारी पर किया गया। ज़िला अफ़सरों की राय है कि ३० ज़िलों में पंचायत का काम अच्छा है। ११ ज़िलों में अभी तक सन्तोषजनक नहीं है और पाँच ज़िलों में जरायम पेशा जातियों की संख्या इतनी बिखरी हुई है या इतनी कम है कि पंचायतों का संगठन करना सम्भव नहीं है। गढ़वाल और अलमोड़े के ज़िलों में जरायम पेशा जातियाँ नहीं रहतीं।

पंचायतें ४ प्रकार की हैं—

प्रारम्भिक, ग्रूप, थाना और ज़िला।

प्रारम्भिक पंचायत के सदस्य सभी बालिग़ व्यक्ति होते हैं और वे अपने में से पाँच पच चुनते हैं और पंच अपने में से एक को सरपंच चुनते हैं। बैठक हर १५ दिन पर होती है अथवा होनी चाहिये। पंचायत, जाति के सामाजिक जीवन का केन्द्र बनने की कोशिश करती है। गाँव के अनुकूल मनोरंजक खेल-कूद और कथाओं और त्योहारों के उत्सव के लिये ऐसा प्रबन्ध करते हैं ताकि वे अधिक दिलचस्प हो सकें। पंचायत के सदस्य पंचायत के समक्ष अपनी शिकायतें पेश करते हैं और पंचायत उसे दूर करने का प्रयत्न करती है। यदि नहीं कर सकती तो उसे थाना पंचायत के पास भेज देती है। प्रारम्भिक पंचायत दोषी व्यक्तियों पर पाँच रुपया तक जुर्माना कर सकती है और अच्छे काम करनेवाले को इनाम भी दे सकती है और इन जुर्मानों और इनामों की सार्वजनिक घोषणा भी कर सकती है।

थाना पंचायत

थाना पंचायत में भी पाँच व्यक्ति होते हैं। इसके चार व्यक्ति तो प्रारम्भिक पंचायतों द्वारा चुने जाते हैं और सरपंच उसी थाने का दरोग़ा होता है। थाना पंचायत की भी मीटिंगें तीन महीने में एक बार होती हैं। थाना पंचायत द्वारा लोगों को सुधारने तथा समझाने के लिये भाषण दिया जाता है और यह ऐलान किया जाता है क

अच्छे चाल-चलनवाले सदस्यों की निगरानी कट जायगी या उन पर कम सख्ती हो जायगी। अच्छे काम के लिये सनदें या इनाम भी थाना पंचायतों के द्वारा बाँटा जाता है। सदस्यों की शिकायतों पर भी विचार होता है। जरायम पेशा जातियों के सुधार के लिये शिक्षा, दस्तकारी, उद्योग-धन्धों की सुविधा या खेती-बारी की सुविधा भी थाना पचायत दिलाती है।

रिक्लेमेशन विभाग द्वारा पाँच वर्ष के अन्दर यानी १९४० ई० से १९४५ तक २१,६५४ पंचायतों का संगठन किया गया है जिसमें १८,७०९ प्रारम्भिक पंचायतें हैं, २,५७१ ग्रूप पंचायतें हैं और ३७२ थाना पंचायतें तथा केवल दो ज़िला पंचायतें हैं। पंचायतों के नियमानुकूल जिन ज़िलों में पंचायत संगठनकर्ता नहीं हैं उन ज़िलों में जरायम पेशा जातियों के इन्चार्ज पुलिस सबइन्सपेक्टरों पर पंचायत के काम की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। जब तक कि हर ज़िले में पंचायत संगठनकर्ता नहीं रक्खे जाते तब तक पचायतों की सफलता पुलिस सबइन्सपेक्टरों की दिलचस्पी पर निर्भर है। श्री वेंकटेश-नारायण तिवारी की कमेटी ने तजवीज़ की थी कि सबइन्स्पेक्टरों की यह जगह तोड़ दी जाय और उनका काम कान्स्टेबिलों से लिया जाय और पंचायत अफ़सर हर ज़िले में नियुक्त किये जाँय। किन्तु यह तजवीज अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं की है। कुछ ज़िलों से जिनमें पंचायतों का संगठन अच्छा है यह सूचना पुलिस के द्वारा प्राप्त हुई है कि जरायम पेशा जातियों के अपराधों में कुछ कमी हुई है। इन वर्षों में अन्य विविध अपराधों की संख्या में प्रान्त भर में कमी

हुई है इस कारण यह ठीक तौर पर निश्चय नहीं किया जा सकता कि पंचायतों को अपराध कम होने के लिये कितना श्रेय देना चाहिये।

रिक्लेमेशन विभाग की १९४२ की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कई जिला अफसरों ने पंचायतों की प्रशंसा की है कि उन्होंने १९४२ के अगस्त आन्दोलन के अवसर पर सरकार की सहायता की थी और कुछ कार्य कर्त्ताओं को गिरफतार कराया था तथा रेलवे लाइनों की रक्षा उनकी मारफत कराई गई थी। पंचायतों द्वारा युद्ध सम्बन्धी समाचारों का भी वितरण कराया गया। यह प्रश्नात्मक विषय है कि पंचायतों के सदस्यों से इस प्रकार का काम लिया जाना चाहिए था या नहीं। बलिया जिले से ज्ञात हुआ है कि पंचायतों द्वारा दुसाधों में बहुत सुधार हुआ है। पहिले रजिस्ट्री शुदा दुसाधों की संख्या २२७६ थी किन्तु अब केवल १२२ रह गई है। दुसाध खेती बारी करने लगे हैं और शान्ति पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। गैर कानूनी शराब बनाना भी कम हो गया है। रसडा के मुसहरों ने और नरही थाने के डोमों ने अगस्त आन्दोलन के समय में पुलिस को मदद दी थी।

जौनपुर जिले के जरायम पेशा जातियों ने भी अगस्त आन्दोलन के अवसर पर रेलों की रक्षा का काम किया। एक भर की सूचना पर श्री केशवसिंह जो गांव लोकपत्ती थाना चन्दवक के रहने वाले थे और जिनकी खोज बहुत दिनों से पुलिस कर रही थी गिरफतार किये गये। रामस्वरूप पासी ने जो कबीरपुर गाँव थाना बादशाहपुर का सरपंच है तीन व्यक्तियों को जो नीभापुर रेलवे स्टेशन को दूसरी बार

लूटना चाहते थे पकड़वा दिया और स्टेशन को लूटने से बचा लिया। रिक्लेमेशन अफसर महोदय ने इन लोगों के उचित पुरस्कार के लिये सिफारिश की थी।

अलीगढ़ जिले में भी पंचायतों ने अच्छा काम किया है और वहाँ अपराधों की संख्या में कमी आगई है। मुजफ्फरनगर की बौरिया पचायतों ने १०० मामलों का फैसला किया और अपराधियों के वहिष्कार का आदेश दिया तथा पंचायत के नियमानुसार जुरमाने किये। सीतापुर में पंचायतों ने ११ अपराधियों का पता लगाया जो कि अदालतों े सिपुर्द कर दिये गये। बस्ती जिले में पंचायतों द्वारा केवटों के लिए डलिया बनाने का काम शुरू किया गया। करवालों में मुर्गी और भेड़ों के पालने का कार्य आरम्भ किया गया। गोंडा के खटिक और पासियों का सुधार पंचायतों द्वारा संभव बताया गया है किन्तु बरवारों की इससे सुधरने की आशा नहीं की जाती। बिजनौर जिले की भी पंचायतों ने अच्छा काम किया है और रजिस्ट्री शुदा नटों की संख्या जो कि १६३८ में १३५ थी घट कर ५४ आ गई।

कुछ जिलों की जरायम पेशा जातियों के पास खेती के लिये बिलकुल जमीन नहीं है यदि उनके लिये जमीन का प्रबन्ध हो जाय तो वे निस्सन्देह अपराध करना छोड़ दें। कुछ जरामय पेशा जातियों के सदस्य जेलों के भीतर उपयोगी दस्तकारी सीख कर निकलते हैं, यदि इस बात का प्रबन्ध हो कि जो हुनर उन लोगों ने जेल में सीखा है उसके द्वारा वे बाहर भी जीवन निर्वाह कर सकें तो वे भी अपराध करना छोड़ देवें।

पंचायतों द्वारा उपर्युक्त कार्य कर्त्ताओं को तैयार किया जा रहा है। इसके द्वारा जरायम पेशा जातियों के सुधार की आशा की जा सकती है रिक्लेमेशन विभाग की राय है कि उसने १९४३ तक एक लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चालीस अवैतनिक कार्यकर्त्ता पंच और सरपंच तैयार कर लिये हैं किन्तु यह निश्चायात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस संख्या में कितने उपयुक्त कार्यकर्त्ता हैं और कितने केवल नाम मात्र के लिये।

पंचायत समाचार

रिक्लेमेशन विभाग ने १९४१ अगस्त में एक हिन्दी समाचार पत्र निकाला जिसका नाम पंचायत आर्गन था। यह समाचार पत्र इसलिये निकाला गया था कि इसके द्वारा पंचायत संगठन कर्त्ता सरपंच और पंचों तक विभाग की आज्ञाओं तथा आदेशों का ज्ञान हो सके। इसके द्वारा युद्ध सम्बन्धी सही सूचनाओं के पहुंचाने का भी प्रयत्न किया गया था। समाचार पत्र पंचायतों ने खूब पसन्द किया किन्तु वह समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित न हो सका। पहिले तो बजट में इसके लिये धन निश्चित नहीं किया गया। १९४३ में केवल एक ही अंक निकल सका। क्योंकि सरकार की अनुमति देर से आई। १९४४ में केवल ६ अंक निकल सके क्योंकि सरकार की अनुमति अगस्त १९४४ में मिली। सरकार ने इस पत्र के लिये केवल ६० रुपये महीने का खर्च स्वीकार किया जिसमें डाक महसूल भी शामिल था। यह रकम बहुत ही कम थी इसलिये समाचार पत्र की उपयोगिता अधिक नहीं बढ़ने पाती।

कॉलिनी बसाने की योजना

१६४० में सरकार ने उपर्युक्त योजना के लिये ४८६४ रुपया स्वीकृत किये। इतनी कम रकम के अन्दर रिक्लेमेशन विभाग कोई बड़ी योजना नहीं बना सकता था। यद्यपि रायबरेली, फरुखाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, इटावा और इलाहाबाद के जिलों में जमीन मिलने का सुभीता था फिर भी केवल एक ही कॉलोनी अथवा वस्ती बसाई जा सकी। फरुखाबाद जिले के तकीपुर ग्राम के दस सुधरे हुये हाबूड़ों को बसाया गया। यह लोग कलियानपुर, जिला कानपुर की जरायम पेशा जाति की सेटेलमेन्ट से लाये गये थे। इस बात का प्रयत्न किया गया कि इन लोगों को समस्त प्रकार की सुविधायें दी जाँय फिर भी वे लोग यह महसूस करते थे कि जो सुविधायें और जीवन निर्वाह के साधन उन्हें सेटेलमेन्ट में प्राप्त थे वे यहाँ प्राप्त नहीं हो सके। रुपया कम होने के कारण मकान बनाने की सुविधा के अतिरिक्त उन्हें और कोई विशेष सहायता न दी जा सकी।

इस नई कॉलोनी के अतिरिक्त मुरादाबाद और फरुखाबाद के जिले में सुधरे हुये हाबूड़ों की छोटी-छोटी कई कॉलोनियाँ हैं। यह आशा की जाती है कि ऐसी कॉलोनियों की संख्या बढ़ेगी और फिर उनके प्रबन्ध और निरीक्षण का प्रश्न उठेगा। रिक्लेमेशन विभाग के पास केवल एक ही कॉलोनेज़िशन अफसर है जो साल भर काम में फंसा रहता है और जिसका मुख्य काम नई कॉलोनियाँ बसाना है। अत्यन्त व्यस्त होने के कारण वह प्रबन्ध और निरीक्षण कार्य ठीक तौर

से नहीं कर सकता इसलिये इस कार्य के लिये अन्य अफसरों की आवश्यकता है। १६४२ में भी इस कार्य के लिये केवल ४८६४ रुपये सरकार ने स्वीकृत किया। इस साल केवल एक छोटी कॉलोनी बसाई जा सकी। यह रायबरेली जिले के ग्राम अइहर में स्थापित की गई और २८ सुधरे हुये करवाल परिवारों में से जो आर्यनगर लखनऊ की सेटेलमेन्ट में रहते थे केवल चार परिवार वहाँ बसाये जा सके। उस ग्राम के जमींदार ने तीन सौ बीघे जमीन दी है। जो अभी तक खेती के काम में नहीं लाई जाती थी, और पहिले पाँच साल तक लगान न लेने का वचन दिया है। तीस बीघे अच्छी जमीन भी उन्हें दी गई है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। सरकार की ओर से उन्हें खेती के लिये बैल, गाड़ियाँ और भूसे इत्यादि का प्रबन्ध कर दिया गया है।

तक़ीपुर की कॉलोनी में मकानों के सामने चबूतरे बनवा दिये गये हैं और पानी पीने के लिये एक कुआँ खुदवा दिया गया है। १६४२ में केवल पांच कॉलोनियाँ थीं। तक़ीपुर, अइहर, सतारन, विष्णुनगर, और अलीहसनपुर, बौरिया कॉलोनियाँ इनके अतिरिक्त थीं। कानपुर में जरायम पेशा जातियों की एक मज़दूर बस्ती स्थापित करने की भी योजना थी, किन्तु उसके लिये जमीन की समस्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्टी से तय नहीं हो सकी।

१६४३ में भी सरकार ने ४८६४ रुपया इस योजना के लिये मंजूर किया। यह रकम कानपुर की मज़दूर कॉलोनी के लिये निश्चित कर दी गई थी किन्तु यह योजना इस साल भी कार्यान्वित न हो सकी। क्योंकि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन की शर्तों के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी

जारी रही, कोई नई कॉलोनी नहीं बसाई गई और पुरानी कॉलोनियाँ ठीक से काम करती रहीं। जो रकम सरकार ने इस मद में देने की स्वीकृति दी थी वह खर्च न की जा सकी।

१९४४ में सरकार ने इस कार्य के लिये ९७२८ रुपये खर्च के लिये स्वीकृत किये। इस रकम से जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों के लिये सेटेलमेन्ट के बाहर क्वार्टर बनवाने का निश्चय किया गया। यह काम पी० डब्लू० डी० को सौंपा गया था किन्तु वे साल भर में भी यह काम प्रारम्भ न कर सके और रकम फिर सरकार को वापस लौटा दी गई।

जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों की कॉलोनियाँ परम आवश्यक हैं। प्रत्येक जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हर साल तजवीज़ करते हैं कि उनके जिले के जरायम पेशा जातियों के उद्दन्ड व्यक्तियों को सेटेलमेन्ट में भरती कर दिया जाय। किन्तु सेटेलमेन्ट में बिलकुल स्थान नहीं है। परिणाम यह होता है कि उद्दन्ड व्यक्तियों को उसमें भरती नहीं किया जा सकता और उद्दन्ड व्यक्ति अधिक दिलेर होकर अपराध करते हैं और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की धमकी को कोरी धमकी ही समझते हैं, दूसरी ओर जो व्यक्ति सेटेलमेन्ट में भरती किये गये हैं अपना चाल-चलन चाहे जितना सुधार लें वहाँ से निकलने की आशा ही नहीं कर सकते। इस लिये जब वहाँ से बाहर निकलना सम्भव ही नहीं है तो सुधार करने की प्रेरणा ही क्या रह जाती है। इस कारण जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों के बसाने के लिये कॉलोनियों को स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है।

बौरिया कॉलोनी

झिनझिना, जिला मुजफ्फरनगर में सन् १८६३ में बौरिया के लिये कॉलोनी बसाई गई थी। बौरिया दुनिया भर में सबसे चतुर चोर माने जाते हैं। बौरिया को सब तरह से सुधारने की चेष्टा की गई किन्तु सभी प्रयत्न विफल हुये। पहिली जनवरी १६४१ को बौरिया कॉलोनी की जन-संख्या जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी ७७३ थी। एक साल के भीतर १२ की मृत्यु हो गयी, पांच का अन्य स्थानों को तबादला हो गया, ३५ आदमियों की नई रजिस्ट्री हुई और पांच अन्य सेटेलमेन्टों से आये। पहिली जनवरी १६४२ को रजिस्ट्री शुदा बौरियों की संख्या ७६६ थो। जिसमें ५०१ उपस्थित थे, २३६ जिसमें पांच औरतें भी शामिल थीं भगे हुये थे और ५६ जेल में थे। रजिस्ट्री और गैर रजिस्ट्री शुदा जन-संख्या १६३१ थी। १६४१ के शुरू साल में सरकार ने घोषणा की थी कि जो बौरिये फरार हैं यदि वे हाजिर हो जायेंगे तो उन्हें कोई सजा नहीं दी जायेगी, इसके परिणामस्वरूप १६७ फरार बौरिये हाजिर हो गये। ६० बौरिये १६४१ में फरार हो गये जिसमें १४ ने अपने को पेश कर दिया और ८ पकड़े गये। एक एक करके सन् ४२ तक ३८ बौरिये फरार होगये जिनमें २६ सिंधीवाल और ११ देहलीवाल थे।

३१ दिसम्बर सन् ४२ को बौरिया कॉलोनी की रजिस्ट्री शुदा जन-संख्या ८५२ थी। साल भर में ५५ बढ़ गई जिसका कारण केवल नई

रजिस्ट्रियाँ ही थीं। ८५१ में २४८ सिंधीवाल बौरिये थे, शेष देहलीवाल थे। ३०२ बौरिये फरार थे जिसमें १६५ सिंधीवाल बौरिये थे। १६४३ के अन्त में बौरिया कॉलोनी की जन-संख्या २१६७ थी जिसमें ८३४ रजिस्ट्रीशुदा और १३६३ गैर रजिस्ट्रीशुदा थे। २६१ सिंधीवाल बौरिये रजिस्ट्रीशुदा थे। शेष दिल्लीवाल थे। ३०६ बौरिये फरार थे जिनमें २४८ सिंधीवाल थे।

१६४४ के अन्त में बौरिया कालोनी की जन-संख्या २३२२ थी। इसमें ८२५ व्यक्ति रजिस्ट्रीशुदा थे १४६७ गैर रजिस्ट्रीशुदा थे। रजिस्ट्रीशुदा व्यक्तियों में २६१ सिंधीवाल थे और शेष दिल्लीवाल थे। कुल फरार व्यक्तियों की संख्या ३०७ थी जिसमें २४८ सिंधीवाल थे।

इस कॉलोनी में दो प्रकार के बौरिये रहते हैं एक सिंधीवाल और दूसरे देहलीवाल। दोनों अपने को चित्तौर के राजपूतों का वंशज बताते हैं। जब १३०५ में चित्तौर का पतन हुआ और राजपूतों की शक्ति का ह्रास हुआ तभी से इन लोगों का भी पतन हुआ। यह लोग चित्तौर से भाग खड़े हुये। कुछ लोग सिंध में जाकर बसे और सिंधीवाल बौरिये कहलाये जो लोग दिल्ली की ओर भागे और वहाँ जाकर बस गये वे लोग दिल्लीवाल कहलाये। दिल्लीवाल बौरियों ने अपराध करने शुरू कर दिये। इसी की रोकथाम करने के लिये पहले बिदौली और फिर झिनझिना ज़िला मुजफ्फरनगर में १८६३ में इनकी कॉलोनी बसाई गई। सिंधीवाल सिंध में रहते थे अपना घर वहीं पर बसा लिया था और अपने परिवार को वहीं रखते थे। अपने प्रान्त में शांतिपूर्वक रहते थे, किन्तु आसपास के प्रान्त और रिया-

सतों में ख़ूब अपराध करते थे। जब कभी यह लोग पकड़े जाते थे तो अपना असली पता नहीं बताते थे, बल्कि अपना पता झिनझिना जिला मुजफ्फ़रनगर का बता देते थे। इस कारण इनकी रजिस्ट्री सिंध में नहीं हो पाती थी और वहाँ वे लोग अपने ही परिवार के साथ शान्ति और सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। मुजफ्फ़रनगर की पुलिस ने इनके बयान की पूरी-पूरी तरह से जाँच नहीं की, वरन् इन सिंधीवाल बौरियों की अपने ज़िले में रजिस्ट्री करना शुरू कर दी। इन सिंधीवाल बौरियों की संख्या शुरू में बहुत थोड़ी थी किन्तु बाद को बहुत बढ़ गई और अन्त में उन व्यक्तियों में जो कॉलोनी से फरार थे अधिकतर संख्या सिंधीवाल बौरियों की हो गई। सिंधीवाल बौरियों की यह चाल थी। वे लोग जेल से छूटकर या वैसे ही मुजफ्फ़रनगर ज़िले में आते थे और कुछ दिन यहाँ रहकर अपने सकूनत की तसदीक़ कराकर भाग जाते थे और फिर अपने परिवारों के साथ सिंध में ही रहते थे। सिंधीवाल बौरियों की इस चालाकी को चौधरी रिसालसिंह साहब ने १९३६ में पकड़ा। उनको सरकार ने बौरियों के सम्बन्ध में पूरी जाँच करने सिंध और कई प्रान्तों में भेजा था। किन्तु सिंध की सरकार सिंधीवाल बौरियों को न तो सिंध का रहनेवाला मानती थी और न उनकी समस्या ही हल करने को तैयार थी। अगस्त १९४३ ई० में रायबहादुर रिसालसिंह जी को बौरियों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये फिर सिंध भेजा गया। अपने सूबे की सरकार चाहती थी कि सिंध में बसनेवाले सिंधीवाल बौरियों की ज़िम्मेदारी सिंध सरकार ले और उनको अपराध करने से रोके। सिंध सरकार

की खुफ़िया पुलिस की सहायता से काम किया गया तो १३ फ़रार सिन्धीवाल बौरिये अपने परिवारों के पास गिरफतार किये गये। ८ सिंधीवाल बौरियों को ले लेने के लिए सिंध सरकार को लिखा गया और वे उनमें से ६ को ले लेने के लिये सहमत हो गये। उन्होंने इस सिद्धान्त को भी मान लिया कि जिन सिंधीवाल बौरियों का जन्म स्थान सिंध है उनकी देखभाल सिंध सरकार करे. सधीवाल बौरियों की जटिल समस्या इस प्रकार हल की गई। रिक्लेमेशन विभाग अब इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि कितने सिंधीवाल बौरिये मुजफ्फ़र-नगर में बसने दिये जाँय और कितनों को सिंध भेज दिया जाय।

१८६३ ई० से जब कि मुजफ्फरनगर जिले के भिन्न भिन्न ग्रामों में बौरियों की कॉलोनियाँ खोली गई थीं तब से अब तक बौरियों ने बहुत तंग किया है। इस सूबे और आस-पास के सूबे में अनगिनती अपराध किये हें। इनके सुधार तथा इनको दबाने और बस में लाने के जितने प्रयत्न किये गये हैं सब निष्फल रहे। इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस का विचार था कि बौरियों की समस्या सौ साल के भीतर भी हल नहीं हो सकती है और न उसके सुधारने की आशा ही की जाती थी। उनका मत था कि बौरियों को काला पानी भेजना पड़ेगा और तभी यह समस्या हल हो सकेगी, रिक्लेमेशन विभाग ने बौरियों के सुधारने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें आशा की सफलता भी मिली। कॉलोनी वालों को खेती करने के लिये जमीनें दी गईं। शिक्षा की व्यवस्था की गई। उद्योग-धन्धों को स्थापित किया गया और अन्य प्रान्तों की सहायता से बौरियों का भागना रोका गया इस सबका

परिणाम अच्छा रहा। बौरिया कॉलोनी की पंचायतें शक्तिशाली पंचायतें हैं। वे बौरियों को अपराध करने और भागने से रोकती हैं। बौरियों की पंचायत प्रान्त भर में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और उसे तीन साल लगातार प्रान्तीय शील्ड इनाम में मिली। १६४४ ई० भर में बौरियों ने कॉलोनी या उसके आस पास कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिसमें पुलिस जाँच करती। जो तीस फरार व्यक्ति थे वे सब कॉलौनी में वापस आये। बौरिया कॉलोनी सुधार के लिये जो कार्य रिक्लेमेशन विभाग ने किया है वह वस्तुत: प्रशंसनीय है।

१६४१ ई० में बौरियों के ६ परिवार उद्दंड थे वे कल्यानपुर सेटेलमेन्ट को भेज दिये गये। इससे अन्य परिवारों पर बहुत अच्छा असर पड़ा।

बौरिया कालोनी में रहने वालों का मुख्य उद्यम खेती-बारी है गोंकि थोड़े बौरिये उद्योग-धन्धों में भी लगे हुये हैं। कुछ लोग मजदूरी करके जीवन निर्वाह करते हैं। १६४१ ई० में ५ व्यक्ति मूँढ़ा, दरी, और कपड़ा बनाने के काम में मजदूरी करते थे और एक हजार बीघे जमीन जंगल काट कर खेती करने के काम में लाई गई। जमीन अब भी कम है। रंगना के जमीदारों का ढाक का जंगल मांगा जा रहा है।

१६४२ ई० की रिपोर्ट से पता चलता है कि बौरिया कॉलोनी में पुरुषों की संख्या ८०६ थी। किन्तु केवल ३०२ पुरुष खेती के काम में लगे हुये थे। ५०४ बौरियों के पास जमीन नहीं थी। इनमें से २०० ऐसे हैं जिनके लौटने की आशा नहीं है। वे या तो फ़रार हैं या मर गये

हैं। २५ व्यक्तियों ने साझे में खेती करना शुरू कर दिया है। इस लिये १३० व्यक्तियों के लिये जमीन या अन्य कोई स्थीयी उद्योग धन्धा चाहिये। जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें और इसी समस्या को हल करने के लिये रगना के जंगल को सरकार की ओर से ले लेने पर विचार किया जा रहा था। किन्तु १९४३ में मुजफ्फरनगर के जिला अफसर ने इस जंगल के लेने के प्रश्न को समाप्त कर दिया। १९४३ में २२५३ बीघा जमीन खेती के लिये बौरिया कॉलोनी ने तैयार की। ७५५ बीघा जमीन जो पर्ती पड़ी हुई थी उसे बौरियों ने खेती के योग्य बना लिया। ७६८ में से ३५० व्यक्ति खेती के काम में लगे हुये थे। अतिरिक्त जमीन की बहुत आवश्यकता थी और रिक्लेमेशन विभाग इस बात की तजवीज़ कर रहा था कि रंगना का जंगल कॉलोनी के लिये ले लिया जाय।

खेती के लिये बौरिया कॉलोनी में पानी नहर से आता था, किन्तु यह पानी कम पड़ता था। इसलिये सरकार ने पांच हजार रुपये की मंजूर कुवाँ खोदने के लिये दी थी। १९४२ में कुयें न खुद सके। १९४३ में जमींदारों की मदद से कुयें खोदने का प्रयत्न किया गया, किन्तु आवश्यक वस्तुओं के अभाव से काम बंद कर देना पड़ा। १९४४ की रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि ये कुयें बने या नहीं। किन्तु यह पता चलता है कि नहर विभाग के इंजीनियर ने पानी की कठिनाई को हल करने में बहुत मदद दी और रिक्लेमेशन विभाग इस प्रयत्न में है कि बौरिया कॉलोनी में एक ट्यूब वेल बनवा लें।

शिक्षा

बौरिया कॉलोनी में पांच स्कूल हैं। एक मिडिल स्कूल, एक अपर प्राइमरी स्कूल और तीन लोअर प्राइमरी स्कूल। इन स्कूलों में २०७ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। मिडिल स्कूल जुलाई १६४३ में बौरिया पंचायत ने स्थापित किया था। उसे आशा थी कि सरकार इस स्कूल की सहायता करेगी किन्तु अभी तक सरकार ने सहायता नहीं दी है और रुपये की कमी के कारण स्कूल बन्द हो जाने की आशंका है।

पंचायतें

बौरिया पंचायतों का पहिले भी थोड़ा वर्णन हो चुका है। इस समय सात पंचायतें हैं। इनमें से ६ जीवन सुधार सभा के नियमानुकूल रजिष्ट्रार कोआपरेटिब सोसाइटी के यहाँ रजिस्टर हो चुकीं हैं। यह पंचायतें सुधार का बहुत अच्छा काम कर रही हैं। १६४३ में पंचायतों ने ६८ मुकदमों का निर्णय किया और ४६५ रु० १२ आ० जुरमाना बसूल किया। यह जुरमाना उन लोगों से बसूल किया गया जिन्होंने चोरी की थी या फरार कैदियों को शरण दी थी। पंचायतों द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपराध करते हैं उनसे घृणा की जाये। उनको इस कारण दंड दिया जाता है जिससे उन्हें मालूम हो कि पंचायत और बिरादरी में अब अपराध करने वालों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा।

बौरिया पंचायत ने दो उल्लेखनीय कार्य किये हैं। एक तो बौरिया स्त्रियों का भिनभिना जाना रोक दिया है। यह स्त्रियां भिनभिना

जाकर बदमाश व्यक्तियों से मिलती थीं। दूसरा यह कि बौरिया स्त्रियाँ उस पुरुष को तलाक दे देती हैं जो अपराध करके कम धन लाता था और उन बौरियों के पास चली जाती थीं जो अपराध करके अधिक धन लाते थे और स्त्रियों को अधिक सुखी रखते थे। पंचायत ने इस प्रथा का अन्त कर दिया है।

बौरिया कॉलोनी में अन्य सुधार

१६४१ ई० में ७६७४ रुपया खर्च करके दो कुयें डेरा शीशा और डेरा बालियान नामक गाँव में बनाये गये। ग्राम उद्योगों की उन्नति में १५४० रुपये खर्च किये गये। एक हजार रुपये के लगभग निर्धन और अपाहिज बौरियों को खाने और कपड़े की सहायता में, विद्यार्थियों की पुस्तकें तथा खेल के सामान में, पंचों को इनाम देने में, बैन्ड मास्टर का वेतन, बेन्ड वालों को वर्दियाँ प्रदान करने में व्यय किया गया। विवाह उत्सवों में बैन्ड वाली पार्टी बाजा बजाती है।

बौरिया कॉलोनी में एक सबइन्स्पेक्टर पुलिस, ३ कानेस्टेबिल जो क्लर्क का काम करते हैं, एक मातहत अफ़सर और गारद के कानस्टेबिल रहते थे। १६४१ ई० में रिक्लेमेशन विभाग ने तजवीज़ की थी कि सबइन्स्पेक्टर की जगह तोड़ दी जाय और उसके स्थान पर एक मैनेजर की नियुक्ति की जाये। जो कि रिक्लेमेशम विभाग ही के मातहत हो। यह भी सिफारिश की गई थी कि सबइन्स्पेक्टर महोदय ही इस स्थान पर नियुक्त कर दिये जायें क्योंकि उन्होने बौरिया कॉलोनी में अच्छा काम किया था। आशा है कि यह तजबीजें कार्यान्वित हो

गई होंगी। बोरिया कौलोनी कई गांवों का एक समूह है इसकी देख-भाल और निगरानी के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। सिपाहियों इत्यादि के लिये क्वार्टरों की भी आवश्यकता है और सबसे अधिक आवश्यकता है ज़मीन की। क्योंकि यदि जीवन निर्वाह के लिए बौरियों को ज़मीन नहीं मिलती तो उनसे आशा करना व्यर्थ है कि वह अपराध न करेंगे।

सेटेलमेन्ट

अपराधी जातियों के कानून के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है कि वह सेटेलमेन्ट बनाये और उसमें उद्दंड जरायम पेशा जातियों के रहने का आदेश दे। इस प्रकार के सेटेलमेन्ट अपने सूबे में १६१३ में स्थापित किये गये थे। इनका प्रबन्ध मुक्त फ़ौजियों के आधीन रक्खा गया था। संयुक्तप्रान्त की १६३१ ई० की जन-गणना रिपोर्ट के ६०७ सफे पर प्रान्त के जरायम पेशा जातियों के ६ सेटेलमेन्ट पर एक लेख है उससे पता चलता है कि १६३१ में अपने सूबे में केवल सेटेल-मेन्ट थे। इनमें सिर्फ एक सेटेलमेन्ट का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। यह सेटेलमेन्ट कानपुर फ़र्रुखाबाद रोड पर कानपुर से सात मील की दूरी पर बसा था। पांच सेटेलमेन्ट जो बरेली, गोरखपुर, फजलपुर, कोच, दोनों मुरादाबाद ज़िले में हैं और साहबगंज ज़िला खीरी में हैं। इनका प्रबन्ध मुक्त फौज करती है। नवम्बर १६३१ ई० में एक सेटेलमेन्ट आर्यनगर ज़िला लखनऊ में खोला गया था और उसका प्रबन्ध आर्य प्रतिनिधि सभा करती थी।

कल्यानपुर सेटलमेन्ट में १६२१ ई० में १२० परिवार थे जो निम्न-लिखित जातियों के थे :—

जाति	उपस्थिति	फरार	जेल में	छुट्टी पर	कुल जोड़
हाबूड़ा	२८५	१८	३	२	३०८
भातू	१५४	२२	२५	४५	२४६
कंजड़	८१	३०	१	५३	१६५
करवाल	६७	१८	१३	२५	१२३
अहेड़िया	६८	२	१	१	१०२
डोम	०	१	०	२	३
कुल जोड़	६८५	६१	४५	१२६	६४७

हाबूड़े पुरानी मेस्टन गंज सेटेलमेन्ट से कानपुर लाये गये थे। यह लोग कानपुर की मिल में काम करते थे। जब भातू कल्यानपुर की सेटेलमेन्ट में लाये गये तो इनके लिये काम ढूँढने की कठिनाई पड़ी। १६२३ में पुलिस मुहकमे की वर्दी की सिलाई का काम मिला। कुछ ज़मीन भी सेटेलमेन्ट के लिये मिली जिससे कुछ लोग खेती के काम में लगा दिये गये। कपड़े की बुनाई का काम शुरू किया गया था किन्तु उन दिनों बाहर के माल के मुकाबले के कारण सेटेलमेन्ट का कपड़ा कठिनाई से बिक पाता था। बढ़ईगीरी का काम और मुर्गी पालने का काम शुरू किया गया। किन्तु असफलता के कारण बन्द करना पड़ा। बुड्ढों और अपाहिजों के लिये रस्सी बटने का कार्य शुरू किया गया। १६२७ में कुछ और ज़मीन सरकार द्वारा मिली और कुछ और परिवारों को बाँट दी गई।

१६३१ ई० में कल्यानपुर सेटेलमेन्ट के रहने वालों से इस प्रकार काम लिया जाता था :—

कानपुर के मिलों में,	५४
सेटेलमेन्ट के दर्जीखाने में,	११६
,, कपड़े की बुनाई में,	१७
,, खेती बारी में,	७५
,, की नौकरी में,	६
कुल जोड़	२७१

इन लोगों की आय इस प्रकार थी :—

जाति	औसत माहवारी आय								
	परिवार के अनुसार			बालिग़ व्यक्तियों के अनुसार			काम करनेवाले के अनुसार		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
भातू	१५	१५	६	६	१३	३	८	१२	६
हाबूड़ा	१७	१३	०	७	१०	०	६	१४	५
कंजड़	४	७	१	३	६	६	३	१२	१०
अहेड़िया	५	१५	३	३	२	८	४	१४	११
करबाल	५	०	११	३	१३	७	४	६	१०

आर्यनगर सेटेलमेंट

यह सेटेलमेंट १६२६ में खोली गई थी। इसके प्रबन्ध के लिये कल्यानपुर सेटेलमेन्ट से एक अनुभवी व्यक्ति मैनेजर बनाकर भेजे गये थे। १६३१ में इसकी इमारतें बन रही थीं। यह आशा की जाती थी कि तैयार हो जाने पर यह एक उदाहरणीय सेटेलमेंट होगी। उस समय इसमें ३०० व्यक्तियों के लिये स्थान था और २२६ व्यक्ति रहते थे यह भी खेती-बारी का सेटेलमेंट था और ६२ एकड़ भूमि जिसकी सिंचाई नहर से हो सकती थी इस सेटेलमेन्ट को दे दी गई थी। दरी बुनने के कारखाने का भी श्रीगणेश हो चुका था।

जो व्यक्ति अपना चाल-चलन सुधार लेते थे, उन्हें सेटेलमेन्ट से बाहर जाने की आज्ञा मिल जाती थी। १६२१ से १६३१ तक कल्यान-पुर सेटेलमेंट से ३० व्यक्तियों को बाहर जाने की आज्ञा मिली। केवल एक को सेटेलमेंट वापस आना पड़ा और शेष २६ के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई। १६२६ में फ़ज़लपुर सेटेलमेंट से ६४ व्यक्ति छोड़े गये और उन्हें गाँव में रहने तथा खेती-बारी करने की आज्ञा मिल गई थी किन्तु सेटेलमेंट के बाहर जाकर उन्हें बहुत सी कठि-नाइयों का सामना करना पड़ा जिसके लिये वे तैयार न थे और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से सेटेलमेंट में वापस आना पसन्द किया।

१९२१ के एक सरकारी ऐलान से ज्ञात होता है कि मुक्ति फ़ौज की निम्नलिखित सेटेलमेंटें थीं—

१. नजीबाबाद	पथरगढ़ जिला बिजनौर, किला
२. राजाबाद	जिला बरेली
३. आसापुर	काँट जिला मुरादाबाद
४. फ़ज़लपुर	जिला मुरादाबाद
५. जौनपुर	फतेहपुर जाफ़रपुर गोरखपुर
६. मेस्टनगंज	कानपुर
७. फूलपुर स्कूल	इलाहाबाद
८. रूरा स्कूल	जिला कानपुर

सरकारी सेटेलमेंट केवल कल्यानपुर में ही थी। पेनेल रिफ़ार्मर में मेजर पी० सी० डब्लू मेरी ने जो फजलपुर सेटेलमेंट के मैनेजर हैं और मुक्ति फौज से सम्बन्धित हैं एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि सेटेलमेंटों को बसाने के लिये बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। १९२५ ई० में जब सुलताना डाकू पकड़ा गया और उसके दल के भातुओं को बरेली सैटेलमेंट में रखने की व्यवस्था की गई तो भातुओं से प्रायः रोज़ ही झगड़ा होता था और ऐसा प्रतीत होता था कि भातू सेटेलमेंट में नहीं रहेंगे। किन्तु धीरे-धीरे मामला सुलझ गया और भातू सेटेलमेंट में शांतिपूर्वक रहने लगे।

रिक्लेमेशन विभाग की १९४४ की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रान्त में जरायम पेशा जातियों के लिये ६ सेटेलमेंट हैं।

१९३१ तक कल्यानपुर के सेटेलमेंट के बसनेवालों को कटाई,

सिलाई, कपड़ा बुनना, रस्सी बटना और खेती-बारी का काम सिखाया गया। हाबूड़ा और आहेड़िया अच्छी किसानी कर सकते थे। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। उन दिनों कल्यानपुर सेटेलमेंट का एक स्कूल था जिसमें लड़कियों और लड़कों को शिक्षा दी जाती थी।

मुक्ति फ़ौज की सेटेलमेंट

यू० पी० की १६३१ की जन-गणना की रिपोर्ट में मुक्ति फौज की सेटेलमेंट में १६२१ और १६३१ में रहनेवाली जरायम पेशा जातियों के निम्नलिखित आँकड़े दिये हैं—

जाति	१६२१	१६३१
भानू	७८६	१२२७
करवाल	०	१२६
हबूड़ा	५३६	६२५
कंजड़	०	२७
डोम	८२२	७३६
साँसिया	१८३	२६४
बरवार	२	३
अहीर	०	१
दलेरा	३	१
	२३४१	३०१३

उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि १९३१ में मुक्ति फौज के सेटेलमेंटों की जन-संख्या १९२१ से २६ फ़ीसदी बढ़ गई और तीन जातियों को सेटेलमेंटों में भर्ती किया गया। यहाँ की सेटेलमेंट में पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया गया था। बहुत से लड़के यहाँ के स्कूल से शिक्षा पाकर आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे। जवान लोग पढ़ाई में अधिक दिलचस्पी लेते थे। यहाँ पर स्त्री पुरुषों और बालकों को तरह-तरह के उद्यम तथा उद्योग धन्धे जैसे करघा, डलिया बनाना, मूँजका फर्श बुनना, दरी, कालीन, निवाड़ बनाना, मुर्गी पालना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम और खेती-बारी सिखाई जाती थी। कुछ व्यक्तियों को मोटर चलाना तेल का इन्जन चलाना, बिजली का काम, बढ़ई का काम, पढ़ाई का काम और दाईगीरी सिखाई गई थी। बहुत से लोग सेटेलमेंट के अन्दर रहकर और बहुत-से बाहर रहकर अपना जीवन निर्वाह बखूबी कर लेते थे।

१.	फ़ज़लपुर	जिला मुरादाबाद
२.	कांथ	जिला मुरादाबाद
३.	साहबगन्ज	जिला खीरी
४.	आर्यनगर	जिला लखनऊ
५.	गोरखपुर	
६.	कल्यानपुर	जिला कानपुर

इन छः सेटेलमेंटों में से प्रथम तीन सेटेलमेंटों का प्रबन्ध मुक्ति फौज के आधीन था आर्यनगर सेटेलमेंट का प्रबन्ध आर्य प्रतिनिधि सभा

गोरखपुर सेटेलमेंट का प्रवन्ध हरिजन सेवक संघ द्वारा होता था। कल्यानपुर सेटेलमेंट का प्रवन्ध सरकार द्वारा होता है।

इन सेटेलमेंटों में निम्न लिखित जातियों के लोग रहते हैं:—

१. भातू	२. कंकड़	३. सांसिया
४. हाबूड़ा	५. बौरिया	६. अहेड़िया
७. करनाल	८. डोम	९. कुचबन्ध

इन सेटेलमेंटों की जन संख्या निम्न प्रकार है:—

	उपस्थित				अनुपस्थित			
नाम सेटेलमेंट	पुरुष	स्त्री	बच्चे	जोड़	पुरुष	स्त्री	बच्चे	जोड़
गोरखपुर	४९	९२	९६	२३७	११८	६४	६४	२४६
आर्यनगर	६८	७१	१५०	२८६	३२	८	१०	५०
कांट	३३	३७	७८	१४८	१४	१०	२	२६
साहबगंज	६३	४९	८८	२००	४	५	१	१०
फजलपुर	१४१	१४१	५५५	८३७	१६२	९०	६१	३१३
कल्यानपुर	१६६	१५१	३८३	७००	९२	५५	८५	२३१
	५२०	५४१	१३५०	२४११	४२२	२३२	२२३	८७७

सेटेलमेंटों के अन्दर की आबादी ३२८८ है, सूबे में रजिस्ट्री शुदा जरायम पेशा जातियों की संख्या ३५६१५ है। और कुल संख्या लाखों की तादाद में है उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात हो जाता है कि कितने कम व्यक्तियों का सेटेलमेंट द्वारा सुधार हो सका है इससे

यह भी पता चलता है कि सूबे में सेटेलमेंटों की कितनी कमी है। इसके अतिरिक्त सेटेलमेंटों में खूब भीड़ है और इस कारण जरायम पेशा जातियों के बहुत से उदन्ड व्यक्ति सेटेलमेंटों में भर्ती नहीं किये जा सकते जिसकी सिफारिश बहुत दिनों से जिला अफसर और पुलिस अधिकारी कर रहे हैं इसका कारण यह हो रहा है कि जरायम पेशा जातियों के दिल से सेटेलमेंटों का डर निकलता जा रहा है। दूसरी ओर चूँकि जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों के लिये कौलोनियों का समुचित प्रबन्ध नहीं है। कौलोनियों को स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यदि एक सुधरा हुआ व्यक्ति सेटेलमेन्ट से कालोनी का जाता है तो वह सेटेलमेन्ट में एक उदंड व्यक्ति रखने के लिये स्थान रिक्त करता है।

साहबगंज और काँट के सेटेलमेन्ट के रहने वाले व्यक्ति केवल खेती बारी करते हैं फज़लपुर में फौजी अस्पताल बन गया है और इस कारण वहाँ के ११ परिवारों को काँट के सेटेलमेन्ट को भेज दिया गया है। और काँट में भूमि का फिर से वितरण कर दिया गया है।

. आर्यनगर के सेटेलमेन्ट में भी मुख्यत: खेती बारी होती है। किन्तु इस सेटेलमेन्ट के साथ जो भूमि है वह रहने वालों की संख्या के अनुपात से बहुत ही कम है। इस सेटेलमेन्ट के साथ ३२० बीघे ज़मीन है। जो कृषि विभाग के इन्स्पेक्टर के अनुमान से केवल सोलह परिवारों के लिए ही पर्याप्त है। किन्तु सेटेलमेन्ट में बेकारी रोकने के लिये यही भूमि अधिक परिवारों में विभाजित कर दी गई है। इस सेटेलमेन्ट में खेती कोआपरेटिव सहकारिता ढंग से आरम्भ की गई

थी किन्तु वह असफल रही और इसीलिये अब प्रत्येक परिवार पृथक २ खेती करता है। कपड़ा बुनाई का काम भी थोड़ा बहुत यहाँ होता है और जिसके कारण कुछ लोगों को काम मिला हुआ है। सेटेलमेंट को विना सूद के पाँच हज़ार रुपये उधार दिये गये हैं। जिसमें ४७४६ रु० अभी बाकी है। इसके अलावा एक हजार रु० स्थाई एडवान्स का भी है। सेटेलमेन्ट के शेष आदमी लखनऊ के मिलों में आकस्मिक मजदूरी के लिये भेज दिये जाते हैं।

गोरखपुर सेटेलमेन्ट के निवासी आम तौर से डोम हैं। और गोरखपुर म्यूनिसिपलटी में मेहतर के काम पर नौकर हैं। ७१ डोम फौज की नौकरी करने लगे हैं। इस काम को वे लोग दो वर्षों से लगतार ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं और इसलिए यह विचार किया जा रहा है कि जरायम पेशा जातियों के कानून के कुछ प्रतिबन्धों से इनको मुक्त कर दें।

फजलपुर और कल्यानपुर के सेटेलमेन्टों के अधिकतर व्यक्ति उद्योग धन्धों में लगे हुये हैं फिर भी कुछ लोगों के लिये काम की आवश्यकता है।

फजलपुर सेटेलमेन्ट के सुपरावइजर और पुलिस वालों के आपसी मन मुटाव के कारण सेटेलमेन्ट में रहने वाले भातुओं ने फिर से अपराध करना शुरू कर दिया था। जांच करने पर पता चला कि मन मुटाव इस कारण था कि पुलिस अफसर की जगह तोड़ दी गई थी। यह जगह बहाल कर दी गई हैं तब से सेटलमेन्ट में इस अफसर की नियुक्ति हो गई है और जिसका काम सेटेलमेन्ट के मैनेजर और

पुलिस के सम्बन्ध स्थापित करने का है। परिस्थति बहुत कुछ सुधर गई है।

१९४४ ई० में सेटेलमेन्टों की और हानि का हिसाब इस प्रकार था।

	जन		संख्या	
सेटेलमेंट	रजिस्टर्ड	गैर रजिस्टर्ड	लाभ	हानि
फजलपुर	५३४	६१६	२३,७५०—१४—१	
कांट	८३	९१	१९३—१५—०	
साहबगंज	७०	१४४	१९— ४—६	
आर्यनगर	१४६	१९३	४५३— १—२	
कल्यानपुर	४६४	४६८	२२,९५२—१३—११	
गोरखपुर	३२३	१६०	४६६— ०—३	

कल्यानपुर में अधिकतर लोग दर्जीगीरी करने लगे हैं। प्रत्येक मजदूर को जिसमें बच्चे भी शामिल हैं औसतन ५ रु० ७ आ० प्रति मास मिलता है। मिल में काम करने वालों की मजदूरी बहुत ही अच्छी रही कुछ लोग तो १०० रु० माहवार से अधिक कमाते थे। सबसे कम कमाने वालों की आमदनी ३० रु०७ आ० थी और औसत आमदनी ४० रु० थी जबकि १९३९ ई० में यह आंकड़े ९ रु० और २६ रु० ७ आ० क्रमशः थे। ३१, १२, १९४४ ई० को ९८ आदमी सेटेलमेंट के मिल में काम करते थे लारी के टूट जाने के कारण मिल में काम करने वालों को समय पर पहुँचने में कठिनाई

ोगई थी किन्तु अब नई लारी खरीद ली गई है और जसे ही पेट्रोल मिलने लगेगा यह कठिनाई भी हल हो जायेगी । बहुत से मिल मजदूर निजी साइकिल रखने लगे हैं और उसी पर मिल आते हैं ।

गवर्नमेंट ने कानपुर मजदूर बस्ती बनाने की स्वीकृति दे दी है । इस बस्ती में जरायम पेशा जातियों के व्यक्ति रहेंगे जो मिलों में काम करते हैं । पी० डबल्यू० डी० ने क्वाटरों के बनाने का काम अभी शुरु नहीं किया क्वार्टरों के न बनने से मिल मजदूर और मिल मालिक दोनों को दिक्कत उठानी पड़ रही हैं मजदूरों को कल्यानपुर से कानपुर और कानपुर से कल्यानपुर रोज आना जाना पड़ता है और यदि उन्हें इस रास्ते में अपराध करने का कोई अवसर मिल जाता है तो वे प्रलोभन में पड़ जाते हैं और अपराध कर बेठते हैं ।

शिक्षा

प्रत्येक सेटेलमेंट में शिक्षा का प्रबन्ध है और हर एक सेटेलमेंट में प्रारम्भिक पाठशालायें हैं । जरायम पेशा जातियों के बच्चों को जुर्म करने से बचाने का सबसे सरल तरीका उन्हें अपने माता पिता के प्रभाव से प्रथक रखना और उचित शिक्षा देना है किंतु रुपये की कमी के कारण ऐसा प्रबन्ध होना कठिन है । फिर भी गोरखपुर में एक होस्टल खोला गया है जिसमें उन्नीस लड़के और चार लड़कियाँ रहती हैं । गोरखपुर सेटेलमेंट में रहने वाले डोम होस्टल में अपने बालक बालिकाओं को भर्ती कराने को तैयार हैं किन्तु इस काम के लिये न

तो स्थान ही है और न रुपया ही । जराय पेशा जातियों के कुछ व्यक्ति उच्च शिक्षा भी पारहे हैं आर्यनगर सेटेलमेन्ट का एक बालक कानपुर के कृषि कालेज में पढ़ रहा है और कांथ सेटेलमेन्ट का एक बालक, बुलंदशहर के कृषि स्कूल में पढ़ रहा है। इसी प्रकार बरवार जाति के कुछ बालक डी० ए० वी० कालेज कानपुर में पढ़ते हैं और कुछ अहेड़ियों ने भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली है

१९४४ ई० में सरकार ने सेटेलमेंट को निम्नलिखित सहायता दी :—

फजलपुर, काट. साहबगंज,	२५७९२ रुपया
आर्यनगर	७०००० रुपया
गोरखपुर	२११३४ रुपया
कल्यानपुर	१५३५०० रुपया जिनमें उद्योग धन्धों की सहायता शामिल है।

इसके अतिरिक्त मुक्ति फौज को ६५ हजार रु० बिना सूद के दिया गया है, जो अभी तक उनके पास है। आर्य प्रतिनिधि सभा को भी ४७४६ रुपया बिना सूद के उधार दिया जा चुका है।

रिक्लेमेशन विभाग की ओर से प्रति वर्ष रिक्लेमेशन सप्ताह मनाया जाता है १९४४ ई० में गोरखपुर सेटेलमेन्ट में मनाया गया। बारी बारी से हर सेटेलमेन्ट में मनाया जाता है। इस अवसर पर हर सेटेलमेन्ट से दो टोलियां आती हैं जो खेल कूद और मनोरंजन में

भाग लेती हैं। इसके साथ में सेटेलमेंटों में बनी हुई वस्तुओं की प्रदर्शिनी भी होती है। इस साल की प्रदर्शिनी का उद्घाटन मि० बी० आर० जेम्स आई० सी० एस० डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेन्शस जज ने किया था और कमिश्नर साहब मि० एच० एस० वेट्स ने अन्तिम दिवस तक सभापति का आसन ग्रहण किया था।

BIBLIOGRAPHY

1. Census Report of United Provinces, 1901.
2. Census Report of United Provinces, 1911.
3. Census Report of United Provinces, 1921.
4. Census Report of United Provinces, 1931.
5. Census of India athnographical, 1941.
6. Census figures of United Provinces, 1941.
7. Caste and Tribes of India by Sherring—3 Vols.
8. Caste and Tribes of North West Province by William Crookes Vols—1 to 4.
9. Caste in United Provinces by Mr. E.A. Blunt.
10. Criminal Tribes of United Provinces by S.T. Hollins.
11. Criminal Tribes of India by P. R. Naidu.
12. Fortunes of Primitive Tribes by Dr. D. N. Mazumdar.
13. Races and Cultures in India by Dr. D. N. Mazumdar.
14. Economic and Social aspects of Crime in India by Dr. B. S. Haikerwal.

15. Report on the operations of the Criminal Tribes Act in the United Provinces under the Criminal Tribes Act for the year 1930 by Vinyanand Pathak Esqr.

16. Training the Criminal by Gillin.

17. World Penal Systems by Dr. N. Teeters.

18. Annual reports on the administration of the Police, in the United Provinces.

19. Annual reports on the working of the Reclamation Department.

20. The Penal Reformer—3 Vols. 1939. 1940 and 1941.

21. Penology in India.

22. Criminal Tribes Acts (Act VI of 1924).

23. Criminal Tribes Rules.

24. Criminal Tribes Manual, Vol. 1 and Vol. II.

25. Report of the U. P. Criminal Tribes Enquiry Committee, 1938.

26. Report on Inter Provincial Crime by Mr. P. R. Bramby, 1904.

27. Report of the Special Dacoity police 1922-30.

28. Peoples of India by Risley.

29. Census of India Part I Vol. I, 1931.